VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

जुलाई 2021

मासिक समसामयिकी

8468022022 | 9019066066 www.visionias.in

DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI

फाउंडेशन कोर्स
सामान्य अध्ययन
प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2022

लाइव/ऑनलाइन कक्षाएं भी उपलब्ध

इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम

- प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
- मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
- एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
- अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
- योजनाबद्ध तैयारी हेतु करेंट ओरिएंटेड अप्रोच
- नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन
- सीसैट कक्षाएं
- PT 365 कक्षाएं
- MAINS 365 कक्षाएं
- PT टेस्ट सीरीज
- मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
- निबंध टेस्ट सीरीज
- सीसैट टेस्ट सीरीज
- निबंध लेखन - शैली की कक्षाएं
- करेंट अफेयर्स मैगजीन

Scan the QR CODE to download VISION IAS app

कक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी। ऑफलाइन कक्षाएं सरकारी नियमों और छात्रों की सुरक्षा के अधीन उपलब्ध होंगी।

DELHI: 28 सितंबर 1 PM | 15 जुलाई, 5 PM

पर्जीकरण करें
www.visionias.in/opentest
or Scan the QR code

ऑल इंडिया
GS प्रीलिम्स
ओपन मॉक टेस्ट -5

19 - 20 सितंबर

- टेस्ट केवल ऑनलाइन मोड में उपलब्ध
- ऑल इंडिया रैंकिंग
- Vision IAS पोस्ट टेस्ट एनालिसिस™
- टेस्ट इंग्लिश/ हिन्दी मे उपलब्ध
- पूर्णतः UPSC सिविल सेवा परीक्षा के पैटर्न पर आधारित प्रश्नो का अभ्यास

विषय-सूची

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance) 6

1.1. अन्य पिछड़े वर्गों का उप-वर्गीकरण {Sub-Categorisation of Other Backward Classes (OBCs)}.....6

1.2. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 {Juvenile Justice (Care And Protection Of Children) Amendment Bill, 2021}.....9

1.3. अंतर्राज्यिक जल विवाद (Interstate River Dispute).....12

1.4. 97वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 (97th Constitution Amendment Act, 2011).....15

1.5. चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 2021 का प्रारूप (Draft Cinematograph (Amendment) Bill, 2021).....16

1.6. वन अधिकार अधिनियम (Forest Rights Act).....18

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations) 23

2.1. रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy).....23

2.2. भारत-नेपाल (India-Nepal).....26

2.3. ओपेक+ द्वारा संपन्न नवीन तेल समझौता (New Oil Deal by OPEC+).....28

3. अर्थव्यवस्था (Economy) 31

3.1. भारत का विदेशी मुद्रा भंडार (India's Forex Reserves).....31

3.2. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (Insolvency and Bankruptcy Code: IBC).....33

3.2.1. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021 {Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill, 2021}.....35

3.3. सरकारी प्रतिभूतियां (Government Securities: G-Secs).....37

3.4. नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (National Asset Reconstruction Co. Ltd: NARCL).....39

3.5. राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (National Urban Digital Mission: NUDM).....43

3.6. आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (Periodic Labour Force Survey: PLFS).....45

3.7. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (Micro, Small & Medium Enterprises: MSMEs).....48

3.8. लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक (Logistics Sector).....51

3.9. भारतीय पोत परिवहन उद्योग (Indian Shipping Industry).....54

3.10. जिला खनिज प्रतिष्ठान (District Mineral Foundation: DMF).....56

4. सुरक्षा (Security) 59

4.1. साइबर निगरानी (Cyber Surveillance).....59

4.2. भारत में ड्रोन विनियम (Drone Regulations in India).....61

VISIONIAS

5. पर्यावरण (Environment) **66**

5.1. जलवायु वित्त (Climate Finance) 66

5.2. दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण (Air Pollution in Delhi and NCR)....69

5.3. राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र (National Dolphin Research Centre: NDRC)....72

6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues) **74**

6.1. आंतरिक प्रवास (Internal Migrants) 74

6.2. जनसंख्या नियंत्रण नीति (Population Control Policy) 78

6.3. विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति रिपोर्ट, 2021 (State of Food Security and Nutrition in the World 2021) 82

6.4. मानव तस्करी (निवारण, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2021 (The Trafficking in Persons (Prevention, Care and Rehabilitation) Bill, 2021) 83

6.5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy: NEP) 86

6.6. समझ के साथ पढ़ने तथा संख्या गणना में निपुणता के लिए राष्ट्रीय पहल (निपुण भारत) (National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy: NIPUN Bharat) 89

6.7. डिजिटल इंडिया (Digital India) 92

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology) **96**

7.1. अंतरिक्ष पर्यटन (Space Tourism) 96

7.2. जैव प्रौद्योगिकी- प्राइड दिशा-निर्देश (Biotech-PRIDE Guidelines) 99

7.3. न्यूक्लिक एसिड टीका (Nucleic Acid Vaccines) 100

8. संस्कृति (Culture) **104**

8.1. विश्व धरोहर का दर्जा (World Heritage Tag) 104

8.1.1. रुद्रेश्वर मंदिर (Rudreshwara Temple) 105

8.1.2. धोलावीरा (Dholavira) 107

9. नीतिशास्त्र (Ethics) **109**

9.1. नीतिशास्त्र या नैतिकता: भ्रष्टाचार उन्मूलन का एक साधन? (Ethics: A Solution to Corruption?) 109

10. सुर्ख़ियों में रही सरकारी योजनाएँ (Government Schemes in News) **111**

10.1. प्रधान मंत्री-किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी.एम.-कुसुम) योजना {PM-Kisan Urja Suraksha Evam Utthaan Mahabhiyan (PM-KUSUM) Scheme} 111

11. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Short) **113**

11.1. पश्चिम बंगाल विधान सभा ने विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव पारित किया (West Bengal Assembly Passes Resolution to set up Legislative Council) 113

VISIONIAS

11.2. मंत्रिमंडल ने तीन योजनाओं को जारी रखने हेतु स्वीकृति प्रदान की (Cabinet Approves Continuation of Three Schemes) 113

11.3. भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका ने 5 वर्षों के लिए वैश्विक विकास साझेदारी समझौते का नवीनीकरण किया (India-US Renew Global Development Partnership Deal for 5 Years) 114

11.4. तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्रिस्तरीय बैठक (3rd Arctic Science Ministerial) 114

11.5. मेकांग-गंगा सहयोग (Mekong-Ganga Cooperation: MGC) 115

11.6. भारत कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज: चरण 2 (India COVID-19 Emergency Response and Health Systems Preparedness Package: Phase II) 115

11.7. 'कृषि अवसंरचना कोष' के अंतर्गत वित्तपोषण सुविधा की केंद्रीय क्षेत्र योजना में संशोधन {Modifications in Central Sector Scheme of Financing Facility Under Agriculture Infrastructure Fund (AIF)} 116

11.8. गैर-बैंकों के लिए रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) भुगतान प्रणाली आरंभ {Real Time Gross Settlement (RTGS) & National Electronic Fund Transfer (NEFT) Payment Systems Opened for Non-Banks} 117

11.9. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लिबोर से संक्रमण संबंधी परामर्श जारी किया गया (RBI issues Advisory for Transition from LIBOR) 117

11.10. भारत इंटरफेस फॉर मनी- यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (BHIM-UPI) {Bharat Interface for Money - Unified Payments Interface (BHIM-UPI)} 118

11.11. डिजिटल पहलों का शुभारंभ (Digital Initiatives Launched) 118

11.12. विद्युत मंत्रालय ने राज्य विद्युत वितरण संस्थाओं की नौवीं एकीकृत रेटिंग और रैंकिंग जारी की (Ministry of Power Releases 9th Integrated Ratings of State Power Distribution Utilities) 118

11.13. लोक सभा द्वारा पारित नवीन विधेयक (New Bills Passed by Lok Sabha) 118

11.14. भारत रॉक फॉस्फेटिक के स्वदेशी भंडार का पता लगाएगा (India to Explore Indigenous Deposits of Phosphatic Rock) 120

11.15. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष इस्पात के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना को स्वीकृति प्रदान की {Union Cabinet Approved the Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Specialty Steel} 121

11.16. अफ्रीका ओपन डील (पर्यावरण, कृषि और भूमि के लिए डेटा) पहल (Africa Open DEAL- Data for the Environment, Agriculture and Land Initiative) 121

11.17. इंडिया साइकिल4चेंज चैलेंज (India Cycles4Change Challenge) 121

11.18. केंद्र सरकार द्वारा 'राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक (NMSC)' को नियुक्त किया जाएगा {Centre to Appoint National Maritime Security Coordinator (NMSC)} 122

11.19. प्रोजेक्ट 75 (इंडिया) [पी-75(आई)] {Project 75 (India) [P-75(I)]} 122

11.20. नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल (आकाश-एन.जी.) और मैन पोर्टेबल एंटीटैंक गाइडेड मिसाइल (MPATGM) {New Generation Akash Missile (Akash-NG) and Man Portable Antitank Guided Missile (MPATGM)} 122

11.21. सुर्ख़ियों में रहे रक्षा अभ्यास (Defence Exercises in News) 123

11.22. कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (Carbon Border Adjustment Mechanism: CBAM) 123

11.23. भारत के 14 बाघ अभयारण्यों में बाघों के संरक्षण से संबंधित वैश्विक मानक स्थापित किए गए (India's 14 Tiger Reserves Set Global Standard in Tiger Conservation) 124

11.24. अर्थ ओवरशूट डे (Earth Overshoot Day) 124

11.25. उत्तर भारत में अत्यधिक सिंचाई के कारण मानसून के उत्तर-पश्चिम भाग की ओर स्थानांतरित होने से कृषि में जोखिम बढ़ रहे हैं (Excess Irrigation Over Northern India Shifting Monsoons Towards Northwest Risking Agriculture) 124

11.26. ड्रिंक फ्रॉम टैप- सुजल मिशन (Drink From Tap- Sujal Mission) 125

11.27. नीति आयोग और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने 'भारत में नवीकरणीय का एकीकरण 2021' रिपोर्ट का विमोचन किया {NITI Aayog and International Energy Agency (IEA) Launched 'Renewables Integration in India 2021' Report} 125

11.28. प्रथम हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना (First Green Hydrogen Mobility Project) 126

11.29. भारत असमानता रिपोर्ट, 2021 (India Inequality Report, 2021).....126

11.30. जेल में आत्महत्या रोकने के लिए 'गेटकीपर मॉडल' ('Gatekeeper Model' to Prevent Suicides in Prison).....127

11.31. महिलाओं के लिए 24*7 हेल्पलाइन (7827170170) {24*7 Helpline for Women (7827170170)}.....127

11.32. भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय ने छह प्रौद्योगिकी नवाचार मंच लॉन्च किए (Ministry of Heavy Industries Launched Six Technology Innovation Platforms).....127

11.33. स्टैंड अप इंडिया योजना का विस्तार (Stand Up India Scheme Extended) 128

11.34. भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सुविधाएं मानचित्र (I-STEM) चरण-2 में पहुंचा {Indian Science Technology and Engineering Facilities Map (I-STEM) Enters Phase-II} 128

11.35. वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने पेटेंट छूट व टीकों के लिए अनिवार्य लाइसेंस का सुझाव दिया (Parliamentary Standing Committee on Commerce Suggested for Patent Waiver, Compulsory License for Vaccines) ...129

11.36. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लोक स्वास्थ्य के संवर्धन के लिए मानव जीनोम संपादन पर नई अनुशंसाएं जारी की (WHO Issues New Recommendations on Human Genome Editing for the Advancement of Public Health) 130

11.37. जीका वायरस (Zika Virus).....130

11.38. यूटेलसैट क्वांटम उपग्रह (Eutelsat Quantum Satellite).....130

11.39. नौका-रूस मॉड्यूल (Nauka-Russia Module).....130

11.40. क्षुद्रग्रह रयुगु (Asteroid Ryugu).....131

11.41. गैनिमेड (Ganymede).....131

11.42. अंतरिक्ष चावल (Space Rice).....131

11.43. नैनो यूरिया लिक्विड उर्वरक {Nano Urea Liquid (NUL) Fertiliser}.....131

11.44. सुर्ख़ियों में रहे भौगोलिक संकेतक टैग {Geographical Indication (GI) Tag Products in News} 132

नोट:

प्रिय छात्रों,

करेंट अफेयर्स को पढ़ने के पश्चात् दी गयी जानकारी या सूचना को याद करना और लंबे समय तक स्मरण में रखना लेखों को समझने जितना ही महत्वपूर्ण है। मासिक समसामयिकी मैगज़ीन से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए, हमने निम्नलिखित नई विशेषताओं को इसमें शामिल किया है:

विभिन्न अवधारणाओं और विषयों की आसानी से पहचान तथा उन्हें स्मरण में बनाए रखने के लिए मैगज़ीन में बॉक्स, तालिकाओं आदि में विभिन्न रंगों का उपयोग किया गया है।

पढ़ी गई जानकारी का मूल्यांकन करने और उसे स्मरण में बनाए रखने के लिए प्रश्न एक महत्वपूर्ण उपकरण हैं। इसे सक्षम करने के लिए हम प्रश्नों के अभ्यास हेतु मैगज़ीन में प्रत्येक खंड के अंत में एक स्मार्ट क्विज़ को शामिल कर रहे हैं।

विषय को सुगमता पूर्वक समझने और सूचना के प्रतिधारण को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रकार के इन्फोग्राफिक्स को भी जोड़ा गया है। इससे उत्तर लेखन में भी सूचना के प्रभावी प्रस्तुतीकरण में मदद मिलेगी।

सुर्ख़ियों में रहे स्थानों और व्यक्तियों को मानचित्र, तालिकाओं और चित्रों के माध्यम से वस्तुनिष्ठ तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इससे तथ्यात्मक जानकारी को आसानी से स्मरण रखने में मदद मिलेगी।

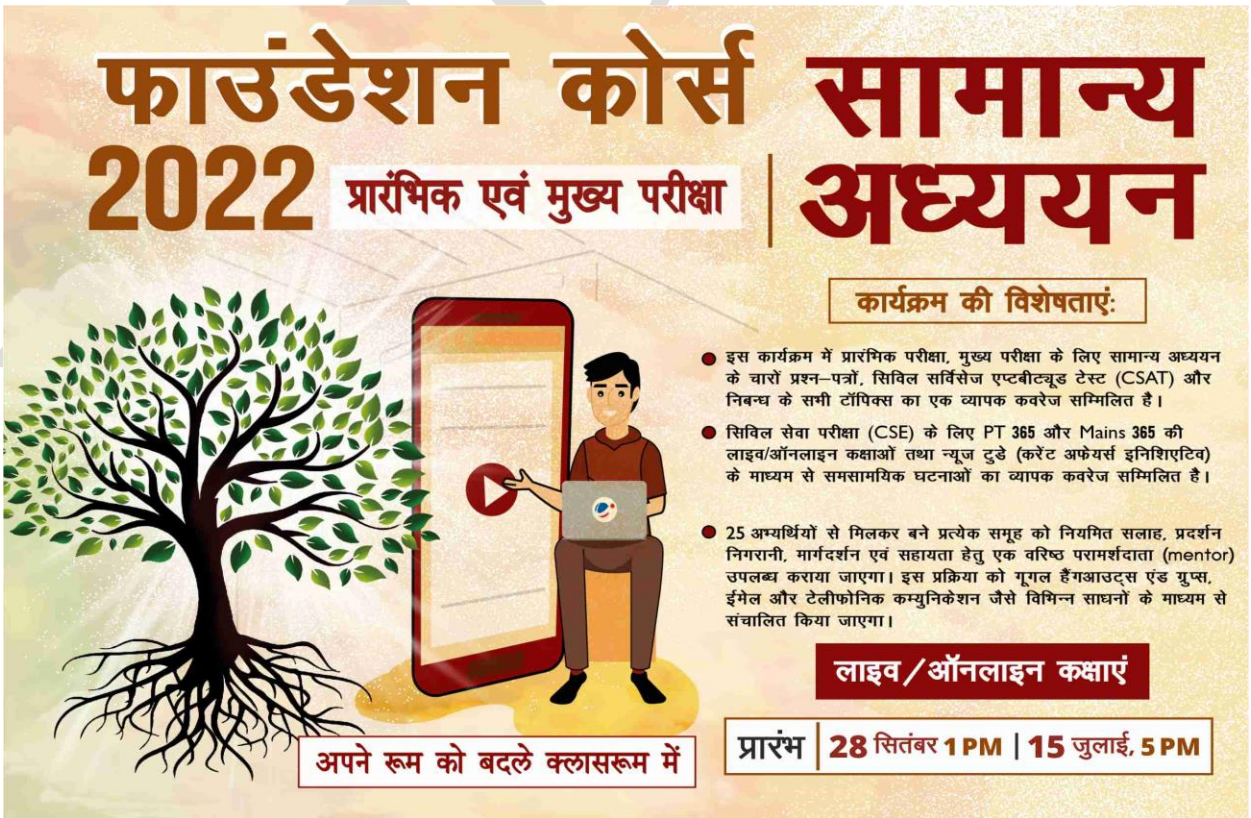

1. राजव्यवस्था एवं शासन (Polity & Governance)

1.1. अन्य पिछड़े वर्गों का उप-वर्गीकरण {Sub-Categorisation of Other Backward Classes (OBCs)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़े वर्गों (OBCs) के भीतर उप-वर्गीकरण की संभावना की जांच हेतु गठित **न्यायमूर्ति जी. रोहिणी आयोग** के कार्यकाल में छह माह के विस्तार को स्वीकृति प्रदान की है।

पृष्ठभूमि

- केंद्र सरकार ने **वर्ष 2017 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत न्यायमूर्ति जी. रोहिणी** (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में **चार सदस्यीय आयोग** का गठन किया था। इसका उद्देश्य **OBCs के मध्य आरक्षण के लाभों का न्यायसंगत बंटवारा करना है।**
  - भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 **पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए एक आयोग की नियुक्ति के लिए शर्तें निर्धारित करता है।**
- **आयोग का अधिदेश:**
  - केंद्रीय OBC सूची के संदर्भ में **जातियों या समुदायों के बीच आरक्षण के लाभों** (अर्थात् नौकरियों और शिक्षा में 27 प्रतिशत आरक्षण) के **असमान वितरण की सीमा की जांच करना।**
  - **OBCs के उप-वर्गीकरण के लिए** वैज्ञानिक दृष्टिकोण में **तंत्र, मानक, शर्तें और मापदंड** तैयार करना।

OBCs कौन हैं?

- यह एक समूह को संदर्भित करने वाला शब्द है। इसका उपयोग सरकार द्वारा **शैक्षिक या सामाजिक रूप से वंचित जातियों को वर्गीकृत** करने के लिए किया जाता है। (OBCs को सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए संदर्भित किया जाता है।)
- OBCs एक विशाल विजातीय समूह हैं। इसमें विभिन्न जातियां या उपजातियां शामिल हैं, जिनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों में काफी भिन्नताएं विद्यमान हैं।
  - उदाहरण के लिए, उत्तर और दक्षिण भारत दोनों में OBCs में भू-स्वामी समुदाय शामिल हैं, जबकि दूसरी ओर निर्वाह श्रम पर जीवन यापन करने वाले समाज के कई निर्धन वर्ग भी इसके अंतर्गत आते हैं।
- **OBCs** की दो सूचियां हैं- **केंद्रीय सूची एवं राज्य सूची।** इनमें से केंद्रीय सूची केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय नौकरियों में आरक्षण प्रदान करने से संबंधित है, जबकि राज्य सूचियां, स्थानीय रिक्तियों में आरक्षण लागू करने के लिए राज्य सरकारों का अधिदेश हैं।

OBCs के उप-वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों?

- **आरक्षण का लाभ केवल सीमित वर्गों तक ही पहुंच पाया है:** रोहिणी आयोग ने इस तथ्य को रेखांकित किया है कि OBCs की केंद्रीय सूची में सूचीबद्ध 2,633 जातियों में से लगभग **1,900 जातियों** को आनुपातिक रूप से लाभ प्राप्त नहीं हुआ है।
  - **इन 1,900 जातियों में से लगभग आधी जातियों को आरक्षण का लाभ बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हुआ है।** इसके अतिरिक्त, अन्य आधी जातियों में वे जातियां शामिल हैं, जिन्होंने OBC कोटे में **3 प्रतिशत** से भी कम की भागीदारी का लाभ प्राप्त किया है।
  - आयोग ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला है कि **OBC आरक्षण का 25% लाभ** केवल **10 उप-जातियों** को ही प्राप्त हुआ है।
  - आयोग के अनुसार, जिन समुदायों को आरक्षण का लगभग कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, **उनमें हाशिए पर रहे अन्य समूहों के अतिरिक्त** व्यवसाय-आधारित कुछ जातियां भी शामिल हैं। उदाहरण के लिए, पारंपरिक रूप से टिन की पॉलिश करने वाला **कलईगर (Kalaigars) समुदाय** और परंपरागत रूप से चाकू की धार तेज करने वाले **सिकलीगर (Sikligar) तथा सरनी (Saranias) समुदाय** इसमें सम्मिलित हैं।
- **लाभ आर्थिक रूप से सशक्त उप-वर्गों की ओर प्रवृत्त हैं:** शोधों से ज्ञात होता है कि मंडल आयोग की अनुशंसाओं ने अत्यंत पिछड़ी जातियों की अपेक्षा आर्थिक रूप से बेहतर स्थिति वाली अन्य पिछड़ी जातियों (OBCs) को सहायता प्रदान की है।

OBCs के उप-वर्गीकरण हेतु आयोग की संभावित अनुशंसाएं		
श्रेणी 1	1,674 जातीय समूह- वे समूह जिन्हें व्यापक रूप से आरक्षण का लाभ नहीं मिला है।	2% आरक्षण
श्रेणी 2	534 जातीय समूह	6% आरक्षण
श्रेणी 3	328 जातीय समूह	9% आरक्षण
श्रेणी 4	97 जातीय समूह- बड़ी आबादी वाले OBCs को प्राय: प्रमुख समूह माना जाता है।	10% आरक्षण

पृष्ठभूमि: मंडल आयोग

- वर्ष 1990 में, तत्कालीन केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि OBCs को **केंद्र सरकार की सेवाओं और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों से संबद्ध नौकरियों में 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाएगा {संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत}।**
- यह निर्णय **मंडल आयोग की रिपोर्ट (वर्ष 1980)** पर आधारित था। मंडल आयोग का गठन **बी. पी. मंडल** की अध्यक्षता में वर्ष 1979 में किया गया था। मंडल आयोग का अधिदेश जातिगत भेदभाव के निवारणार्थ **सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों** की पहचान करना था।
- केंद्र सरकार के संस्थानों में OBCs के लिए आरक्षण हेतु अनुशंसा वर्ष 1992 में लागू की गई थी, जबकि **शिक्षा में आरक्षण वर्ष 2006 में {संविधान के अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत} लागू हुआ था।**
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि मंडल आयोग की अनुशंसाओं का लाभ सबसे पिछड़े समुदायों तक पहुंचे, उच्चतम न्यायालय ने **'इंदिरा साहनी निर्णय' (वर्ष 1992)** द्वारा **क्रीमी लेयर** मानदंड को लागू किया था।
  - **वर्तमान में 8 लाख रुपये या उससे अधिक की वार्षिक आय** वाले परिवार को OBCs के मध्य 'क्रीमी लेयर' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐसा परिवार आरक्षण के लिए पात्र नहीं होता हैं।

उप-वर्गीकरण के विचार का विकास

- वर्ष 1955 की प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग रिपोर्ट ने OBCs को **पिछड़े और अत्यंत पिछड़े समुदायों** में उप-वर्गीकृत करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।
- वर्ष 1979 की मंडल आयोग रिपोर्ट में, एक सदस्य एल. आर. नाइक ने **एक असहमति पत्र/नोट के द्वारा मध्यवर्ती और दमित पिछड़े वर्गों** में उप-वर्गीकरण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।
- वर्ष 2015 में, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (National Commission for Backward Classes: NCBC) ने OBCs को **निम्नलिखित तीन श्रेणियों में विभाजित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था:**
  (a) **अत्यंत पिछड़ा वर्ग {Extremely Backward Classes (EBC-ग्रुप A)}:** इसमें वे वर्ग/समुदाय शामिल होंगे, जो OBCs के भीतर भी सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन का सामना कर रहे हैं। इनमें आदिवासी जनजातियां, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियां सम्मिलित हैं, जो अपने पारंपरिक व्यवसायों से जीवन यापन करती हैं;
  (b) **अधिक पिछड़ा वर्ग {More Backward Classes: (MBC-ग्रुप B)}:** इसमें वे व्यावसायिक समूह शामिल होंगे, जो अपने पारंपरिक व्यवसायों के साथ जीवनयापन करते हैं; तथा
  (c) **पिछड़ा वर्ग {Backward Classes: (BC-ग्रुप C)}:** इसमें वे वर्ग शामिल होंगे, जो तुलनात्मक रूप से अधिक समर्थ या उन्नत हैं।
- NCBC के अनुसार, **11 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों** (आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, कर्नाटक, हरियाणा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु) ने राज्य सरकार के स्वामित्व वाले संस्थानों में आरक्षण हेतु OBCs को उप-वर्गीकृत किया है।

OBCs के उप-वर्गीकरण के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियां

- **इस मुद्दे की राजनीतिक संवेदनशीलता:** OBCs को उप-वर्गीकृत करने की यह पहल OBCs के कुछ वर्गों में अशांति उत्पन्न कर सकती है क्योंकि इससे लाभ पुनर्वितरित हो जाएगा।
  - OBC आरक्षण का मुद्दा अतीत में राजनीतिक उथल-पुथल का कारण बन चुका है।
- **पुराने और अविश्वसनीय प्राक्कलनों का उपयोग:** आयोग ने **1931 की जनगणना से प्राप्त जनसंख्या संबंधी आंकड़ों** के आधार पर कोटा के भीतर कोटे की संस्तुति की है, न कि हाल ही की सामाजिक-आर्थिक जातिगत जनगणना (Socio-Economic Caste Census: SECC)- 2011 को आधार बनाया है।
  - मंडल आयोग की रिपोर्ट के लागू होने के उपरांत से **OBCs की केंद्रीय सूची में 500 से अधिक नई जातियों को सम्मिलित किया गया** है। जबकि 1931 की जनगणना में इन नई जातियों की जनसंख्या का उल्लेख नहीं है।
  - हालांकि, 1931 की जनगणना में **उन रियासतों की जनसंख्या का भी उल्लेख नहीं है, जिन पर अंग्रेजों का शासन नहीं था।**
- **सामाजिक एवं शैक्षणिक स्थिति पर सूचना की अनुपलब्धता:** विभिन्न जातियों के सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ेपन के संबंध में सूचना की उपलब्धता का अभाव है।
- यह निम्नलिखित कारणों से **सांख्यिकीय रूप से अत्यंत कठिन अभ्यास** हो सकता है:
  - वृहद संख्या में जातियों के अतिरिक्त, एक राज्य से दूसरे राज्य में जातियों के भीतर महत्वपूर्ण भिन्नताएं पाई जाती हैं, जिसका तात्पर्य है कि डेटा संग्रह को वृहद एवं अत्यधिक सशक्त बनाए जाने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (National Commission for Backward Classes: NCBC)

- NCBC को **राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993** के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय के रूप में गठित किया गया था।
- **102वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से इसे एक संवैधानिक निकाय (संविधान में एक नया अनुच्छेद 338B जोड़कर) बना दिया गया है।**
- **इस आयोग द्वारा निष्पादित मुख्य कार्य:**
  - आरक्षण लागू न होने, आर्थिक शिकायतों, हिंसा आदि से संबंधित **परिवादों या शिकायतों** के मामले में नागरिक आयोग के समक्ष अपनी समस्याएं प्रस्तुत कर सकेंगे।
  - **अधिकारों एवं सुरक्षा उपायों से वंचित करने संबंधी शिकायतों की जांच करना।**

आगे की राह

- **OBCs के मध्य** उप-वर्गीकरण **तुलनात्मक लाभ के आधार पर होना चाहिए न कि सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर।** इससे वंचित वर्गों को आरक्षण के अपने उचित भाग का लाभ उठाने में मदद मिल सकती है।
- **क्रीमी लेयर की अधिकतम सीमा को संशोधित करना:** राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) ने मांग की है कि आय सीमा को और संशोधित किया जाना चाहिए, क्योंकि वर्तमान सीमा संबंधित क्रय शक्ति के साथ अद्यतित नहीं है।

102वें संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित घटनाक्रम

- 102वें संशोधन द्वारा संविधान में **अनुच्छेद 338B और अनुच्छेद 342A** को समाविष्ट (अंतःस्थापित या जोड़ना) किया गया।
  - **अनुच्छेद 338B** राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) की संरचना, कर्तव्यों एवं शक्तियों से संबंधित है, और
  - **अनुच्छेद 342A** (दो खंडों के साथ), राष्ट्रपति को किसी वर्ग को सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग (Socially and Economically Backward Class: SEBC) के रूप में अधिसूचित करने की शक्ति और संसद को केंद्रीय SEBC सूची को परिवर्तित करने की शक्ति प्रदान करता है।
- हाल ही में, **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने अनुच्छेद 342A में संशोधन किया है।** यह संशोधन संबंधित राज्य सूचियों में शामिल किए जाने वाले **OBCs की पहचान करने हेतु राज्यों की शक्ति को पुनर्बहाल करने के संबंध में** एक **तीसरा खंड- अनुच्छेद 342A(3)** समाविष्ट करता है।
  - कुछ समय पहले तक, राज्य सरकारें यह निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र थीं, कि उनके राज्य में कौन-सी जातियां OBCs सूची का भाग होंगी। इन निर्णयों में केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं होती थी। कई राज्यों की OBCs सूची में ऐसी जातियों एवं समुदायों को शामिल किया गया है, जिन्हें उन राज्यों के लिए केंद्र सरकार की OBC सूची में स्थान नहीं दिया गया है।
  - हालांकि, **मराठा आरक्षण** पर दिए गए निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि केवल **राष्ट्रपति** ही किसी भी समुदाय को OBC घोषित कर सकते हैं और वह भी ऐसा केवल राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) की संस्तुति पर ही कर सकते हैं।
  - इसके अतिरिक्त, उच्चतम न्यायालय ने भविष्य में **OBCs की एक "एकल सूची"** की संभावना पर भी टिप्पणी की है। इसे राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसाओं पर जारी किया जाना चाहिए।

अन्य संबंधित तथ्य

अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (Economically Weaker Section: EWS) चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए 'अखिल भारतीय कोटा (All India Quota: AIQ) योजना' के अंतर्गत कोटा प्राप्त कर रहे हैं।

- **केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय** ने राज्य द्वारा संचालित मेडिकल और डेंटल कॉलेजों के लिए स्नातक (UG) एवं स्नातकोत्तर (PG) पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु **AIQ योजना के तहत OBCs के लिए 27 प्रतिशत** तथा **EWS के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण** की घोषणा की है।
  - AIQ योजना **वर्ष 1986** में आरंभ की गई थी। इसका प्रयोजन किसी भी राज्य के छात्रों को किसी अन्य राज्य के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में अध्ययन करने के लिए अधिवास प्रमाण मुक्त (domicile-free) व योग्यता आधारित अवसर उपलब्ध करवाना है।
  - इसमें सरकारी मेडिकल कॉलेजों में UG सीटों का 15% और PG सीटों का 50% शामिल है।
  - पूर्व में, **वर्ष 2007 तक AIQ योजना में कोई आरक्षण नहीं था।**
    - वर्ष 2007 में, योजना के तहत अनुसूचित जाति (AIQ सीटों का 15%) और अनुसूचित जनजाति (AIQ सीटों का 7.5%) के लिए आरक्षण लागू किया गया था।

1.2. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 {Juvenile Justice (Care And Protection Of Children) Amendment Bill, 2021}

सुर्ख़ियों में क्यों?

संसद ने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021 को पारित कर दिया है। यह विधेयक किशोर न्याय अधिनियम, 2015 में संशोधन करता है।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

- **18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति** को किशोर या जुवेनाइल कहा जाता है। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 **विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों (children in conflict with law)** तथा **देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों (children in need of care and protection)** की समस्याओं से संबंधित है। यह कुछ मामलों में विधि का उल्लंघन करने वाले **16-18 वर्ष के आयु वर्ग** के किशोरों पर वयस्कों के रूप में **अभियोजन (या मुकदमा) चलाए जाने का प्रावधान करता है।**
- इस अधिनियम को **किशोर अपराध कानून** तथा **किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम), 2000** को प्रतिस्थापित करने हेतु पारित किया गया था।
- यह **बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, बालक संरक्षण और अंतर्देशीय दत्तकग्रहण के संबंध में सहयोग संबंधी हेग अभिसमय (वर्ष 1993) तथा अन्य संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियों के** लिए एक हस्ताक्षरकर्ता के रूप में भारत की प्रतिबद्धता को पूर्ण करता है।
- हालिया संशोधन राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National Commission for Protection of Child Rights: NCPCR) द्वारा वर्ष 2018-19 में प्रस्तुत की गई एक रिपोर्ट के आधार पर लाया गया है। इस रिपोर्ट में 7,000 से अधिक बाल देखभाल संस्थानों (या बाल गृहों) का सर्वेक्षण किया गया था और व्यवस्था में व्याप्त कई कमियों को रेखांकित किया गया था।

वर्तमान विधेयक द्वारा किए गए परिवर्तन

	किशोर न्याय अधिनियम, 2015 में संबंधित प्रावधान	विधेयक की विशेषताएं
दत्तक ग्रहण (Adoption)	• एक बार **दीवानी न्यायालय (सिविल कोर्ट्स)** द्वारा दत्तक ग्रहण संबंधी आदेश जारी करने के उपरांत बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है।	• मामलों का **त्वरित निपटान** सुनिश्चित करने और जवाबदेही बढ़ाने हेतु **डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (DM)** सहित **एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (ADM)** दत्तक ग्रहण का आदेश (देश के भीतर और अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण दोनों के लिए) जारी कर सकते हैं। • **डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (DM) के अतिरिक्त कार्य:** ○ मुख्य अधिनियम के प्रावधान के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी **विभिन्न अभिकरणों के कार्यों का प्रभावी ढंग से समन्वय और उनकी निगरानी करने** हेतु DM सहित ADM को भी अधिकृत किया गया है। ○ उन्हें **जिला बाल संरक्षण एककों (District Child Protection Units)** और **विशेष किशोर संरक्षण एककों की निगरानी** करने और बाल कल्याण समिति (Child Welfare Committee: CWC) तथा किशोर न्याय बोर्डों (Juvenile Justice Boards) की कार्यप्रणाली की **त्रैमासिक समीक्षा** करने हेतु अधिकृत किया गया है।
अपील	• **बाल कल्याण समिति द्वारा दिए गए किसी भी आदेश के लिए कोई अपील नहीं होगी, जिसमें यह निर्णय किया गया है कि** उक्त बालक को देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता नहीं है।	• यह विधेयक इस प्रावधान को हटाता है। • DM द्वारा पारित **दत्तक ग्रहण के आदेश से व्यथित** कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश दिए जाने के 30 दिनों के भीतर **संभागीय आयुक्त (Divisional Commissioner) के समक्ष अपील दायर कर सकता है।** ऐसी अपीलों का निपटान अपील दायर करने की तिथि से **चार सप्ताह के भीतर** किया जाना चाहिए।
गंभीर अपराध	• किशोरों द्वारा किए गए अपराधों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है: ○ **जघन्य अपराध (Heinous offences)**	• यह विधेयक कुछ अपराधों को शामिल करने के लिए **'घोर/गंभीर अपराध'** की परिभाषा को पुनः परिभाषित करता है, जिनके लिए निम्नलिखित दंड निर्धारित किए गए हैं:

	{जिस अपराध हेतु भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code: IPC) या किसी अन्य कानून के तहत सात वर्ष के कारावास का न्यूनतम दंड दिया जा सकता हो}; ○ **घोर या गंभीर अपराध (Serious offences)** (ऐसे अपराध जिनके लिए तीन से सात वर्ष के कारावास का उपबंध है); और ○ **छोटे अपराध (Petty offences)** (ऐसे अपराध जिनके लिए तीन वर्ष से कम के कारावास का उपबंध है)। • किशोर न्याय बोर्ड (Juvenile Justice Board) किसी गंभीर अपराध के आरोपी **बच्चे के बारे में जांच** करेगा।	○ जिन अपराधों के लिए 3 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष से कम की अवधि के लिए न्यूनतम कारावास के दंड का उपबंध है, उन्हें इस अधिनियम के तहत गंभीर अपराध माना जाएगा; ○ जिन अपराधों में अधिकतम सजा 7 वर्ष से अधिक कारावास है, लेकिन कोई न्यूनतम सजा निर्धारित नहीं की गई है या 7 वर्ष से कम की न्यूनतम सजा का उपबंध नहीं है, उन्हें इस अधिनियम के तहत गंभीर (या घोर) अपराध माना जाएगा। • यह उपबंध **शिल्पा मित्तल बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली वाद** में उच्चतम न्यायालय की अनुशंसा को प्रभावी बनाने के लिए किया गया है।
अभिहित न्यायालय (Designated Court)	• बालकों के विरुद्ध अपराध, **जिनमें सात वर्ष से अधिक के कारावास** का प्रावधान है, के मामलों में बाल न्यायालय (जो एक सत्र न्यायालय के समान होता है) में अभियोजन चलाया जाएगा। • अन्य अपराधों (जिनमें सात वर्ष से कम कारावास के दंड का प्रावधान है) के संबंध में **न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अभियोजन** चलाया जाएगा।	• इसमें प्रावधान किया गया है कि अधिनियम के तहत **सभी अपराधों पर अभियोजन बाल न्यायालय (Children's Court) में चलाया जाएगा।**
बालकों के विरुद्ध अपराध	• अधिनियम के तहत **कोई अपराध, जिसमें तीन से सात वर्ष के बीच कारावास के दंड का प्रावधान है,** संज्ञेय (जहां बिना वारंट के गिरफ्तारी की अनुमति होती है) और गैर-जमानती होगा।	• ऐसे अपराध **असंज्ञेय (non-cognizable)** और गैर-जमानती (non-bailable) होंगे।
बाल कल्याण समितियां (CWCs)	• देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों की समस्याओं से निपटने हेतु राज्यों को प्रत्येक जिले के लिए **एक या अधिक CWCs** का गठन करना चाहिए। • यह CWC में **सदस्यों की नियुक्ति हेतु कुछ मानदंड** प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, एक सदस्य में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए: ○ न्यूनतम सात वर्षों तक बाल स्वास्थ्य, शिक्षा या कल्याण में शामिल हो, या ○ बाल मनोविज्ञान, मनोचिकित्सा, विधि या समाज कार्य में डिग्री प्राप्त अभ्यास करने वाला / अनुभवी पेशेवर हो।	• **यह CWC के सदस्यों की नियुक्ति हेतु कुछ अतिरिक्त मानदंड** निर्धारित करता है। • कोई भी व्यक्ति CWC के सदस्य के रूप में नियुक्ति हेतु पात्र ***नहीं*** होगा, यदि: ○ उसका मानवाधिकारों या बाल अधिकारों के **उल्लंघन का कोई विगत रिकॉर्ड है।** ○ **वह नैतिक अधमता** वाले अपराध हेतु दोषी ठहराया गया हो तथा इस तरह के अपराध के संबंध में उसे प्रदत्त दंड को उलट नहीं दिया गया है या उसे पूर्ण क्षमा नहीं प्रदान की गई है। ○ उसे भारत सरकार या राज्य सरकार या भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाले उपक्रम या निगम की **सेवा से हटा दिया गया या बर्खास्त कर दिया गया है।** ○ **वह कभी बाल शोषण या बाल श्रम के नियोजन या अनैतिक कार्य** में संलिप्त रहा हो। ○ वह किसी जिले में **किसी बाल देखरेख संस्थान के प्रबंधन का** हिस्सा हो।

नए विधेयक से जुड़े लाभ

- **दत्तक ग्रहण की तीव्र प्रक्रिया (Faster adoption):** न्यायालयों में **दत्तक ग्रहण के मामलों के निराकरण में अत्यधिक विलंब होता है।** अप्रैल 2015 से लेकर मार्च 2020 के बीच, लगभग 19,000 बच्चों का दत्तक ग्रहण किया गया अर्थात् प्रति माह औसतन 320 बच्चों को गोद लिया गया। जुलाई 2018 तक, विभिन्न न्यायालयों में **दत्तक ग्रहण के 629 मामले लंबित थे।** विधेयक यह सुनिश्चित करेगा कि परिवार की आवश्यकता वाले अधिक से अधिक अनाथों बच्चों का तीव्रता से दत्तक ग्रहण किया जाए।

- दत्तक ग्रहण के मामले **गैर-विरोधात्मक (non-adversarial)** प्रकृति के होते हैं तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उनका निराकरण किया जा सकता है।

- **बालकों की सुरक्षा में अभिवृद्धि:** अस्पष्टता को समाप्त करते हुए जघन्य और गंभीर दोनों प्रकार के अपराधों को स्पष्ट किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि **बालक यथासंभव सुरक्षित रहें और उन्हें वयस्क न्याय प्रणाली से दूर रखा जा सके।**
- **सुचारू कार्यान्वयन:** DM और ADM प्रत्येक जिले में किशोर न्याय अधिनियम के तहत विभिन्न अभिकरणों अर्थात् बाल कल्याण समितियों, किशोर न्याय बोर्ड, जिला बाल संरक्षण एककों और विशेष किशोर सुरक्षा एककों की कार्यप्रणाली की निगरानी करेंगे।
  - यह विधेयक DM को यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी बनाता है कि उनके जिले के अंतर्गत आने वाले बाल देखरेख संस्थान (Child Care Institutions: CCIs) सभी मानदंडों और प्रक्रियाओं का अनुपालन कर रहे हैं।
  - राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की वर्ष 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार, **35 राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों में से केवल 17** में ही इस अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक सभी **बुनियादी ढांचे और निकाय** मौजूद थे।

किशोर न्याय अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित समस्याएं

- **बाल देखरेख संस्थान (Child Care Institutions: CCIs):** वर्ष 2018 में CCIs के कार्यों की समीक्षा के लिए गठित समिति ने पाया कि कई CCIs बालकों को व्यक्तिगत बिस्तर, उचित पोषण और आहार सहित बुनियादी सेवाएं भी प्रदान करने में विफल रहते हैं। वर्ष 2015 के अधिनियम के तहत पंजीकरण अनिवार्य होने के बावजूद, देश भर में कुल CCIs में से केवल 32% ही पंजीकृत थे।
  - वर्ष 2018-19 में NCPCR की रिपोर्ट में पाया गया था कि 1.5 प्रतिशत **CCIs किशोर न्याय अधिनियम** के नियमों और विनियमों के अनुरूप नहीं हैं तथा उनमें से 29 प्रतिशत के प्रबंधन में व्यापक कमियाँ मौजूद थीं। देश में एक भी **CCIs** को **किशोर न्याय अधिनियम** के प्रावधानों का शत-प्रतिशत अनुपालन करते हुए नहीं पाया गया था।
- **संस्थानों की सीमित क्षमता:** मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति (वर्ष 2015) को ज्ञात हुआ था कि **CWCs और JJBs के पास अपने वित्तीय और मानव संसाधनों का प्रबंधन करने का अधिकार नहीं** है और वे **राज्य या जिला प्रशासन पर निर्भर** रहते हैं। बुनियादी ढांचे या विशिष्ट निधियों की कमी के कारण, उनके द्वारा की गई कार्रवाई सीमित और विलंबित होती है। इसने विभिन्न निकायों के लिए अधिक वित्तीय आवंटन, प्रशिक्षण और संवर्ग निर्माण की अनुशंसाएं की थी।

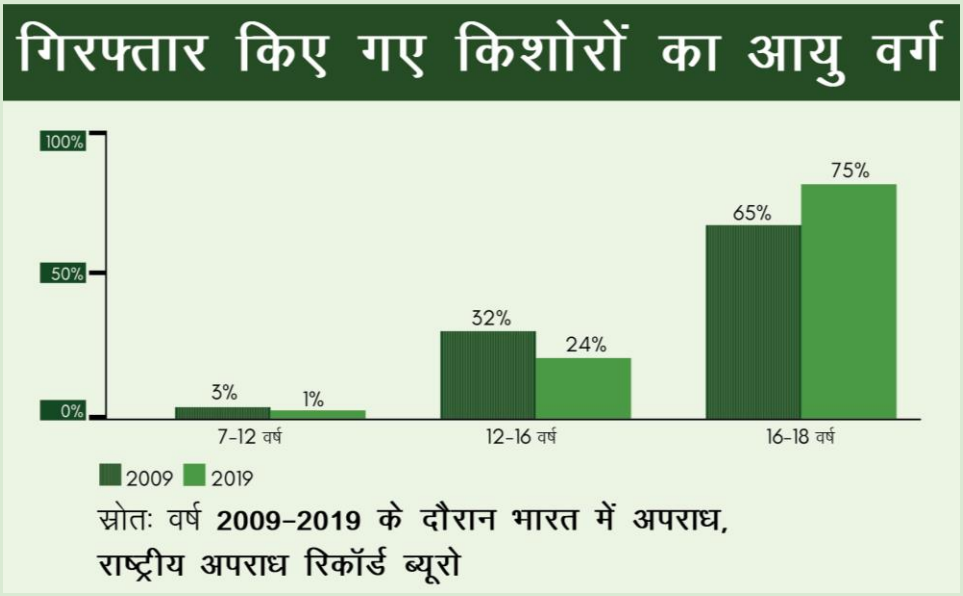

स्रोतः वर्ष **2009-2019 के दौरान भारत में अपराध, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो**

- **विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर:** गिरफ्तार किए गए बालकों की कुल संख्या वर्ष 2009 के 33,642 से बढ़कर वर्ष 2019 में 38,685 हो गई, जो 15% की वृद्धि दर्शाती है। गिरफ्तार किए गए बालकों में अधिकांशतः 16-18 वर्ष के आयु वर्ग के किशोर हैं।
  - **विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों** के लंबित मामले वर्ष 2009 के 43% से बढ़कर वर्ष 2019 में **51%** हो गए थे। दोष सिद्धि की कुल संख्या वर्ष 2009 की 52% से घटकर वर्ष 2019 में **43% हो गई थी, जबकि दोष मुक्त होने वालों की संख्या 10% से भी कम रही।**

इस विधेयक से संबंधित चिंताएं

- **DM पर अत्यधिक कार्यभार:** इस तथ्य की अनदेखी करते हुए कि DM पर पहले से ही **संपूर्ण जिले और अन्य विविध कर्तव्यों** का अत्यधिक बोझ होता है, विधेयक बालकों के कल्याण का संपूर्ण उत्तरदायित्व DM को सौंपता है। बालकों के पुनर्वास के संबंध में **सभी शक्तियों** को एकल प्राधिकारी (DM) में **केंद्रीकृत** करने से **विलंब** हो सकता है तथा बाल कल्याण संबंधी कार्यों पर इसका **व्यापक प्रतिकूल प्रभाव** पड़ सकता है।
- **अपर्याप्त क्षमता:** DM और संभागीय आयुक्त प्रशासन संचालन एवं सरकार के कार्यों को करने हेतु प्रशिक्षित होते हैं। उन्हें बाल संरक्षण नियमों के संबंध में विशेष प्रशिक्षण देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि सामान्यतः वे इन विशिष्ट कानूनों के अनुसार कार्य करने के लिए प्रशिक्षित नहीं होते हैं।

- यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका के कई राज्यों में **दत्तक ग्रहण के आदेश केवल न्यायालय द्वारा ही जारी किए जाते हैं।**

- **शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित चिंताएँ:** शिकायत निवारण शक्तियां **कार्यपालिका** को ही दी गई हैं। **इसका शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।**

निष्कर्ष

उपर्युक्त चिंताओं के बावजूद, DM की शक्ति और जिम्मेदारियों को बढ़ाकर तथा अधिनियम के कुछ प्रावधानों के दायरे के संबंध में स्पष्टता प्रदान करके नए विधेयक से अधिनियम के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों का निवारण करने की अपेक्षा की जा सकती है। बाल सुरक्षा को बेहतर बनाने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:

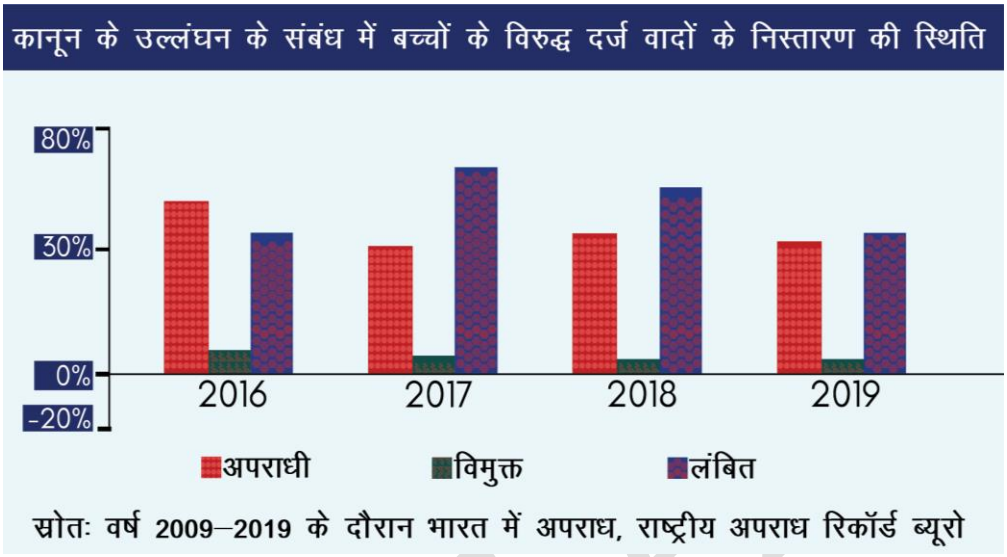

स्रोत: वर्ष 2009–2019 के दौरान भारत में अपराध, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो

- **पारदर्शिता:** वित्त, प्रक्रियाओं के अनुपालन आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों द्वारा उचित रूप से अभिलेख संरक्षण एवं प्रलेखन किया जाना चाहिए।
- **अधिकारियों को संवेदनशील बनाना:** अधिकारियों को बालकों और उनके मुद्दों, आवश्यकताओं, समस्याओं, चिंताओं एवं उनकी सुरक्षा संबंधी विषयों से संवेदनशील रीति से और कुशलतापूर्वक निपटने के लिए उचित रूप से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। रिक्त पदों को भरा जाना चाहिए और जहां आवश्यक हो, बच्चों की उचित देखभाल एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों को नियुक्त किया जाना चाहिए।
- **नेटवर्किंग एवं समन्वय:** ऐसी बाह्य एजेंसियों और व्यक्तियों, जिन्हें बाल देखरेख के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त है, के साथ संबंधों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए तथा जहां आवश्यकता हो वहां विशेषज्ञता को अनिवार्य किया जाना चाहिए।

1.3. अंतर्राज्यिक जल विवाद (Interstate River Dispute)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, जल शक्ति मंत्रालय ने **वर्ष 2014 के आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम (Andhra Pradesh Reorganization Act: APRA)** के अंतर्गत **गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड (Godavari River Management Board: GRMB)** और **कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (Krishna River Management Board: KRMB)** के क्षेत्राधिकार को अधिसूचित किया है।

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच विवाद की पृष्ठभूमि

- आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में, **GRMB और KRMB की कार्यप्रणाली के पर्यवेक्षण के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक शीर्ष परिषद के गठन का प्रावधान** किया गया है।

- गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड (GRMB) और कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड (KRMB) दोनों **स्वायत्त निकाय हैं।** इनकी स्थापना गोदावरी और कृष्णा नदी घाटियों में परियोजनाओं के प्रशासन, विनियमन, रखरखाव और परिचालन हेतु की गई थी। इसका प्रयोजन राज्य के विभाजन के पश्चात् क्रमशः **आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों में विवेकपूर्ण जल उपयोग सुनिश्चित करना है।**

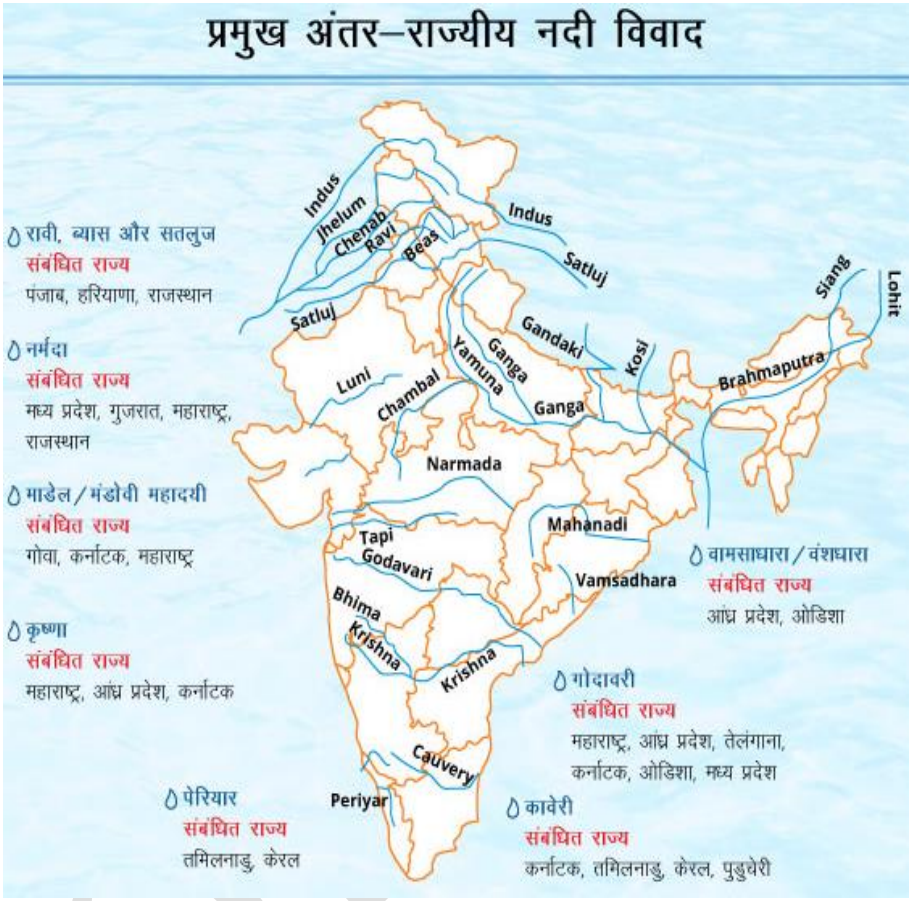

- वर्ष 2014 में, **कृष्णा जल विवाद अधिकरण-1 (Krishna Water Disputes Tribunal: KWDT)** द्वारा तदर्थ या अस्थायी आधार पर किए गए आवंटन के अनुसार दोनों राज्य **जल को 66:34 अनुपात में साझा करने** पर सहमत हुए थे।
  - **KWDT-1** की स्थापना वर्ष 1969 में, **अंतर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम, 1956** के अंतर्गत की गई थी।
- **कृष्णा नदी** पर निर्मित सभी परियोजनाओं, जैसे- **जुराला (Jurala), नागार्जुन सागर (Nagarjuna Sagar), पुलीचिंतला (Pulichintala) और श्रीशैलम (Srisailam)** का निर्माण उस समय किया गया था, जब आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना एक ही राज्य थे।
- आंध्र प्रदेश सरकार के अनुसार, श्रीशैलम और पुलीचिंतला परियोजनाओं तथा प्रकाशम बैराज का रखरखाव आंध्र प्रदेश सरकार के अधीन है, जबकि **तेलंगाना सरकार नागार्जुन सागर व जुराला परियोजनाओं का अनुरक्षण करती है।**
- **श्रीशैलम जलाशय,** जो कि दोनों राज्यों के मध्य नदी जल का मुख्य भंडारण स्थल है, **का जल इन राज्यों के बीच विवाद का मुख्य कारण है।**
- यह विवाद तब और बढ़ गया जब आंध्र प्रदेश ने यह आरोप लगाया कि तेलंगाना KRMB से मंजूरी प्राप्त किए बिना जलविद्युत उत्पादन के लिए चार परियोजनाओं, यथा- जुराला, श्रीशैलम, नागार्जुन सागर और पुलीचिंतला से जल का उपयोग कर रहा है।

अंतर्राज्यिक नदी जल विवादों के लिए संवैधानिक प्रावधान

- **सातवीं अनुसूची के अंतर्गत:**
  - **राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या 17 जल,** अर्थात् जल प्रदाय (वाटर सप्लाई), सिंचाई, नहर, जल निकास, तटबंध, जल भंडारण और जल शक्ति से संबंधित है।
  - **संघ सूची की प्रविष्टि 56 उस सीमा तक अंतर्राज्यिक नदियों और नदी घाटियों के विनियमन एवं विकास** के लिए केंद्र सरकार को शक्ति प्रदान करती है, जिस तक संसद द्वारा लोकहित में समीचीन घोषित किया गया हो।

- **अनुच्छेद 262** में **अंतर्राज्यिक नदियों** या नदी घाटियों के **जल से संबंधित विवादों या शिकायतों के न्यायनिर्णयन** के लिए प्रावधान किया गया है।
    - इसके अंतर्गत संसद, विधि द्वारा यह प्रावधान कर सकती है कि ऐसे किसी भी विवाद या शिकायत के संबंध में **न तो उच्चतम न्यायालय और न ही कोई अन्य न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेगा।**

अंतर्राज्यिक नदी विवादों से संबद्ध मुद्दे

- **विवाद समाधान में विलंब:** अधिकरण द्वारा **न्याय निर्णयन की प्रक्रिया में लंबे समय तक चलने वाले विवादपूर्ण मुकदमे** शामिल होते हैं। **इसके कारण वादों के समाधान में अत्यधिक समय लगता है।**
    - कभी-कभी, **केंद्र को यह निर्णय करने में वर्षों का समय लग जाता है** कि क्या किसी मामले की सुनवाई सबसे पहले किसी अधिकरण द्वारा की जानी चाहिए। **उदाहरण के लिए,** गोदावरी और कृष्णा विवाद वर्ष 1956 के आसपास आरंभ हुआ था, किन्तु इस मामले को वर्ष 1969 में संबंधित अधिकरण को प्रेषित किया गया था।
    - **जल संबंधी आधिकारिक डेटा के अभाव में** न्यायनिर्णयन के लिए आधार-रेखा स्थापित करना भी कठिन हो जाता है।
- **जटिल तथा अपारदर्शी प्रक्रिया:** प्रक्रियात्मक जटिलताओं और व्यवस्था की अपूर्ण प्रकृति (जिसमें सरकारों एवं अभिकरणों के भीतर कई हितधारक शामिल होते हैं) के कारण संस्थागत ढांचे एवं दिशा-निर्देश प्रक्रिया के कई चरणों में **अनेक विकल्प व विवेकाधिकार** सम्मिलित होते हैं। विकल्प **अधिकरण की कुशल कार्यप्रणाली में बाधा उत्पन्न करते हैं।**
- **गैर-अनुपालन की समस्या:** भारत की राजव्यवस्था की संघीय प्रकृति और औपनिवेशिक विरासत के कारण, अनुपालन सुनिश्चित करने में समस्या होती है। ज्ञातव्य है कि राज्य सरकारों ने कभी-कभी अधिकरणों के निर्णयों को अस्वीकार कर दिया है।
- **राजनीतिक लामबंदी:** जल और राजनीति के बीच एक सह-संबंध विद्यमान है, जिसके कारण **अंतर्राज्यिक जल विवाद केवल जल आवंटन से ही संबंधित नहीं रह जाता है,** बल्कि उनका अत्यधिक राजनीतिकरण हो जाता है।
    - उदाहरण के लिए, हाल ही सुर्ख़ियों में रहे **कावेरी जल विवाद को तमिल लोगों और कन्नड़ लोग के मध्य एक नृजातीय पहचान के मुद्दे के रूप में** प्रस्तुत किया गया था। इसके कारण व्यापक नागरिक अशांति उत्पन्न हो गई थी।
- **संस्थागत निर्वात (Institutional vacuum):** कानून के अनुसार अधिकरण के निर्णयों को कार्यान्वित करने हेतु संस्थाओं का निर्माण करने का उत्तरदायित्व केंद्र सरकार का है। **अंतर्राज्यिक समन्वय और अधिकरण के निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए कोई सिद्ध संस्थागत मॉडल मौजूद नहीं हैं।**
- **शिकायत निवारण का अभाव:** वादों के समाधान में होने वाले विलंब अधिकरण भंग होने के उपरांत राज्यों को अपनी शिकायतों के निवारण के उपायों से वंचित कर देते हैं। ऐसे मामलों में जब राज्य उच्चतम न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग करते हैं, तो उसकी अधिकारिता पर आरोपित सीमा उच्चतम न्यायालय को प्रतिबंधित करती है। उच्चतम न्यायालय को अपनी भूमिका मात्र स्पष्टीकरण देने तक ही सीमित करनी पड़ती है, जिससे राज्यों में असंतोष बना रह जाता है।

अंतर्राज्यिक नदी विवादों को कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- संसद ने दो कानूनों को अधिनियमित किया है:
    - **नदी बोर्ड अधिनियम, 1956** अंतर्राज्यिक नदियों और नदी घाटियों के विनियमन एवं विकास के लिए **नदी बोर्डों की स्थापना** का प्रावधान करता है। नदी बोर्ड की स्थापना संबंधित राज्य के अनुरोध पर केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।
    - **अंतर्राज्यिक जल विवाद अधिनियम, 1956** केंद्र सरकार को अंतर्राज्यिक नदी विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए **अधिकरण की स्थापना** करने का अधिकार प्रदान करता है। **अधिकरण द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम और विवाद से संबंधित पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है।**
- **अंतर्राज्यिक जल विवाद (संशोधन) विधेयक, 2019** अंतर्राज्यिक नदी जल विवादों के न्यायनिर्णयन को सरल एवं कारगर बनाने और इससे संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए वर्तमान संस्थागत ढांचे को सशक्त करने का प्रयास करता है।
- **नदी बेसिन प्रबंधन विधेयक, 2019** अंतर्राज्यिक नदियों और नदी घाटियों के विनियमन एवं विकास के लिए एक **नदी बेसिन प्राधिकरण (River Basin Authority)** स्थापित करने का प्रस्ताव करता है।
- **राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र** (National Water Informatics Centre: NWIC) की स्थापना **राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना** (National Hydrology Project) के अंतर्गत की गई है। इसका उद्देश्य एक **व्यापक जल संसाधन डेटा बनाए रखना** और जल विज्ञान

संबंधी चरम स्थितियों से निपटने हेतु आपातकालीन अनुक्रिया करने वाले केंद्रीय एवं राज्य संगठनों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए अग्रणी अनुसंधान संस्थानों के साथ सहयोग करना है।

- एक वेब आधारित **भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली {India- Water Resources Information System (WRIS)}** की स्थापना की गई है तथा केंद्रीय जल आयोग और केंद्रीय भूमि जल बोर्ड के सभी अवर्गीकृत डेटा को इस वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।

आगे की राह

- **कानूनी विकल्प अपनाना:** कानूनी और संस्थागत तंत्र के पूरक के रूप में राजनीतिक समाधान प्राप्त करने के लिए विश्वसनीय विकल्प होना आवश्यक है। ये विकल्प, विशेष रूप से संकट की स्थितियों में, **विवादों में मध्यस्थता करने और विवादों की संख्या को कम करने के लिए** महत्वपूर्ण हैं।
- **सशक्त संस्थागत फ्रेमवर्क स्थापित करना:** प्रस्तावित कानूनों को **लोगों और राज्य सरकारों के साथ परामर्श** के लिए उनके समक्ष रखा जाना चाहिए। एकल अधिकरण का गठन करने की शीघ्रता करने से पूर्व, सरकार के पास इस संबंध में एक प्रक्रिया होनी चाहिए कि कैसे "एक सशक्त संस्थागत फ्रेमवर्क प्रस्तुत करना" है। साथ ही, जल प्रवाह और भूजल एवं सतही जल के बीच संबंध पर महत्वपूर्ण परिवर्तनों को भी समझना चाहिए।
- **समन्वित दृष्टिकोण अपनाना:** चूंकि नदी घाटियां साझा संसाधन हैं, इसलिए **नदी जल के संरक्षण, न्यायपूर्ण वितरण और संधारणीय उपयोग** के लिए केंद्र की पर्याप्त भागीदारी के साथ राज्यों के मध्य एक समन्वित दृष्टिकोण आवश्यक है।
- **विवाद समाधान में सामाजिक न्याय को शामिल करना:** नदी बेसिन प्राधिकरण को सामाजिक-आर्थिक कारकों की परस्पर क्रिया से उभरने वाली विशिष्ट आवश्यकताओं और वास्तविकताओं को समझने के लिए पर्याप्त क्षमता विकसित करनी चाहिए।
- **नदी जल विवाद से संबंधित मुद्दे का सकारात्मक राजनीतिकरण करना:** नदी जल विवाद का समाधान न होने के कारण सामने आने वाली विकास संबंधी बाधाओं, आर्थिक नुकसान और पर्यावरणीय निम्नीकरण को सार्वजनिक संज्ञान में लाकर क्षेत्रीय पहचान एवं क्षेत्रीय संस्कृति से संबंधित राजनीतिक विमर्श को स्पष्ट किया जा सकता है।

1.4. 97वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2011 (97th Constitution Amendment Act, 2011)

सुर्ख़ियों में क्यों?

उच्चतम न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की एक पीठ ने देश में "सहकारी सोसाइटियों" को शासित या नियंत्रित करने वाले **97वें संशोधन अधिनियम के कुछ भाग और संविधान के भाग IXB को निरस्त** कर दिया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **"सहकारिता" राज्य सूची का एक विषय है।** हालांकि, 97वें संशोधन अधिनियम को संसद ने **राज्य विधान-मंडलों द्वारा अभिपुष्टि किए बिना** ही पारित कर दिया था, जबकि **संविधान के अनुसार यह अभिपुष्टि अनिवार्य थी।**
- न्यायालय ने घोषित किया है कि **संविधान का भाग IXB केवल तभी तक प्रभावी है जब तक यह** विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में **बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों (Multi-State cooperative societies) से संबंधित है।**
- उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि **सहकारी सोसाइटियां, राज्य विधान-मंडलों की "अनन्य विधायी शक्ति" के अंतर्गत आती हैं।**
- **सहकारिता के बारे में:**
  - यह समान आवश्यकताओं वाले **व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक संघ** होता है, जो **साझे आर्थिक लक्ष्यों** और हितों की **प्राप्ति के लिए** एकजुट होते हैं।
  - इसमें सहकारी समितियां (सोसाइटियां), प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (Primary Agricultural Credit Societies: PACS), सहकारी बैंक आदि शामिल होते हैं।
  - ये **सामाजिक एकता एवं वित्तीय समावेशन को बढ़ाने में** सहायता करते हैं और **निर्धनों को** एक समूह में संगठित करके **उनकी सौदेबाजी की क्षमता को बढ़ाते हैं।**
  - ये **धन के न्यायोचित वितरण की सुविधा प्रदान करके** तथा ब्याज की वहनीय दरों पर औपचारिक ऋण तक पहुंच प्राप्त करके **आय असमानताओं को कम करने में** भी सहायता करते हैं।
  - भारत में **सफल सहकारिताओं** के कुछ उदाहरण हैं- इंडियन कॉफी हाउस, स्व-रोजगार महिला संघ आदि।
- **सहकारी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में उठाए गए कदम:**
  - भारत में सहकारी आंदोलन को कारगर बनाने के लिए एक नए **सहकारिता मंत्रालय** का गठन किया गया है।
  - **बैंककारी विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020 {Banking Regulation (Amendment) Act, 2020}** जो RBI को सहकारी बैंकों के बोर्डों को अधिक्रमित करने की शक्ति प्रदान करता है तथा सार्वजनिक हित में उनके विलय एवं अधिग्रहण को सक्षम बनाता है।

- **97वां संशोधन अधिनियम:** यह संशोधन अधिनियम देश में सहकारी समितियों के प्रभावी प्रबंधन से संबंधित है। संविधान में परिवर्तन ने सहकारिताओं को संरक्षण देने के लिए **अनुच्छेद 19(1)(c)** में संशोधन किया है तथा इनसे संबंधित **अनुच्छेद 43B और भाग IXB को अंतःस्थापित किया था।**
  - **अनुच्छेद 19(1)(c):** यह कुछ निर्बंधनों के अधीन **संगम या संघ अथवा सहकारी सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता** की गारंटी प्रदान करता है।
  - **अनुच्छेद 43B:** इसमें उपबंधित किया गया है कि राज्य, सहकारी सोसाइटियों की स्वैच्छिक विरचना (voluntary formation), उनके स्वशासी कार्यकरण (autonomous functioning), लोकतांत्रिक नियंत्रण (democratic control) और पेशेवर या वृत्तिक प्रबंधन (professional management) का संवर्धन करने का प्रयास करेगा।
  - **संविधान का भाग IXB:** इसने सहकारी सोसाइटियों को संचालित करने के लिए शर्तों को निर्धारित किया है। यह एक सहकारी सोसाइटी के निदेशकों की संख्या या उनके कार्यकाल की अवधि और यहां तक कि सोसाइटी का सदस्य बनने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता का निर्धारण करता है।

नोट: भारत में सहकारिता और सहकारी आंदोलन के बारे में अधिक जानने के लिए, हमारे वीकली फोकस "सहकारिता: सहयोग के माध्यम से समृद्धि" देखें।

सहकारिता: सहयोग के माध्यम से समृद्धि	भारत में सहकारी सोसायटी का समृद्धशाली एवं सफल इतिहास रहा है और वर्तमान में समूहवाद एवं लोकतंत्र की भावना को जीवित रखने के लिए सहकारिताएं बेहतर माध्यम हैं। सहकारिताओं जैसे सामाजिक संगठनों के वृहद नेटवर्क की उपस्थिति सामाजिक पूंजी के निर्माण एवं उपयोग में सहायता करेगी और सामाजिक पूंजी में वृद्धि करेगी, जिससे विकास की संभावनाओं में वृद्धि होगी। भारत के विकास में सहकारिता क्षेत्रक द्वारा निर्वहन की गयी भूमिका एवं प्रासंगिकता को रेखांकित करते हुए, यह दस्तावेज इस क्षेत्रक के समक्ष विद्यमान अवरोधों और इस क्षेत्रक के विकास के लिए अग्रगामी उपायों का परीक्षण करता है।	

1.5. चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 2021 का प्रारूप (Draft Cinematograph (Amendment) Bill, 2021)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने चलचित्र अधिनियम (Cinematograph Act), 1952 में संशोधन करने हेतु जनता का मत प्राप्त करने के लिए **चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 2021 का प्रारूप** जारी किया है।

सेंसरशिप क्या है और चलचित्र सेंसरशिप क्यों प्रासंगिक है?

सेंसरशिप से तात्पर्य ऐसे **किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति के आधिकारिक निषेध या प्रतिबंध से है जैसे कि फिल्म, पुस्तकें, टेलीविजन शो आदि,** जिन्हें राजनीतिक, सामाजिक या नैतिक व्यवस्था के समक्ष खतरा माना जाता है। इसे स्थानीय या राष्ट्रीय सरकारी प्राधिकरण, धार्मिक निकाय या कभी-कभी एक शक्तिशाली निजी समूह द्वारा भी अधिरोपित किया जा सकता है।

चलचित्र सेंसरशिप प्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि-

- चलचित्र फिल्में या किसी भी उपकरण पर चलने वाली तस्वीरों की श्रृंखला जनसंचार का एक लोकप्रिय और सबसे प्रभावशाली माध्यम है **(के. ए. अब्बास बनाम भारत संघ, 1970 वाद में उच्चतम न्यायालय)।**
- फिल्मों में दिखाए जाने वाले एक्शन, संवाद, दृश्य आदि का दर्शकों के मन और भावनाओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है, सेंसरशिप करना अर्थात्, पूर्व परीक्षण करना तथा आपत्तिजनक सामग्री को हटाना या कम करना न केवल वांछनीय है बल्कि आवश्यक भी है **(एस. रंगराजन आदि बनाम पी. जगजीवन राम, 1989 वाद में उच्चतम न्यायालय)।**

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (Central Board of Film Certification: CBFC)

- **9 क्षेत्रीय कार्यालयों** के साथ CBFC का मुख्यालय **मुंबई** में स्थित है। यह चलचित्र अधिनियम, 1952 के अधीन एक स्वायत्त निकाय है।
- यह **1952 के अधिनियम, चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 1983 और केंद्र सरकार के वर्ष 1993 के दिशा-निर्देशों** के अनुसार फिल्मों का पूर्व परीक्षण (prior examination) करता है। जिसके आधार पर:
  - यह फिल्म को **धारा 5(B)** की विभिन्न श्रेणियों के तहत सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए स्वीकृति प्रदान कर सकता है।
  - मंजूरी से पूर्व प्रत्यक्ष छंटाई या संशोधन हेतु आदेश दे सकता है; अथवा
  - सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए अनुमति देने से मना कर सकता है।

वर्तमान अधिनियम द्वारा प्रस्तावित परिवर्तन क्या हैं?

- भारत में, चलचित्र अधिनियम, 1952 में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) (जिसे लोकप्रिय रूप से सेंसर बोर्ड के रूप में जाना जाता है) के द्वारा **प्रमाणन** और **प्रदर्शनियों को विनियमित** करने के लिए पूर्व परीक्षण का प्रावधान किया गया है।
- प्रभावी फिल्म प्रमाणन के लिए बदलते समय के साथ समन्वय स्थापित करने और पायरेसी पर अंकुश लगाने के लिए, प्रारूप विधेयक ने वर्ष 1952 के अधिनियम में कुछ परिवर्तन प्रस्तावित किए हैं:

प्रावधान	**प्रस्तावित परिवर्तन**
फिल्म प्रमाणन की श्रेणियां	• **'U/A 7+', 'U/A 13+'** और **'U/A 16+'** के रूप में आयु-आधारित वर्गीकरण आरंभ कर फिल्मों की अलग-अलग श्रेणियां निर्धारित करना, जिसके चलते फिल्मों के **'सार्वजनिक प्रदर्शन पर प्रतिबंध'** न्यूनतम या समाप्त हो जाए। • **धारा 4 (1)(i)** के तहत मौजूदा श्रेणियां हैं- ○ **'अ/U'-** अनिर्बंधित सार्वजनिक प्रदर्शन (Unrestricted public exhibition); तथा ○ **'अ/व' (U/A)-** 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए माता-पिता के मार्गदर्शन (दूसरे शब्दों में उपस्थिति) की आवश्यकता।
प्रमाण-पत्र की वैधता	• **धारा 5A(3)** के तहत प्रमाण-पत्र की **10 वर्ष की मौजूदा वैधता को स्थायी रूप से** बढ़ाना।
केंद्र सरकार की पुनरीक्षण शक्तियां	• **धारा 6(1)** को हटाना, जिसे उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया है और निम्नलिखित प्रावधानों को शामिल करना- ○ अधिनियम की **धारा 5B(1)** के उल्लंघन के कारण सरकार को **पुनरीक्षण शक्तियां** प्रदान करने हेतु एक प्रावधान। ○ इसमें एक और प्रावधान, **धारा 5B(1)** के उल्लंघन पर फिल्म की पुनर्समीक्षा के लिए बोर्ड के अध्यक्ष को निर्देश देने हेतु केंद्र सरकार को अधिकार प्रदान करता है। • अधिनियम की **धारा 6** और **धारा 5B केंद्र सरकार को** क्रमशः **फिल्मों को प्रमाणित करने के लिए दिशा-निर्देश हेतु पुनरीक्षण शक्तियां और सिद्धांत** प्रदान करती हैं।
फिल्म पायरेसी	• इंटरनेट पर फिल्मों के पायरेटेड संस्करण के रिलीज होने के कारण फिल्म उद्योग और सरकार को होने वाले राजस्व के नुकसान से बचाने के लिए- ○ अनधिकृत रिकॉर्डिंग को प्रतिबंधित करने हेतु **धारा 6AA** ○ धारा 6AA के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान करने हेतु **धारा 7(1A)**

श्याम बेनेगल समिति की सिफारिशें

वर्ष 2016 में, **श्याम बेनेगल समिति** ने वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के आधार पर CBFC के कामकाज में सुधार के लिए व्यापक दिशा-निर्देशों की सिफारिश की थी। इसने मुख्य रूप से फिल्म प्रमाणन में कुछ बड़े बदलावों की सिफारिश की थी, जैसे कि:

- फिल्म पर अधिकार के बारे में उसके स्वामी का **पूर्ण अधिकार,** अर्थात्, बिना किसी संशोधन सुझावों के केवल CBFC द्वारा प्रमाणीकरण;
- CBFC को **श्रेणी** (एक प्रकार की **सांविधिक चेतावनी**) **तय करने तक** सीमित रखना चाहिए, जिससे दर्शकों को सूचित निर्णय लेने और देखने की अनुमति मिलती है; तथा
- आवेदक को उस **प्रमाणन श्रेणी का उल्लेख करना चाहिए** जो वह चाहता है और उसे अपने लक्षित दर्शक के बारे में भी उल्लेख करना चाहिए, आदि।

प्रस्तावित संशोधन में मुद्दे

प्रारूप में प्रस्तावित परिवर्तनों में, **केंद्र सरकार को पुनरीक्षण शक्ति प्रदान करने के प्रावधान की** फिल्म जगत और अन्य लोगों द्वारा **आलोचना की गई है:**

- **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समक्ष बाधा:** CBFC द्वारा प्रमाणित फिल्म पर केंद्र सरकार की पुनरीक्षण शक्ति को कर्नाटक उच्च न्यायालय **(के. एम. शंकरप्पा बनाम भारत संघ वाद)** द्वारा रद्द कर दिया गया था। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2000 में उच्चतम न्यायालय ने भी इस निर्णय को बरकरार रखा था।
- **रचनात्मकता में बाधक (Stifle Creativity):** ये नए प्रावधान मुक्त अभिव्यक्ति और विचार-विमर्श को बढ़ावा देने की बजाय सेंसरशिप में वृद्धि करेंगे। यह फिल्म पेशेवरों के लिए असुरक्षा को बढ़ाएगा तथा सतर्कता समूहों से उत्पीड़न का कारण बन सकता है।

- **आर्थिक नुकसान:** इससे फिल्म निर्माताओं को व्यापक आर्थिक नुकसान हो सकता है तथा संपूर्ण फिल्म उद्योग तंत्र जैसे फिल्म वितरकों, थिएटरों आदि को क्षति पहुंचा सकता है।
- **फिल्म प्रमाणन पर प्रस्तावित निर्देश के विरुद्ध:** प्रस्तावित परिवर्तन फिल्म प्रमाणन पर **मुद्गल समिति (वर्ष 2013) और श्याम बेनेगल समिति (वर्ष 2016)** की अनुशंसाओं की भावना के विरुद्ध हैं।
- **पहले से विद्यमान प्रावधान:** अधिनियम की **धारा 5E** के तहत पहले से ही केंद्र सरकार के पास संबंधित व्यक्ति को अवसर प्रदान करने के पश्चात् प्रमाणन को निलंबित करने और रद्द करने की शक्ति है। साथ ही, यह **धारा 5F** के तहत आदेश का पुनर्विलोकन करने की अनुमति भी प्रदान करता है।

प्रभावी विनियमन से समझौता किए बिना इन मुद्दों का निवारण करने के लिए क्या किया जा सकता है?

- **स्व-विनियमन को प्रोत्साहित करना:** इसे कार्य के आधार पर संस्थानिक (इन-हाउस) और उद्योगव्यापी दोनों स्तरों पर स्थापित किया जा सकता है।
- **कंटेंट के चयन और उसे देखने का अधिकार:** उपभोक्ता को स्वतंत्र और सूचित निर्णय लेने में असमर्थ मानने की प्रवृत्ति का समाधान करने की आवश्यकता है। पूर्णतया सेंसरशिप की बजाय, आपत्तिजनक कंटेंट के लिए प्रदर्शन-पूर्व चेतावनियों के बढ़ते उपयोग को प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- **मीडिया में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना:** नागरिकों की निजता, गरिमा और वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करने वाले नैतिक मानदंडों को विकसित किया जा सकता है तथा विभिन्न मीडिया, विशेष रूप से टेलीविजन, सिनेमा, प्रेस और इंटरनेट में पेशेवरों को प्रशिक्षित करने के लिए अध्ययन पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सकता है, ताकि बाह्य तौर पर सेंसरशिप मानकों को लागू करने की आवश्यकता को कम किया जा सके।
- **राज्य की सेंसर करने की शक्ति के विस्तार को सीमित करना:** शक्ति के दुरुपयोग और अति प्रयोग को रोकने के लिए, किसी भी विनियामक संस्था को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की अनुमति दी जानी चाहिए, जबकि सरकार अपने सुझावों/अनुशंसाओं को अग्रेषित करके एक समन्वयक के रूप में कार्य कर सकती है।
- **हेट स्पीच के कंटेंट से संबद्ध मामलों का समाधान करने के लिए सक्रिय या गैर-दंडात्मक कदम अपनाना:** इस प्रकार के कदमों में सार्वजनिक शिक्षा, विविधता को प्रोत्साहित करना, खुले तौर पर अपमानजनक या उत्तेजक गलत सूचनाओं से निपटना तथा जोखिम वाले समुदाय के संरक्षण के लिए सुरक्षा में सुधार करना शामिल हो सकता है।

नोट: मीडिया में सेंसरशिप और सूक्ष्म भेदों के बारे में अधिक जानकारी हेतु हमारे वीकली फोकस "मीडिया में सेंसरशिप: एक आवश्यक बुराई?" का संदर्भ ले सकते हैं।

मीडिया में सेंसरशिप: एक आवश्यक बुराई?	मीडिया में सेंसरशिप ऐसी अभिव्यक्ति के विरुद्ध एक द्वारपाल की भूमिका निभाती है, जो राजनीतिक, नैतिक या धार्मिक स्तर पर समाज के लिए हानिकारक हो सकती है। परन्तु वाक् स्वातंत्र्य और सेंसरशिप के मध्य संतुलन स्थापित करना एक संकीर्ण पथ पर चलने के समान है। इस प्रकार, आवश्यक प्रश्न यह है कि दोनों पक्षों से समझौता किए बिना इस संतुलन को कैसे स्थापित किया जाए।	

1.6. वन अधिकार अधिनियम (Forest Rights Act)

सुर्ख़ियों में क्यों?

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय ने **"अनुसूचित जनजाति और अन्य-परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006" {Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006}** के 'त्वरित कार्यान्वयन' हेतु सभी राज्य सरकारों को एक संयुक्त संदेश प्रेषित किया है। ज्ञातव्य है कि इस अधिनियम को प्राय: **वन अधिकार अधिनियम (Forest Rights Act: FRA)** के रूप में भी जाना जाता है।

इस अधिनियम की उत्पत्ति

- औपनिवेशिक युग में, अंग्रेजों ने अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राष्ट्र की प्रचुर वन संपदा का दोहन किया था। यद्यपि **भारतीय वन अधिनियम, 1927** जैसे कानूनों के तहत इस प्रकार के वन अधिकारों के संरक्षण की प्रक्रिया प्रदान की गई थी, किंतु इनका कदाचित ही पालन किया जाता था।
- परिणामस्वरूप, **जनजातीय और वनवासी समुदाय ने, स्थायी असुरक्षा के बीच वनों के भीतर रहना ही जारी रखा।** यह एक ऐसी स्थिति थी, जो स्वतंत्रता के उपरांत भी जारी रही, क्योंकि वे हाशिए पर पहुँच गए थे।
- वनों और वनवासी समुदायों के बीच सहजीवी संबंध को **राष्ट्रीय वन नीति, 1988** में मान्यता प्रदान की गई।
  - नीति में वनों के संरक्षण, पुनरुत्पादन और विकास में जनजातीय लोगों को संलग्न करने की आवश्यकता का आह्वान किया गया।
- जनजातीय कार्यकर्ताओं और समूहों द्वारा इन हाशिए पर रहने वाले सामाजिक-आर्थिक वर्ग के नागरिकों की रक्षा के लिए दीर्घ समय से मांग के उपरांत **अनुसूचित जनजाति और अन्य-परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006** को अधिनियमित किया गया।

इस अधिनियम के बारे में

- यह अधिनियम वन भूमि पर अधिवासित अनुसूचित जनजातियों (Forest Dwelling Scheduled Tribes: FDSTs) तथा अन्य-परंपरागत वनवासियों (Other Traditional Forest Dwellers: OTFDs) के वन अधिकारों और उपजीविका को मान्यता प्रदान करता है। ये पीढ़ियों से ऐसे वनों में निवास कर रहे हैं, किंतु इनके अधिकारों को मान्यता प्रदान नहीं की जा सकी थी।

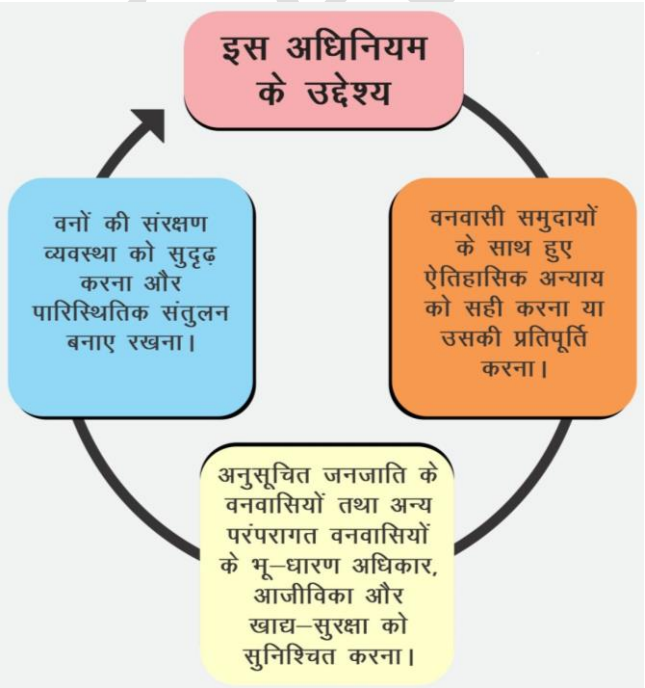

- यह व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों का प्रावधान करता है, जिन्हें निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है:
  - **स्वामित्व अधिकार (Title rights):** यह FDSTs और OTFDs को अधिकतम 4 हेक्टेयर तक कृषि भूमि के स्वामित्व का अधिकार प्रदान करता है।
    - स्वामित्व केवल उस भूमि के लिए होता है, जिस पर वास्तव में संबंधित परिवार द्वारा कृषि की जा रही होती है, इसमें कोई नई भूमि प्रदान नहीं की जाती है।
  - **उपयोग के अधिकार (Use rights):** लघु वनोपज संग्रह, चराई, मत्स्यन, वनों में जल निकायों तक पहुंच आदि के अधिकार।
  - **राहत और विकास संबंधी अधिकार:** अवैध निष्कासन या बलपूर्वक विस्थापन के मामले में पुनर्वास प्रदान करना और समुदाय की बुनियादी ढांचागत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विकासात्मक उद्देश्यों हेतु वन भूमि आवंटित करने का अधिकार देना।
    - भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013) के प्रावधानों के तहत जनजातियों को पुनर्वास और पुनर्स्थापन के बिना निष्कासन से संरक्षण प्रदान किया गया है।
  - **वन प्रबंधन अधिकार:** इसमें किसी भी सामुदायिक वन संसाधन की रक्षा, पुनरुत्पादन या संरक्षण या प्रबंधन के अधिकार शामिल हैं, जिसे वे पारंपरिक रूप से संधारणीय उपयोग के लिए सुरक्षित और संरक्षित करते रहे हैं।
  - **ज्ञान अधिकार:** बौद्धिक संपदा और पारंपरिक ज्ञान का अधिकार तथा पारंपरिक प्रथागत अधिकारों को मान्यता प्रदान करना।
- ग्राम सभा को व्यक्तिगत वन अधिकार (Individual Forest Rights: IFR) या सामुदायिक वन अधिकार (Community Forest Rights: CFR) या दोनों, जो FDST और OTFD को दिए जा सकते हैं, की प्रकृति एवं सीमा को निर्धारित करने की प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

इस अधिनियम के अतंर्गत महत्वपूर्ण परिभाषाएं

सामुदायिक वन ससांधनः इसका तात्पर्य गाँव की पारपंरिक या प्रथागत सीमाओं के भीतर प्रथागत सामान्य वन भूमि से है। इसमें चरवाहा समुदायों द्वारा मौसमी आधार पर उपयोग किए जाने वाले ऐसे भू–परिदृश्य भी शामिल हैं, जिसमें समुदाय की पारंपरिक पहुचं रही है। ऐसे भू–परिदृश्य में आरक्षित वन, संरक्षित वन और सरंक्षित क्षेत्र जैसे कि अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं।

लघु वनोपजः इसमें बांस, झाड़ियाँ, ठूंठ, बेंत, टसर, कोकून, शहद, मोम, लाख, तेंदू या तेंदू के पत्ते, औषधीय पौधे और जड़ी–बूटियां, जड़, कंद सहित पादप उत्पत्ति के सभी गैर–काष्ठीय वन उत्पाद शामिल हैं।

वनवासी अनुसूचित जनजातियाँः अनुसूचित जनजातियों के ऐसे सदस्य या समुदाय जो प्राथमिक रूप से वनों में वास करते हैं और जो आजीविका की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए वनों या वन भूमि पर निर्भर हैं। इसमें अनुसूचित जनजाति के पशुचारक समुदाय भी शामिल हैं।

अन्य पारंपरिक वनवासीः कोई भी सदस्य या समुदाय जो 13 दिसंबर 2005 से पूर्व कम से कम तीन पीढ़ियों से मुख्य रूप से वनों में निवास करता हो और जो अपनी आजीविका की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए वन या वन भूमि पर निर्भर हो।

महत्वपूर्ण वन्यजीव आवासः राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के ऐसे क्षेत्र जिन्हें वन्यजीव संरक्षण के उद्देश्यों के लिए सुरक्षित रखा जाना आवश्यक है। इन्हें स्थानीय रूप से नियुक्त विशेषज्ञों के परामर्श के बाद पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित और अधिसूचित किया जा सकता है।

वन ग्रामः वे बस्तियां जो किसी राज्य सरकार के वन विभाग द्वारा वानिकी कार्यों के लिए वनों के अंदर स्थापित की गई हैं या जिन्हें वन आरक्षण प्रक्रिया के माध्यम से वन गांवों में परिवर्तित किया गया है।

इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दे

- **राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी:** वनवासी समुदायों के अधिकारों की दावेदारी का व्यवसाय करने की सुगमता (ease of doing business) के एजेंडे के साथ प्रत्यक्ष टकराव है। यह वन विभाग की शक्ति और प्राधिकारों को भी चुनौती देता है, जिसने औपनिवेशिक काल से व्यावसायिक लाभ हेतु वनों का प्रबंधन किया है।
- **प्रणालीगत मुद्दे:** अधिनियम के कार्यान्वयन पर जनजातीय, राजस्व और वन विभाग के मध्य समन्वय का अभाव है। इसके अतिरिक्त, ऐसे कई कानून हैं, जो वन अधिकार अधिनियम (FRA) के विरोध में हैं।
  - उदाहरण के लिए, गौण वनोपज के स्वामित्व के मामले में, इसके लिए राज्य कानूनों, उत्पाद शुल्क कानूनों, पंचायत कानूनों आदि में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। वर्तमान में भारत के कई भागों में बांस को गैर-काष्ठ वनोपज के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।
- **सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों की मान्यता का अभाव:** वन संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देने और ग्राम सभा के साथ प्राधिकार साझा करने का वन विभाग अत्यधिक विरोध कर रहा है।
  - कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स लर्निंग एंड एडवोकेसी (CFR-LA) समूह के अनुसार, 1,77,000 गांवों में लगभग 200 मिलियन वनवासी वन अधिकारों की मान्यता से लाभान्वित हो सकते हैं, परन्तु अब तक केवल 3 से 5% आबादी ही लाभान्वित हुई है।
- **कार्यान्वयन संबंधी बाधाएं:** बड़ी संख्या में दावों को अस्वीकार किया जा रहा है तथा लंबित या सीमित अधिकारों को मान्यता दी जा रही है। मान्यता प्राप्त क्षेत्र को उस क्षेत्र, जिस पर बिना किसी उचित कारण के दावा किया गया हो, से काफी कम कर दिया गया है।
- **जागरूकता और क्षमता की कमी:** कई जनजातीय समुदाय या ग्राम सभाएं वन अधिकार अधिनियम (FRA) (और विशेष रूप से CFR) के प्रावधानों से अनभिज्ञ हैं। इसलिए, उन्होंने अपना दावा दायर करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए हैं। कुछ ग्राम सभाओं में उनसे अपेक्षित उत्तरदायित्वों को निभाने की क्षमता नहीं है।

जनजातियों और जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए अन्य प्रमुख पहलें

- **वन धन योजना:** इसका प्रयोजन जनजातीय संग्रहकर्ताओं और कारीगरों के गौण वनोपज (Minor Forest Produce: MFP) केंद्रित आजीविका विकास को प्रोत्साहन देना है। यह जमीनी स्तर पर MFP के प्राथमिक स्तर के मूल्यवर्धन को प्रोत्साहन देकर जनजातीय समुदाय को मुख्यधारा में लाती है।
- **न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price: MSP) के माध्यम से MFP के विपणन के लिए तंत्र और MFP के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास करना:** न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के दायरे में MFP की संख्या को 10 से बढ़ाकर 86 करने से विगत कुछ वर्षों में जनजातियों को उनकी आय और आजीविका की संभावनाओं में सुधार करने में बहुत सहायता मिली है।
- **पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 {The Provisions of the Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996 (PESA)}:** PESA भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास में अनिवार्य परामर्श के अधिकार के साथ उचित स्तर पर ग्राम सभा/पंचायत को अधिकार प्रदान करता है।
- **एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (Ekalavya Model Residential Schools: EMRS):** दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, ताकि वे उच्च और व्यावसायिक शैक्षिक पाठ्यक्रमों में अवसरों का लाभ उठा सकें और विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त कर सकें।

आगे की राह

वन अधिकार अधिनियम (FRA) के कार्यान्वयन को केवल जनजातीय समुदायों के कल्याण को बढ़ाने की रणनीति के रूप में ही नहीं देखा जाना चाहिए। यह वनों की सुरक्षा के लिए भी एक प्रभावी रणनीति हो सकती है।

- इस अधिनियम को लागू करने के लिए जिम्मेदार संस्थाओं, जैसे- पंचायत, ग्राम सभा, ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति आदि के **प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की विस्तृत रणनीति बनाने की आवश्यकता है।**
- व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकारों के लिए दावों की पहचान करने तथा उन्हें दर्ज करने में ग्राम सभा के कार्य को सरल बनाने हेतु **प्रासंगिक मानचित्र एवं दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने चाहिए।**
- FRA के कार्यान्वयन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर **वन अधिकारियों को प्रोत्साहित करने हेतु सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है।**
- **समुदायों के भीतर सुदृढ़ सामंजस्य:** न केवल जनजातीय समुदायों के सदस्यों द्वारा बल्कि अन्य लोगों (जैसे- वैज्ञानिकों और गैर-सरकारी संगठनों) द्वारा भी जागरूक एवं सूचित सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है।
- जनजातीय और निचले स्तर के अधिकारियों को सूचित करने के लिए **स्थानीय स्तर पर व वृहद पैमाने पर जागरूकता एवं सूचना प्रसार अभियान की आवश्यकता है।**
- वनों के भीतर संरक्षण गतिविधियों को निष्पादित करने हेतु **मनरेगा द्वारा प्रदान किए गए अवसरों का उपयोग करने की आवश्यकता है।** इससे जनजातीय लोगों की आय में वृद्धि करने और वन संरक्षण की लागत को कम करने के दोहरे लाभ प्राप्त हो सकते हैं।
- **विभिन्न राज्यों से प्राप्त अनुभवों से सीखने की सुविधा प्रदान करना** और अन्य संदर्भों में इनका उपयोग करना। उदाहरण के लिए, गढ़चिरौली जिले का अनुभव जहां जमीनी स्तर पर सामूहिक कार्रवाई, जन आंदोलनों और नागरिक समाज समूहों से प्रभावी, सामूहिक एवं समेकित समर्थन और तकनीकी आगत तथा एक उत्तरदायी व सक्रिय प्रशासन ने FRA के सफल कार्यान्वयन का आदर्श स्थापित किया है।

QUIZ
SMART QUIZ

विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **राजव्यवस्था** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।

VISIONIAS

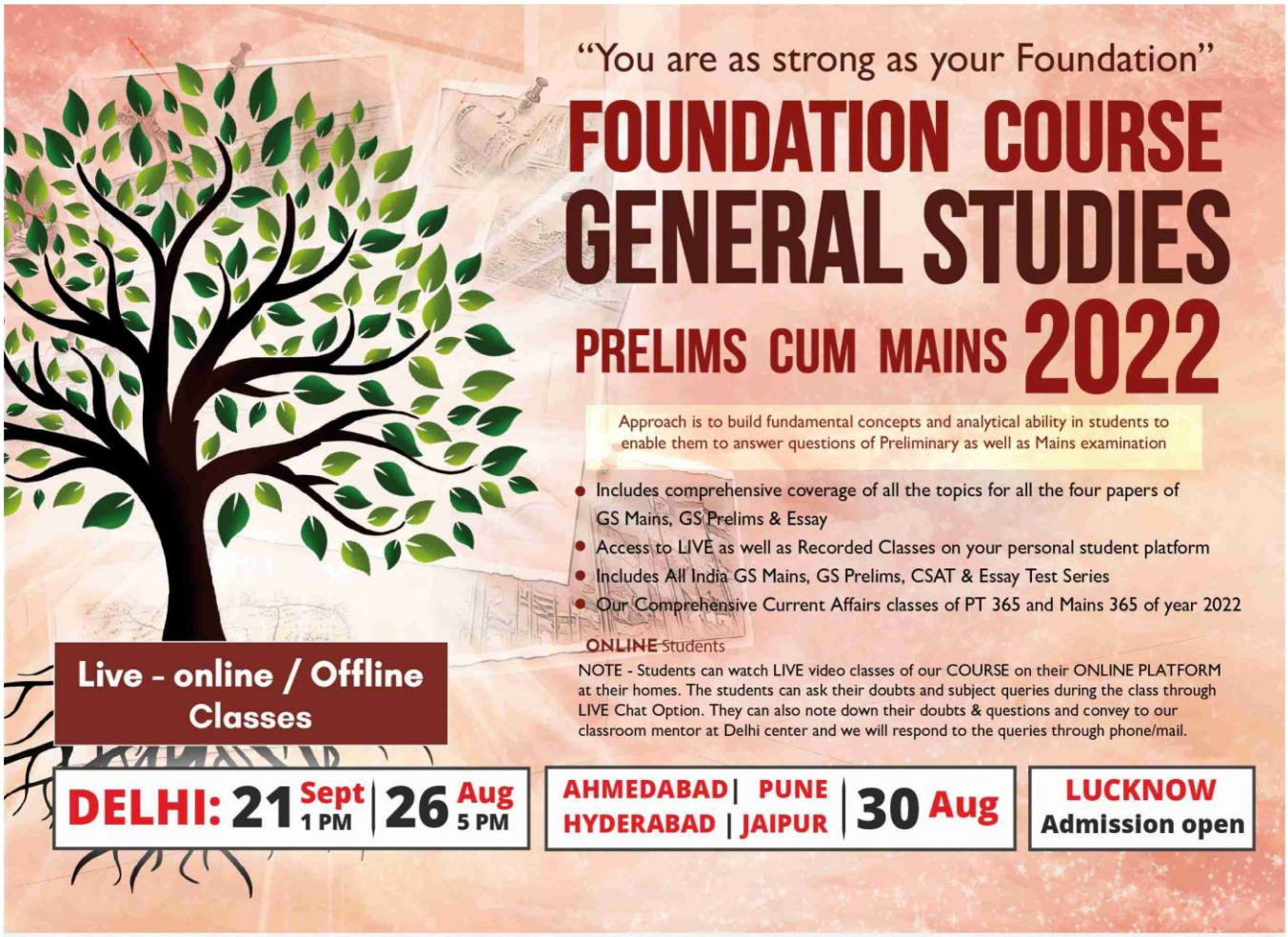
"You are as strong as your Foundation"
FOUNDATION COURSE
GENERAL STUDIES
PRELIMS CUM MAINS 2022
Approach is to build fundamental concepts and analytical ability in students to enable them to answer questions of Preliminary as well as Mains examination
Includes comprehensive coverage of all the topics for all the four papers of GS Mains, GS Prelims & Essay
Access to LIVE as well as Recorded Classes on your personal student platform
Includes All India GS Mains, GS Prelims, CSAT & Essay Test Series
Our Comprehensive Current Affairs classes of PT 365 and Mains 365 of year 2022
Live - online / Offline Classes
ONLINE Students
NOTE - Students can watch LIVE video classes of our COURSE on their ONLINE PLATFORM at their homes. The students can ask their doubts and subject queries during the class through LIVE Chat Option. They can also note down their doubts & questions and convey to our classroom mentor at Delhi center and we will respond to the queries through phone/mail.
DELHI: 21 Sept 1 PM | 26 Aug 5 PM
AHMEDABAD | PUNE
HYDERABAD | JAIPUR | 30 Aug
LUCKNOW
Admission open

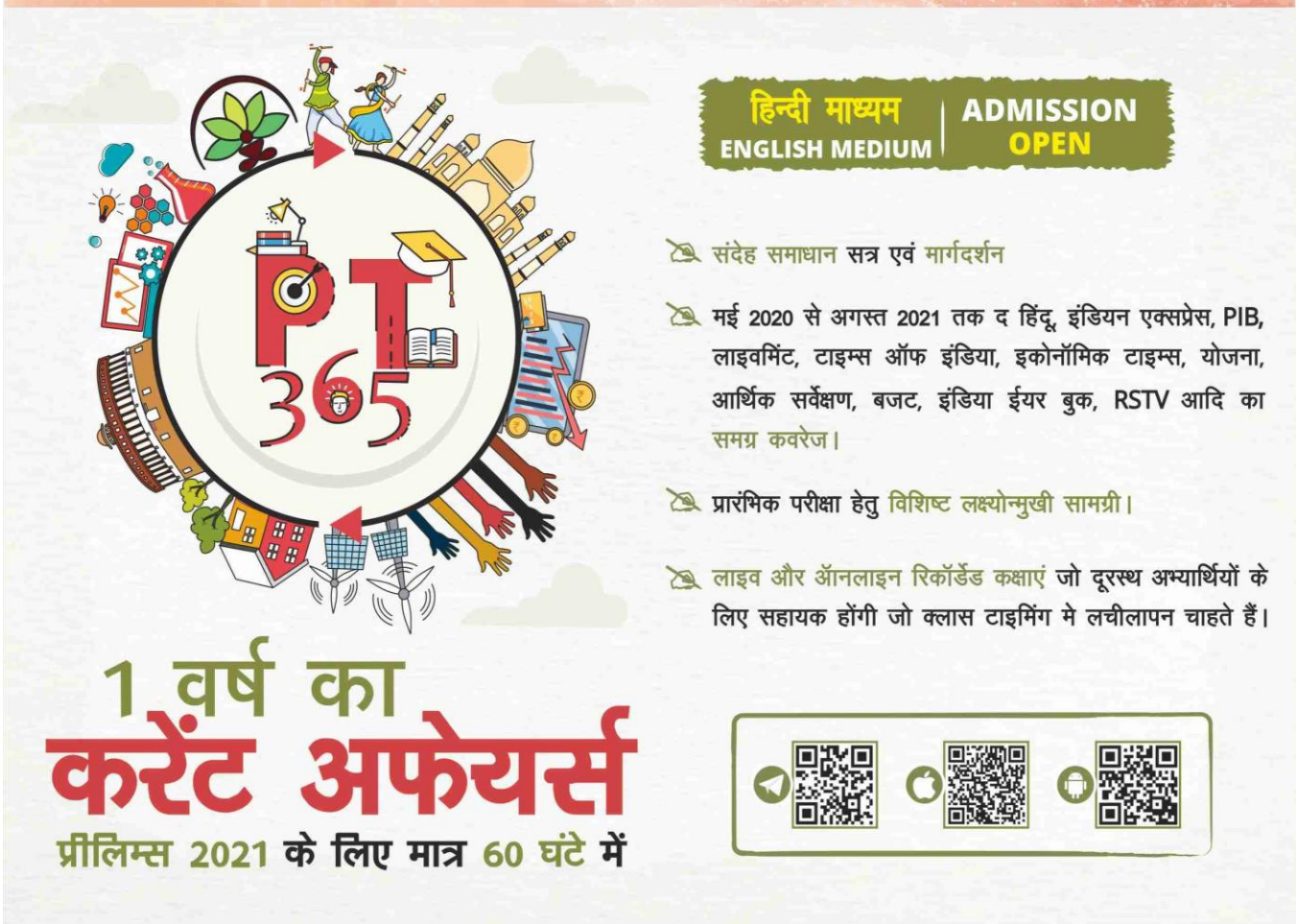
PT 365
हिन्दी माध्यम
ENGLISH MEDIUM
ADMISSION OPEN
संदेह समाधान सत्र एवं मार्गदर्शन
मई 2020 से अगस्त 2021 तक द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, PIB, लाइवमिंट, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, योजना, आर्थिक सर्वेक्षण, बजट, इंडिया ईयर बुक, RSTV आदि का समग्र कवरेज।
प्रारंभिक परीक्षा हेतु विशिष्ट लक्ष्योन्मुखी सामग्री।
लाइव और ऑनलाइन रिकॉर्डेड कक्षाएं जो दूरस्थ अभ्यार्थियों के लिए सहायक होंगी जो क्लास टाइमिंग मे लचीलापन चाहते हैं।
1 वर्ष का
करेंट अफेयर्स
प्रीलिम्स 2021 के लिए मात्र 60 घंटे में

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध (International Relations)

2.1. रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **भारत के विदेश सचिव ने रणनीतिक स्वायत्तता (strategic autonomy)** तथा **वैश्विक कल्याण/भलाई (global good) के लिए भारतीय कूटनीति के पांच स्तंभों** को सूचीबद्ध किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

चुनौतियों से निपटने के लिए अभिनव समाधानों के सृजन हेतु रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने में सहायता करने वाले **इन 5 स्तंभों में शामिल हैं:**

- **बहुध्रुवीय फोकस (Multipolar focus):** भारत ने नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट तथा थिंक वेस्ट की नीतियां अपनाई हैं। साथ ही, इनके प्रति अपने दृष्टिकोण को पुनर्जीवित भी किया है।
- **सरकार के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बल गुणक के रूप में कूटनीति (Diplomacy as an international force multiplier for the Government):** विदेश मंत्रालय सरकार की वैश्विक शाखा है और इसके पदचिन्ह तथा उपस्थिति वैश्विक हैं।
    - भारतीय कूटनीति को अनिवार्य रूप से उत्पन्न होने वाले अवसरों का लाभ प्राप्त करने के लिए घरेलू भागीदारों के साथ कार्य करने में सक्षम होना चाहिए। साथ ही, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय हितों के साथ भी संबद्ध करना चाहिए।
- **वैश्विक भलाई के लिए एक ताकत बनना (Force for global good):** यह स्तंभ **वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना** को कार्रवाई में सम्मिलित करना सुनिश्चित करता है।
    - उदाहरण के लिए, **वैक्सीन डिप्लोमेसी** के माध्यम से वैश्विक स्तर पर वैक्सीन आपूर्ति सुनिश्चित करने के भारत के प्रयास।
- **भविष्यवादी दृष्टिकोण या भविष्य की ओर देखना (Futuristic Outlook):** यह सामान्य समस्याओं के समाधान की खोज में सम्मिलित होने संबंधी देश के प्रयत्नों सहित पुनर्संतुलन के प्रयासों को प्रोत्साहन प्रदान करता है।
    - उदाहरण के लिए, विकास संबंधी आवश्यकताओं के बावजूद, भारत ने जलवायु कार्रवाई के प्रति सुदृढ़ प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है।
- **विचार में भारतीय (Indian in thought):** भारतीय कूटनीति **कौटिल्य के अर्थशास्त्र या महाभारत तथा श्रीमद्भगवद्गीता** जैसे प्राचीन ग्रंथों द्वारा सदियों से प्रभावित भारतीय चिंतन से उत्पन्न सहिष्णुता से निर्देशित होती रही है। यहां भारतीय कूटनीति के तीन पहलू उल्लेखनीय हैं:
    - मध्य मार्ग की परंपरा;
    - मानव-केंद्रित वैश्वीकरण; तथा
    - **रणनीतिक स्वायत्तता की आवश्यकता।**

गुटनिरपेक्षता और रणनीतिक स्वायत्तता (Non-Alignment & Strategic Autonomy)

- सामान्य तौर पर दोनों भिन्न-भिन्न हैं- एक है गुट से निरपेक्ष अर्थात् किसी गुट से संबद्धता नहीं (Non-Alignment), तो दूसरा है बहुगुटवाद अर्थात् कई गुटों/समूहों से संबद्धता (Multi-Alignments)। जहाँ पहला द्विध्रुवीय विश्व के दौरान अधिक प्रासंगिक था, वहीं दूसरा बहुध्रुवीय विश्व में अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक में जहां भारत ने दक्षिण के एक प्रमुख नेतृत्वकर्ता के रूप में कार्य किया है, वहीं दूसरे में भारत कुछ चुनिंदा शक्तियों (वैश्विक दक्षिण और वर्तमान प्रमुख शक्ति केंद्रों दोनों) में से एक नेतृत्वकर्ता है।
- संक्षेप में, दोनों इस अर्थ में समान हैं कि दोनों यह मानते हैं कि भारत अन्य शक्तियों के आदेश पर नहीं, बल्कि गुणावगुण के आधार पर मुद्दों और संबंधों पर निर्णय करेगा। इस प्रकार रणनीतिक स्वायत्तता वस्तुतः मुद्दों पर आधारित गठबंधनों से संबंधित है।

रणनीतिक स्वायत्तता और आत्मनिर्भरता (Strategic Autonomy & Self-reliance)

- अतीत के विपरीत, आत्मनिर्भरता वर्तमान समय में विश्व से पृथक अस्तित्व नहीं है, बल्कि इसका आशय **वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत के आर्थिक योगदान में वृद्धि करने से है।**
- आत्मनिर्भरता भारत को सशक्त बनाने और इसकी **पूर्ण राष्ट्रीय आर्थिक क्षमता की शीघ्र प्राप्ति से** संबंधित है।
- जब आत्मनिर्भरता को विदेश नीति के ढांचे पर लागू किया जाता है, तो यह **"रणनीतिक स्वायत्तता"** की परिभाषा के निकट आ जाती है।

रणनीतिक स्वायत्तता क्या है?

- रणनीतिक स्वायत्तता **किसी राज्य द्वारा** अन्य राज्यों से किसी भी रीति से बाधित हुए बिना **अपने राष्ट्रीय हितों को साधने तथा अपनी अधिमानित विदेश नीति को अपनाने की क्षमता** को दर्शाती है।
- **भारत और रणनीतिक स्वायत्तता:**
  - वैश्वीकरण के प्रभुत्व वाली द्विध्रुवीय या बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में, रणनीतिक रूप से स्वायत्त होने की क्षमता निरपेक्ष नहीं है, अपितु सापेक्षिक है।
  - इसके आधार पर भारत का रणनीतिक रूप से और भी कम स्वायत्त होना पूर्व निर्धारित है।
  - **सुरक्षा संबंधी प्रमुख मुद्दे:** भारत, निहित लागत के निरपेक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रमुख मुद्दों पर अपनी नीति परिवर्तित करने या अपने हितों को कमजोर करने संबंधी बाह्य दबाव का विरोध करता है।
    - उदाहरण के लिए, जम्मू और कश्मीर का मुद्दा तथा परमाणु हथियार जैसे प्रमुख राष्ट्रीय हित।
  - **सुरक्षा संबंधी गैर-प्रमुख मुद्दे:** भारत बाह्य दबाव के अंतर्गत गैर-प्रमुख सुरक्षा मुद्दों पर अपनी नीति में बदलाव कर सकता है या अपने हित को उदार बना सकता है, यदि अधिमान्य नीति अथवा हित से व्युत्पन्न लाभ संबद्ध लागतों से अनुपातिक रूप से उच्च हों।
    - उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के दबाव में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में **ईरान के विरुद्ध मतदान करने का भारत का निर्णय।**

रणनीतिक स्वायत्तता की आवश्यकता

- **भू-रणनीतिक संतुलन:** भारत ने सदैव विभिन्न समूहों के साथ घनिष्ठ राजनयिक संबंध बनाए रखने का प्रयास किया है। उल्लेखनीय है कि इनमें वे समूह भी शामिल हैं, जो अन्य को शत्रु या प्रतिस्पर्धी मानते हैं।
  - **उदाहरण के लिए,** संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब और इज़रायल के साथ सुदृढ संबंधों की स्थापना के अनुसरण सहित भारत के ईरान के साथ भी समवर्ती राजनयिक संबंध हैं। ज्ञातव्य है कि ये सभी ईरान को एक बहिष्कृत राष्ट्र मानते हैं।
- **बहुगुटवाद (Multi-alignment) की आवश्यकता:** विकल्पों को अधिकतम करने तथा रणनीतिक स्वायत्तता में विस्तार करने हेतु स्वाभाविक रूप से कई प्रतिभागियों को शामिल करने की आवश्यकता है।
  - वर्तमान विश्व जटिल अन्योन्याश्रितता की विशेषता से युक्त है (जहां विभिन्न देश भू-रणनीतिक मुद्दों पर प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, जबकि भू-आर्थिक मुद्दों पर सहयोग कर रहे हैं) और इसलिए भारतीय विदेश नीति को **रणनीतिक प्रतिरक्षा** की आवश्यकता है।
  - उदाहरण के लिए, रणनीतिक स्वायत्तता के कारण भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ सामरिक रक्षा संबंध बनाए रखे हैं। साथ ही, वह रूस के साथ S-400 के समझौते को भी आगे बढ़ाने का इच्छुक है।

- **नीति में अधिक यथार्थवाद की आवश्यकता:** भारत को यह ज्ञात हो गया है कि देश के हितों के संरक्षण हेतु केवल सॉफ्ट पावर कूटनीति ही पर्याप्त नहीं है। इसलिए, भारतीय विदेश **नीति में यथार्थवाद के साथ-साथ व्यावहारिकता की भी आवश्यकता है।**
    - उदाहरणार्थ, पाकिस्तान और चीन के प्रयोजनों (भारत-पाक युद्ध 1948 और चीन-भारत युद्ध 1962) के संबंध में भारत की प्रारंभिक भ्रांतिपूर्ण व्याख्या के कारण गिलगित-बाल्टिस्तान एवं कश्मीर का कुछ हिस्सा तथा अक्साई चिन क्षेत्र अब क्रमशः पाकिस्तान और चीन के नियंत्रण में हैं।

रणनीतिक स्वायत्तता के समक्ष चुनौतियां

- **चीनी दावेदारी:** 1990 के दशक में, भारत की रणनीतिक स्वायत्तता भारत के अमेरिकी राजनीतिक खतरों से बचाव से संबंधित थी। परन्तु वर्तमान में यह भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के संदर्भ में अनिवार्य रूप से चीन की चुनौतियों से निपटने से संबंधित है।
    - उदाहरण के लिए, वास्तविक नियंत्रण रेखा (Line of Actual Control: LAC) पर चीन की आक्रामक नीतियां, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (Nuclear Suppliers Group: NSG) में भारत की सदस्यता के समक्ष अवरोध उत्पन्न करना आदि।
- **शत्रुतापूर्ण पड़ोसी:** रणनीतिक स्वायत्तता की नीति का अनुसरण करने के लिए आवश्यक है कि कोई अनिश्चित अंतर्राष्ट्रीय सीमा या शत्रुतापूर्ण पड़ोसी न हो।
    - भारत के मामले में, चीन-भारत के साथ-साथ भारत-पाकिस्तान सीमा भी अत्यधिक लंबी, पर्वतीय तथा विवादित है। इसके अतिरिक्त, ये दोनों ही पड़ोसी देश परमाणु हथियारों से युक्त राष्ट्र हैं।
- **पश्चिमी देशों पर भारत की निर्भरता:** वैश्विक मुद्दों को हल करने के लिए भारत को प्रौद्योगिकी, पूंजी, बाजार, कौशल, रक्षा उपकरण, अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्किंग तथा वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है। परन्तु, महत्वपूर्ण या संवेदनशील तकनीक केवल रणनीतिक स्वायत्तता से समझौता करने की कीमत पर ही प्राप्त होती है।
- **अमेरिकी अविश्वसनीयता:** भारत के साझेदार देशों पर अमेरिकी प्रतिबंध अधिकांशतः रणनीतिक स्वायत्तता की नीति से समझौता करने का कारण बनते हैं।
    - **उदाहरण के लिए,** ईरान के साथ उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (North-South Transport Corridor: NSTC) अमेरिका के द्वितीयक प्रतिबंधों से संबंधित धमकियों के कारण अवरुद्ध है, जो अफगानिस्तान के प्रति भारतीय नीति को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। हाल ही में, हिंद महासागर में तथाकथित **"फ्रीडम ऑफ़ नेविगेशन (नौ-परिवहन की स्वतंत्रता)" ऑपरेशन (FONOP)** के दौरान अमेरिका द्वारा भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र का अप्रत्याशित उल्लंघन भी एक अन्य उदाहरण है।
- **रूस-चीन-पाकिस्तान धुरी का उदय:** हाल के वर्षों में **रूस-चीन-पाकिस्तान (RCP)** रणनीतिक धुरी ने वास्तविक रूप ग्रहण कर लिया है। इसके कारण भारत के लिए संतुलनकारी व्यवहार करना कठिन हो गया है।
    - उदाहरण के लिए, रूस ने पाकिस्तान के ऊर्जा क्षेत्र में 14 बिलियन डॉलर के निवेश का वादा किया है। इसमें **उत्तर-दक्षिण (तुर्कमेनिस्तान - अफगानिस्तान - पाकिस्तान - इंडिया: तापी/TAPI) पाइपलाइन परियोजना** के लिए 2.5 अरब डॉलर की सहायता राशि भी शामिल है।
- **दक्षिण-एशिया में चीन का प्रभुत्व:** वर्ष 1971 से एक अन्य परिवर्तन यह भी हुआ है कि चीन ने भारत के पड़ोसी राष्ट्रों के साथ महत्वपूर्ण संबंध (मुख्य रूप से आर्थिक स्तर पर) विकसित किए हैं।
    - इसलिए, भूटान के अतिरिक्त भारत के अन्य निकटतम पड़ोसी आमतौर पर भारत को शक्तिशाली मानते हैं तथा चीन के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं।

आगे की राह

- **स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण:** रणनीतिक स्वायत्तता की नीति का उपयोग एक स्वतंत्र प्रतिनिधित्व हेतु भारत के रणनीतिक दायरे तथा क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए। इससे नई दिल्ली को अपने हितों के संवर्धन तथा उनका संरक्षण करने हेतु विकल्पों में वृद्धि करने के लिए अधिकतम लचीलापन और गतिशीलता प्राप्त होगी।
- **मुद्दे आधारित गुटवाद:** गुटनिरपेक्ष आधारित अतीत से स्वयं को मुक्त करते हुए, भारत को **विचारधारा** के स्थान पर **"मुद्दों पर आधारित गुटवाद"** पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे **"निर्णायक स्वायत्तता"** बनी रहे।
- **चीन के विकास को संतुलित करना:** चीन के प्रति रणनीतिक स्वायत्तता का तर्क, भारत को अमेरिका, यूरोप, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ सुदृढ़ सुरक्षा साझेदारी करने के लिए प्रेरित करता है।
    - आर्थिक मोर्चे पर भारत विश्वसनीय वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने में साझा हित रखने वाले देशों (जो पूर्ण रूप से चीन से बंधे हुए नहीं हैं) के व्यापक समूह के साथ सहयोग के विभिन्न स्वरूपों का अन्वेषण कर रहा है।
- **रक्षा स्वदेशीकरण:** भारत अपनी रक्षा आवश्यकता के लिए कई विदेशी प्रतिभागियों (जैसे- संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस आदि) पर निर्भर है, जो राष्ट्रीय हित के लिए अधिक उपयुक्त नहीं है। इतना ही नहीं रक्षा स्वदेशीकरण, विशेषतः चीन को प्रतिसंतुलित करने के संदर्भ में भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।

निष्कर्षतः भू-राजनीतिक परिवर्तन के इस चरण में भारत को जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद आदि जैसे विभिन्न मुद्दों पर कई भागीदारों के साथ मिलकर कार्य करने के दृष्टिकोण का अनुपालन करने की आवश्यकता है। इसलिए **सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास** विदेश नीति में भी प्रासंगिक है। कुछ अर्थों में, भारत में गुटनिरपेक्षता से रणनीतिक स्वायत्तता की ओर समकालीन संक्रमण केवल एक बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था में वास्तविकता को अपनाने का एक प्रयास है। **आत्मनिर्भर भारत** की तर्ज पर, भारत को अपने हितों को सुरक्षित रखने और अपनी वैश्विक आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु एक स्वतंत्र विदेश नीति अपनानी चाहिए।

2.2. भारत-नेपाल (India-Nepal)

सुर्ख़ियों में क्यों?

नेपाल में हालिया राजनीतिक संकट ने भारत के द्विपक्षीय और क्षेत्रीय हितों के लिए नेपाल में अस्थिरता के निहितार्थों के पुनर्मूल्यांकन की ओर नए सिरे से ध्यान आकर्षित किया है।

पृष्ठभूमि

- वर्ष 2015 से, जब से नेपाल ने राजशाही को समाप्त करने के पश्चात् संविधान को अपनाया है, तब से यह राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है।
- सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (NCP) के भीतर सत्ता के लिए संघर्ष के दौरान, किसी भी दल या गठबंधन के पास बहुमत नहीं होने के कारण, देश की संसद दिसंबर 2020 से दो बार भंग की जा चुकी है।
- हाल ही में, नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय ने नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा को प्रधान मंत्री के रूप में नियुक्त करने का आदेश पारित किया है और गत पांच महीनों में दूसरी बार भंग संसद को पुनर्बहाल किया है।
    - न्यायालय का हस्तक्षेप देश की संवैधानिक योजना में शक्ति संतुलन को परिवर्तित कर रहा है।
- नेपाल में वर्तमान राजनीतिक संकट का (जिसमें दो **प्रमुख नेताओं के बीच सत्ता संघर्ष** चल रहा है) का एक लंबा इतिहास रहा है। इस संकट को समय-समय पर चीनी कम्युनिस्ट नेताओं के हस्तक्षेप के माध्यम से काफी हद तक गोपनीय व नियंत्रित रखा गया था।
- **नेपाल में भारत के निहित हित हालिया दिनों में अत्यधिक बाधित हुए हैं:**
    - **वर्ष 2015 में मधेसियों** (नेपाल के तराई क्षेत्र में रहने वाले भारतीय मूल के लोग) और कुछ अन्य नृजातीय समूहों द्वारा नेपाली संविधान में उनके हितों की उपेक्षा किए जाने के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन के दौरान भारत-नेपाल सीमा की सीमाबंदी (blockade) की गई थी।
    - **सीमा विवाद:** भारत द्वारा मानचित्र में कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा क्षेत्रों के शामिल किए जाने के महीनों बाद नेपाल सरकार ने उन क्षेत्रों सहित 370 वर्ग कि.मी. के अतिरिक्त क्षेत्र को शामिल करते हुए एक नया मानचित्र प्रकाशित किया था। ज्ञातव्य है कि इस घटना से अब संबंध और अधिक तनावपूर्ण हो गए हैं (इन्फोग्राफिक देखें)।
- यद्यपि भारत ने पूर्व में नेपाल की घरेलू राजनीति में हस्तक्षेप किया था, परन्तु इसने नेपाल के नीति निर्माताओं की ओर से होने वाली प्रतिक्रिया को रोकने तथा राजनीतिक अशांति के संभावित प्रसार से बचने के लिए वर्तमान सत्ता संघर्ष को नेपाल का एक **"आंतरिक मामला"** बताया है।

नेपाल में स्थिरता भारत के हित में क्यों है?

नेपाल में राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक किसी भी रूप में स्थिरता, भारत के लिए विभिन्न कारणों से महत्वपूर्ण है, उदाहरणार्थ:

- **नेपाल की सामरिक अवस्थिति:** एक निकटस्थ पड़ोसी होने के अतिरिक्त, नेपाल भारत और चीन के मध्य एक प्राकृतिक सुरक्षा बफर के रूप में भी कार्य करता है।

- **आंतरिक सुरक्षा:** अल-कायदा, तालिबान, लश्कर-ए-तैयबा आदि जैसे खतरनाक आतंकवादी समूहों का मुकाबला करने, भारत व नेपाल में सक्रिय माओवादी समूहों के बीच बढ़ते गठजोड़ से निपटने तथा इन समूहों द्वारा भारत के विरुद्ध अपने गुप्त अभियानों के लिए नेपाल को पारगमन आधार के रूप में उपयोग करने से रोकने हेतु दोनों देशों के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध आवश्यक हैं।
- **भारत से सहायता प्राप्त विकास परियोजनाओं की सुरक्षा:** नेपाल और भारत के बीच विश्वास की कमी ने नेपाल में विभिन्न भारतीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं जैसे कि सीमा-पार रेलवे, पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना, महाकाली नदी पर मोटर यान योग्य पुलों का निर्माण आदि को काफी हद तक प्रभावित किया है। कभी-कभी, कुछ भारतीय निवेश परियोजनाओं पर माओवादियों द्वारा हमले भी किए गए थे।
- **बाढ़ जल प्रबंधन और जल विद्युत का विकास:** नेपाल से उद्गमित होने वाली नदियाँ (जैसे- गंडक एवं कोसी) पारिस्थितिक व जलविद्युत क्षमता के मामले में भारत की बारहमासी नदी प्रणालियों को पोषित करती हैं।
- **लोगों से लोगों का संपर्क:** प्राचीन काल से, नेपाल और भारत के बीच लोगों के मध्य संबंध अति विशिष्ट रहे हैं, क्योंकि यह खुली सीमा प्रणाली तथा लोगों के मध्य नातेदारी (या रोटी-बेटी) संबंधों के दोहरे स्तंभों पर आधारित है। खुली सीमा प्रणाली के कारण, दोनों देशों के नागरिक विवाह के अतिरिक्त आजीविका के अवसरों एवं पारिवारिक संबंधों; सांस्कृतिक, सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा तथा यहां तक कि राजनीतिक मामलों के लिए भी नेपाल-भारत सीमा पार करते रहे हैं।
- **मधेसियों का सशक्तीकरण:** मधेसी भारतीय मैदानों से सटे नेपाली तराई क्षेत्र में निवास करते हैं। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से उनका राजनीतिक सशक्तीकरण भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां हुई कोई भी अशांति भारत को भी प्रभावित करेगी।

संबंधों के समक्ष मौजूद चुनौतियां

- **चीन का प्रभाव:** चीन ने नेपाली सरकार पर अपने नियंत्रण का उपयोग न केवल नेपाल की आर्थिक और राजनीतिक नीतियों को प्रभावित करने के लिए किया है, बल्कि नेपाली समाज को भी प्रभावित करने हेतु किया है। इस प्रकार, चीन नेपाल में भारत की पारंपरिक रूप से प्रभावशाली प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचा रहा है। उदाहरण के लिए, बीजिंग ने नेपाल में मंडारिन (चीनी भाषा) शिक्षकों के वेतन का भुगतान करने की इच्छा प्रकट की है। इसके परिणामस्वरूप नेपाल के कई निजी विद्यालयों ने मंडारिन को सीखना अनिवार्य कर दिया है।
- **व्यापार में नेपाल का असंतोष:** भारत, नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार (नेपाल के कुल व्यापार का 65 प्रतिशत हिस्सा) है। परंतु, दुर्भाग्यवश नेपाल भारत के साथ सबसे बड़ा व्यापारिक घाटा भी साझा करता है।
- अपनी भौगोलिक बाधाओं के कारण नेपाल ने यह अनुभव किया है कि वह काफी हद तक भारत पर निर्भर है। अत: इन्हीं बाधाओं के कारण, नेपाल को निर्यात बढ़ाने के लिए तुलनात्मक लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। इसके परिणामस्वरूप, स्थानीय उद्यम कम कीमत वाले भारतीय उत्पादों की तुलना में अपना विकास करने और प्रतिस्पर्धा करने में विफल रहते हैं। भारत द्वारा गैर-प्रशुल्क बाधाओं को आरोपित करने और मानक बुनियादी ढांचे की कमी ने भारत के साथ नेपाल के असंतोष को बढ़ा दिया है।
- **भारत के प्रति विश्वास की कमी:** भारत की 'पड़ोसी देश प्रथम' नीति (Neighbourhood first policy) से उत्पन्न भारत के बड़े भाई समान व्यवहार को नेपाल की संप्रभुता के लिए अनादर के रूप में माना जाता है। इसी कारण नेपाल में, भारत के लिए अविश्वास एवं संदेह बढ़ता जा रहा है। उदाहरण के लिए, वर्ष 2015 में भारत-नेपाल सीमा पर सीमाबंदी (blockade) ने नेपाल सरकार को चीन से मदद की मांग करने हेतु विवश कर दिया था। इसके कारण भारत विरोधी दृष्टिकोण और भी प्रबल हो गया था।
- **वर्ष 1950 की शांति एवं मैत्री संधि (Treaty of Peace and Friendship) से संबंधित मुद्दे:** नेपाल की इच्छा है कि भारत वर्ष 1950 की भारत-नेपाल शांति एवं मैत्री संधि पर पुनर्विचार करे, ताकि वर्तमान परिवर्तनों और समकालीन द्विपक्षीय संबंधों की नई वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित किया जा सके। हालांकि, इस अनुरोध पर भारत की ओर से उत्साहजनक प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही है, जिसके कारण संबंधों में काफी विकृति भी उत्पन्न हो रही है।
- **नदी संबंधित संधियों के मामले में भारत के दृष्टिकोण पर असंतोष:** नेपाली हितधारकों का दावा है कि कोसी और गंडक नदियों से जुड़े मुद्दों से निपटने के लिए भारत का दृष्टिकोण संतोषजनक नहीं रहा है। ज्ञातव्य है कि इसी शिथिलता के कारण वर्ष 2008 में कोसी का तटबंध टूट गया था और नेपाल में भयावह बाढ़ की घटना घटी थी। इसके अतिरिक्त, महाकाली समझौता (Mahakali agreement) भी दो दशकों से अनिश्चय की स्थिति में है।
- **लोगों की अप्रतिबंधित सीमा पार आवाजाही:** यह नेपाल के घरेलू उद्योग, स्थानीय आजीविका के अवसरों, कानून और व्यवस्था तथा राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करता है। कोविड-19 महामारी ने नेपाली सरकार पर रोज़गार सृजित करने का दबाव बढ़ा दिया है। इसमें उन प्रवासी कामगारों के लिए रोज़गार सृजित करने का दबाव भी शामिल है, जो नौकरी क्षति के उपरांत भारत से लौट आए हैं या उनके लौटने की संभावना है।

आगे की राह

इस संवेदनशील पड़ोसी देश में भारत के दीर्घकालिक हितों को नेपाल में एक स्थिर बहुदलीय लोकतंत्र और आर्थिक समृद्धि द्वारा सर्वोत्तम रूप से पूरा किया जा सकता है। हाल के दिनों में द्विपक्षीय संबंधों में सामान्य स्थिति बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए,

- राजनीतिक अस्थिरता के बीच **भारत-नेपाल संयुक्त आयोग की छठी बैठक** संपन्न हुई। इस बैठक में विद्युत, तेल और गैस, जल संसाधन, क्षमता निर्माण एवं पर्यटन सहित सहयोग के अनेक पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई थी।
- भारत ने आवश्यक औषधियों, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (Personal Protection Equipment: PPE) किट आदि की आपूर्ति करके कोविड-19 से संघर्ष में नेपाल की काफी सहायता की है। भारतीय और नेपाली स्वास्थ्य पेशेवर इस महामारी को नियंत्रित करने एवं रोकथाम हेतु जमीनी स्तर पर अपने प्रयासों में सहयोग कर रहे हैं।

इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, पड़ोसियों के बीच संबंधों को पुनर्स्थापित करने के लिए नेपाल और भारत के बीच अन्योन्याश्रयता आवश्यक है।

- दोनों देशों के मध्य वाणिज्यिक वाहनों की अधिक आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए, अधिक **हवाई, सड़क, ट्रेन और जलमार्ग संपर्क** पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
- भारत को दोनों राष्ट्रों के बीच स्थिर और पारस्परिक रूप से उत्पादक संबंध सुनिश्चित करने के लिए, **लोगों-से-लोगों (people-to-people) के बीच संबंधों** का लाभ उठाना चाहिए।
- सीमा विवाद जैसे मुद्दों पर चल रही **वार्ताओं और चर्चाओं को उपयुक्त द्विपक्षीय तंत्र के माध्यम से आगे बढ़ाया जाना चाहिए।** इस संदर्भ में, भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा विवाद समाधान को एक आदर्श के रूप में देखा जाना चाहिए।
- दोनों देशों को BBIN (बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल) पहल, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक/BIMSTEC), गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) तथा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क/SAARC) जैसे महत्वपूर्ण बहुपक्षीय मंचों पर सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए, ताकि वे अपने साझा हितों को पूर्ण कर सकें।
- भारत के महत्वपूर्ण हितों की रक्षा के लिए, **नेपाल के साथ** सभी स्तरों पर और राजनीतिक परिदृश्य में **निरंतर जुड़ाव एवं सीमित हस्तक्षेप** की आवश्यकता है। हालांकि, 'दूर रहो की नीति' {(hands-off policy), किसी समस्या या परिस्थिति में व्यक्तिगत रूप से या प्रत्यक्षत: शामिल न होना} से यह होगा कि नेपाल में अन्य देशों का प्रभाव आसानी से स्थापित हो जाएगा। इसमें से कुछ देशों का प्रभाव (जैसे- चीन) भारत के लिए काफी हानिकारक सिद्ध हो सकता है।

2.3. ओपेक+ द्वारा संपन्न नवीन तेल समझौता (New Oil Deal by OPEC+)

सुर्ख़ियों में क्यों?

संयुक्त अरब अमीरात और **सऊदी अरब** के मध्य चले एक संक्षिप्त गतिरोध के उपरांत, अंततः ओपेक+ (पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन प्लस) राष्ट्र अपने सदस्य देशों के लिए, तेल उत्पादन स्तर (oil production level) के एक समझौते पर पहुंच गए हैं।

कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतें तथा ओपेक+ राष्ट्र

- कच्चा तेल, वैश्विक व्यापार की एक प्रमुख कमोडिटी (दूसरे शब्दों में जिंस या वस्तु) है तथा इसका वैश्विक वितरण अत्यंत विषम है। इसके कारण तेल की कीमतें **न केवल आर्थिक मांग और आपूर्ति अपितु वैश्विक भू-राजनीतिक घटनाओं से भी निर्धारित** होती हैं।
- **वैश्विक कच्चे तेल के उत्पादन के 40% और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 60% के साथ** ओपेक, तेल की कीमतों को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा समूह है।

पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (Organization of the Petroleum Exporting Countries: OPEC) के बारे में

- इसकी स्थापना **वर्ष 1960** में **बगदाद सम्मेलन** में हुई थी। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला इसके संस्थापक थे। यह एक **स्थायी, अंतर-सरकारी संगठन है।**
- **कार्यकारी अंग:** इसका सचिवालय **वियना** में स्थित है। वर्तमान में इसके 13 सदस्य हैं।
- **उद्देश्य:** ओपेक अपने सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और एकीकरण करता है। इससे उपभोक्ताओं, उत्पादकों और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए तेल बाजारों का स्थिरीकरण सुनिश्चित हो पाता है।

ओपेक+

- ओपेक+ को **वियना समूह (Vienna Group)** के नाम से भी जाना जाता है। यह ओपेक सदस्यों और **प्रमुख गैर-ओपेक तेल-निर्यातक देशों** से युक्त शिथिल रूप से संबद्ध इकाई है।
- इसके सदस्यों में ओपेक के सदस्यों के साथ **मेक्सिको, रूस, ओमान, उज्बेकिस्तान** आदि शामिल हैं।

- वर्ष 2016 में, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण 10 गैर-ओपेक तेल उत्पादक देशों ने ओपेक के साथ सहयोग हेतु घोषणा-पत्र (Declaration of Cooperation) पर हस्ताक्षर किए थे। इस घोषणा-पत्र का प्रयोजन तेल की कीमतों के स्थिरीकरण की दिशा में संयुक्त रूप से कार्य करना था।
- इस नए समूह को **ओपेक+ या वियना समूह** के रूप में जाना जाता है। इसका उद्देश्य **उत्पादन समायोजन (production adjustments)** के माध्यम से वैश्विक तेल की कीमतों को प्रभावित करने के लिए कच्चे तेल में समृद्ध देशों के दो प्रमुख समूहों या वर्गों को एकजुट करना है।

कोविड-19 महामारी से प्रेरित उत्पादन कटौती और नया उत्पादन समझौता

- कोविड-19 महामारी के कारण, वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में अत्यधिक गिरावट आई है। मांग में कमी आने से कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट तथा अन्य घटनाओं के कारण ओपेक+ राष्ट्रों को कच्चे तेल के उत्पादन में अगले 2 वर्षों के लिए प्रतिदिन 10 मिलियन बैरल (mb/d) की कटौती करने का निर्णय लेना पड़ा था। (जैसा कि ग्राफ में दर्शाया गया है)।
- हालांकि, कच्चे तेल की कीमतें वर्ष के अंत तक पूर्व-कोविड स्तर तक पहुंच गईं, परन्तु सऊदी अरब द्वारा तेल उत्पादन में और कटौती की गई।
- इससे तेल की कीमतों में तीव्र वृद्धि हुई, जिससे **वैश्विक आर्थिक रिकवरी,** विशेष रूप से विकासशील और निम्न आय वाले देशों पर व्यापक प्रभाव पड़ा है।
- भारत सहित वैश्विक आलोचना के बावजूद, ओपेक+ की प्रतिक्रिया धीमी थी तथा सऊदी अरब और UAE के बीच एक संक्षिप्त गतिरोध के उपरांत ही, ओपेक+ एक नए समझौते पर पहुंचा है। इस समझौते के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:
  - **अप्रैल 2020 के समझौते** को 31 दिसंबर 2022 तक बढ़ाना; तथा
  - अगस्त 2021 से मासिक आधार पर 0.4 mb/d का उर्ध्व उत्पादन (Upward production) करना, जब तक कि 5.8 mb/d उत्पादन समायोजन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त नहीं कर दिया जाता।

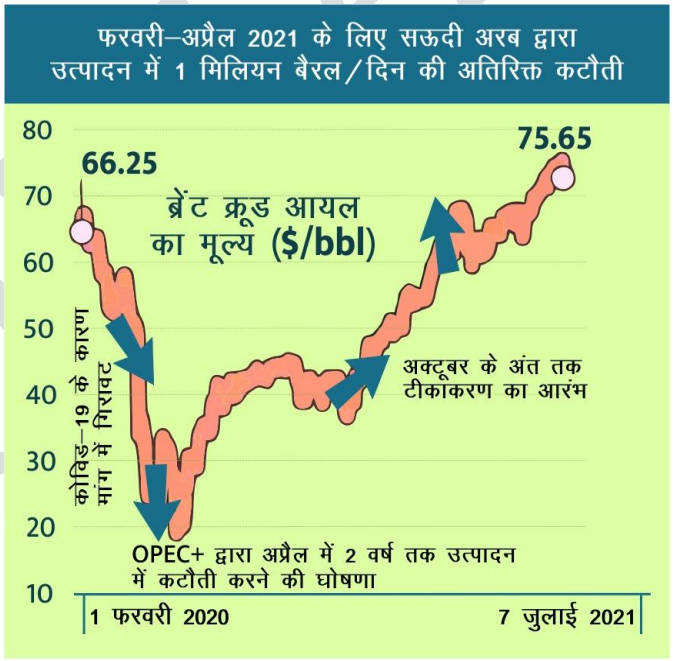

तेल की कीमतों में यह उतार-चढ़ाव भारत को किस प्रकार प्रभावित करता है?

भारत विश्व में **तीसरा सबसे बड़ा** तेल आयातक और उपभोक्ता देश है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (International Energy Agency: IEA) के **एनर्जी आउटलुक** के अनुसार, इस संदर्भ में भारत वर्ष 2040 तक **प्रथम स्थान** पर आ सकता है। इस प्रकार, तेल की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव भारत को निम्नलिखित तरीकों से प्रभावित करते हैं:

- **बढ़ता आयात बिल:** वर्ष 2019-20 में देश की तेल आवश्यकताओं का 76% आयात के माध्यम से पूरा हुआ। दूसरे शब्दों में कहें तो वर्ष 2019-20 में **8.43 ट्रिलियन रुपये के तेल का आयात किया गया था।** इसके अतिरिक्त, प्रत्येक **1 डॉलर की कीमत वृद्धि** भारत के आयात बिल को वार्षिक आधार पर **10,700 करोड़ रुपये तक** बढ़ा सकती है।
- **व्यापक आर्थिक स्थिरता:** घरेलू स्तर पर तेल की उच्च कीमतें, खुदरा ईंधन की कीमतों और मुद्रास्फीति के उच्च स्तर को उत्पन्न करती हैं। इसलिए, तेल की उच्च कीमतें न केवल वर्तमान भुगतान संतुलन (Balance of Payments: BoP) के लिए बल्कि व्यापक आर्थिक स्थिरता के लिए भी चिंता का विषय हैं।
- **भारत की भू-रणनीतिक स्थिति से समझौता:** ओपेक+ राष्ट्रों का धीमी प्रतिक्रियाओं के साथ कम-से-कम आगामी दशक या उससे अधिक समय तक भी सभी तेल की कीमतों पर नियंत्रण होगा, क्योंकि वैश्विक दृष्टिकोण में विभेद और ओपेक सदस्यों के भीतर हितों में अंतर बना रहेगा।
  - उदाहरण के लिए, हाल ही में **सऊदी अरब** ने फ्री ज़ोन (संयुक्त अरब अमीरात के फ्री ज़ोन केंद्रों पर लक्षित) में निर्मित उत्पादों के लिए अधिमान्य प्रशुल्कों को समाप्त कर दिया है। साथ ही, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी जिसका क्षेत्रीय मुख्यालय वर्ष 2024 तक सऊदी अरब में नहीं है, के साथ व्यापार समाप्त करने की घोषणा भी की है।
- यह नवीन समझौता उच्च कीमतों और मुद्रास्फीति से **मंद अस्थायी राहत** प्रदान कर सकता है। भारत को अपनी वर्तमान और भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा के प्रबंधन के लिए अधिक व्यापक रणनीति की आवश्यकता है।

आगे की राह

- ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए भारत को न केवल एक प्रतिक्रियाशील दृष्टिकोण बल्कि निवारक कदमों पर ध्यान देने सहित एक व्यापक ऊर्जा सुरक्षा दृष्टिकोण अपनाने की भी आवश्यकता है। **इसमें तेल आयात में कमी और ओपेक+ उत्पादन समायोजन से भारत पर पड़ने वाले प्रभाव का निम्नीकरण शामिल है।**
- इसके आधार पर भारत ने एक **पांच-स्तरीय रणनीति (five-pronged strategy)** विकसित की है, जिसमें शामिल हैं:
    - ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण उपायों को बढ़ावा देना,
    - माँग प्रतिस्थापन पर बल देना,
    - जैव ईंधन और अन्य वैकल्पिक ईंधन/नवीकरणीय को बढ़ावा देना,
    - घरेलू तेल और गैस का उत्पादन बढ़ाना, तथा
    - परिशोधन (रिफाइनरी) प्रक्रियाओं में सुधार करना।

QUIZ **SMART QUIZ**	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **अंतर्राष्ट्रीय संबंध** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

3. अर्थव्यवस्था (Economy)

3.1. भारत का विदेशी मुद्रा भंडार (India's Forex Reserves)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अब तक के सर्वाधिक उच्च स्तर लगभग **612 अरब अमेरिकी डॉलर** पर पहुँचा, जिससे चीन, जापान और स्विट्ज़रलैंड के बाद भारत **चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार** वाला देश बन गया।

विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में

- **विदेशी मुद्रा भंडार वस्तुतः** केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्राओं, आदि में आरक्षित तौर पर रखी गई परिसंपत्तियां है।
- इसमें अधिकतर **विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों** का प्रभुत्व होता है। हालांकि इसमें बॉण्ड, ट्रेजरी बिल, स्वर्ण भंडार, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से संबंधित विशेष आहरण अधिकार (SDR) आदि जैसे **अन्य लिखत** भी शामिल हो सकते हैं।
- अमेरिकी डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन और चीनी युआन कुछ सामान्य मुद्रा परिसंपत्तियां हैं। इनमें से **अमेरिकी डॉलर मुख्य मुद्रा** है क्योंकि इसका उपयोग सभी अंतर्राष्ट्रीय लेनदेनों के समायोजन में किया जाता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य** के लिए महत्वपूर्ण, **विदेशी मुद्रा भंडार** द्वारा विभिन्न उद्देश्यों को पूरा किया जाता है।

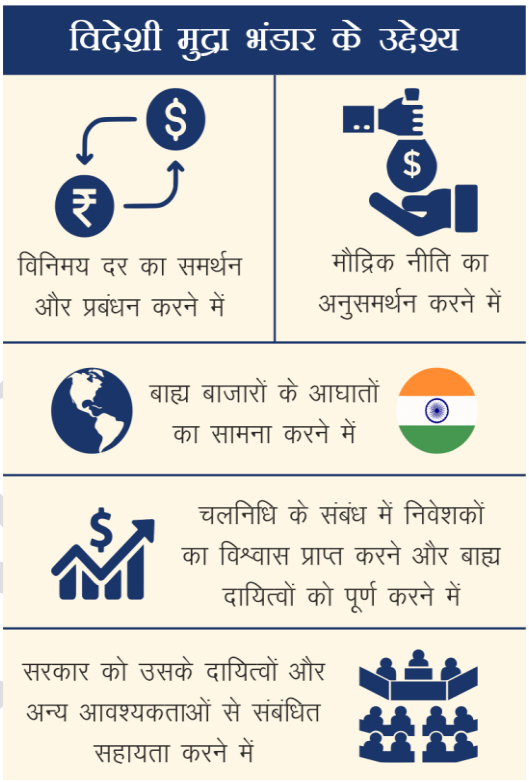

भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन और हालिया वृद्धि

- भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में, **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)** निम्नलिखित के तहत विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है:
  - **भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934; और**
  - **विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (Foreign Exchange Management Act, 1999)।**
- **भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में चार घटक शामिल हैं। ये हैं:** (i) विदेशी मुद्रा आस्तियां (Foreign Currency Assets: FCA); (ii) स्वर्ण (Gold); (iii) विशेष आहरण अधिकार (Special Drawing Rights: SDR); और (iv) IMF में आरक्षित ट्रांच की स्थिति {Reserve Tranche Position (RTP) in the IMF}।

भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में हालिया वृद्धि के कारण

- हालांकि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में **वर्ष 1991 के भुगतान संतुलन (Balance of Payment: BoP) संकट** (जब केवल 5.8 अरब अमेरिकी डॉलर मुद्रा भंडार शेष बचा था) के पश्चात् से वृद्धि होती रही है, लेकिन विगत 2-3 वर्षों में वृद्धि की गति महत्वपूर्ण रही है।
- इस अचानक वृद्धि के कुछ प्रमुख कारणों में शामिल हैं:
  - भारतीय बाजार का विशाल आकार, बढ़ते स्टार्ट-अप्स, निगम कर में कटौती, उच्चतर प्रतिफल आदि के कारण बढ़ते प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment: FDI) और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (Foreign Portfolio Investment: FPI) के संदर्भ में **उच्च विदेशी पूंजी का अंतर्वाह (inflow)।**
  - कोविड-19 के कारण उपभोग में कमी और विदेशों में यात्रा करने पर लगे प्रतिबंध के कारण भारत से **पूंजी बहिर्वाह (Capital outflow) में कमी।** उदाहरण के लिए, वर्ष 2020-21 में भारत का भुगतान संतुलन 87 अरब डॉलर के रिकॉर्ड अधिशेष स्तर पर था।
  - विगत दो वर्षों में प्रवासी भारतीयों से **रिकॉर्ड स्तर पर विप्रेषण (remittances)** (80 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक) की प्राप्ति; और
  - कोविड-19 वैश्विक महामारी के नकारात्मक आर्थिक प्रभाव से उबरने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका में आर्थिक प्रोत्साहन संबंधी उपायों के माध्यम से अर्थव्यवस्था में **व्यापक पैमाने पर तरलता (चलनिधि) का अंतर्वेशन।** उदाहरण के लिए, फेडरल रिज़र्व द्वारा परिवारों, वित्तीय बाजारों, सरकार आदि को 2.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण संबंधी सहायता प्रदान की गई।

VISION

उच्च विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखने के पक्ष में तर्क

उच्च विदेशी मुद्रा के लाभ	**यह निम्नलिखित स्थितियों में एक समाधान प्रदान करता है:**
बाह्य सुभेद्यताओं से जोखिम में कमी	• **तेल के मूल्यों में अस्थिरता से;** • हॉट मनी {जैसे- विदेशी पोर्टफोलियो निवेश) के उच्च बहिर्प्रवाह संबंधी **बाह्य दायित्वों और देनदारियों को पूरा करने में।**
विनिमय दर प्रबंधन	• वर्ष 1993 के बाद से बाजार द्वारा निर्धारित होते हुए भी, उच्च विदेशी मुद्रा भंडार द्वारा विदेशी मुद्रा बाजार में अत्यधिक अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए **RBI द्वारा सामयिक हस्तक्षेप** को संभव बनाया जाता है। • मुद्रा बाजार के विकास में सहायक।
निवेशकों में विश्वास का सृजन करना	• भारत के **चालू खाता घाटे** के वित्तपोषण में सहायक। • **जंक श्रेणी रेटिंग से थोड़ी बेहतर स्थिति होने पर भी यह निवेश आकर्षित करने में सहायक होता है।** इसके अतिरिक्त, यह नकारात्मक **निवल अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति** के प्रभाव को कम करने में भी सहायक होता है।
क्षेत्रीय नेतृत्वकर्ता बनने में सहायक	• इससे दूसरों के लिए, विशेष रूप से **सार्क {दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (South Asian Association for Regional Cooperation: SAARC)} देशों** जैसे हमारे पड़ोसी देशों के लिए मुद्रा अदला-बदली संबंधी भारत की क्षमता का विस्तार होता है। इसके लिए भारत ने वर्ष 2012 में मुद्रा अदला-बदली तंत्र (currency swap mechanism) आरंभ किया था।
आर्थिक जोखिमों के विरुद्ध चलनिधि	• उच्च **गैर निष्पादित परिसंपत्ति (Non Performing Assets: NPAs),** इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (IL&FS) भुगतान चूक के कारण कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार संकट, समायोजित सकल राजस्व (Adjusted Gross Revenue: AGR) के कारण दूरसंचार क्षेत्रक की चुनौतियों के जोखिमों जैसे **घरेलू वित्तीय प्रणाली संकटों** से उबरने में सहायक। • कोविड-19 से संबंधित अनिश्चितताओं के कारण **वैश्विक आर्थिक संकट** से उबरने में सहायक।
मौद्रिक प्रोत्साहन वापसी के विरुद्ध सहारा	• वर्ष 2013 में, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई फेड टेपरिंग की घटना ने 10% से अधिक **मुद्रा उतार-चढ़ाव के साथ बाह्य क्षेत्रक संकट** उत्पन्न किया था और केवल जापान से मुद्रा अदला-बदली के माध्यम से सहायता प्राप्त हुई थी। • ऐसे में उच्च विदेशी मुद्रा भंडार से **पूंजी बहिर्वाह** के विरुद्ध चलनिधि/तरलता सुनिश्चित की जाती है।

उच्च विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखने के विपक्ष में तर्क

- यदि हम अपने आयातों और पूंजीगत भुगतान के संदर्भ में बात करें, तो वर्तमान भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार:
  - **वर्ष 2021-22 के अनुमानित आयात** के संदर्भ में **लगभग 15 महीने** के आयात की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त है।
  - हमारे **बाह्य ऋण दायित्वों** (मार्च 2021 के अंत में 570 अरब अमेरिकी डॉलर) से अधिक है और इसके द्वारा अल्पकालिक ऋण (1 वर्ष तक की परिपक्वता वाले) को केवल 17.7% तक कम किया जा सकता है।
- **विदेशी मुद्रा भंडार पर निम्न प्रतिफल:** सामान्यतः विकसित अर्थव्यवस्थाओं में लगभग शून्य ब्याज दरों के कारण इस पर लगभग 1% या उससे कम का प्रतिफल प्राप्त होता है।
- विकास संबंधी आकांक्षाओं को पूरा करने और युवा जनसांख्यिकी का उपयोग करने के लिए भारत की **वृहद अवसंरचनाओं** को वित्तपोषण की आवश्यकता है।
- इससे विभिन्न अन्य मुद्दे उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे-
  - तरलता की अवरुद्धता से **उच्च अवसर से समझौता और राजकोषीय लागत** अर्थात् विकास की आवश्यकताओं, निर्धनता और विशाल युवा आबादी के बावजूद अप्रयुक्त अत्यधिक नकदी को बनाए रखना।
  - उच्च विदेशी मुद्रा भंडार निम्नलिखित के संदर्भ में सरकार के **आत्मविश्वास संबंधी अभाव** को दर्शाता है:
    - अपनी अर्थव्यवस्था की प्रत्यास्थता के संदर्भ में;
    - पूंजी जुटाने संबंधी उपायों (जैसे- विनिवेश) या निर्यात (आत्मनिर्भर भारत) के संदर्भ में; और
    - समष्टि आर्थिक प्रबंधन की सुदृढ़ता के संदर्भ में।

आगे की राह

विदेशी मुद्रा भंडार के स्तर के संदर्भ में न केवल वर्तमान जोखिम और सुभेद्यताओं बल्कि भारत की भावी आकांक्षाओं एवं साथ ही संसाधनों का इष्टतम उपयोग भी शामिल होना चाहिए। इस संदर्भ में, यह महत्वपूर्ण है कि विदेशी मुद्रा भंडार के अनुरक्षण को न केवल वित्तीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से बल्कि व्यापक समष्टि आर्थिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए।

3.2. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (Insolvency and Bankruptcy Code: IBC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वर्ष 2016 में संसद द्वारा पारित किए गए दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) को इस वर्ष मई में पाँच वर्ष पूरे हो गए हैं।

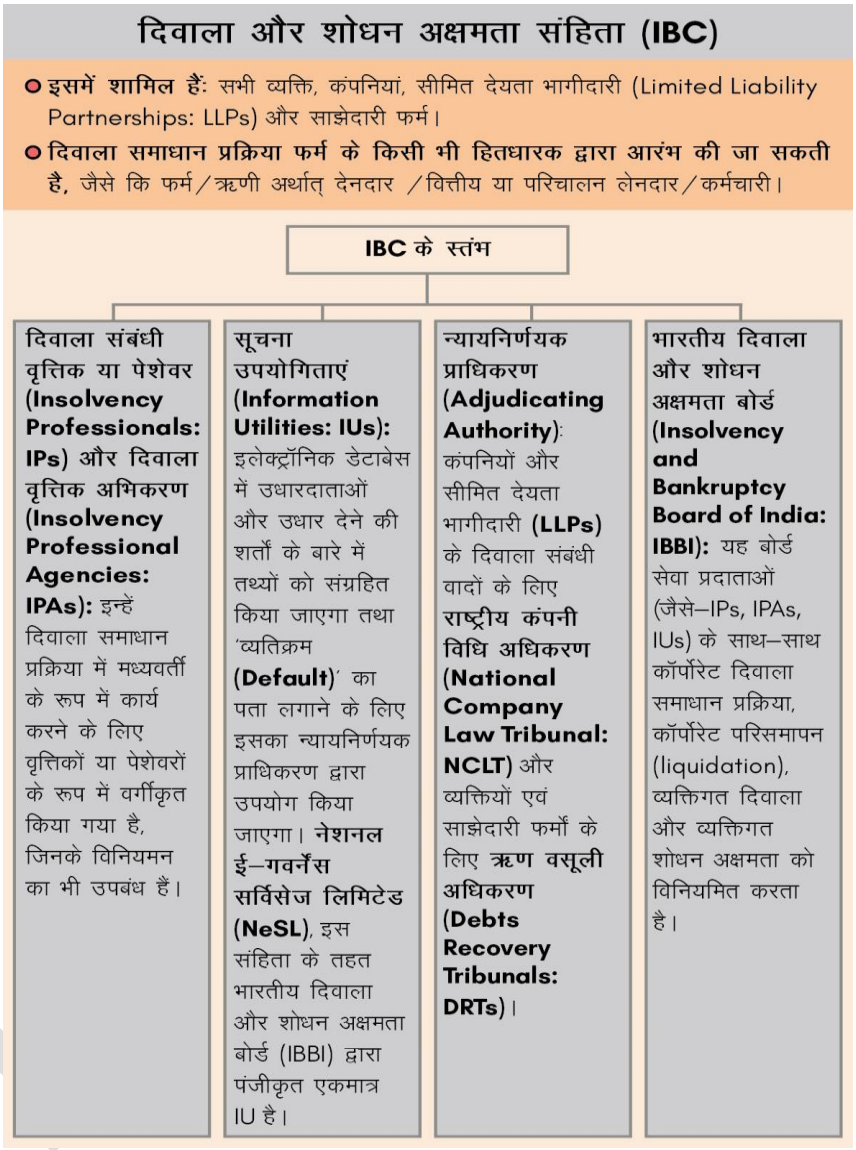

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) का आकलन

उपलब्धियाँ

- **तीव्रतर शोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया:** वर्ष 2007 में जहाँ समाधान (resolution) प्रक्रिया में 4.3 वर्ष का समय लगता था, वहीं वर्ष 2020 में समाधान प्रक्रिया में लगने वाला समय घटकर 1.6 वर्ष हो गया।
- **अत्यधिक ऋण लेने वालों के व्यवहार में परिवर्तन:** IBC के अस्तित्व में आने से कंपनी के प्रवर्तकों (promoters) के मन में यह भय रहने लगा है कि यदि वे डिफ़ॉल्ट हुए तो कंपनी पर उनका नियंत्रण नहीं रह जाएगा, या वे लंबी विधिक कार्यवाही में फंस जाएंगे। परिणामस्वरूप, संभावित कॉर्पोरेट चूककर्ता दिवाला संबंधी कार्यवाही आरंभ होने से पूर्व ही अपने ऋण का भुगतान करने के लिए स्वयं विवश होने लगे हैं।
- **भारत की 'व्यापार की सुगमता' और 'ऋण प्राप्त करने' की रैंकिंग में सुधार:** व्यापार की सुगमता (ease of doing) सूचकांक में भारत का स्थान वर्ष 2017 में 155वां था, जो कि सुधार के साथ वर्ष 2020 में 63वां हो गया। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2017 के **ऋण प्राप्त करने (getting credit)** के सूचकांक में भारत का स्थान 62वां था, जो कि सुधार के साथ वर्ष 2020 में 25वां हो गया। साथ ही, वर्ष 2017 के व्यवसाय आरंभ करने वाले (Starting a business) सूचकांक में भारत का स्थान 151वां था जो सुधार के साथ वर्ष 2020 में 136वां हो गया।
- **संकटग्रस्त कॉर्पोरेट देनदारों को राहत:** इस संहिता ने समाधान योजनाओं के माध्यम से 348 कॉर्पोरेट देनदारों को राहत प्रदान की है {संपूर्ण निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया (Corporate Insolvency Resolution Process: CIRP) में से 21 प्रतिशत को}।
- **मामलों का समाधान:** राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (National Company Law Tribunal: NCLT) में IBC के तहत दायर कुल 32,547 वादों में से 19,377 का समाधान किया जा चुका है।
- **संहिता का निरंतर अद्यतनीकरण:** इसके अधिनियमन के बाद से IBC में छह संशोधन किए जा चुके हैं, जिसमें वित्तीय लेनदारों के रूप में गृहक्रेताओं की स्थिति को स्पष्ट करना; **लेनदारों की समिति (Committee of Creditors: CoC) की मतदान सीमा** को 75% से घटाकर 66% करना आदि जैसे प्रावधानों को समाविष्ट किया गया है।
    - इसके अतिरिक्त, कोविड-19 वैश्विक महामारी से प्रभावित कंपनियों को राहत प्रदान करने और CIRP के प्रवर्तन का अस्थायी रूप से निलंबन करके दिवाला कार्यवाही संबंधी तत्काल खतरे का सामना किए बिना वित्तीय तनाव से उबरने के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2020 को अधिनियमित किया गया है।

व्याप्त चुनौतियां

- **निम्न वसूली दर:** सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक के बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों और अन्य वित्तीय उधारदाताओं ने निगमित दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) का सामना कर रही कंपनियों द्वारा दाखिल किए गए दावों में 61.2 प्रतिशत की संचयी कटौती की है, जिनमें से कुछ कटौतियाँ अत्यधिक उच्च स्तर (लगभग 90-95%) तक की गई हैं।
- **विलंब:** NCLT में लंबित 13,170 IBC वादों में से 71% वाद 180 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं। यह स्थिति विभिन्न चरणों में विलंब के कारण है, जिससे अन्य कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे-
  - **NCLT में वादों के दाखिल होने में देरी:** इस अवधि के दौरान कंपनी, चूककर्ता स्वामी के नियंत्रण में बनी रहती है जो मूल्य स्थानांतरण, निधि का विपथन और परिसंपत्ति के अंतरण को संभव बनाता है।
  - **अनापेक्षित, नीलामी में देरी के कारण विलंब:** इससे असंख्य प्रक्रियात्मक अनिश्चितताएं उत्पन्न होती हैं जो वास्तविक निविदा कर्ता को सही समय पर निविदा करने से हतोत्साहित करती है।
  - **अपीलों के कारण विलंब:** NCLT के निर्णयों पर **राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (National Company Law Appellate Tribunal: NCLAT) और उच्चतम न्यायालय में लगातार मुकदमे दायर किए जाते हैं,** जिससे समाधान एवं वसूली प्रक्रिया में आगे और देरी होती है।
- **NCLT में कर्मचारी और अवसंरचना संबंधी मुद्दा:** NCLT में कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या का 50% से अधिक रिक्त है (कुल 63 स्वीकृत संख्या में अध्यक्ष सहित 34 सदस्यों के स्थान रिक्त हैं)।
- **गृहक्रेता (homebuyer) के अधिकारों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता:** IBC में वर्ष 2018 के संशोधन के अनुसार, प्रक्रिया को आरंभ करने के लिए न्यूनतम 100 गृहक्रेताओं या कुल फ्लैट खरीदारों में से 10% की आवश्यकता होती है।
  - हालांकि, गृहक्रेताओं को अचल संपत्ति स्वामियों के विरूद्ध दिवाला कार्यवाही आरंभ करने के लिए गृहक्रेताओं की अनिवार्य संख्या को जुटाने में व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
- **लचीलेपन का अभाव:** एकाधिक निविदाकर्ताओं में कॉर्पोरेट चूककर्ताओं का समाधान करने के लिए समाधान वृत्तिक/पेशेवर (resolution professional) के पास वर्तमान में IBC के तहत लचीलेपन का अभाव है।
- **दिवाला वृत्तिकों (Insolvency Professionals: IPs) का विनियमन करने के लिए विभिन्न दिवाला वृत्तिक प्राधिकरणों (Insolvency Professional Agencies: IPAs) की विद्यमानता** के परिणामस्वरूप चयन प्रक्रिया और समाधान वृत्तिकों के आचरण के लिए उचित मानकों का अभाव है।
- **अन्य मुद्दे:**
  - सीमा-पार दिवाला समाधानों के प्रस्तावों हेतु प्रावधानों का अभाव।
  - लेनदारों की समिति (CoC) की निर्णय लेने की प्रक्रिया में एकरूपता का अभाव।
  - शोधकर्ताओं और विश्लेषकों के लिए विस्तृत रूप में IBC वादों से संबंधित डेटा की आवश्यकता है।

आगे की राह: सुधारों हेतु अनुशंसाएँ

वित्त पर संसदीय स्थायी समिति ने IBC के कुशल कार्यकरण हेतु निम्नलिखित सुधारों की अनुशंसा की है:

- वैश्विक मानकों के अनुसार **अनुमत कटौतियों की मात्रा (quantum of haircuts) के लिए मापदंड स्थापित करना।**
- CoC के लिए **वृत्तिक/व्यावसायिक संहिता तैयार करना,** जो संकटग्रस्त कंपनी का अधिग्रहण करती है।
- समाधान प्रक्रिया के कार्यकरण की निगरानी और विनियमन करने के लिए **भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (Institute of Chartered Accountants of India: ICAI)** की भांति कार्य करने वाला **एकल व्यावसायिक स्व-विनियामक निकाय** स्थापित किया जा सकता है ताकि उचित मानक और निष्पक्ष स्व-विनियमन संभव हो सके।
- **सीमा-पार दिवाला पर UNCITRAL {संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग (United Nations Commission on International Trade Law: UNCITRAL)} के आदर्श विधि को अपनाना:** ताकि भारतीय संदर्भ में इस संहिता के अंतर्गत कॉर्पोरेट देनदारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धी और व्यापक दिवाला रूपरेखा प्रदान की जा सके।
- भर्ती प्रक्रिया की अग्रिम रूप से योजना बनाने के लिए अगले तीन-चार वर्षों में अनुमानित मामलों से निपटने में क्षमता की आवश्यकता का विश्लेषण करना।

- बैकलॉग समाप्त करने और शीघ्रता से लंबित मामलों से निपटने के लिए वर्चुअल सुनवाई के प्रावधान के **साथ राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण** (NCLT) और **राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण** (NCLAT) **को अपने अभिलेखों और परिचालनों का पूरी तरह से डिजिटलीकरण करना चाहिए।**
- **गृहक्रेता के अधिकारों को सुदृढ़ करना:** उदाहरण के लिए, किसी एकल गृहक्रेता द्वारा NCLT में दिवाला कार्यवाही को आरंभ करने का निर्णय करने के बाद अचल संपत्ति स्वामी को संबंधित गृहक्रेता द्वारा परियोजना के अन्य गृहक्रेताओं का विवरण प्रदान करने के लिए नियमों/दिशा-निर्देशों में बाध्य किया जाना चाहिए, ताकि अनिवार्य 10% या 100 गृहक्रेताओं को जुटाया जा सके।
- **राष्ट्रीय विधि स्कूलों को NCLT प्रणाली में शामिल किया जाना चाहिए** ताकि वे अकादमिक अनुसंधान कर सकें, मामला आधारित उपयुक्त प्रशिक्षण सामग्री विकसित कर सकें और विधि लिपिकों आदि के माध्यम से उचित सहायता प्रदान कर सकें।

संबंधित तथ्य

दिवाला समाधान व्यावसायिकों/वृत्तिकों पर नए प्रतिबंध

- ये मानदंड संबंधी परिवर्तन **भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (Insolvency and Bankruptcy Board of India: IBBI) (निगमित व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2021** के भाग हैं।
- **नए मानदंड:**
  - कॉर्पोरेट/निगमित देनदार या किसी भी शेयरधारक के साथ दिवाला वृत्तिकों के किसी भी संबंध की अनुमति नहीं है।
  - **IBBI ने अंतरिम समाधान वृत्तिकों और समाधान वृत्तिकों (Resolution Professionals: RPs) को किसी अन्य वृत्तिक को नियुक्त करने के लिए अधिकृत किया है** जो RP के कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए **आवश्यक हो सकता है।**
    - **कुछ शर्तें पूरी होने पर ही इसकी अनुमति दी जाएगी जैसे कि** RP के रिश्तेदारों, निगमित देनदार के विगत (5 वर्षों तक के) लेखापरीक्षक आदि की नियुक्ति **पर स्पष्ट रोक।**
- **महत्व:**
  - निष्पक्ष व्यापार व्यवहार और RPs की नियुक्ति में पारदर्शिता सुनिश्चित करना।
  - RPs के कार्यकरण में हितों के संभावित संघर्ष को समाप्त करता है।

3.2.1. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021 {Insolvency and Bankruptcy Code (Amendment) Bill, 2021}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संसद में **दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021** पारित किया गया। इसके तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से संबंधित दिवाला कार्यवाही का समाधान करने के लिए **"पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया (Pre-packaged Insolvency Resolution Process: PIRP)"** के उपयोग की अनुमति प्रदान की गई।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह विधेयक अप्रैल, 2021 में राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2021 को प्रतिस्थापित करेगा।
- **इस विधेयक के प्रमुख प्रावधानों में शामिल हैं:**
  - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से संबंधित कॉर्पोरेट/निगमित व्यक्तियों के लिए PIRP की सुविधा प्रदान करने हेतु एक नया अध्याय समाविष्ट किया गया है।
  - केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से एक करोड़ रुपये तक की PIRP को आरंभ करने के लिए चूक/व्यतिरेक (Default) की न्यूनतम सीमा को निर्धारित किया जा सकता है।
    - इससे पूर्व, अप्रैल 2021 में सरकार ने न्यूनतम सीमा दस लाख रुपये निर्धारित की थी।
  - एक ही कॉर्पोरेट देनदार के विरूद्ध लंबित कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (Corporate Insolvency Resolution Process: CIRP) और PIRP के प्रवर्तन के लिए एक साथ आवेदनों का निपटान।
  - शोधन दिवाला प्रक्रिया के दौरान PIRP के कपटपूर्ण या विद्वेषपूर्ण अभिप्राय या कॉर्पोरेट देनदार के कपटपूर्ण प्रबंधन के लिए जुर्माने का प्रावधान।
  - पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया से संबंधित अपराधों के लिए दंड का प्रावधान।

पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया क्या है?

- पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान तंत्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शोधन अक्षमता की कार्यवाही के लिए राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (National Company Law Tribunal: NCLT) का रुख करने से पूर्व संकटग्रस्त कॉर्पोरेट देनदार (Corporate Debtor: CDs) और ऋणदाता एक समाधान व्यवस्था पर सहमत होते हैं।
- इसके द्वारा बैंकों, प्रवर्तकों और खरीदार के मध्य सहमत योजना को विधिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- इसके द्वारा **कब्जेदार देनदार (debtor-in-possession) मॉडल** का अनुपालन किया जाता है।
- **कपटपूर्ण गतिविधियों/कुप्रबंधन के विरुद्ध संरक्षण:** लेनदारों की समिति (Committee of Creditors: CoC) द्वारा, 66 प्रतिशत वोट शेयर के साथ, कंपनी के प्रबंधन में परिवर्तन के लिए आवेदन किया जा सकता है और समाधान वृत्तिकों/पेशेवरों को नियंत्रण सौंपा जा सकता है। ऐसा तभी किया जा सकता है यदि CoC को पता चलता है कि कंपनी को कपटपूर्ण ढंग से संचालित किया जा रहा है या प्रवर्तक द्वारा कंपनी के कार्यों में अत्यधिक कुप्रबंधन किया गया है।
    - यदि प्रवर्तक द्वारा प्रस्तुत की गई समाधान योजना में किसी भी दावे के ह्रास (वसूली योग्य राशि में अत्यधिक कमी करने संबंधी) के लिए उपबंध किया जाता है, तो CoC द्वारा प्रवर्तकों से कंपनी में अपनी शेयरधारिता या मतदान या नियंत्रण अधिकारों को कम करने के लिए कहा जा सकता है।
- यदि परिचालक लेनदारों को उनके 100 प्रतिशत बकाए का भुगतान नहीं किया जाता है तो **यह CD द्वारा प्रस्तुत की गई समाधान योजना के लिए स्विस चैलेंज (Swiss challenge) की अनुमति प्रदान करता है।**
    - इसके अंतर्गत, किसी भी तृतीय पक्ष को संकटग्रस्त कंपनी के लिए समाधान योजना प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाएगी और मूल आवेदक को या तो बेहतर समाधान योजना की बराबरी करनी होगी या निवेश त्यागना होगा।

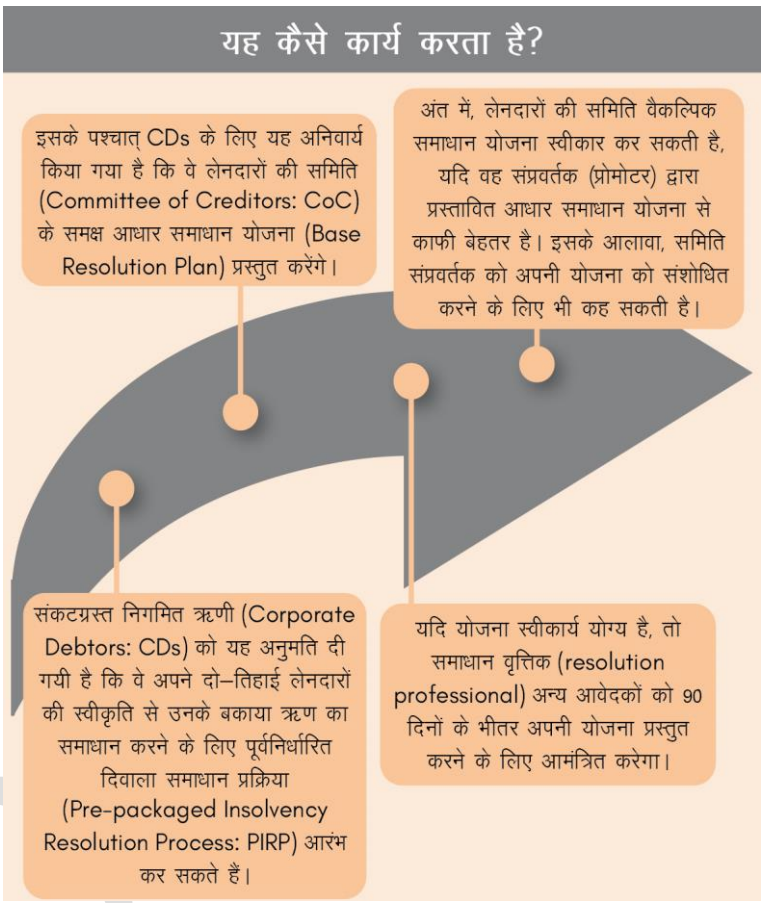

पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया (PIRP) और कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) के मध्य अंतर

मानदंड	PIRP	CIRP
दिवाला प्रक्रिया के दौरान फर्म/कंपनी का नियंत्रण	देनदारों का अपनी संकटग्रस्त फर्म पर नियंत्रण बना रहता है।	कंपनी का प्रबंधन समाधान वृत्तिक द्वारा किया जाता है।
समय सीमा	प्रारंभ होने की तारीख से 120 दिनों की अवधि के भीतर पूरा करना।	प्रारंभ होने की तारीख से 270 दिनों की अवधि के भीतर पूरा करना।
ऋण के समाधान की प्रक्रिया	संकटग्रस्त कंपनी द्वारा सुरक्षित लेनदारों और मौजूदा स्वामियों या बाह्य निवेशकों के मध्य प्रत्यक्ष समझौता किया जाता है।	खुली निविदा प्रणाली के माध्यम से समाधान।

PIRP के लाभ

- **तीव्र एवं लागत प्रभावी दिवाला समाधान प्रक्रिया:** देनदार द्वारा आरंभ की गई प्रक्रिया के कारण, इसमें कम विधिक विवाद, न्यायालय में शोधन अक्षमता कार्यवाही की लागत कम करने और CIRP की तुलना में तीव्र समाधान प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है।
- **व्यवसायों के लिए सबसे कम विघटनकारी:** इच्छुक खरीदारों के साथ लेनदार और व्यवसाय स्वामी न्यायालयों में समाधान वृत्तिकों की तुलना में इन महत्वपूर्ण व्यावसायिक निर्णयों को लेने के लिए बेहतर अनुकूल होते हैं।
- **राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरणों की पीठों पर कम दबाव:** नए संशोधन से शोधन अक्षमता न्यायालयों को सहायता प्राप्त हो सकती है, जो पहले से ही लंबित मामलों और वैश्विक महामारी के कारण नए मामलों की अत्यधिक संख्या से जूझ रहे हैं।

कार्यान्वयन से संबंधित संभावित मुद्दे

- **अनिश्चितता:** PIRP को आरंभ करना कंपनी के आपूर्तिकर्ताओं, श्रमिकों, लेनदारों, आदि के व्यवहार को प्रतिकूल कर सकता है जो अनिश्चित महसूस करने लगेंगे। उदाहरण के लिए, व्यवसाय की साख संदिग्ध हो जाने पर आपूर्तिकर्ता आपूर्ति को बंद कर सकते हैं।
- **CoC सदस्यों के लिए आधार समाधान योजना (Base resolution Plan) निर्धारित करना चुनौतीपूर्ण:** CoC सदस्यों के लिए बिना किसी व्यापक मानदंड (जिस पर समाधान योजना को अनुमोदित करना है) संबंधी निर्धारित अल्प अवधि के भीतर आधार समाधान योजना पर निर्णय लेना चुनौतीपूर्ण है।
- **CD, निवेशकों या बैंकों से अतिरिक्त पूँजी या ऋण नहीं जुटा सकेंगे:** शामिल जोखिमों के कारण, कॉर्पोरेट देनदार को कंपनी के लिए नए निवेशक लाने और संधारणीय स्तर तक ऋण में कमी कर सकने वाली नई इक्विटी जुटाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

3.3. सरकारी प्रतिभूतियां (Government Securities: G-Secs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने अपनी 'भारतीय रिज़र्व बैंक खुदरा प्रत्यक्ष' योजना ('RBI Retail Direct' scheme) के अंतर्गत, **लघु खुदरा निवेशकों** को G-Secs में निवेश करने की अनुमति प्रदान की है। इसके लिए निवेशकों को RBI में अपना गिल्ट खाता (Gilt Account) खुलवाना होगा।

G-Sec और गिल्ट खाते के बारे में

- सरकारी प्रतिभूति (G-Sec) केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा निर्गमित व्यापार-योग्य लिखत होती है। सरकारें इसके माध्यम से ऋण जुटाती हैं।
- G-Secs **दो प्रकार** की होती हैं (बॉक्स देखें)।
- भारत में, **केंद्र सरकार** ट्रेज़री बिल और बॉण्ड या दिनांकित प्रतिभूतियां निर्गमित करती है, जबकि **राज्य सरकारें** केवल बॉण्ड या दिनांकित प्रतिभूतियां जारी करती हैं, जिन्हें **राज्य विकास ऋण (State Development Loans: SDLs)** कहा जाता है।
- G-Secs में व्यावहारिक रूप में डिफॉल्ट/चूक संबंधी कोई जोखिम नहीं होता है, इसलिए इन्हें **जोखिम रहित गिल्ट-एज्ड विपत्र** भी कहा जाता है।
- **"गिल्ट खाता"** RBI द्वारा अनुमत ऐसा खाता होता है जिसे किसी इकाई या व्यक्ति द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को धारित करने के लिए खोला और प्रबंधित किया जाता है।
    - परंतु, **'भारत से बाहर निवास करने वाले व्यक्ति'** के मामले में, गिल्ट खाते के परिचालन/प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों पर **विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 2000** और इसके तहत निर्मित विनियम लागू होंगे।

ट्रेज़री बिल (टी-बिल):

- ट्रेज़री बिल्स मुद्रा बाजार से संबंधित विपत्र होते हैं और ये इसलिए भारत सरकार द्वारा निर्गमित लघुकालीन ऋण लिखत होते हैं। वर्तमान में तीन प्रकार के ट्रेज़री बिल्स, यथा- 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय निर्गमित किए जाते हैं।
- ट्रेज़री बिल्स **शून्य कूपन प्रतिभूतियां** होती हैं और इन पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है।
- ये अंकित मूल्य से कम पर (बट्टे पर) निर्गमित किए जाते हैं और इनका मोचन (redeemed) अंकित मूल्य पर होता है अर्थात् इन्हें अंकित मूल्य से कम मूल्य पर ख़रीदा जाता है और परिपक्वता अवधि के बाद संपूर्ण अंकित मूल्य प्राप्त होता है।

दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियां (Dated G-Secs):

- दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों पर **स्थायी या अस्थायी कूपन (ब्याज दर)** प्रदान किया जाता है, जिसका भुगतान अर्धवार्षिक आधार पर अंकित मूल्य पर देय होता है।
- सामान्य रूप से, दिनांकित प्रतिभूतियों की अवधि 5 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक होती है।

G-Secs का महत्व

- **तरलता प्रबंधन:** RBI द्वारा बाजार में तरलता/चलनिधि का अंतर्वेशन (अर्थात् तरलता बढ़ाने) करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद की जाती है। वहीं, RBI द्वारा बाजार में तरलता पर अंकुश लगाने (अर्थात् तरलता कम करने) के लिए G-Secs का विक्रय किया जाता है। बाजार में तरलता को विनियमित करने के लिए RBI द्वारा G-Secs के इस क्रय-विक्रय को **खुला बाजार परिचालन** (Open Market Operations: OMOs) कहा जाता है।
- **संभावित जोखिम रहित निवेश:** कूपन (ब्याज) के रूप में प्रतिफल प्रदान करने के अतिरिक्त, G-Secs **अधिकतम सुरक्षा** प्रदान करती हैं क्योंकि उनके साथ सरकार द्वारा ब्याज के भुगतान और मूलधन की चुकौती की प्रतिबद्धता भी सम्मिलित होती है।
- **निवेश के लोचदार विकल्प:** सरकारी प्रतिभूतियां विभिन्न प्रकार की परिपक्वता अवधि (91 दिनों से लेकर 40 वर्षों तक) के लिए उपलब्ध होती हैं, ताकि यह विभिन्न संस्थानों की विविध देयता संरचना की अवधि के अनुरूप हो।
  - नकदी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए G-Secs को द्वितीयक बाजार में आसानी से बेचा जा सकता है।
  - G-Secs का उपयोग रेपो बाजार में निधि उधार लेने के लिए संपार्श्विक (collateral) के रूप में किया जा सकता है।
- **आकर्षक प्रतिफल:** राज्य विकास ऋण (SDLs) और विशेष प्रतिभूति (तेल बॉण्ड, उदय बॉण्ड आदि) जैसी प्रतिभूतियों से आकर्षक प्रतिफल प्राप्त होते हैं।
- **निवेशक अनुकूल समायोजन:** सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार के लिए समायोजन प्रणाली {जो सुपुर्दगी बनाम भुगतान (Delivery versus Payment: DvP) पर आधारित है}, समायोजन की अत्यंत सरल, सुरक्षित और सक्षम प्रणाली है। यह DvP तंत्र विक्रेता द्वारा प्रतिभूतियों के अंतरण के साथ-साथ क्रेता से निधि का अंतरण सुनिश्चित करके समायोजन संबंधी जोखिम को कम करता है।

G-Secs के धारण में जोखिम

- **चलनिधि जोखिम:** जब निवेशक किसी प्रतिभूति के लिए खरीददार की अनुपलब्धता के कारण अपनी प्रतिभूति का विक्रय नहीं कर पाता है तो उसे चलनिधि जोखिम कहते हैं।
- **बाजार जोखिम:** ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण किसी निदेशक द्वारा धारित प्रतिभूतियों के मूल्यों में प्रतिकूल परिचालन होने से बाजार जोखिम उत्पन्न होता है। यदि प्रतिभूतियों को प्रतिकूल मूल्यों पर बेचा जाता है तो उससे मूल्य ह्रास होगा।
- **पुनर्निवेश जोखिम:** G-Secs पर नकदी के प्रवाह में प्रत्येक छमाही में मियादी कूपन और परिपक्वता पर मूलधन की वापसी सम्मिलित होती है। इन नकदी प्रवाहों को उनकी वापसी के बाद पुनः निवेश करना आवश्यक होता है। इसलिए इस बात का जोखिम रहता है कि नकदी प्रवाह की प्राप्ति के समय प्रचलित ब्याज दरों में कमी के कारण निवेशक निवेश करने के समय प्रचलित प्रतिफल पर इन आय को पुनर्निवेश न कर पाए।

G-Secs की परिचालनगत व्यवस्था

- RBI द्वारा भारत सरकार के परामर्श से निर्देशात्मक **अर्धवार्षिक नीलामी कैलेंडर** जारी किया जाता है। इसमें ऋण की राशि, प्रतिभूतियों की अवधि संबंधी सीमा और नीलामी के आयोजन की अवधि से संबंधित सूचना होती है।
- सरकारी प्रतिभूतियां (G-Secs), RBI द्वारा आयोजित नीलामियों के माध्यम से जारी की जाती हैं। नीलामी का आयोजन **ई-कुबेर** {जो RBI **का प्रमुख बैंकिंग समाधान (Core Banking Solution) प्लैटफॉर्म है}** नामक इलेक्ट्रॉनिक प्लैटफॉर्म पर किया जाता है।
  - गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों (Urban Co-operative Banks: UCBs) सहित जो ई-कुबेर के सदस्य नहीं हैं वे वाणिज्यिक बैंकों या प्राथमिक डीलरों (Primary Dealers: PDs) {इन्हे प्राथमिक सदस्य (Primary Members: PMs) भी कहा जाता है} के माध्यम से प्राथमिक नीलामी में भागीदारी कर सकते हैं।
- **भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (Clearing Corporation of India Limited: CCIL)** G-Secs का समाशोधन करने वाली एजेंसी है। इसके द्वारा G-Secs में होने वाले सभी लेन-देनों के लिए केंद्रीय प्रतिपक्ष (Central Counterparty: CCP) के रूप में कार्य किया जाता है। इसके द्वारा स्वयं को दो प्रतिपक्षों के मध्य स्थापित करते हुए अपने कार्य को संपन्न किया जाता है। वास्तव में, समायोजन के समय, CCP वास्तविक लेन-देन के क्रेता के लिए विक्रेता और विक्रेता के लिए क्रेता बन जाता है।
- RBI द्वारा सरकारी प्रतिभूति बाजार से संबंधित सभी आंकड़ों को दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, और वार्षिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है।

केंद्र सरकार द्वारा बाजार से ऋण लेने से संबंधित आंकड़ों को साप्ताहिक आधार पर साप्ताहिक सांख्यिकीय परिशिष्ट के माध्यम से नियमित रूप से उपलब्ध कराया जाता है। परंतु, **राज्य सरकार की प्रतिभूतियों से संबंधित आंकड़े वर्ष के दौरान नियमित आधार पर उपलब्ध नहीं होते हैं,** इसके द्वारा वर्तमान व्यवस्था की परिचालनगत दक्षता की सीमा को व्यक्त किया जाता है।

G-Secs के संबंध में वर्तमान में क्या पहलें की गई हैं और उनका क्या प्रभाव रहा है?

पहलें	प्रभाव/संभावित प्रभाव
RBI खुदरा प्रत्यक्ष योजना: व्यक्तिगत निवेशक सरकारी बॉण्ड का क्रय करने के लिए RBI में खुदरा प्रत्यक्ष गिल्ट (Retail Direct Gilt: RDG) खाते खुलवा सकते हैं। • ये बॉण्ड्स केंद्र सरकार द्वारा निर्गमित **G-Secs, राज्य विकास ऋण** जो राज्य सरकारों द्वारा निर्गमित बॉण्ड्स होते हैं और केंद्र सरकार द्वारा निर्गमित **सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड्स** (जिसका मूल्य स्वर्ण के मूल्य से जुड़ा होता है) के रूप में होते हैं।	• **व्यापक निवेशक आधार:** G-Secs में प्रत्यक्ष रूप से खुदरा निवेश को अनुमति प्रदान करने से निवेशकों का आधार व्यापक होगा। इससे खुदरा निवेशकों को सरकारी प्रतिभूति बाजार में भाग लेने के लिए बेहतर सुलभता प्राप्त होगी। • **घरेलू बचत का वित्तीयकरण:** G-Sec बाजार में खुदरा भागीदारी की अनुमति देना **घरेलू बचत के विशाल भंडार के वित्तीयकरण** की दिशा में एक साहसिक कदम है। • खुदरा निवेश के दृष्टिकोण से, यह निवेश का अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराता है। परंतु, लोक भविष्य निधि या राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र जैसी केंद्र सरकार की लघु बचत योजनाओं की तरह **सरकारी बॉण्ड को प्रत्यक्ष रूप से क्रय करने पर कोई विशेष कर संबंधी लाभ प्राप्त नहीं होता है।**
सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम (Government Securities Acquisition Programme: G-SAP): इस कार्यक्रम के माध्यम से, RBI का लक्ष्य वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में 1 लाख करोड़ रुपये मूल्य की G-Secs का क्रय करना है।	• बॉण्ड के प्रतिफल में गिरावट, **इक्विटी बाजारों के लिए प्रोत्साहन** के रूप में कार्य करता है। • **यह वैश्विक अनिश्चितता से वित्तीय स्थिरता और G-Sec स्थिरता** सुनिश्चित करेगा। • यह **निजी निवेश के बाहर जाने (क्राउडिंग आउट) पर अंकुश लगाता है।**
दीर्घावधि रेपो परिचालन (Long-Term Repo Operations: LTROs): LTRO के माध्यम से RBI द्वारा प्रचलित रेपो दर पर बैंकों को एक से तीन वर्ष तक के लिए निधि उपलब्ध कराई जाती है। इसके बदले में RBI द्वारा समान या उच्चतर अवधि वाली G-Secs को संपार्श्विक के रूप में स्वीकार किया जाता है।	• इससे बैंकों को चलनिधि समायोजन सुविधा (Liquidity Adjustment Facility: LAF) और सीमांत स्थायी सुविधा (Marginal Standing Facility: MSF) द्वारा प्रदत्त **लघुकालिक चलनिधि/तरलता की तुलना में दीर्घकालिक** निधि प्राप्त होगी। • बैंक एक दिवसीय/ओवरनाइट रेपो के सामान ब्याज दर पर एक वर्ष और तीन वर्ष के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
ऑपरेशन ट्विस्ट: 'ऑपरेशन ट्विस्ट' के माध्यम से, RBI का लक्ष्य दीर्घकालीन बॉण्ड प्रतिफल (yields) को कम करना है। • **बॉण्ड के मूल्य और प्रतिफल में उल्टा संबंध** है। • वर्तमान स्थिति में, चूंकि RBI द्वारा दीर्घकालीन बॉण्ड का क्रय किया जाता है, इसलिए इसकी मांग से बॉण्ड के मूल्य में वृद्धि होती है। दीर्घकालीन बॉण्ड के मूल्य में वृद्धि के साथ उससे प्राप्त होने वाले प्रतिफल में कमी होगी।	• निम्नतर दीर्घकालीन प्रतिफल से **अर्थव्यवस्था को बढ़ावा** मिलता है। इससे उन लोगों के लिए **ऋण किफायती हो जाता** है जो घर या गाड़ी खरीदना चाहते हैं या किसी परियोजना में निधि लगाना चाहते हैं। साथ ही, बचत कम वांछित हो जाती है क्योंकि इस पर अधिक ब्याज प्राप्त नहीं होता है।

3.4. नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (National Asset Reconstruction Co. Ltd: NARCL)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **NARCL** का मुंबई में पंजीकरण कराया गया। इसका लक्ष्य बैंकों के बहीखातों से **अशोध्य ऋणों (Bad Loans)** का समाशोधन (अर्थात् बैड लोन की समस्या का समाधान) करना है।

अन्य संबंधित तथ्य

- भारतीय बैंकिंग प्रणाली को व्यापक मात्रा में दबावग्रस्त परिसंपत्तियों (मार्च 2021 में अग्रिम का 7.5%) और उच्च स्तरीय ऋण संबंधी घाटे के लिए समाधान की आवश्यकता है।

- इसका प्रस्ताव प्रथम बार **भारतीय बैंक संघ (Indian Bank Association: IBA)** द्वारा वर्ष 2020 में किया गया था। वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में सरकार ने **परिसंपत्ति पुनर्रचना कंपनी (Asset Reconstruction Company: ARC)** और **परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी (Asset Management Company: AMC)** के गठन की घोषणा निम्नलिखित उद्देश्य हेतु की थी:
  - दबावग्रस्त ऋण (stressed debt) का समेकन और नियंत्रण करना; तथा
  - **वैकल्पिक निवेश निधि (Alternate Investment Fund: AIF)** एवं अन्य संभावित निवेशकों के लिए परिसंपत्तियों का प्रबंधन और निस्तारण करना, ताकि संपत्ति का अंतिम मूल्य प्राप्त हो सके।
- NARCL के गठन के साथ ही प्रतिभागी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने **89,000 करोड़** रुपये के **22 अशोध्य ऋणों** की पहचान की है, जिन्हें इस संस्था द्वारा अधिग्रहित किया जाना है।
- यह अपेक्षा की गई है कि भविष्य में इसके द्वारा लगभग 2,00,000 करोड़ रुपये के गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (Non Performing Assets: NPAs) की पुनर्रचना (अर्थात् उन्हें अधिग्रहित कर बैंकों को NPAs से राहत दिलाना) की जाएगी।
- सरकार, NARCL में **प्रत्यक्ष रूप से पूंजी निवेश नहीं करेगी,** परंतु **प्रतिभूति प्राप्तियों के लिए अवश्य गारंटी** प्रदान करेगी।
- NARCL केवल उन परिसंपत्तियों की ही पुनर्रचना (reconstruct) करेगा, जिन्हें ऋणदाता पूर्ण रूप से अर्थात् 100% के तौर पर उपलब्ध कराएंगे। जो परिसंपत्तियां वंचना (fraud) के रूप में वर्गीकृत होंगी या जो परिसमापन (liquidation) की प्रक्रिया के अधीन होंगीं, NARCL उन्हें अधिग्रहित नहीं करेगा।

परिसंपत्तियों का प्रमुख वर्गीकरण (Major Classifications of Asset)

बैंकों द्वारा प्रदान किए गए धन या ऋण को **परिसंपत्ति** माना जाता है, क्योंकि यह बैंक के लिए आय का सृजन करती है। यदि ऐसे ऋणों के साथ कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती या सामान्य से अधिक जोखिम शामिल नहीं होता है, तो इन्हें **मानक परिसंपत्ति (Standard Asset)** कहा जाता है। यदि इससे आय सृजित होना बंद हो जाती है, तो इसे गैर-निष्पादित परिसंपत्ति/अनर्जक परिसंपत्ति (Non-Performing Asset: NPA) कहा जाता है।

गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA): अतिदेय (या बकाया) के मानदंडों के आधार पर, उस ऋण या अग्रिम को NPA के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिसके लिए **मूलधन या ब्याज** का भुगतान पिछले **90 दिनों** (एक तिमाही) से नहीं किया गया है।

- **कृषि संबंधी ऋण** यदि लघुकालीन फसलों के लिए **दो फसली मौसम** तक अतिदेय रहता है और दीर्घावधि वाली फसलों के लिए **एक फसली मौसम** तक अतिदेय रहता है, तो उसे NPA की श्रेणी में शामिल कर लिया जाता है।

NPA की श्रेणियां

- **अवमानक परिसंपत्ति (Substandard asset):** जब कोई परिसंपत्ति 12 महीने या उससे कम अवधि के लिए NPA के रूप में बनी रहती है तो उसे अवमानक परिसंपत्ति कहते हैं।
- **संदिग्ध परिसंपत्ति (Doubtful assets):** जब कोई परिसंपत्ति 12 महीने से अधिक अवधि के लिए अवमानक परिसंपत्ति के रूप में बनी रहती है तो उसे संदिग्ध परिसंपत्ति कहते हैं।
- **हानि वाली परिसंपत्ति (Loss assets):** जब किसी परिसंपत्ति को बैंक या आंतरिक या बाह्य लेखा परीक्षकों या सहकारिता विभाग द्वारा या भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण द्वारा हानि के रूप में चिन्हित/निर्धारित कर दिया जाता है, परंतु बैंक द्वारा उक्त राशि को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से बट्टे खाते (written off) में नहीं डाला गया है, तो ऐसी परिसंपत्ति को हानि वाली परिसंपत्ति कहा जाता है।

परिसंपत्ति पुनर्रचना और ARC के बारे में

परिसंपत्ति पुनर्रचना किसी ऐसी वित्तीय सहायता को कहा जाता है, जिसमें किसी ARC द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थानों के अधिकार या हित का अधिग्रहण किया जाता है, ताकि ऐसी वित्तीय सहायता से परिसंपत्ति का वास्तविक मूल्य प्राप्त किया जा सके। इसलिए, ARCs **विशिष्ट एजेंसियां** होती हैं, जो बैंकों के लिए अशोध्य ऋण के समाधान की सुविधा प्रदान करती हैं।

भारत में, ARCs का गठन **कंपनी अधिनियम** के अंतर्गत होता है तथा ये **वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूत हित का प्रवर्तन {Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest: (SARFAESI/सरफेसी} अधिनियम, 2002 की धारा 3** के अंतर्गत RBI में पंजीकृत होती हैं।

ARCs का विकास-क्रम

वर्ष 1987
- रुग्ण सार्वजनिक उपक्रमों के पुनर्निर्माण के लिए औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (BIFR) का गठन किया गया।
- एक बाह्य एजेंसी द्वारा पुनर्निर्माण के विचार को प्रस्तुत करना।

वर्ष 1990
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने प्रथम NPA दिशा–निर्देश जारी किए।

वर्ष 1991
- नरसिम्हम समिति- I ने भारत में केंद्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण निधि (ARF) की स्थापना की अनुशंसाएं की।

वर्ष 1998
- नरसिम्हम समिति- II ने भारत में केंद्रीय परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (ARCs) की स्थापना करने की अनुशंसा की।

वर्ष 2002
- वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) अधिनियमित किया गया।
- इसने किसी न्यायालय या अधिकरण के हस्तक्षेप के बिना NPA मुद्दों को हल करने हेतु ऋण वसूली के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थानों को सक्षम बनाया।

वर्ष 2003
- RBI द्वारा प्रतिभूतिकरण कंपनियों और पुनर्निर्माण कंपनियों (रिज़र्व बैंक) के दिशानिर्देश जारी किए गए और ARCs को RBI अधिनियम,1934 के तहत NBFC के रूप में विनियमित करने का निर्देश दिए गए।
- निवल स्वाधिकृत निधि (Net Owned Fund) (2 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त 15% पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CAR) बनाए रखना आवश्यक किया गया।
- ARCs द्वारा कोई जमा स्वीकार नहीं करना और वित्तपोषण के लिए बॉण्ड, ऋण–पत्र या प्रतिभूति रसीद का उपयोग करना।

वर्ष 2017-18
- वर्ष 2017 में, ARC लाइसेंस/अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए न्यूनतम निवल स्वाधिकृत निधि 2 करोड़ रुपये से बढ़कर 100 करोड़ रुपये कर दी गई।
- वर्ष 2018 में, ARCs में स्वचालित मार्ग के माध्यम से व्यक्तिगत FII/FPI के साथ 100% FDI की अनुमति प्रदान की गई, जो कि प्रदत्त पूंजी के 10% से कम तक सीमित थी।

NARCL से क्या संभावित लाभ प्राप्त हो सकते हैं?

- **ARCs** की वर्तमान पूंजी बैंकों की विशालकाय NPA समस्या का समाधान करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसे में **NPAs को कम करने के अतिरिक्त, NARCL** निम्नलिखित लाभ प्रदान कर सकता है:
  - बैंक अपने **सामान्य बैंकिंग कार्यों** पर ध्यान दे सकेंगे।
  - **तीव्र आर्थिक सुधार** के लिए उत्पादक क्षेत्रकों को बेहतर रूप से ऋण प्राप्त हो सकेगा।
  - **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बेहतर मूल्यांकन** के साथ **बैंकों के निजीकरण** में सरकार को सहायता प्राप्त होगी।
- **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) के स्तर पर अन्य ARCs के लिए अवसर:** NARCL केवल उन परिसंपत्तियों की ही पुनर्रचना करेगा, जहां बैंकिंग क्षेत्रक का कुल ऋण **500 करोड़ रुपये से अधिक** है। ऐसे में सीमित पूंजीकरण वाले अन्य ARCs खुदरा और MSMEs क्षेत्रक पर ध्यान दे सकती हैं, जहाँ लगभग 1 लाख करोड़ रुपये तक की कुल दबावग्रस्त परिसंपत्तियां हैं।

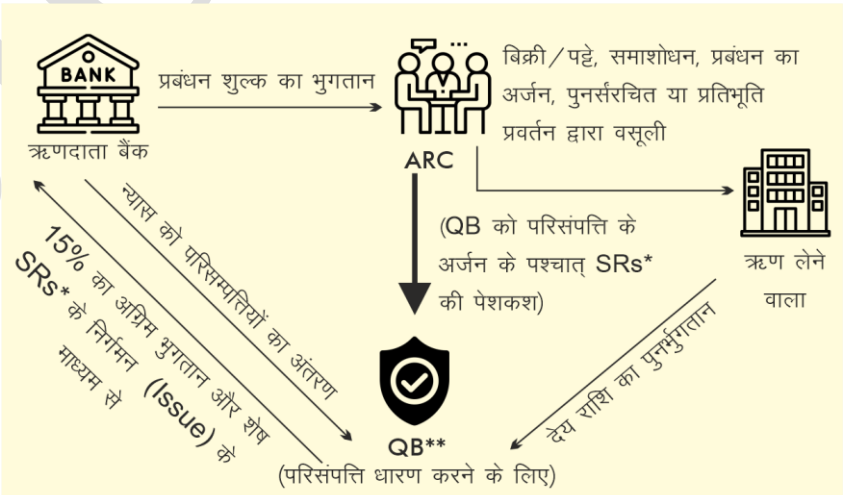

ARCs के कार्य

- प्रतिभूति रसीद (*Security Receipt: SR), ARCs द्वारा वित्तीय परिसंपत्ति में किसी अविभक्त अधिकार, हक या हित की खरीद/अर्जन पर किसी भी QBs को निर्गमित की गई रसीद/प्रतिभूति है।
- अर्हित क्रेता (**Qualified Buyers: QB) कॉर्पोरेट संस्थाओं जैसे कि FLs, बीमा कंपनी, बैंक, न्यासी, AMC आदि या RBI या सेबी द्वारा निर्दिष्ट गैर–संस्थागत निवेशकों की किसी भी श्रेणी का प्रतिनिधित्व करते हैं।

- **ऋण का समेकन:** NARCL के गठन से विभिन्न ऋणदाताओं के मध्य जो विरोधाभासी स्थिति (सर्वसम्मति का अभाव) है, उस समस्या के समाधान में सहायता प्राप्त होगी। इससे ऋण की पुनर्रचना की जा सकती है।
- **क्षमता का पूर्ण उपयोग:** समस्याओं के समाधान के विभिन्न तरीके या कार्यशैली में लोचशीलताओं के उपरांत भी वित्तपोषण का अभाव, योग्य पेशेवरों की सीमित संख्या या अन्य समस्याओं के कारण भारत में ARCs की पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं किया जाता है। सरकार समर्थित गारंटी (5 वर्षों के लिए) के साथ NARCL के प्रवेश से इस क्षेत्रक में नई कार्य संस्कृति और मूल्यों का सृजन हो सकता है।
- **ऋण वसूली में सुधार:** आरंभ में ऋण वसूली की उच्च दर थी, जिसमें वर्ष 2010-11 के उपरांत **30%** की गिरावट हुई (अपवाद के रूप में केवल वर्ष 2017-18 को छोड़कर जब ऋण वसूली की दर 32.2% थी)। NARCL का प्रवेश भारत में वर्तमान ARCs के परिचालन को आकार प्रदान करने और परिसंपत्ति समाधान व्यवस्था को सुदृढ़ करने की क्षमता रखता है।
- **प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन:** NARCL को आवंटित परिसंपत्ति **'स्विस चुनौती'** की प्रक्रिया से गुजरेगी अर्थात् अन्य ARCs को उच्चतम मूल्यांकन करने का अवसर मिलेगा। इससे बैंकों को इस क्षेत्रक में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के साथ-साथ अधिकतम ऋण वसूली में भी सहायता मिलेगी।

सुदर्शन सेन समिति

इसका गठन RBI द्वारा इसी वर्ष (2021) किया गया है। **यह निम्नलिखित कार्य को निष्पादित करेगी:**

- ARCs पर लागू होने वाली वर्तमान विधि और विनियामक ढांचे की समीक्षा करना;
- ARCs की दक्षता में सुधार के लिए अनुशंसा करना;
- दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (Insolvency & Bankruptcy Code: IBC) के अंतर्गत दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान में ARCs की भूमिका की समीक्षा करना;
- ARCs के कारोबार मॉडल की समीक्षा करना और प्रतिभूति प्राप्तियों (Security Receipts: SRs) की तरलता एवं व्यापार में सुधार के साधन का सुझाव देना आदि।

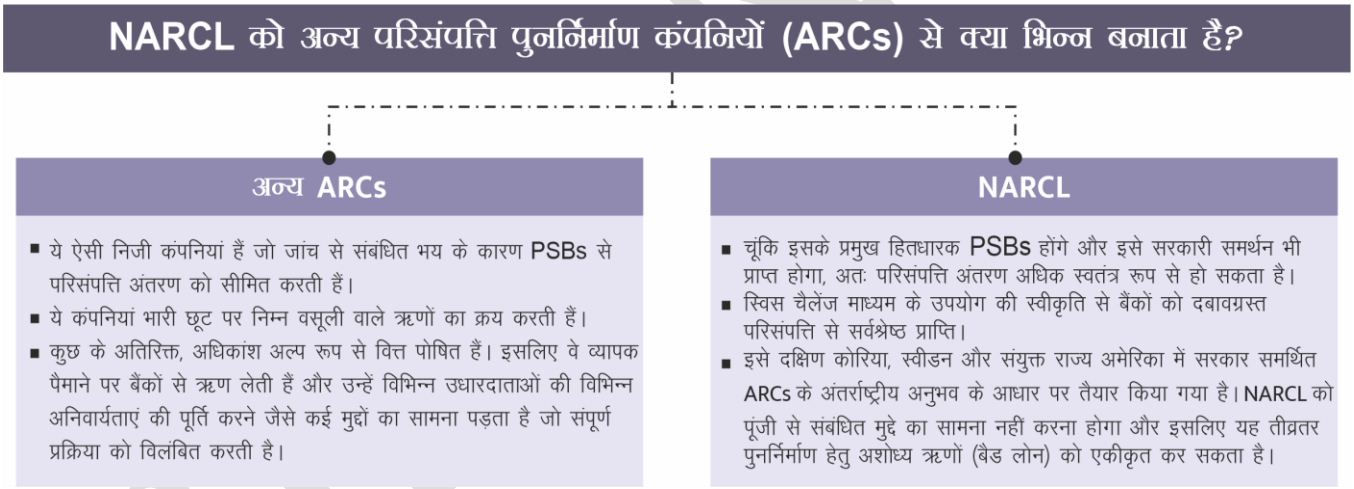

चुनौतियां

- **नैतिक संकट का जोखिम:** बिना जवाबदेही के NPAs को NARCL में स्थानांतरित करने से ऋण प्रदान करने में लापरवाही संबंधी नैतिक संकट का जोखिम उत्पन्न हो सकता है। इससे यह समस्या और बढ़ सकती है।
- **शीघ्रता का अभाव:** अशोध्य ऋणों की पुनर्रचना और रूपांतरण के लिए NARCL को **पृथक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी** {जैसे- भारतीय ऋण प्रबंधन एजेंसी (India Debt Management Agency: IDMA)} के तौर पर प्रस्तावित करने की आवश्यकता है। परंतु, इसकी स्थापना के लिए अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया है।
- **योग्य पेशेवर:** भारत के पास पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित पेशेवरों की कमी है।
- **अशोध्य परिसंपत्ति का मात्र स्थानांतरण:** चूंकि इसमें PSBs शीर्ष हितधारक हैं, ऐसे में NARCL केवल सरकार के स्वामित्व वाले बैंकों के बहीखाते से अशोध्य ऋण को सरकार समर्थित NARCL के खाते में स्थानांतरित करने का कार्य कर सकता है।
- **पूंजी की आवश्यकता:** चूंकि, इसके तहत 15% अग्रिम भुगतान करना आवश्यक है, इसलिए NARCL को **89,000 करोड़ रुपये** के NPAs के समाधान के लिए **6,500 से 7,000 करोड़ रुपये** तक पूंजी की आवश्यकता होगी, भले ही ऋण वसूली का लक्ष्य वास्तविक ऋण का आधा अर्थात् **44,500 करोड़ रुपये ही** रखा जाए।

निष्कर्ष

NARCL का गठन उपयुक्त समय पर किया गया है जब वर्तमान 28 ARCs के पास सीमित परिसंपत्तियां हैं और RBI दबावग्रस्त परिसंपत्ति के समाधान में ARCs की भूमिका बढ़ाने पर ध्यान दे रहा है। साथ ही, हमें ARCs के साथ-साथ बैंकों में **कर्मियों के प्रशिक्षण** से अपना ध्यान नहीं हटाना चाहिए। यह न केवल ARCs के निष्पादन में सुधार के लिए बल्कि भविष्य में इस प्रकार के जोखिमों को कम करने के लिए भी आवश्यक है।

नोट: NPA संकट के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, इस पर केंद्रित हमारे वीकली फोकस लेख "गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (NPA) 'समस्या से उत्प्रेरक के रूप में" का संदर्भ ले सकते हैं।

गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (NPA): समस्या से उत्प्रेरक के रूप में	भारत में NPA संकट विभिन्न कमियों, जैसे- निम्नस्तरीय क्रेडिट निगरानी, अभिशासन संबंधी मुद्दे और सीमित पूंजी की उपलब्धता का संयुक्त परिणाम है। इसी तरह समाधान को भी '4R रणनीति' के रूप में व्यक्त किए गए कई चरणों का समामेलन होना चाहिए। साथ ही, NPA समस्या में, बैंकिंग क्षेत्र में जारी समग्र सुधारों का मार्गदर्शन करने वाले एक संकेतक होने की क्षमता भी विद्यमान है।	

3.5. राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (National Urban Digital Mission: NUDM)

सुर्ख़ियों में क्यों?

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के साथ मिलकर **आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA)** ने शहरी कनेक्टिविटी में सुधार के लिए **राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (NUDM)** आरंभ किया है। यह मिशन लगभग 2,535 शहरों को आपस में जोड़ेगा।

अन्य संबंधित तथ्य

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) द्वारा अन्य पहलें जैसे कि **इंडिया अर्बन डेटा एक्सचेंज (IUDX), स्मार्टकोड प्लेटफॉर्म**, स्मार्ट सिटीज 2.0 वेबसाइट और **भू-स्थानिक प्रबंधन सूचना प्रणाली (Geospatial Management Information System: GMIS)** भी आरंभ की गई हैं।

- **इंडिया अर्बन डेटा एक्सचेंज (IUDX):** इसे **स्मार्ट सिटीज मिशन** और **भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु** के मध्य साझेदारी के माध्यम से विकसित किया गया है, ताकि शहरों के भीतर और बाहर दोनों स्थानों पर **डेटा सिलोस (silos) की समस्या का समाधान किया जा सके।** ज्ञातव्य है कि डेटा साइलो/सिलोस वस्तुतः एकल समूह द्वारा रखे गए डेटा का एक संग्रह है जो अन्य समूहों के लिए आसानी से या पूर्णतः सुलभ नहीं होता है।
  - यह शहरों, शहरी प्रशासन और शहरी सेवा वितरण से संबंधित डेटा समुच्चय साझा करने, अनुरोध करने एवं एक्सेस करने संबंधी शहरी स्थानीय निकायों (Urban Local Bodies: ULBs) सहित **डेटा प्रदाताओं और डेटा उपयोगकर्ताओं के लिए निर्बाध इंटरफ़ेस** के रूप में कार्य करता है।
  - यह एक **ओपन-सोर्स सॉफ़्टवेयर प्लेटफ़ॉर्म है,** जो विभिन्न डेटा प्लेटफ़ॉर्म के मध्य डेटा के सुरक्षित, प्रमाणित और प्रबंधित विनिमय की सुविधा प्रदान करता है।
- **स्मार्टकोड प्लेटफॉर्म:** यह शहरी शासन के लिए विभिन्न समाधानों और अनुप्रयोगों हेतु ओपन-सोर्स कोड के भंडार (repository) में योगदान करने के लिए पारितंत्र के सभी हितधारकों को समर्थ बनाएगा।
  - यह नए सिरे से समाधान विकसित करने की बजाय, मौजूदा संहिता का उपयोग करने और उसे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवस्थित करने के लिए शहरों को सक्षम करके **शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) द्वारा डिजिटल अनुप्रयोगों के परिनियोजन एवं विकास के दौरान सामना की जाने वाली चुनौतियों का समाधान करता है।**
- **स्मार्ट सिटीज मिशन 2.0 वेबसाइट को सभी स्मार्ट सिटी पहलों के लिए एकल बिन्दु के** रूप में नए सिरे से डिजाइन किया गया है ।
  - इस वेबसाइट के साथ **भू-स्थानिक प्रबंधन सूचना प्रणाली (GMIS)** को एकीकृत किया गया है। यह वेबसाइट **स्मार्ट सिटीज मिशन के लिए सिंगल विंडो हब की सुविधा** प्रदान करती है।
  - इस वेबसाइट को अत्यधिक प्रभावी संचार और व्यापक पहुंच बनाने वाले साधन के रूप में उपयोग करने हेतु विकसित किया गया है।

राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (NUDM) के बारे में

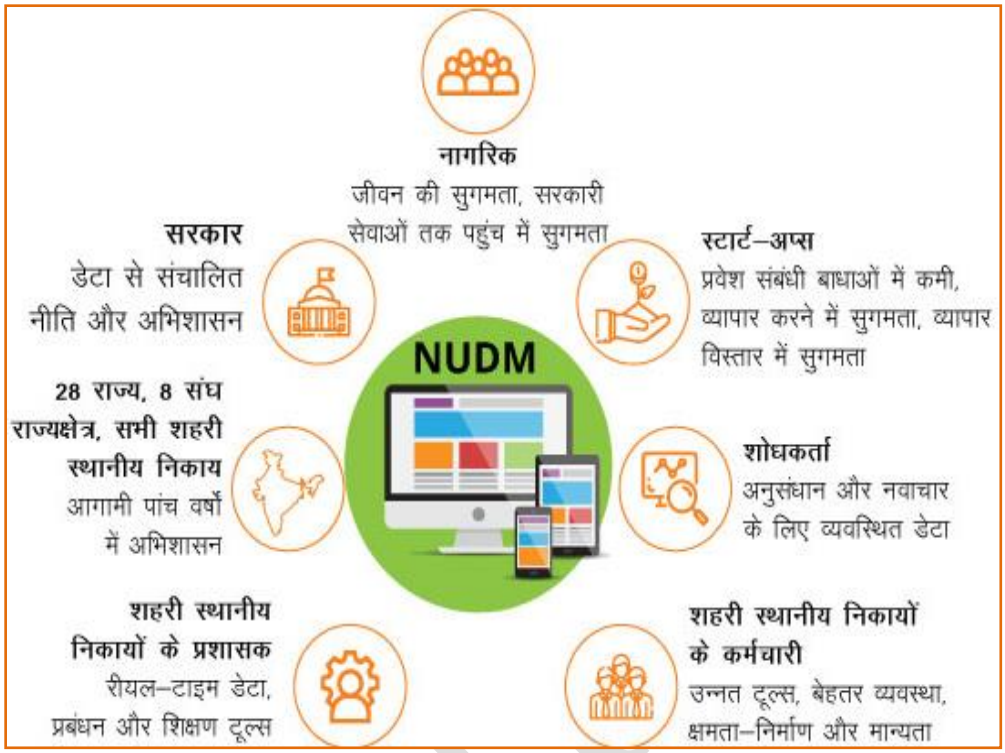

- राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (NUDM) का लक्ष्य शहरों और कस्बों को समग्र समर्थन प्रदान करने के लिए **लोगों, प्रक्रिया एवं प्लेटफॉर्म जैसे तीन स्तंभों पर कार्य करते हुए शहरी भारत के लिए साझा डिजिटल अवसंरचना का निर्माण करना है।**
  - **लोग:** शहरी पारितंत्र में हितधारकों को संगठित, सक्षम और सशक्त बनाना।
  - **प्रक्रियाएं:** मानकों के माध्यम से शासन में सुधार करना और सहयोग एवं प्रभाव के लिए रूपरेखा निर्धारित करना।
  - **प्लेटफॉर्म:** प्रत्येक नागरिक के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता प्रदान करने में प्रौद्योगिकी का उपयोग करना।
- यह वर्ष 2022 तक भारत के चुनिंदा शहरों में एवं वर्ष 2024 तक सभी शहरों तथा कस्बों में शहरी शासन और सेवा वितरण के लिए **नागरिक-केंद्रित व पारितंत्र-चालित दृष्टिकोण** को संस्थागत रूप प्रदान करेगा।
- **राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (NUDM) के उद्देश्य:**
  - NUDM का लाभ उठाकर नए प्लेटफॉर्मों, समाधानों और नवाचारों का निर्माण करने हेतु **शहरी राष्ट्रीय मुक्त डिजिटल पारितंत्र (urban National Open Digital Ecosystem: u-NODE) को प्रोत्साहित करना।**
  - **मुक्त मानकों** का निर्माण करना तथा सभी राष्ट्रीय डिजिटल शहरी हितधारकों के लिए **मुक्त मानकों के अंगीकरण को लागू करना।**
  - शहरी परिसंपत्तियों, सेवा वितरण, शहरी डेटा और अभिकर्ताओं के संबंध में तथ्य का एकल स्रोत सृजित करने के लिए **उचित स्तर पर रजिस्ट्रियां स्थापित करना।**
  - शहरी क्षेत्र के लिए सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals: SDGs) को प्राप्त करने पर विशेष ध्यान देते हुए राष्ट्रीय स्तर पर अनुकूलनयोग्य अनुप्रयोग प्रणाली (scalable application systems) के विकास को बढ़ावा देना।
  - इस दृष्टिकोण को साकार करने के लिए राज्यों, संघ राज्यक्षेत्रों और शहरी स्थानीय निकायों के साथ कार्य करते हुए **सहकारी संघवाद के सर्वोत्तम सिद्धांतों का अंगीकरण करना।**

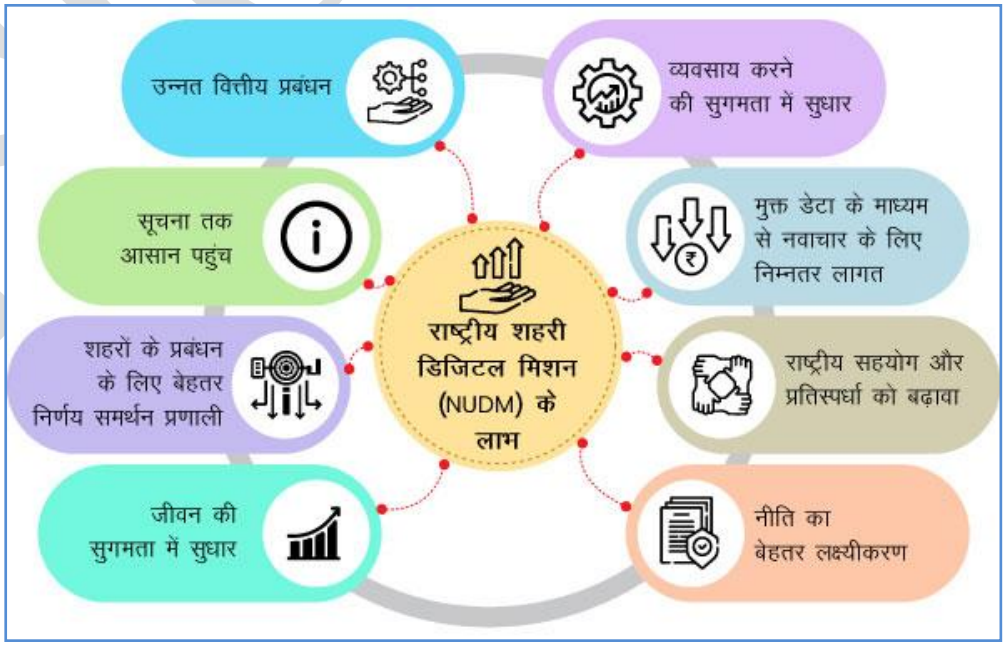

- सभी स्तरों पर **शासन की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के** लिए व्यवस्था प्रदान करना।

शहरी डिजिटल रूपांतरण के समक्ष चुनौतियां

- **विशेषज्ञता का अभाव:** निम्नस्तरीय संसाधन प्रबंधन योजना, डिजिटल प्रौद्योगिकी में सूचना प्रौद्योगिकी संसाधनों, विशेषज्ञता और कुशल जनशक्ति के अभाव की स्थिति व्याप्त है।
- **डेटा सुरक्षा:** डिजिटल प्रौद्योगिकियों के सफल एकीकरण के लिए सुरक्षा के स्तर में रूपांतरण करना अनिवार्य होता है, जो कि डिजिटल रूपांतरण की ओर अग्रसर कई संगठनों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती होती है।
- **अपर्याप्त निवेश:** शहरी क्षेत्रों में नीति को कार्यान्वित करने और संबंधित अवसंरचनात्मक कमी की पूर्ति के लिए अपर्याप्त निधि।
- **निम्नस्तरीय कनेक्टिविटी:** डिजिटल प्रौद्योगिकी प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ नहीं है। इससे शहरी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी की कमी जैसे कि **इंटरनेट का अभाव तथा स्थानीय भाषाओं में डिजिटल सेवाओं की अनुपलब्धता के कारण डिजिटल विभाजन का निर्माण होता है। साथ ही,** आबादी के विशाल हिस्से के पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है, जो व्यापक डिजिटल साक्षरता के सम्मुख एक बड़ा अवरोध है।
- विभिन्न विभागों के मध्य **समन्वय के अभाव की स्थिति** के कारण भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में रूपांतरित करने के लिए आवश्यक दूरदर्शिता की कमी है।

आगे की राह

- **नीति संबंधी रूपांतरण:** उच्च स्तर के राजनीतिक मंचों और स्मार्ट शहरों पर वैश्विक संवाद में **जनकेंद्रित संधारणीय एवं समावेशी डिजिटल संक्रमण** पर ध्यान केंद्रित करना तथा इसे मुख्यधारा में लाना महत्वपूर्ण नीतिगत विषय है।
- **डिजिटल शहरी नवाचार का वित्तपोषण:** विकासशील देशों, छोटे और मध्यम आकार के शहरों एवं जमीनी स्तर के शहरी समुदायों पर विशेष ध्यान देते हुए **जनकेंद्रित स्मार्ट शहरों के लिए निवेश व वित्तपोषण** में वृद्धि करना, ताकि सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धि में तेजी लाई जा सके।
- **डिजिटल सशक्तीकरण और क्षमता निर्माण:** डिजिटल प्रौद्योगिकियों के प्रति **जनकेंद्रित, निजता के संरक्षण एवं अधिकारों को संरक्षित करने के दृष्टिकोण को अपनाने के** लिए सभी स्तरों पर सरकारों की क्षमता में वृद्धि करना। इससे सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धि में समावेशन और संधारणीय शहरी विकास का लक्ष्य अर्जित किया जा सकेगा।
- **उचित अवसंरचना:** शहरी डिजिटल अवसंरचना के सतत विकास के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल की संभावनाओं का अन्वेषण करना चाहिए, जैसा कि सड़कों और मेट्रो जैसी नागरिक अवसंरचना परियोजनाओं के मामले में देखा गया है।
- **समावेशी विकास:** समावेशी विकास के लिए डेटा सुरक्षा, स्पष्ट विनियामक दिशा-निर्देश और शिक्षाविदों हेतु अधिकाधिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

3.6. आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (Periodic Labour Force Survey: PLFS)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (National Statistical Office: NSO) ने आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) पर तीसरी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के बारे में

- अपेक्षाकृत अधिक नियमित समय अंतराल पर श्रम बल डेटा की उपलब्धता के महत्व को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा अप्रैल 2017 में **आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS)** आरंभ किया गया था।
  - प्रथम वार्षिक रिपोर्ट (जुलाई 2017-जून 2018 के लिए) **मई 2019 में जारी की गई थी और दूसरी जून 2020 में जारी की गई थी।**
  - **तीसरी वार्षिक रिपोर्ट** को जुलाई 2019 से जून 2020 के दौरान आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के आधार पर जारी किया गया है।
- **आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के मुख्य रूप से दो उद्देश्य हैं:**
  - 'वर्तमान साप्ताहिक स्थिति' (Current Weekly Status: CWS) के आधार पर केवल शहरी क्षेत्रों हेतु तीन माह के अल्पकालिक अंतराल में **प्रमुख रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों** {जैसे कि श्रमिक जनसंख्या अनुपात (Worker Population Ratio: WPR), श्रम बल भागीदारी दर (Labour Force Participation Rate: LFPR), बेरोजगारी दर (Unemployment Rate: UR)} का अनुमान लगाना।
  - वार्षिक आधार पर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में **'सामान्य स्थिति (Usual Status)'** (प्रमुख कार्यकलाप की स्थिति + सहायक आर्थिक कार्यकलाप की स्थिति) तथा **'वर्तमान साप्ताहिक स्थिति' (CWS) दोनों के आधार पर रोजगार एवं बेरोजगारी संकेतकों का अनुमान लगाना।**

- आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) **कार्यबल को स्व-नियोजित** (जिसमें स्व-नियोजित श्रमिक, नियोक्ता और पारिवारिक उद्यमों में अवैतनिक सहायक शामिल हैं); **नियमित मजदूरी / वेतनभोगी श्रमिकों और नैमित्तिक / अनियत (casual) मजदूरों में वर्गीकृत करता है।**
- **स्व-नियोजित कामगारों द्वारा किसी श्रमिक को कार्य पर रखे बिना लघु उद्यमों का संचालन किया जाता है,** परन्तु वे परिवार के सदस्यों से सहायता ले सकते हैं, जबकि नियोक्ता द्वारा श्रमिकों को कार्य पर रखा जाता है।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के बारे में

- यह **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की एक सांख्यिकी स्कंध (statistics wing) है।**
- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (Central Statistical Office: CSO), कंप्यूटर केंद्र और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (National Sample Survey Officel: NSSO) शामिल हैं।
- **राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) को निम्नलिखित दायित्व सौंपे गए हैं:**
  - देश में सांख्यिकीय प्रणाली के सुनियोजित विकास के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना। सांख्यिकी के क्षेत्र में मापदंड और मानक निर्धारित तथा अनुरक्षित करना।
  - **राष्ट्रीय लेखा तैयार करना और साथ ही राष्ट्रीय उत्पाद के वार्षिक अनुमानों,** सरकारी और निजी उपभोग व्यय, पूंजी निर्माण, बचतों, पूंजीगत स्टॉक और स्थायी पूंजी के उपभोग के अनुमानों के साथ-साथ **राज्य स्तरीय सकल पूंजी निर्माण के अनुमानों को प्रकाशित** करना तथा वर्तमान मूल्यों पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद (SGDP) का तुलनीय अनुमान तैयार करना।
  - संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग (United Nations Statistical Division: UNSD), अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) इत्यादि जैसे **अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठनों के साथ संपर्क बनाए रखना।**
  - प्रत्येक माह 'त्वरित अनुमान' के रूप में **औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (Index of Industrial Production: IIP) को संकलित और जारी करना।**
  - **वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (Annual Survey of Industries: ASI)** आयोजित करना। साथ ही, संगठित विनिर्माण क्षेत्रक की संवृद्धि, गठन एवं संरचना में परिवर्तनों का आकलन व मूल्यांकन करने के लिए सांख्यिकीय जानकारी प्रदान करना।
  - **आवधिक अखिल भारतीय आर्थिक गणना** तथा अनुवर्ती उद्यम सर्वेक्षण (follow-up enterprise surveys) का आयोजन और **संचालन करना।**

प्रमुख संकेतकों की परिभाषा

श्रम बल भागीदारी दर (LFPR)	• इसे जनसंख्या में **श्रम बल में शामिल व्यक्तियों** (अर्थात् श्रमिक या कार्य करने के इच्छुक या कार्य के लिए उपलब्ध) **के प्रतिशत के** रूप में परिभाषित किया गया है।	
बेरोजगारी दर (UR)	• इसे **श्रम बल में शामिल व्यक्तियों में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत** के रूप में परिभाषित किया गया है।	
श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR)	• इसे जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है।	
कार्यकलाप की स्थिति	• किसी व्यक्ति के कार्यकलाप की स्थिति का निर्धारण **निर्दिष्ट संदर्भ अवधि के दौरान व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यकलापों के** आधार पर किया जाता है।	• **सामान्य स्थिति (Usual Status):** जब सर्वेक्षण की तिथि से ठीक पहले के 365 दिनों की संदर्भ अवधि के आधार पर कार्यकलाप की स्थिति का निर्धारण किया जाता है। • **वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS):** जब सर्वेक्षण की तिथि से ठीक पहले के सात दिनों की संदर्भ अवधि के आधार पर कार्यकलाप की स्थिति का निर्धारण किया जाता है। • **मुख्य कार्यकलाप की स्थिति:** ऐसे कार्यकलाप की स्थिति जिस पर किसी

		व्यक्ति ने सर्वेक्षण की तिथि से पहले 365 दिनों के दौरान अपेक्षाकृत लंबा समय (समय संबंधी मुख्य मानदंड) व्यतीत किया था।
		• **सहायक आर्थिक कार्यकलाप की स्थिति:** ऐसे कार्यकलाप की स्थिति, जिसमें किसी व्यक्ति ने अपने सामान्य प्रमुख कार्यकलाप के अतिरिक्त सर्वेक्षण की तिथि से ठीक पहले 365 दिनों की संदर्भ अवधि के दौरान 30 दिन या उससे अधिक समय तक कुछ आर्थिक कार्यकलाप किया था।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) संबंधी डेटा क्या इंगित करता है?

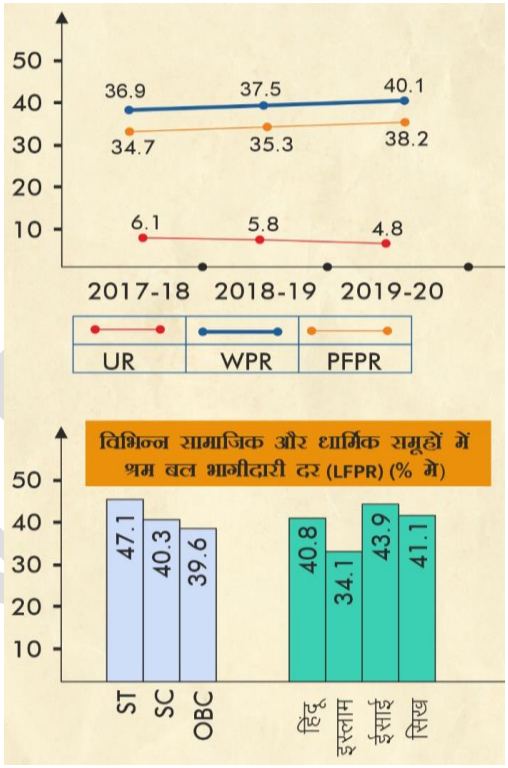

- **घटती बेरोजगारी दर:**
  - **आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS),** वर्ष 2017-18 और 2019-2020 के मध्य श्रम बल भागीदारी दर (Labour Force Participation Rate: LFPR) में वृद्धि के साथ-साथ बेरोजगारी दर में गिरावट को दर्शाता है, जबकि समान अवधि में अर्थव्यवस्था की वास्तविक संवृद्धि दर में गिरावट (7% से कम होकर 4.2%) आई है।
    - वर्ष 2019-20 में **बेरोजगारी दर (UR) घटकर 4.8% हो** गई थी। वर्ष 2018-19 में यह 5.8% और वर्ष 2017-18 में 6.1% थी।
    - **15-29 आयु वर्ग के युवाओं में बेरोजगारी दर (UR) 15% है।** इस आयु वर्ग में शहरी पुरुष और महिला बेरोजगारी दर क्रमशः **18.2% और 24.9%** के साथ और भी अधिक है।
  - यद्यपि श्रम बल में जनसंख्या की भागीदारी में वृद्धि हुई थी, परन्तु साथ ही उन लोगों की भागीदारी में और भी अधिक वृद्धि हुई थी जो कार्य की तलाश में सक्षम थे {श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR) द्वारा इंगित} जिसके परिणामस्वरूप बेरोजगारी की दर में कमी हुई।
    - **श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR)** वर्ष 2017-18 के 34.7% और वर्ष 2018-19 के 35.3% की तुलना में वर्ष 2019-20 में **बढ़कर 38.2%** हो गया।

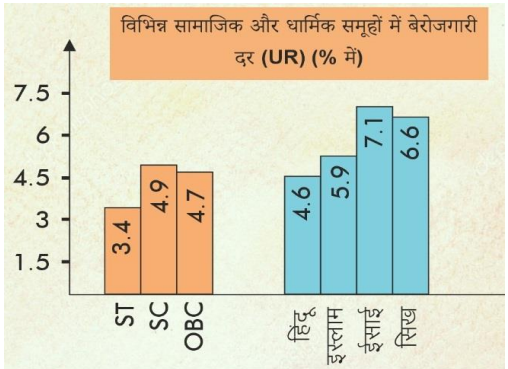

- **कृषि में संलग्न कार्यबल में वृद्धि:** कृषि में संलग्न कार्यबल का हिस्सा वर्ष 2018-19 के 42.5% से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 45.6% हो गया।
  - कार्यबल में लगभग संपूर्ण वृद्धि कृषि द्वारा समायोजित की गई थी। कृषि क्षेत्रक एक सिंक की भूमिका में अनवरत कार्य जारी रखते हुए ऐसे कार्यबल को अपने में समायोजित कर लेता है, जो कहीं और पारिश्रमिक सहित रोजगार प्राप्त नहीं कर पाता है।
  - **कृषि** में संलग्न ग्रामीण महिलाओं की हिस्सेदारी **71.1 प्रतिशत** (वर्ष 2018-19) से बढ़कर **75.7 प्रतिशत** (वर्ष 2019-20) हो गई है। साथ ही, इन महिलाओं को अवैतनिक पारिवारिक श्रमिकों की श्रेणी में अधिकाधिक नियोजित किया जा रहा है।
- **स्वरोजगार में वृद्धि:** 53.2% ग्रामीण परिवार और 30.7% शहरी परिवार स्व-रोजगार में संलग्न थे। ग्रामीण क्षेत्रों में केवल **12.9 प्रतिशत** परिवार (शहरी क्षेत्रों में **43.1 प्रतिशत** की तुलना में) नियमित वेतन/पारिश्रमिक अर्जन में संलग्न थे।
  - स्वयं को 'स्व-रोजगार/स्व-नियोजन' के रूप में रिपोर्ट करने वाले ग्रामीण परिवारों का अनुपात, विशेष रूप से गैर-कृषि में, नियमित मजदूरी अर्जन/वेतनभोगी परिवारों की तुलना में बढ़ा है।
  - कृषि क्षेत्रक में, अधिकांश वृद्धि अवैतनिक पारिवारिक सहायकों की श्रेणी के माध्यम से आ रही है।

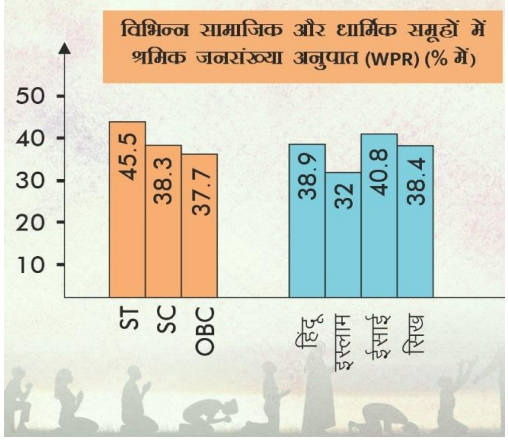

VISION

- **महिला भागीदारी:** आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS), **महिला श्रम बल भागीदारी दर में 5.5 प्रतिशत अंकों** (वर्ष 2018-19 से) **की तीव्र वृद्धि** दर्शाता है। इस तीव्र वृद्धि में अधिकांश हिस्सेदारी **ग्रामीण महिलाओं की बढ़ी हुई श्रम बल भागीदारी दर से प्रेरित है।**
- **लॉकडाउन का प्रभाव:** अप्रैल-जून 2020 में पुरुषों और महिलाओं के लिए श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) घटकर क्रमशः **55.5% और 15.5%** रह गई है। यह जनवरी-मार्च 2020 में क्रमशः 56.7% और 17.3% थी।
    - वर्ष-दर-वर्ष आधार पर, शहरी भारत में अप्रैल-जून 2020 की अवधि में 11.05 मिलियन रोजगारों की कमी देखी गई और ग्रामीण क्षेत्रों में 14.7 मिलियन रोजगारों की वृद्धि हुई है।
    - ग्रामीण क्षेत्रों (8.7% से 12.2%) की तुलना में **शहरी क्षेत्रों (8.9% से 20.8%) में बेरोजगारी दर अधिक तेजी से बढ़ी है।**
    - लॉकडाउन के दौरान स्वरोजगार सबसे अधिक प्रभावित हुए थे, जबकि नियमित वेतनभोगी श्रमिकों को केवल ग्रामीण क्षेत्रों में दबाव का सामना करना पड़ा था।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) से संबद्ध मुद्दे

- बेरोजगारी दर (UR) के विश्वसनीय आकलन के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रतिदर्श आमाप (सैंपल साइज़) की तुलना में वर्तमान में सैंपल साइज़ बहुत विस्तृत है।
- आमतौर पर, UR **सामान्य स्थिति** पर आधारित होता है। परन्तु यह दृष्टिकोण न तो वैश्विक मानदंड (ILO द्वारा अनुसरित), न ही निजी क्षेत्र के मानदंड {जैसे- भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र (Centre for Monitoring Indian Economy: CMIE)} के साथ तुलनीय है।
    - हालांकि, वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (CWS) वैश्विक मानदंड के निकट है, क्योंकि CWS में मेमोरी रिकॉल अत्यधिक उन्नत है। CWS दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए, UR 8.8% होने का अनुमान लगाया गया था, जो विगत तीन वर्षों के दौरान अपरिवर्तित रहा।
    - जब अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि प्रधान थी, तब **सामान्य स्थिति** अधिक समझ में आती थी। वर्तमान में अधिक से अधिक लोग ऐसी नौकरियों में हैं जहाँ एक वर्ष तक लगातार रोजगार में रखने के सामान्य नियम का अनुपालन नहीं होता है।

3.7. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (Micro, Small & Medium Enterprises: MSMEs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत सरकार ने **थोक एवं खुदरा व्यापारों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के रूप में सम्मिलित करने के लिए नए दिशा-निर्देशों की घोषणा** की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इन नए दिशा-निर्देशों के तहत **थोक और खुदरा उद्यम, उद्यम पोर्टल पर अपना पंजीकरण करने के लिए पात्र** होंगे।
    - इस पोर्टल का उद्देश्य MSME श्रेणी के अंतर्गत पंजीकरण करने वाले उद्यमों को एकल पेज पंजीकरण, कम समय में पंजीकरण और पंजीकरण की सरल प्रक्रिया जैसी सुविधाएं प्रदान करना है।
- थोक और खुदरा व्यापारी अब भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा वर्गीकृत **प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों के अंतर्गत वित्त के लिए पात्र** होंगे।
    - हालांकि, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वित्त के लिए पात्र होने के चलते **थोक और खुदरा उद्यम,** लघु व्यवसायों को सरकार द्वारा प्राप्त किसी भी अन्य **लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।**
- पहले भी थोक और खुदरा व्यापार गतिविधियों को MSMEs की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था, **लेकिन इसे वर्ष 2017 में इस श्रेणी में बाहर कर दिया गया था, क्योंकि वे विनिर्माण गतिविधि को पूरा नहीं कर पाते थे।**

पृष्ठभूमि

- **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (Micro, Small & Medium Enterprises Development: MSMED) अधिनियम, 2006** के पश्चात् सरकार ने अलग-अलग गतिविधियों में निवेश के आधार पर MSMEs को औपचारिक तौर पर परिभाषित किया था। (इन्फोग्राफिक देखें)
- **भारत में MSMEs का महत्व:**
    - ये देश के **सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 30%; विनिर्माण उत्पादन का 45% और कुल निर्यात में लगभग 40%** का योगदान करते हैं।
    - भारत में लगभग **6.3 करोड़ MSMEs हैं, जिनमें 110 मिलियन लोग नियोजित हैं।**

MSMEs को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार द्वारा हालिया प्रयास

- **MSMEs की नई परिभाषा:**
  - वर्ष 2020 में, **सरकार ने MSMEs की परिभाषा को संशोधित किया है, ताकि उन्हें अपना संवर्धन करने के प्रति विश्वस्त किया जा सके।**
  - पहले, सफल **MSMEs को इस बात का** भय रहता था कि यदि वे **MSMEs** के रूप में निर्धारित आर्थिक आकार से अपने आकार को बढ़ा/संवर्धित कर लेते हैं, तो उन्हें **MSMEs के तहत प्राप्त** होने लाभ समाप्त हो जाएंगे। इसलिए **MSMEs अपना संवर्धन करने के बजाय निर्धारित आर्थिक आकार के तहत ही अपने परिचालन को प्राथमिकता देते थे।**

MSME हेतु पूर्व में प्रचलित वर्गीकरण

संयंत्र और मशीनरी उपकरण में निवेश हेतु मानदंड			
वर्गीकरण	सूक्ष्म	लघु	मध्यम
विनिर्माण उद्यम	निवेश < 25 लाख रुपये	निवेश < 5 करोड़ रुपये	निवेश < 10 करोड़ रुपये
सेवा उद्यम	निवेश < 10 लाख रुपय	निवेश < 2 करोड़ रुपये	निवेश < 5 करोड़ रुपये

MSME हेतु संशोधित नवीन वर्गीकरण

समग्र मानदंड: निवेश और वार्षिक कारोबार (टर्नओवर)			
वर्गीकरण	सूक्ष्म	लघु	मध्यम
विनिर्माण और सेवा उद्यम	निवेश < 1 करोड़ रुपये और; टर्नओवर < 5 करोड़ रुपये	निवेश < 10 करोड़ रुपये और; टर्नओवर < 50 करोड़ रुपये	निवेश < 20 करोड़ रुपये और; टर्नओवर <100 करोड़ रुपये

- **नई परिभाषा** के अंतर्गत:
  - **विनिर्माण और सेवा उद्यमों के मध्य का अंतर समाप्त** कर दिया गया है।
  - ऐसे उद्यमों के लिए **निवेश संबंधी सीमा को संशोधित कर बढ़ा दिया गया** है, हालांकि **टर्नओवर का एक अतिरिक्त मानदंड शमिल किया गया** है।
- **ऋण उपलब्धता में सुधार:** वित्त मंत्रालय ने **आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (Emergency Credit Line Guarantee Scheme: ECLGS) को तीन महीने के लिए सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया है।** इससे कोविड-प्रभावित MSMEs पूर्ण रूप से गारंटीकृत और संपार्श्विक-रहित अतिरिक्त ऋण प्राप्त करने में सक्षम हो पाएंगे।
  - हाल ही में, **ECLGS का विस्तार 1.5 लाख करोड़ रुपये तक कर दिया गया है, जिससे स्वीकार्य गारंटी (admissible guarantee) की कुल सीमा 3 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 4.5 लाख करोड़ रुपये हो गई है।**
- **विलंबित भुगतानों का समाधान करना:** हाल ही में, **संसद ने फैक्टर विनियमन (संशोधन) विधेयक {Factoring Regulation (Amendment) Bill} पारित किया है, जिसके द्वारा MSMEs को,** विशेष रूप से ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS) के माध्यम से, **ऋण सुविधा प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त अवसर प्रदान करने में सहायता प्रदान की जाएगी।** इसके परिणामस्वरूप निधि की लागत में कमी आएगी और समय पर भुगतान सुनिश्चित करते हुए लघु व्यवसायों तक वृहत्तर पहुंच संभव हो पाएगी।
  - **TReDS एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है,** जहां खरीदारों {बड़े कॉर्पोरेट्स, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs), सरकारी विभागों} पर आहरित MSMEs के प्राप्तव्य (ऋणप्रदाता द्वारा वापस ली जाने वाली राशि) को प्रतिस्पर्धी दरों पर विभिन्न वित्तदाताओं के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है। दूसरे शब्दों में, MSMEs से वस्तु आदि खरीदने वाले {जैसे- बड़े कॉर्पोरेट्स, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSUs), सरकारी विभाग आदि} बकाया या बाद में भुगतान की जाने वाली राशि के संबंध में उन्हें (MSMEs) एक दस्तावेज देते हैं। ऐसे दस्तावेज को MSMEs इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से दूसरे वित्तदाता को बट्टे पर बेचकर मुद्रा संबंधी अपनी तत्कालीन आवश्यकता को पूर्ण करते हैं।

- यह **MSME समाधान पोर्टल** के अतिरिक्त है। **MSME समाधान पोर्टल के माध्यम से संपूर्ण देश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों को केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों / केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (Central Public Sector Enterprises: CPSEs) / राज्य सरकारों द्वारा विलंबित भुगतान से संबंधित अपने मामले प्रत्यक्ष रूप से दर्ज कराने हेतु सशक्त किया जाता है।**

- **शिकायत निवारण और MSMEs की सहायता** सहित ई-गवर्नेंस के विभिन्न पहलुओं को कवर करने के लिए **"चैंपियंस"** नामक एक **पोर्टल** आरंभ किया गया है।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के माध्यम से **MSMEs के लिए वैश्विक स्तर का बाजार।**
  - मंत्रालय द्वारा अपने MSME-विकास संस्थानों (Development Institutes: DIs) के माध्यम से MSMEs को घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (Domestic Tariff Area) और विशेष आर्थिक क्षेत्र (Special Economic Zone) से **निर्यात करने की सुविधा प्रदान की जाती है।**
  - **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना (International Cooperation Scheme)** को वैश्विक बाजार में अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए **अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों,** व्यापार मेलों आदि **में MSMEs की भागीदारी को सुविधा प्रदान करने के लिए** कार्यान्वित किया गया है।

MSMEs द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां

- **कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रभाव:**
  - **खादी और ग्रामोद्योग आयोग (Khadi and Village Industries Commission: KVIC)** द्वारा किए गए एक **अध्ययन से पता चला है कि वैश्विक महामारी से प्रभावित MSMEs में से 50% से अधिक बंद हो गए और उनके उत्पादन एवं राजस्व में गिरावट दर्ज की गई।**
  - विभाग से संबंधित **उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने अपनी एक रिपोर्ट में उल्लेख किया कि** सरकार द्वारा घोषित **प्रोत्साहन पैकेज "अपर्याप्त" है,** क्योंकि ये उपाय तत्काल राहत उत्पन्न करने के लिए नकदी प्रवाह में सुधार करने के बजाय ऋण प्रदान करने वाले और दीर्घकालिक थे।
  - वैश्विक महामारी के दौरान MSMEs को भुगतान में देरी, उच्च अनौपचारिकता, निम्न वित्तीय लचीलापन, कच्चे माल की उपलब्धता में कमी आदि जैसी अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ा।
- **अवसंरचना संबंधी बाधाएं:** MSME क्लास्टरों, विशेष रूप से **सूक्ष्म उद्यमों द्वारा** नई तकनीकों, भुगतान के डिजिटल माध्यमों आदि जैसी **आवश्यक सहायता प्रणालियों का पर्याप्त रूप से उपयोग नहीं किया जाता है।**
  - यह उन्हें **अधिकांश सरकारी योजनाओं,** जो अधिकतर डिजिटल अवसंरचना पर आधारित होती हैं, **का लाभ प्राप्त करने में असमर्थ बनाता है।** इसलिए लाभार्थियों की किसी प्रकार की डिजिटल पहचान और उपस्थिति अनिवार्य होती है।
- **सीमित पूंजी और ज्ञान:** अधिकांश MSMEs के मालिक शिक्षा से वंचित और निर्धनता प्रभावित क्षेत्रों से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त, भारत के MSME क्षेत्रक प्राय: सामान ऋण संबंधी योग्यता का लाभ नहीं प्राप्त कर पाते हैं क्योंकि अनेक MSME मालिकों के नाम कोई परिसंपत्ति नहीं होती है।
- **उपयुक्त प्रौद्योगिकी की अनुपलब्धता:** सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी शिक्षा, ज्ञान और सूचना तक सीमित पहुंच से इस क्षेत्रक के विकास में बाधा पहुंच रही है, जो मंद उत्पादन प्रक्रिया और उत्पाद की अपर्याप्त गुणवत्ता के रूप में परिणत हो रही है।
- **श्रम संबंधी चुनौतियां:** कुशल कार्यबल और श्रम विधि के अनुपालन के संबंध में MSMEs को अत्यधिक विसंगतियों का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, किफायती लागत पर कुशल कार्यबल की अनुपलब्धता से MSME क्षेत्रक की समस्याओं में वृद्धि हो रही है।
- **अन्य चुनौतियां:** इसमें अप्रभावी विपणन रणनीति; आधुनिकीकरण और विस्तार आदि से संबंधित अवरोध सम्मिलित हैं।

आगे की राह

- **उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति:** इसने वैश्विक महामारी के दौरान **MSMEs का समर्थन करने के लिए** निम्नलिखित अनुशंसाएं की हैं:
  - MSMEs सहित अर्थव्यवस्था की सहायता के लिए मांग, निवेश, निर्यात और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक वृहद आर्थिक पैकेज।
  - MSMEs को 3-4% की न्यूनतम ब्याज दर पर सुलभ ऋण (Soft loans) प्रदान करना।
  - MSME क्षेत्रक को हुई वास्तविक हानि का आकलन करने के लिए विस्तृत अध्ययन करना।
  - नई रोजगार नीति के निर्माण के साथ-साथ राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक रोजगार कार्यालय की स्थापना करना।
- **सरलीकृत ऋण प्रक्रिया एवं आकलन:** लघु उद्योग पर **नायक समिति** की सिफारिशों के आधार पर सरलीकृत आकलन के साथ सभी आवेदन ऑनलाइन किए जाने चाहिए।

- **वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ MSME क्षेत्रक का एकीकरण:** वैश्विक मूल्य श्रृंखला (Global Value Chains: GVC) का एक भाग होने से MSMEs गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने में सक्षम होंगे, जिनकी वैश्विक बाजार में अधिक स्वीकार्यता होगी।
    - नैसकॉम (NASSCOM), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (United Nations Development Programme: UNDP) और अन्य द्वारा निर्मित ग्लोबल भारत कार्यक्रम (Global Bharat program) भारतीय **MSMEs** को डिजिटल प्रौद्योगिकियों से सुसज्जित कर **वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने** में सक्षम बनाने हेतु डिज़ाइन किया गया है। यह भारतीय MSMEs का विश्व के साथ एकीकरण की दिशा में प्रयास है।
- **ऋणदाताओं का फिनटेक कंपनियों के साथ सहयोग:** फिनटेक (FinTech) कंपनियों के उद्भव ने डेटा स्रोतों का उपयोग कर MSMEs की ऋण संबंधी योग्यता का आकलन करना संभव बना दिया है, जैसे कि डिजिटल लेनदेन निगरानी आदि। इसका उपयोग MSMEs को ऋण प्रदान करने के लिए त्वरित ऋण जोखिम अंकन (credit underwriting) के लिए किया जा सकता है।
- **उद्यमों और उद्यमिता के लिए केंद्रीय अनुसंधान संस्थान:** राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार के संस्थान द्वारा उद्यमियों की संवृद्धि एवं कौशल सम्मुचय के विकास और प्रसार हेतु अनुकूल परिवेश को बढ़ावा दिया जा सकता है।

3.8. लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक (Logistics Sector)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के लॉजिस्टिक्स डिवीजन ने **'फ्रेट स्मार्ट सिटीज'** के लिए योजनाओं का अनावरण (या उद्घाटित) किया है।

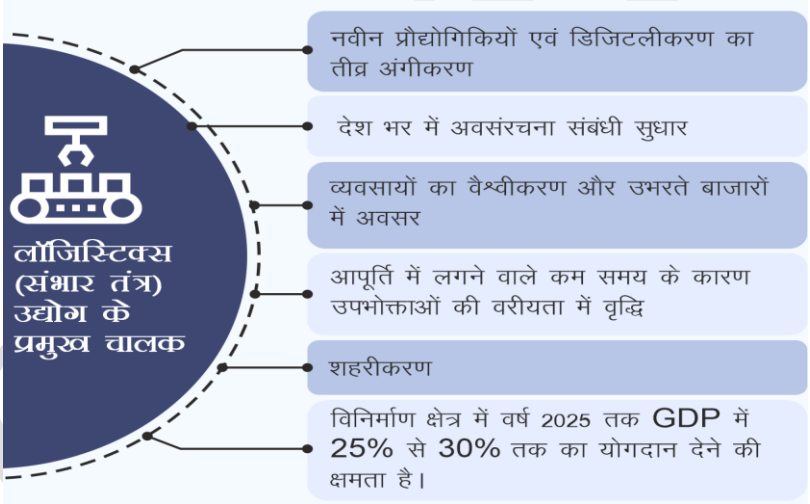

अन्य संबंधित तथ्य

- आरंभ में फ्रेट स्मार्ट सिटी के रूप में **10 शहरों को विकसित किया जाएगा।** इसके अतिरिक्त, सरकार, निजी हितधारकों जैसे कि लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाताओं, उपयोगकर्ताओं और नागरिकों को सम्मिलित करते हुए **एक संस्थागत तंत्र स्थापित किया जाएगा।**
- **शहरी माल ढुलाई प्रणाली में सुधार करने के लिए,** उपायों को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है, यथा- वाहन उपयोग को ईष्टतम करना, अवसंरचना का विकास, मांग और भूमि उपयोग योजना और प्रौद्योगिकी अंगीकरण।

भारत में लॉजिस्टिक्स उद्योग

- सामान्य रूप से परिभाषित करें तो, लॉजिस्टिक्स में **विनिर्माण प्रक्रिया के पूर्ण होने से आरंभ होकर उपभोग के लिए वितरण करने तक** व्यापार, परिवहन और वाणिज्य के सभी पहलू सम्मिलित होते हैं।
- वर्तमान में, **परिवहन को सर्वाधिक महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक गतिविधि माना जाता है,** जो लॉजिस्टिक्स लागत का लगभग 50-60% है। इसके बाद भंडारण (माल को गोदामों में रखना) का स्थान आता है। (इन्फोग्राफिक देखें)
- भारत में **लॉजिस्टिक्स** उद्योग का आकार 215 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है।
    - यह **22 मिलियन से अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करता है** और इस क्षेत्रक में सुधार से अप्रत्यक्ष लॉजिस्टिक्स लागत में 10% की कमी आएगी जिससे **निर्यात में 5 से 8% की वृद्धि होगी।**

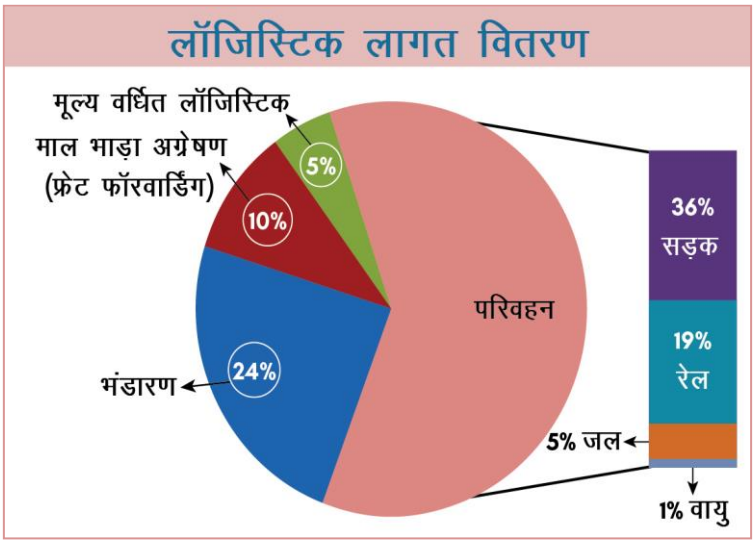

- **वर्ष 2019 और वर्ष 2025 के मध्य** भारत में लॉजिस्टिक्स बाजार में **10.5% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (Compound Annual Growth Rate: CAGR) से बढ़ोतरी होने का अनुमान** है।
- **भारतीय माल ढुलाई क्षेत्रक के लिए** बढ़ता निवेश और व्यापार **एक सकारात्मक परिदृश्य को इंगित** करते हैं।
  - वर्ष 2022 तक **बंदरगाह की क्षमता** में 5% से 6% की CAGR से वृद्धि होना अपेक्षित है।
  - **भारतीय रेलवे** का लक्ष्य अपनी माल ढुलाई क्षमता को वर्ष 2017 के 1.1 बिलियन टन से बढ़ाकर वर्ष 2030 में 3.3 बिलियन टन करना है।
  - भारत में वित्त वर्ष 2040 तक **हवाई अड्डों पर माल ढुलाई क्षमता** 17 मिलियन टन तक पहुंचने की संभावना है।

भारतीय लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक की चुनौतियां

- **अवसंरचना:** अवसंरचना चुनौतियां **अपर्याप्त एवं निम्न-गुणवत्ता** वाले मॉडल में और टर्मिनल परिवहन अवसंरचना, कार्गो तथा कंटेनरों के लिए **अक्षम और अकुशल डिजाइन** वाली भंडारण सुविधाओं आदि में परिलक्षित होती हैं। परिवहन के विभिन्न माध्यमों की प्रमुख अवसंरनात्मक बाधाओं के लिए इंफोग्राफिक देखें।
- **उप-इष्टतम मॉडल मिश्रण (Suboptimal modal mix):** एक **व्यवस्थित और समग्र दृष्टिकोण के अभाव में,** परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग **विषम (60% परिवहन गतिविधियां सड़क के माध्यम से होती हैं) और अक्षम** बना हुआ है।
- **उच्च लॉजिस्टिक्स लागत:** वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के एक अनुमान के अनुसार, वर्तमान में **देश अपने सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 14% लॉजिस्टिक्स पर व्यय करता है** जो जापान (11%) और संयुक्त राज्य अमेरिका (9-10%) की तुलना में बहुत अधिक है।
- **विसंगत एवं असंगठित क्षेत्रक:** लॉजिस्टिक्स उद्योग अत्यधिक विसंगत बना हुआ है और इसमें **1,000 से अधिक सक्रिय अभिकर्ता सम्मिलित हैं।** इसमें वृहद पैमाने पर घरेलू अभिकर्ता, वैश्विक अभिकर्ताओं की अग्रणी संस्थाएं, सरकारी डाक सेवा की एक्सप्रेस शाखा और ई-कॉमर्स डिलीवरी में विशेषज्ञता वाले उभरते स्टार्ट-अप सम्मिलित हैं।
  - इसके अतिरिक्त, 215 अरब डॉलर के भारतीय लॉजिस्टिक्स बाजार का **केवल 10-15 प्रतिशत ही संगठित अभिकर्ताओं के स्वामित्व में है।**
- **कुशल कार्यबल का अभाव:** इस क्षेत्रक में अपर्याप्त प्रशिक्षण एवं उचित नेतृत्व तथा समर्थन के अभाव के कारण कुशल कार्यबल की अनुपलब्धता है। व्यावहारिक कौशल तथा परिचालन और तकनीकी प्रशिक्षण के लिए सीमित संस्थान हैं। साथ ही, कार्य करने की निम्नस्तरीय दशाएं और कम वेतनमान (असंगठित प्रकृति) के कारण कुशल कर्मी इस क्षेत्रक में संलग्न होने को प्राथमिकता नहीं देते हैं।
- **नई तकनीकी का मंद अंगीकरण:** डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग से संबंधित आर्थिक लाभों के बारे में जागरूकता का अभाव है और हितधारकों के मध्य सहयोग का स्तर भी संतोषजनक नहीं है। परिणामस्वरूप, लॉजिस्टिक्स पारितंत्र **परिचालन अक्षमताओं और परिसंपत्तियों के निम्नस्तरीय उपयोग** से ग्रस्त है।
- **विनियमकीय बाधाएं: भूमि अधिग्रहण** और चकबंदी संबंधी बाधाएं, विभिन्न विनियामक एजेंसियों के मध्य **निम्नस्तरीय समन्वय** और **अनुपालन में पारदर्शिता का अभाव** प्रमुख बाधाएं बनी हुई हैं।
- **व्यापक निवेश:** लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक को वाहनों, कुशल कार्यबल और गोदामों आदि जैसे संसाधनों के लिए अत्यधिक निवेश की आवश्यकता होती है। लॉजिस्टिक एक **उच्च लागत और लागत की तुलना निम्न प्रतिफल** वाला व्यवसाय है। साथ ही, परिचालन संबंधी उच्च लागत और **विविध दस्तावेज़ीकरण संबंधी अनिवार्यताओं** के अनुपालन में होने वाले विलंब से यह व्यवसाय अनाकर्षक बनता है।
- **संधारणीयता उपायों के प्रति अल्प जागरुकता:** भारत में बहुत कम लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाता पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शित करते हैं और अपने परिचालन में पुन: प्रयोज्य और पुनः चक्रित करने योग्य पैलेट, पर्यावरण के अनुकूल वाहनों और हरित प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं।

लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक (Logistics performance Index: LPI)

- वर्ष 2018 में, भारत **लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में 44वें स्थान पर** था। यह एक मापक है जिसके माध्यम से **विश्व बैंक द्वारा देशों को** उनके लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन के आधार पर **रैंकिंग प्रदान की जाती है।**
- निम्नलिखित **छह प्रमुख आयामों** के आधार पर देश के स्कोर का भारांश औसत ज्ञात कर LPI में रैंकिंग की जाती है:
  - सीमा शुल्क सहित सीमा नियंत्रण एजेंसियों द्वारा समाशोधन प्रक्रिया की **दक्षता** (अर्थात् गति, सरलता और औपचारिकताओं की पूर्वानुमेयता);
  - व्यापार और परिवहन संबंधी **अवसंरचना** की गुणवत्ता (जैसे- बंदरगाह, रेलमार्ग, सड़कें, सूचना प्रौद्योगिकी);
  - **प्रतिस्पर्धी मूल्य वाले शिपमेंट** की व्यवस्था करने की सुगमता;
  - लॉजिस्टिक्स सेवाओं की **क्षमता और गुणवत्ता** (जैसे- परिवहन परिचालक, सीमा शुल्क प्रबंधक);
  - **प्रेषित माल (consignments) को ट्रैक और ट्रेस करने** की क्षमता; तथा
  - निर्धारित या अपेक्षित डिलीवरी समय के भीतर गंतव्य तक पहुंचने में शिपमेंट की **समयबद्धता।**

उठाये गए कदम

- **लॉजिस्टिक क्षेत्रक को अवसंरचना का दर्जा प्रदान करना:** यह निर्यातकों को प्रतिस्पर्धी दरों पर और दीर्घावधि के आधार पर **ऋण प्रदान** करने में सहायता करता है, जिससे **लॉजिस्टिक संबंधी लागतें कम होती हैं।**
- **GST का लागू होना:** बहुस्तरीय **वस्तु और सेवा कर (GST)** के एकीकरण ने भारत की अप्रत्यक्ष कराधान प्रणाली को **एकीकृत** कर दिया है और परिवहन परिचालकों के लिए **वृहद्तर आकारिक मितव्ययिता** को संभव किया है।
  - **GST व्यवस्था के अंतर्गत ई-वे बिल** (ऑनलाइन सृजित दस्तावेज) द्वारा **माल का वाहनों में इष्टतम रूप से लोड करना, शिपमेंट ट्रैकिंग, परिचालन में पारदर्शिता और उनकी सेवाओं की समग्र गुणवत्ता में सुधार** कर लॉजिस्टिक फर्मों की सहायता की जा रही है।
  - सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (वर्ष 2017) के आंकड़े इंगित करते है कि ट्रक प्रतिदिन **औसतन 300-325 कि.मी. की दूरी तय कर रहे हैं, जबकि GST लागू होने से पूर्व प्रतिदिन औसतन 225 कि.मी. दूरी** तय कर रहे थे।
- **लॉजिस्टिक्स डिविजन का सृजन:** वाणिज्य विभाग में लॉजिस्टिक्स डिवीजन/संभारतंत्र प्रभाग का सृजन **भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961** में संशोधन के परिणामस्वरूप किया गया था, जिसके द्वारा वाणिज्य विभाग को **"लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक के एकीकृत विकास"** का कार्य आवंटित किया गया था।
  - लॉजिस्टिक्स डिवीजन ने **सूचना प्रौद्योगिकी आधार का सृजन करने और एक राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स सूचना पोर्टल विकसित करने की योजना** निर्मित की है। यह एक ऑनलाइन लॉजिस्टिक्स मार्केटप्लेस/बजारस्थल भी होगा और इसके द्वारा विभिन्न हितधारकों को एक मंच पर एक साथ लाने का कार्य भी किया जाएगा।
- **लॉजिस्टिक्स अवसंरचना के लिए एकीकृत दृष्टिकोण:** इस दिशा में महत्वपूर्ण पहलों में **भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 35 मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क (MMLPs)** का नियोजित विकास, **सागरमाला परियोजना** के अंतर्गत अनेक बंदरगाह कनेक्टिविटी परियोजनाएं, अंतर्देशीय टर्मिनलों के साथ राष्ट्रीय जलमार्गों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करना और देश के प्रमुख क्लस्टरों में विभिन्न **औद्योगिक और समर्पित माल-ढुलाई गलियारे** की योजना निर्मित की जा रही है।
- **लॉजिस्टिक ईज़ अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स (LEADS) इंडेक्स:** यह **उपयोगकर्ताओं और हितधारकों के अनुभव** के आधार पर राज्य स्तर पर लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक में प्रदर्शन की आधार-रेखा स्थापित करने का एक प्रयास है। यह सूचकांक अवसंरचना, लॉजिस्टिक्स की गुणवत्ता, सेवाओं, कार्गो डिलीवरी की समयबद्धता, विनियामक प्रक्रिया और कार्गो की सुरक्षा सहित **9 मापदंडों के संबंध में अनुभव के विश्लेषण पर आधारित** है।
- **राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार:** इन पुरस्कारों का उद्देश्य **शीर्ष प्रदर्शनकर्ताओं की पहलों और उपलब्धियों को उजागर करके** लॉजिस्टिक्स में **सर्वोत्तम प्रथाओं को लोकप्रिय बनाकर** भारतीय लॉजिस्टिक क्षेत्रक के **सुनियोजित रूपांतरण** को प्रोत्साहित करना है।
- **प्रस्तावित राष्ट्रीय लॉजिस्टिक विधि:** वर्तमान में हितधारकों के साथ परामर्श कर **"एक राष्ट्र-एक बाजार" एजेंडा** का समर्थन करने वाले **"एक राष्ट्र-एक अनुबंध" के प्रतिमान** (सभी माध्यमों के लदान हेतु एकल बिल) के लिए एकीकृत विधिक रूपरेखा के माध्यम से एक कुशल विनियामक परिवेश प्रदान किया जाएगा।
- **राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का प्रारूप:** इसका उद्देश्य देश भर में **माल की निर्बाध आवाजाही को बढ़ावा देना** है और यह अंतिम चरण में है। इसमें प्रोग्रामेटिक हस्तक्षेप के निम्नलिखित पांच स्तंभ हैं:

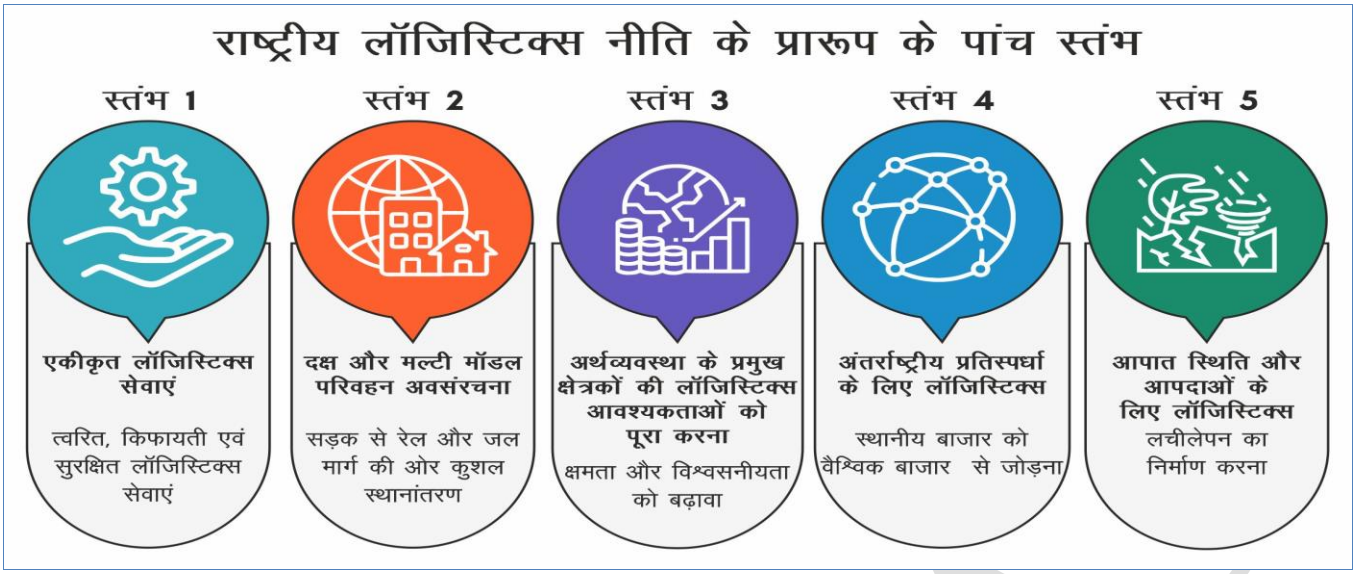

3.9. भारतीय पोत परिवहन उद्योग (Indian Shipping Industry)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में **वाणिज्यिक पोतों की रजिस्ट्री (Flagging in merchant ships)** की एक योजना को अनुमोदित किया है। साथ ही, संसद ने **नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता विधेयक (Marine Aids to Navigation Bill), 2021** पारित किया है।

अर्थव्यवस्था में पोत परिवहन उद्योग की क्या भूमिका है?

भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में, पोत परिवहन द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था के परिवहन क्षेत्रक में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया जाता है।

- **परिमाण (वॉल्यूम) के आधार पर देश का लगभग 95 प्रतिशत व्यापार** (मूल्य की दृष्टि से 70 प्रतिशत) समुद्र के माध्यम से होता है।
- **लगभग 7,517 कि.मी. के समुद्र तट और 12 प्रमुख पत्तनों एवं 187 लघु पत्तनों** के साथ, भारत में भविष्य में पोत परिवहन और ट्रांस शिपमेंट के लिए एक संभावित प्रमुख गंतव्य बनने की क्षमता विद्यमान है।
- इस उद्योग के विभिन्न लाभ हैं, जैसे- **वृहद माल-ढुलाई परिवहन क्षमता, लागत प्रभावी, पर्यावरण के प्रति अनुकूल, तटीय क्षेत्रों में रोजगार** सृजित करने की क्षमता आदि।
- अर्थव्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण निम्नलिखित क्षेत्रों में पोत परिवहन उद्योग द्वारा केंद्रीय भूमिका का निर्वहन किया जाता है:
  - भारत द्वारा प्रतिवर्ष पोत परिवहन मार्ग से (मुख्यतः खाड़ी देशों, मलेशिया और नाइजीरिया से) **लगभग 40 मिलियन टन कच्चे तेल और 20 मिलियन टन उत्पादों का आयात किया जाता है।**
  - भारत से पूर्वी एशिया में **लौह अयस्क का निर्यात।**
  - ऑस्ट्रेलिया से विशाखापत्तनम, पारादीप और हल्दिया तक **कोकिंग कोल का आयात।**
  - अन्य आयात जैसे कि उर्वरक सामग्री, सीमेंट की आवाजाही लघु बंदरगाहों के माध्यम से होती है। साथ ही, पोत परिवहन उद्योग द्वारा घरेलू उद्योगों के लिए अन्य लॉजिस्टिक संपर्क भी प्रदान किए जाते हैं।

हालिया प्रावधानों को जानने के लिए महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्द

- **राष्ट्रीय रजिस्ट्री** में जल पोत (vessel) को शामिल करने की प्रक्रिया को **'फ्लैगिंग इन'** कहा जाता है (इसके विपरीत, पोतों को राष्ट्रीय रजिस्ट्री से हटाने की प्रक्रिया को 'फ्लैगिंग आउट' कहते हैं)। प्रत्येक वाणिज्य पोत को किसी देश में पंजीकृत होना विधिक रूप से अनिवार्य होता है।

- **लाइटहाउस या प्रकाश स्तंभ,** एक **टॉवर जैसी संरचना होती** है, जिसे समुद्री तटीय नौपरिवहन में सहायता हेतु, नाविकों को खतरों की चेतावनी देने, उनकी अवस्थिति बताने के लिए और उन्हें उनके गंतव्य तक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए अपतटीय क्षेत्र या समुद्री तल पर स्थापित किया जाता है।
- **पहले इनकार का अधिकार (Right of First Refusal: ROFR):** यह भारतीय पोत परिवहन कंपनियों को कार्गो आयात में L1 (सबसे कम बोली लगाने वाले) से बोली की बराबरी करने का अवसर प्रदान करने के लिए सरकार का एक नीतिगत उपाय है।

वाणिज्य पोतों के संचालन को बढ़ावा देने की योजना

यह कार्गो आयात के लिए वैश्विक निविदाओं में मंत्रालयों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (Central Public Sector Enterprises: CPSEs) द्वारा घरेलू पोत परिवहन उद्योग को समर्थन प्रदान करने वाली एक **सब्सिडी योजना** है।

संभावित लाभ

- **आर्थिक, वाणिज्यिक** और **रणनीतिक** लाभ प्रदान करने के लिए **बेड़े के आकार** में वृद्धि।
- उच्च परिचालन लागतों को प्रतिसंतुलित करके **प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि।**
- भारतीय नाविकों के लिए **प्रशिक्षण** और **रोजगार के बेहतर अवसर।**
- कर संग्रह में वृद्धि से **विदेशी मुद्रा की बचत।**
- पोत की मरम्मत, बैंकिंग आदि जैसे **सहायक उद्योगों के विकास में सहायक।**

इस क्षेत्रक द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दे?

- **जलपोतों के बेड़े का छोटा आकार:** भारतीय पोत परिवहन उद्योग और इसके जलपोतों के बेड़े का आकार अपने समकक्षों की तुलना में कमतर है (1,431 जलपोतों के साथ 16वें स्थान पर, या विश्व का लगभग 1.2%)।
- **प्रतिस्पर्धात्मकता का अभाव:** उच्च कराधान, अनुपालन संबंधी बोझ और कुशल कार्यबल की कमी के कारण भारतीय जलपोतों की परिचालन लागत अधिक है। उपर्युक्त दो कारणों से, वित्त वर्ष 2018-19 में केवल पोत परिवहन संबंधी भुगतान के रूप में भारत से लगभग **53 बिलियन अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा का बहिर्वाह** हुआ था।
- **निम्न क्षमता: परिमाण के आधार पर 90% और मूल्य के के आधार पर 70% आयात-निर्यात कार्गो** का प्रबंधन करने के बावजूद, बंदरगाहों पर यातायात **क्षमता से बहुत कम** है {मार्च, 2020 तक देश के प्रमुख पत्तनों की स्थापित क्षमता 1,534.91 मिलियन टन प्रति वर्ष (Million Tonnes Per Annum: MTPA) थी और वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 704.92 MTPA का ही संचालन हुआ}।
- आवश्यक सूची में होने के बावजूद भारतीय बंदरगाहों पर **औसत प्रतिवर्तन काल (turnaround time)** कोविड-19 के दौरान 12 दिनों तक पहुंच गया।
- बंदरगाहों के रखरखाव और संचालन में लगे **उद्यमों को 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश** (FDI) की अनुमति और **10 वर्षों तक कर से राहत** मिलने के बावजूद, अप्रैल 2000 से मार्च 2021 तक केवल **1.63 बिलियन अमेरिकी डॉलर** का संचयी FDI प्राप्त हुआ।

नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता विधेयक (Marine Aids to Navigation Bill), 2021 इस उद्योग के लिए किस प्रकार सहायक हो सकता है?

यह **वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को सम्मिलित** करके और निम्नलिखित के तहत भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का **अनुपालन** करने को लक्षित है:

- **समुद्र में जीवन की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय (International Convention for the Safety of Life at Sea), 1974.**
- **इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मैरीन एड्स एंड लाइट हाउस अथार्टीज मैरीटाइम बोएज सिस्टम।**

यह निम्नलिखित प्रावधानों के माध्यम से संपूर्ण भारत में नौचालन हेतु सहायता के **विकास, रखरखाव और प्रबंधन** के लिए **उपयोगकर्ता के अनुकूल एक विधिक ढांचा** प्रदान करता है:

- समुद्री नौचालन की आधुनिकतम अत्याधुनिक तकनीकों के आधार पर नौचालन सहायता और **जलपोतों की** परिभाषा।
- नौचालन सहायता (Aids to Navigation) से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार को परामर्श देने के लिए **नौचालन सहायता महानिदेशक** की नियुक्ति और **केंद्रीय सलाहकार समिति का** प्रावधान।
- नौचालन सहायता को **विरासत प्रकाशस्तंभ (Heritage Lighthouse)** के रूप में नामित करना।
- किसी भी नौचालन सहायता को **साशय बाधित करने या क्षति पहुंचाने** पर जुर्माना और दंड के साथ अपराध एवं शास्तियों (offences and penalties) की पहचान करना।
- किसी भी नौचालन सहायता तथा जलपोत यातायात सेवा के परिचालन के लिए **प्रशिक्षण और प्रमाणन।**

संभावित लाभ

- पर्यावरण के संरक्षण के साथ बेहतर नौचालन **सुरक्षा और दक्षता।**
- **कौशल विकास** तथा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप संस्थानों की लेखा परीक्षा और प्रत्यायन का सुदृढ़ीकरण।

- **शैक्षिक, सांस्कृतिक और पर्यटन उद्देश्यों** के लिए **विरासत प्रकाशस्तंभों** के विकास के माध्यम से तटीय क्षेत्रों की पर्यटन क्षमता का दोहन।

भारतीय पोत परिवहन उद्योग में सुधार लाने के लिए अन्य प्रमुख कदम

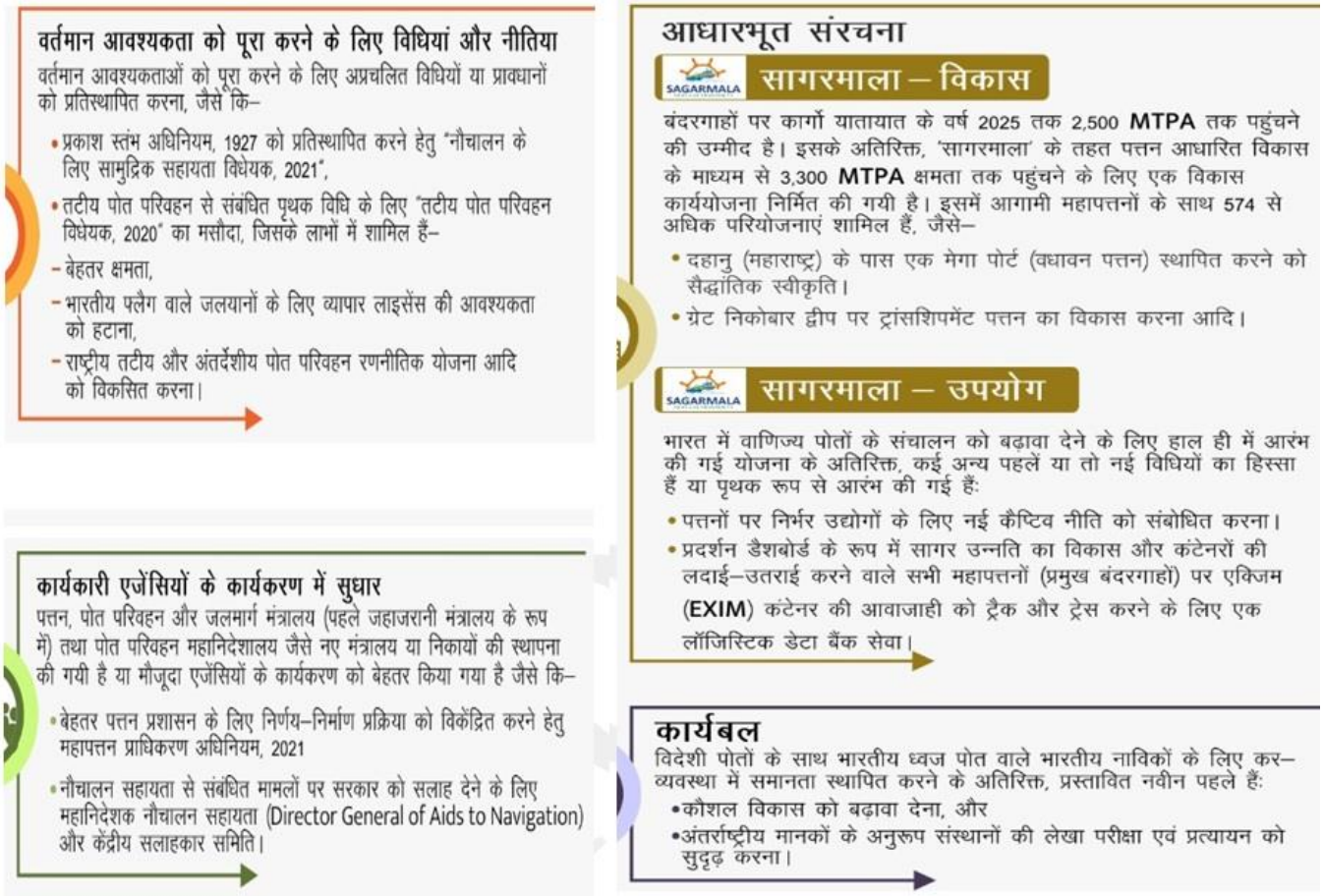

3.10. जिला खनिज प्रतिष्ठान (District Mineral Foundation: DMF)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने **जिला खनिज प्रतिष्ठान (District Mineral Foundation: DMF)** की निधि पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया है। इससे खनन पट्टा धारकों के अनिवार्य योगदान से उपार्जित निधियों में से किसी भी व्यय को स्वीकृति देने या अनुमोदित करने संबंधी राज्यों का अधिकार समाप्त हो गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- खान मंत्रालय की और से निर्दिष्ट किया गया है कि इस कदम की **आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि "इस प्रकार के दृष्टांत सामने आए जहां DMF की निधि के हिस्से को राज्य या राज्य स्तर की निधि/संचित निधि में स्थानांतरित किया जा रहा था"** जो कि DMF के गठन के "मूल उद्देश्य के विरुद्ध" था।
- केंद्र सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि DMF की निधि के किसी भी हिस्से को किसी भी राज्य स्तरीय इकाई द्वारा अपने उपयोग के लिए अंतरित (या हस्तांतरण) करना **अधिनियम की धारा 9b के प्रावधान का उल्लंघन** है।

जिला खनिज प्रतिष्ठान (DMF) निधि के बारे में

- इसे खनन से प्रभावित समुदायों के साथ लाभ साझा करने वाले तंत्र के रूप में परिकल्पित किया गया है। इसके तहत इन समुदायों को प्राकृतिक-संसाधन आधारित विकास में भागीदार के रूप में माना जाता है।
- इसे **भारत के सभी खनन जिलों में एक गैर-लाभकारी न्यास के रूप में** स्थापित किया गया है, जिसका नियत उद्देश्य सहभागी प्रक्रिया के माध्यम से 'खनन से प्रभावित लोगों और क्षेत्रों के हित और लाभ के लिए कार्य करना' है।
- यह **खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 {Mines and Minerals (Development & Regulation) Amendment Act, (MMDRA) 2015}** के द्वारा अधिदेशित है और खननकर्ताओं के अंशदान के माध्यम से वित्त पोषित होता है।

- वर्ष 2015 में, सरकार द्वारा DMF को **प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY)** के साथ संरेखित किया गया, ताकि DMF निधियों का उपयोग करके खनन प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विकास परियोजनाओं और कल्याण कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जा सके।
- खनिज समृद्ध ओडिशा में DMF निधि संग्रह सर्वाधिक (11,099 करोड़ रुपये) रहा है। इसके बाद झारखंड (5,921 करोड़ रुपये), छत्तीसगढ़ (5,830 करोड़ रुपये), राजस्थान (4,121 करोड़ रुपये) और तेलंगाना (2,902 करोड़ रुपये) का स्थान आता है।

प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY)

- इसका उद्देश्य DMFs द्वारा सृजित निधियों का उपयोग करते हुए खनन संबंधित कार्यों से प्रभावित **क्षेत्रों और लोगों का कल्याण** करना है।
- इस योजना का उद्देश्य **खनन के दौरान और बाद में पर्यावरण पर, खनन जिलों में लोगों के स्वास्थ्य और सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों का शमन करना;** और खनन क्षेत्रों में प्रभावित लोगों के लिए दीर्घकालिक संधारणीय आजीविका सुनिश्चित करना है।
- इस योजना के तहत पेयजल, स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता, शिक्षा, कौशल विकास, कल्याणकारी उपाय और पर्यावरण संरक्षण जैसे **उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के तहत इस निधि का कम से कम 60 प्रतिशत हिस्सा व्यय किया जाएगा।**

खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015

- यह अधिनियम **भारत में खनन क्षेत्रक को विनियमित करता है** और खनन परिचालनों/संक्रियाओं के लिए खनन पट्टे प्राप्त करने और अनुदत्त करने संबंधी अनिवार्यता को निर्दिष्ट करता है।
- **संस्थान:** यह अधिनियम **जिला खनिज प्रतिष्ठान (DMF)** और **राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (National Mineral Exploration Trust: NMET)** के सृजन का प्रावधान करता है।
  - जिलों में खनन से संबंधित परिचालनों/संक्रियाओं से प्रभावित व्यक्तियों के लाभ के लिए **राज्य सरकार द्वारा DMF की स्थापना की जानी** है।
- इस संशोधन अधिनियम द्वारा **खनन लाइसेंस/अनुज्ञप्ति की एक नई श्रेणी** सृजित की गई है अर्थात् पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टा (license-cum-mining lease), जो कि खनन संक्रियाओं के बाद पूर्वेक्षण संक्रियाएं (अर्थात् खनिज निक्षेपों की खोज करना, उनका स्थान निर्धारण करना या उन्हें परिषिद्ध करना) करने के प्रयोजन हेतु अनुदत्त दो स्तरीय रियायत है।
- **खनन के लिए अधिकतम क्षेत्र:** यह अधिनियम केंद्र सरकार को अतिरिक्त क्षेत्रों को शामिल करने के लिए अतिरिक्त पट्टे प्रदान करने के बजाय खनन के लिए क्षेत्र की सीमा बढ़ाने की अनुमति देता है।
- **पट्टा अवधि:** कोयले और लिग्नाइट के लिए पट्टे की अवधि में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। कोयला, लिग्नाइट और नाभिकीय खनिजों के अलावा अन्य सभी खनिजों के लिए खनन पट्टे 50 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किए जाएंगे।
- **अधिसूचित और अन्य खनिजों की नीलामी:** अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि **राज्य सरकारें** अधिसूचित और अन्य खनिजों, दोनों के लिए खनन पट्टे तथा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति-सह-खनन पट्टे प्रदान करेंगी।
  - सभी पट्टे **प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा ई-नीलामी सहित, नीलामी** के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे।

DMF के प्रभावी उपयोग के समक्ष समस्याएं

- **DMF के नियंत्रण को लेकर केंद्र-राज्य संघर्ष:** अधिनियम के अनुसार, जिला खनिज प्रतिष्ठान की संरचना एवं कार्य राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। हालांकि हालिया संशोधन के अनुसार, केंद्र सरकार DMF निधि की संरचना और उपयोग के संबंध में निर्देश दे सकती है, इस प्रकार यह राज्यों को DMF निधियों के उपयोग करने संबंधी उनके विवेकाधिकार से वंचित करता है।
- **प्रतिनिधित्व का अभाव:** इस निधि का सृजन लोगों की भलाई के लिए किया गया था लेकिन निर्णय-निर्माण के दौरान **DMF में खनन प्रभावित लोगों के प्रतिनिधित्व का अभाव** रहता है।
  - रिपोर्ट के अनुसार, शासी निकाय में निर्वाचित प्रतिनिधियों जैसे संसद सदस्यों, विधान सभा के सदस्यों और जिला अधिकारियों का वर्चस्व बना हुआ है।
- **निम्नस्तरीय कार्यान्वयन:** राज्यों के नियमों और प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY) में स्पष्ट अधिदेश के बावजूद विस्थापित लोगों, खनन के कारण जिनकी आजीविका प्रभावित हुई, जिन्हें किसी विशेष और प्रत्यक्ष सहायता की आवश्यकता हो, आदि को शामिल करने के लिए किसी पहचान को निर्धारण नहीं किया गया है।
- **प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों का स्वेच्छाचारी निर्धारण:** खनन प्रभावित क्षेत्रों के सीमांकन और परिसीमन के लिए कोई उचित मानचित्रण नहीं किया गया है।
- **निम्नस्तरीय नियोजन:** ओडिशा, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश के राज्य के नियमों में मध्य और दीर्घकालिक नियोजन संबंधी अधिदेश के बावजूद किसी भी जिले द्वारा पूर्वेक्षण योजना का निर्माण नहीं किया गया है।
- **संपरीक्षा:** वित्तीय संपरीक्षा के अतिरिक्त, DMF की सामाजिक या निष्पादन संपरीक्षा जैसी कोई अन्य संवीक्षा नहीं की गई है।
- **असंतुलित व्यय:** निवेश मुख्य रूप से भौतिक अवसंरचना के विकास पर केंद्रित रहे हैं और मानव विकास संकेतकों में सुधार पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

- **सार्वजनिक प्रकटीकरण का अभाव:** DMF न्यासों की एक वेबसाइट है, जिस पर स्पष्ट रूप से DMF निकायों की संरचना, बजट, स्वीकृति और कार्यों की प्रगति आदि से संबंधित जानकारी प्रदान की जाती है, लेकिन यह विभिन्न राज्यों और जिलों के लिए निष्क्रिय बनी हुई है।

आगे की राह

- **कोविड-19 वैश्विक महामारी से निपटने में उपयोग करना:** कोविड-19 के बढ़ते संकट और स्वास्थ्य संसाधनों पर दबाव को देखते हुए DMF निधियों का उपयोग राज्य सरकारों द्वारा वित्त मंत्रालय के निर्देशानुसार स्वास्थ्य देखभाल का संवर्धन करने के लिए किया जाना चाहिए।
- **विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना:** अत्यधिक केंद्रीकृत संरचना में समुदाय न तो योजना बना सकते हैं और न ही उन कार्यों को अधिकृत कर सकते हैं, जिन्हें उनके अनुसार DMF को करना चाहिए। इसलिए, सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देकर प्राधिकरण के विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए।
- **ग्रामसभा को शामिल करना:** DMF का निर्णय-निर्माण करने वाली संस्था को खनन प्रभावित लोगों के प्रतिनिधित्व के साथ समावेशी होना चाहिए। अनुसूचित क्षेत्रों के लिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शासी परिषद में प्रतिनिधित्व करने वालों में कम से कम 50 प्रतिशत ग्राम सभा के सदस्य अनुसूचित जनजाति के हों।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, दोनों प्रकार के खनन प्रभावित क्षेत्रों की प्राथमिकता के आधार पर विस्तृत विवरण तैयार किया जाना चाहिए। इसके लिए राज्यों द्वारा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र या इसी प्रकार के संस्थानों/विशेषज्ञ एजेंसियों से सहायता प्राप्त की जा सकती है।
- **आवंटन:** यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि DMF आवंटन/स्वीकृति का कम से कम 60 प्रतिशत आवंटन 'उच्च प्राथमिकता' वाले मुद्दों (जैसा कि राज्य DMF नियमों में निर्धारित है) के लिए और साथ ही, 'प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित' क्षेत्रों के लिए भी किया जाना चाहिए।
- **शिकायत निवारण:** प्रत्येक DMF न्यास के पास एक सुदृढ़ शिकायत निवारण तंत्र भी मौजूद होना चाहिए।
- **समर्पित कार्यालय:** प्रत्येक खनन जिले में नियोजन और समन्वय के लिए एक समर्पित DMF कार्यालय होना चाहिए। PMKKKY दिशानिर्देशों के अनुसार DMF निधि का 5 प्रतिशत इस प्रकार के व्ययों के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- **वार्षिक रिपोर्ट:** प्रत्येक DMF न्यास द्वारा वार्षिक रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए और इसे राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाना चाहिए।

QUIZ SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **अर्थव्यवस्था** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

4. सुरक्षा (Security)

4.1. साइबर निगरानी (Cyber Surveillance)

सुर्ख़ियों में क्यों?

पेगासस स्पाइवेयर के संदर्भ में हालिया विवाद ने भारत में साइबर निगरानी से संबंधित वाद-विवाद को और बढ़ा दिया है।

भारत में साइबर निगरानी और इससे संबंधित कानून?

- निगरानी (Surveillance) का आशय **किसी व्यक्ति या समूह पर विशेष नज़र रखने या गहन निरीक्षण (close observation)** से है, विशेष रूप से **ऐसे व्यक्ति/समूह जिनकी स्थिति या गतिविधियां संदेहास्पद हैं** या जिनकी गतिविधियों या स्थितियों का पर्यवेक्षण करना आवश्यक है।
- जब किसी व्यक्ति द्वारा लोगों या स्थानों की निगरानी करने के लिए डेटा नेटवर्क के माध्यम से संचार करने वाले "स्मार्ट" या "कनेक्टेड" उपकरणों/साधनों का उपयोग किया जाता है तो उसे साइबर-निगरानी के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। इस प्रकार की संयोजित तकनीक को **इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT)** के रूप भी में संदर्भित किया जाता है। साइबर-निगरानी के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण/यंत्र/साधन आम तौर पर परस्पर संबद्ध और उन्हें नियंत्रित करने वाले उपकरण या ऐप के माध्यम से कनेक्टेड/जुड़े होते हैं।

- **भारत में संचार निगरानी को मुख्य रूप से दो कानूनों के अंतर्गत अभिशासित किया गया है:**
  - **भारतीय तार अधिनियम, 1885 (Indian Telegraph Act, 1885):** इस अधिनियम की **धारा 5,** केंद्र या राज्य सरकार को किसी भी **संदेश/कॉल को निम्नलिखित दो परिस्थितियों में अंतर्रुद्ध (intercept)** करने की शक्ति प्रदान करती है, **यदि वह-**
    - **लोक सुरक्षा या लोक आपात** के विरुद्ध हो; या
    - **भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध या लोक व्यवस्था हितों में** अथवा किसी अपराध के किए जाने के उद्दीपन के निवारण के लिए आवश्यक हो।
      - ज्ञातव्य है कि संविधान के **अनुच्छेद 19(2)** के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी समान प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं।

- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 {Information Technology (IT) Act, 2000}:** इसे इलेक्ट्रॉनिक संचार, इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य आदि के लिए विधिक मान्यता प्रदान करने और साइबर अपराधों का निवारण करने के लिए अधिनियमित किया गया था।
  - **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम** की **धारा 69** और **सूचना प्रौद्योगिकी (सूचना के अवरोधन, निगरानी एवं डिक्रिप्शन के लिए प्रक्रिया और सुरक्षा) नियम, 2009** {IT (Procedure for Safeguards for Interception, Monitoring and Decryption of

Information) Rules, 2009} को सभी इलेक्ट्रॉनिक संचार की निगरानी के लिए विधिक ढांचा प्रदान करने हेतु प्रवर्तित किया गया था।
    - सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम **डेटा चोरी और हैकिंग** के **दीवानी एवं फौजदारी अपराधों** को शामिल करता है।
- **भारतीय तार (संशोधन) नियम, 2007:** वर्ष 2007 के **तार नियम (Telegraph Rules) में वर्णित नियम 419A उन अधिकारियों का उल्लेख करता है,** जो सूचनाओं की निगरानी से संबंधित आदेश जारी कर सकते हैं।
    - केंद्र सरकार के मामले में, गृह मंत्रालय के अधीन **भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी** अंतररोधन (इंटरसेप्शन) के आदेश को पारित कर सकता है।
    - राज्य सरकार के मामले में **सचिव स्तर का अधिकारी, जो** गृह विभाग का प्रभारी है, निदेश जारी कर सकता है।
    - अपरिहार्य परिस्थितियों में, इस प्रकार के आदेश **ऐसे अधिकारी (जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद से नीचे का न हो) के द्वारा भी दिए जा सकते हैं,** जिसे केंद्रीय गृह सचिव या राज्य गृह सचिव द्वारा विधिवत प्राधिकृत किया गया हो।

साइबर-निगरानी से संबंधित चिंताएं

- **प्रेस की स्वतंत्रता को खतरा:** ऐसे में पत्रकारों और उनके स्रोतों की निजी सुरक्षा ख़तरे में पड़ सकती है, विशेषकर जिनका कार्य सरकार की आलोचना करना होता है। इसलिए, निजता का अभाव इन पत्रकारों में अविश्वास की भावना का सृजन करता है और प्रभावी रूप से उनकी विश्वसनीयता को क्षति पहुंचाता है।
    - 'रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स' द्वारा प्रकाशित **विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक** के वर्ष 2021 के संस्करण में **180 देशों में से भारत को 142वां स्थान** प्रदान किया गया है।

राज्य समर्थित निगरानी बनाम निजता का अधिकार (State backed surveillance vs. Right to privacy)

- भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा **पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) बनाम भारत संघ वाद (वर्ष 1997)** में दिए गए निर्णय ने, टेलीफोनिक निगरानी (अर्थात् वायरटैपिंग) और संवैधानिक स्वतंत्रता के संदर्भ में निजता के अधिकार को एक आधार प्रदान किया है।
- **के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ वाद (वर्ष 2017)** में एक ऐतिहासिक निर्णय देते हुए उच्चतम न्यायालय ने सर्वसम्मति से **निजता के अधिकार** को संविधान के **अनुच्छेद 14, 19 और 21** के तहत, एक **मूल अधिकार** के रूप में बरकरार रखा है।
    - राज्य द्वारा की जाने वाली टेलीफोन टैपिंग और इंटरनेट हैकिंग को व्यक्तिगत डेटा की निजता के दायरे में रखा गया है।
- **निजता पर दिए गए निर्णय ने चार सूत्री परीक्षण भी निर्धारित किए हैं, जिसे राज्य द्वारा निजिता में हस्तक्षेप करने से पहले पूर्ण करना आवश्यक है:**
    - राज्य की कार्रवाई को विधि द्वारा स्वीकृत होना चाहिए,
    - लोकतांत्रिक समाज में कार्रवाई के लिए एक वैध आधार/उद्देश्य होना चाहिए,
    - कार्रवाई इस प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता के अनुरूप होनी चाहिए, तथा
    - यह हस्तक्षेप करने की शक्ति के दुरुपयोग के विरुद्ध, प्रक्रियात्मक गारंटी के अधीन होनी चाहिए।
- **विनीत कुमार बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और अन्य वाद (वर्ष 2019) में बॉम्बे उच्च न्यायालय** ने राज्य द्वारा अपने विषयों पर निगरानी करने की शक्ति के दायरे को रेखांकित किया है, विशेष रूप से उन विषयों के संबंध में जो 'लोक आपात' या 'लोक सुरक्षा के हित' की श्रेणी में नहीं आते हैं।

- **निजता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार:** निगरानी प्रणाली संविधान द्वारा प्रदत्त **अनुच्छेद 19 और 21 के तहत क्रमशः निजता के अधिकार और वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता** के उपयोग को प्रभावित करती है।
    - उचित संदेह पर आधारित कथित जोखिम, नागरिकों की **अपरंपरागत, विवादास्पद या उत्तेजक विचारों को व्यक्त करने, साझा करने और उन पर चर्चा करने की क्षमता** को प्रभावित करता है।
- **निगरानी का अभाव:** संसदीय या न्यायिक निरीक्षण की कमी के कारण, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी विशेषकर **कार्यपालिका को निगरानी के विषय और व्यक्तियों को प्रभावित करने की शक्ति प्रदान** करती है। इसके परिणामस्वरूप भय उत्पन्न कर लोगों की वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित किया जा सकता है।
    - कार्यकारी कार्यों के रूप में शक्ति का अनुचित प्रयोग और कार्यकारी निगरानी **सत्तावाद के प्रसार** को प्रोत्साहित करती है।

- **विधि की सम्यक् प्रक्रिया का उल्लंघन:** कार्यपालिका द्वारा की जाने वाले निगरानी **संविधान के अनुच्छेद 32 और 226** (क्रमशः उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा रिट जारी करने की शक्ति) के तहत प्रदत्त अधिकारों को सीमित करती है, क्योंकि कार्यकारी निगरानी को गुप्त तरीके से संचालित किया जाता है। इसलिए, प्रभावित व्यक्ति अपने अधिकारों के उल्लंघन संबंधी साक्ष्य को प्रस्तुत करने में असमर्थ होता है।
    - **इससे न केवल सम्यक् प्रक्रिया और शक्तियों के पृथक्करण के आदर्शों का उल्लंघन होता है** बल्कि **के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ वाद (वर्ष 2017)** में उल्लिखित अनिवार्य प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की आवश्यकता की भी अवहेलना होती है।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष खतरा: साइबर-आतंकवाद और साइबर-अपराधों की बढ़ती** घटनाओं के कारण सूचना, कंप्यूटर सिस्टम एवं प्रोग्राम तथा डेटा के विरुद्ध हमला करने संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा मिला है। इसके **परिणामस्वरूप उप-राष्ट्रीय समूहों या गुप्त एजेंटों द्वारा गैर-लड़ाकू लक्ष्यों के विरुद्ध हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं।**

आगे की राह

- **न्यायपालिका की भूमिका:** "विधि की सम्यक् प्रक्रिया" (due process of law) के आदर्श का अनुपालन करने, शक्तियों के प्रभावी पृथक्करण को बनाए रखने और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों एवं नैसर्गिक न्याय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, **सरकार को अपने किसी अन्य विभाग/शाखा को उत्तरदायित्व प्रदान करना चाहिए।**
    - हालांकि, इस संबंध में केवल न्यायपालिका ही यह तय करने में सक्षम हो सकती है कि क्या निगरानी की निर्दिष्ट घटनाएं यथोचित हैं तथा क्या इस निमित्त कोई अन्य कम दुष्कर विकल्प उपलब्ध हैं। साथ ही, न्यायपालिका **प्रभावित व्यक्तियों के अधिकारों और सरकार के उद्देश्यों की आवश्यकता को परस्पर संतुलित करने की दिशा में भी सहयोग कर सकती है।**
- **जागरूकता:** लोगों को इस संबंध में समझ प्रदान करने के लिए एक शैक्षिक ढांचे को स्थापित किया जाना चाहिए, जो उन्हें व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट डेटा में सेंधमारी करने वाली घटनाओं की पहचान करने एवं उन घटनाओं से स्वयं को सुरक्षित करने हेतु ग्रहणबोध प्रदान कर सके।
- **विकेंद्रीकृत प्रणाली:** निगरानी प्रणाली को विकेंद्रीकृत और एक मुक्त स्रोत के रूप में होना चाहिए। साथ ही, निगरानी प्रणाली को इस प्रकार से डिजाइन किया जाना चाहिए, ताकि बिना किसी निजता के अतिक्रमण के डेटा को साझा किया जा सके।
- **समर्पित साइबर सुरक्षा विधि:** भारत को साइबर संबंधी अपराध का सामना करने, भारत और इसकी साइबर सुरक्षा तथा **साइबर संप्रभु हितों का संरक्षण करने के लिए अधिक प्रभावी विधिक ढांचे एवं कठोर प्रावधानों को लागू करना चाहिए।**
    - **भारतीय उद्योग परिसंघ** द्वारा आयोजित **साइबर सुरक्षा शिखर सम्मेलन** के अनुसार, **भारत को 'सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा' की बजाये 'साइबर सुरक्षा' पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।**
- **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial intelligence: AI) का उपयोग:** साइबर हमलों का निवारण करने और सटीक रूप से उनकी पहचान करने हेतु खतरे के बारे में वास्तविक समय आधारित आसूचना (रीयल-टाइम थ्रेट इंटेलिजेंस) और AI के उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

4.2. भारत में ड्रोन विनियम (Drone Regulations in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

नागर विमानन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation: MoCA) ने सार्वजनिक परामर्श के लिए एक अद्यतित- **ड्रोन नीति, 2021** का प्रारूप जारी किया है।

ड्रोन के बारे में

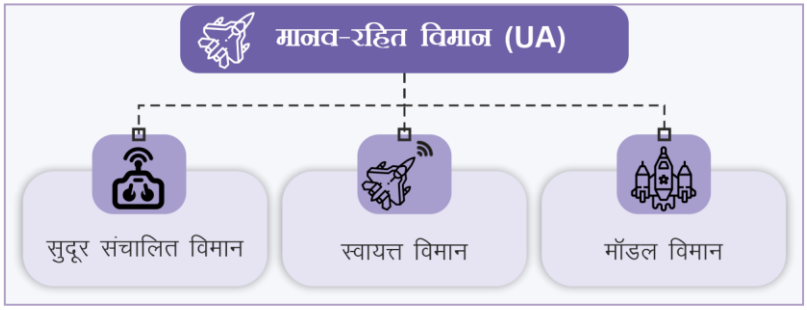

- ड्रोन वस्तुतः **मानव रहित विमान (Unmanned Aircraft: UA)** के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला एक सामान्य शब्द है। इन विमानों को रिमोट कंट्रोल के माध्यम से विमानचालक के बिना ही परिचालित किया जाता है।
- विमान और उससे संबंधित घटक, जो किसी विमानचालक के बिना परिचालित होते हैं, उन्हें **मानव रहित विमान प्रणाली (Unmanned Aircraft System: UAS)** के रूप में संदर्भित किया जाता है।

ड्रोन विनियमों की आवश्यकता

- **नीतिगत अंतराल:** मानव रहित हवाई वाहनों (Unmanned Aerial Vehicles: UAVs) के उपयोग के लिए **नागर विमानन महानिदेशालय** (Directorate General of Civil Aviation: DGCA) द्वारा तैयार किए गए प्रथम प्रारूप दिशा-निर्देशों में अनेक नीतिगत उपाय शेष रह गए हैं, जिन्हें **सुरक्षा संबंधी मुद्दों** और **विभिन्न असैन्य क्षेत्रकों (civilian sectors) में ड्रोन के वैध उपयोग** के मध्य संतुलन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संबोधित किया जाना चाहिए।
- **गुणवत्ता नियंत्रण:** चूंकि, भारत को अपनी ड्रोन संबंधी आवश्यकता के अधिकांश हिस्से की पूर्ति के लिए आयात पर निर्भर रहना पड़ता है, इसलिए उनके गुणवत्ता नियंत्रण और मानकीकरण को सुनिश्चित करने पर बल दिया जाना चाहिए।
- **निजता से संबंधित प्रश्न:** ड्रोन किसी का ध्यान आकर्षित किए बिना अर्थात् गुप्त रूप से आंकड़ों और छवियों को एकत्रित कर सकते हैं। इससे नागरिकों में उनकी निजता के अधिकार का हनन होने का भय बना रहता है। यह चिंता उन मामलों में भी देखी जा सकती है, जब सरकारी संस्थाएं जनता की निगरानी के लिए ड्रोन का उपयोग करती हैं।
- **आतंक से संबद्ध जोखिमों के प्रबंधन हेतु:** ड्रोन द्वारा किए जा सकने वाले विभिन्न कार्यों में त्वरित प्रगति के साथ ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं, जहाँ आतंकवादी संगठनों द्वारा अपनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ड्रोन का उपयोग किया गया है। इन विनियमों के कार्यान्वयन से सरकार को अपने संभावित सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए ड्रोन को प्रतिबंधित करने का आश्रय नहीं लेना पड़ेगा।
- **हवाई यातायात प्रबंधन:** ड्रोन हवाई यातायात के प्रबंधन में एक नया आयाम प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि उन्हें न तो पारंपरिक विमानों की भांति ट्रैक किया जाना और न ही उनके साथ संचार स्थापित कर सकना आसान होता है।

ड्रोन और सुरक्षा चिंता

- भारत में सुरक्षा एजेंसियां कुछ समय से **संवेदनशील स्थानों/स्थलों को लक्षित करने के लिए ड्रोन के संभावित उपयोग की आशंका व्यक्त करती रही है।**
  - हालांकि, कुछ वर्ष पूर्व पंजाब सीमा पर हथियारों और मादक द्रव्यों को पहुंचाने के लिए ड्रोन का उपयोग किया गया था।
- **ड्रोन सुरक्षा के समक्ष एक जोखिम के रूप में उभर रहे हैं, जैसाकि:**

- **पारंपरिक रडार प्रणालियां कम ऊंचाई पर उड़ने वाले उपकरणों का पता लगाने में असमर्थ होती हैं।** कम ऊंचाई पर उड़ने के अतिरिक्त, इनकी मंद गति के कारण भी ड्रोन को ट्रेस और इंटरसेप्ट करना एक कठिन कार्य होता है।
- **आतंकी समूहों को इस प्रौद्योगिकी तक आसान पहुंच प्राप्त है** तथा ये उन्हें हवाई हमलों के संचालन की क्षमता भी प्रदान करते हैं।
- **पारंपरिक हथियारों की तुलना में अपेक्षाकृत सस्ते, कॉम्पैक्ट और आकार में छोटे होने के बावजूद भी,** ड्रोन से कहीं अधिक विनाशकारी परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। साथ ही, इनका उपयोग सामूहिक विनाश के हथियारों की आपूर्ति हेतु भी किया जा सकता है।
- हमलावर पक्ष के किसी भी सदस्य को प्रत्यक्ष रूप से जोखिम में डाले बिना हमला करने के लिए **इन्हे रिमोट द्वारा दूर से नियंत्रित किया जा सकता है।**

- **भारत द्वारा इन जोखिमों से निपटने हेतु किए जा रहे उपाय:**
  - **रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO)** ने एक **'ड्रोन रोधी तंत्र'** को विकसित किया है और संभवतः इसे इसी वर्ष लागू किया जाएगा।
  - **भारतीय वायु सेना** ने भी **काउंटर अनआर्म्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम (CUAS)** को क्रय करने का निर्णय लिया है। इसे आतंकी/अवैध ड्रोन को विनष्ट करने के लिए लेजर निर्देशित ऊर्जा हथियारों से लैस किया जा सकता है।

प्रारूप ड्रोन नीति, 2021

- इस ड्रोन नीति द्वारा **मानव रहित विमान प्रणाली (UAS) नियम, 2021 (12 मार्च 2021 को जारी) को प्रतिस्थापित** जाएगा।
- इसका उद्देश्य **अनेक प्रकार के मानव रहित विमान परिचालन परिदृश्यों को सक्षम बनाना, मानव रहित विमान उद्योग के लिए अनुपालन प्रक्रिया को अत्यंत सुलभ बनाना तथा रक्षा एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करना है।**

प्रमुख प्रावधान

<table>
<tr><td>नियम लागू होंगे</td><td>

ये नियम भारत में ड्रोन/मानव रहित विमान प्रणाली का स्वामित्व/कब्ज़ा रखने वाले या इसके पट्टे पर देने, प्रचलन, अंतरण या रखरखाव में लगे सभी व्यक्तियों पर लागू होंगे।
ये नियम तत्समय भारत में या भारतीय हवाई क्षेत्र में सभी ड्रोनों पर भी लागू होंगे।
हालांकि, ये नियम भारतीय संघ की नौसेना, थल सेना या वायु सेना से संबंधित या उनके द्वारा प्रयुक्त किसी ड्रोन/मानव रहित प्रणाली पर लागू नहीं होंगे।

</td></tr>
<tr><td>अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के लिए पात्रता शर्तें</td><td>

निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाला व्यक्ति रिमोट पायलट अनुज्ञप्ति/लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पात्र होगा:

जिसकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 65 वर्ष हो;
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं की परीक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो;
किसी मान्यता प्राप्त रिमोट पायलट प्रशिक्षण संगठन से, जो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो, ऐसा परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर चुका हो।

किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए रिमोट पायलट अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं होगी जो:

नैनो ड्रोन/मानव रहित विमान प्रणाली का परिचालन कर रहा हो;
गैर-वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए एक माइक्रो ड्रोन का परिचालन कर रहा हो।
अनुसंधान और विकास संगठनों के लिए ऐसे ड्रोन के संचालन हेतु।

</td></tr>
<tr><td>ड्रोन/UAV का वर्गीकरण</td><td>

ड्रोन/UAV को पेलोड सहित उनके अधिकतम समग्र भार के आधार पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा:

<table>
<tr><th colspan="2">मानव रहित विमान प्रणाली (UAS) का वर्गीकरण</th></tr>
<tr><td>नैनो/अति सूक्ष्म UAS</td><td>250 ग्राम से कम या बराबर।</td></tr>
<tr><td>सूक्ष्म UAS</td><td>250 ग्राम से अधिक, परन्तु 2 किलोग्राम से कम या बराबर।</td></tr>
<tr><td>लघु UAS</td><td>2 किलोग्राम से अधिक, परन्तु 25 किलोग्राम से कम या बराबर।</td></tr>
<tr><td>मध्यम UAS</td><td>25 किलोग्राम से अधिक, परन्तु 150 किलोग्राम से कम या बराबर।</td></tr>
<tr><td>विशाल UAS</td><td>150 किलोग्राम से अधिक।</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>ड्रोन/UAS का</td><td>

डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म (DSP) पर अनिवार्य विवरण प्रदान किए जाने के उपरांत ड्रोन परिचालकों को ड्रोन के लिए एक

</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>पंजीकरण</td><td>
विशिष्ट पहचान संख्या (Unique Identification Number: UIN) प्रदान की जाएगी।
डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म (DSP), MoCA द्वारा एक सुरक्षित और स्केलेबल मंच प्रदान करने के लिए आरंभ की गई पहल है। यह ड्रोन प्रौद्योगिकी ढांचे का समर्थन करती है, जैसे- 'नो परमीशन, नो टेकऑफ' (No Permission, No Take-off: NPNT)। साथ ही, इसे उड़ान संबंधी अनुमति डिजिटल रूप से (ऑनलाइन) प्राप्त करने और मानव रहित विमान परिचालन एवं यातायात को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
</td></tr>
<tr><td>ड्रोन का परिचालन</td><td>
केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर ड्रोन/मानव रहित विमान प्रणाली के परिचालन के लिए एक हवाई क्षेत्र का मानचित्र, जो भारत के संपूर्ण हवाई क्षेत्र को लाल, पीले और हरे क्षेत्रों में विभाजित करता है, प्रकाशित कर सकती है।
<table>
<tr>
<td>ग्रीन जोन
भूमिक्षेत्र या भारत के राज्यक्षेत्रीय (प्रादेशिक) जल से 400 फीट या 120 मीटर की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तक के वायुक्षेत्र, जिसे मानव-रहित वायु प्रणाली (UAS) प्रचालनों के लिए वायुक्षेत्र के मानचित्र में, रेड जोन या येलो जोन के रूप में नामित नहीं किया गया है।
किसी प्रचालित विमानपत्तन की परिधि से 8 किलोमीटर या 12 किलोमीटर की क्षैतिज (lateral) दूरी के बीच भूमि से ऊपर 200 फुट या 60 मीटर का हवाई क्षेत्र।</td>
<td>येलो जोन
येलो जोन का अर्थ भारत के भूमि क्षेत्रों या राज्यक्षेत्रीय जल के ऊपर परिभाषित आयामों के उस हवाई क्षेत्र से है, जिसके भीतर मानव-रहित विमान प्रणाली परिचालन प्रतिबंधित है, और इसके लिए संबंधित हवाई यातायात नियंत्रण प्राधिकरण से अनुमति की आवश्यकता होगी।</td>
<td>रेड जोन
रेड जोन का अर्थ भारत के भूमि क्षेत्रों या राज्यक्षेत्रीय जल के ऊपर, या भारत के राज्यक्षेत्रीय जल से परे केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट कोई स्थापना या अधिसूचित बंदरगाह सीमा से परिभाषित आयामों का हवाई क्षेत्र, जिसके भीतर केंद्र सरकार द्वारा असाधारण परिस्थितियों में मानव-रहित विमान प्रणाली परिचालन की अनुमति होगी।</td>
</tr>
</table>

कोई भी व्यक्ति बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किए रेड ज़ोन या येलो जोन में ड्रोन का परिचालन नहीं करेगा।
निर्दिष्ट ग्रीन जोन में भूमिक्षेत्र या भारत के प्रादेशिक जल से 400 फीट ऊर्ध्वाधर ऊँचाई तक के हवाई क्षेत्र में और परिचालित विमानपत्तन की परिधि से 8 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की पार्श्व दूरी के बीच भूमि से ऊपर 200 फुट के हवाई क्षेत्र में यलो ज़ोन के प्रावधान लागू होंगे;
राज्य सरकार, संघ राज्यक्षेत्र या विधि प्रवर्तन अभिकरण किसी निर्दिष्ट हवाई क्षेत्र को 96 घंटे से अनधिक की अवधि के लिए अस्थायी रेड जोन घोषित कर सकती है।
इसकी घोषणा ऐसे किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी, जो पुलिस अधीक्षक या उसके समकक्ष पद से नीचे की रैंक का न हो।

</td></tr>
<tr><td>अनुसंधान और विकास (R&D) के लिए ड्रोन का परिचालन</td><td>

ड्रोन के परिचालन के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों/निकायों को उड़ान योग्यता प्रमाण-पत्र, विशिष्ट पहचान संख्या, पूर्व अनुमति और रिमोट पायलट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी, जिनमें शामिल हैं:
केंद्र सरकार, राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासनिक नियंत्रण में या उनसे मान्यता प्राप्त अनुसंधान एवं विकास संस्थाएं और शैक्षणिक संस्थान।
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप्स।
कोई भी ड्रोन/मानव रहित विमान विनिर्माता जिसके पास वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या हो।
परन्तु, इस प्रकार के ड्रोन/UAS का परिचालन ग्रीन जोन के भीतर और उस व्यक्ति के परिसर के भीतर हो, जहां ऐसा अनुसंधान विकास और परीक्षण किया जा रहा हो; या ऐसे व्यक्ति के नियंत्रण में किसी ग्रीन जोन के खुले क्षेत्र के भीतर होना चाहिए।

</td></tr>
<tr><td>अन्य प्रमुख बिंदु</td><td>

500 किलोग्राम से अधिक, अधिकतम समग्र भार वाले किसी मानव-रहित विमान प्रणाली के मामले में वायुयान नियम, 1937 के उपबंध लागू होंगे।
ड्रोन और ड्रोन घटकों के आयात को विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा विनियमित किया जाएगा।

</td></tr>
</table>

	• किसी भी पंजीकरण या लाइसेंस जारी करने से पूर्व **किसी सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी।** • **रद्द किए गए अनुमोदन:** विशिष्ट प्राधिकरण संख्या, विशिष्ट प्रोटोटाइप पहचान संख्या, अनुरूपता का प्रमाण-पत्र, रखरखाव का प्रमाण-पत्र, आयात मंजूरी, मौजूदा ड्रोन की स्वीकृति, परिचालन परमिट, अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्राधिकार, छात्र रिमोट पायलट लाइसेंस, रिमोट पायलट प्रशिक्षक प्राधिकार, ड्रोन बंदरगाह प्राधिकार आदि। • 'नो परमीशन - नो टेकऑफ' (NPNT), रियल-टाइम ट्रैकिंग बीकन, जियो-फेंसिंग आदि जैसी **सुरक्षात्मक उपायों को भविष्य में अधिसूचित किया जाएगा।** • डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म को व्यापार अनुकूल सिंगल-विंडो ऑनलाइन प्रणाली के रूप में विकसित किया जाएगा। • **उड़ान योग्यता (Airworthiness) प्रमाण-पत्र** जारी करना **भारतीय गुणवत्ता परिषद और इसके द्वारा अधिकृत प्रमाणन निकाय** में निहित होगा।

आगे की राह

- राज्यों द्वारा **ड्रोन के स्वामित्व और उपयोग के संबंध में आवश्यक मानकों की सीमाओं को परिभाषित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया** को लागू करने पर अत्यधिक बल दिया जाना चाहिए।
  - यूरोपीय संघ द्वारा **संयुक्त राष्ट्र-आधारित विधिक ढांचे को प्रोत्साहन प्रदान करने** का भी आग्रह किया गया है। यह ढांचा यह उपबंध करता है कि **सशस्त्र ड्रोन के उपयोग को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय और मानवाधिकार विधि का अवश्य अनुपालन करना चाहिए।**
- **विनियमन:** ड्रोन के लिए विनियमों को परिभाषित और निर्धारित करने में कुछ प्रारंभिक प्रगति के बावजूद, सरकार को ऐसे कानूनों को बढ़ावा देना चाहिए, जो नवाचार को प्रोत्साहित करती हो तथा निजता के उल्लंघन एवं हवाई क्षेत्र के दुरुपयोग को प्रतिबंधित भी करती हो।
- **मानव-रहित विमान प्रणाली (UAS) नियमों के तहत UAS के वर्गीकरण** को सुधारने पर बल दिया जाना चाहिए। इसमें प्रदर्शन आधारित वर्गीकरण की बजाए भार आधारित वर्गीकरण को प्राथमिकता प्रदान की गई है।

ड्रोन-रोधी तकनीकें, जिनका उपयोग शत्रु ड्रोन्स के विरुद्ध किया जा सकता है

रेडियो जैमर	यह एक स्थिर, चालित या हाथ में पकड़कर उपयोग किया जाने वाला उपकरण है, जो रेडियो आवृत्ति ट्रांसमिट करके आकाश में ड्रोन का पता लगाने और उसे निष्क्रिय (jam) करने लिए रेडार एवं कैमरों के संयोजन का उपयोग करता है।
जी.पी.एस. स्पूफिंग	इस रोधी उपाय (काउंटर–मेजर्स) में ड्रोन द्वारा नेविगेशन के लिए जी.पी.एस. उपग्रहों के साथ किए जा रहे संचार को नए सिग्नल प्रेषित करके प्रतिस्थापित या विकृत कर दिया जाता है।
विद्युतचुंबकीय स्पंदन	इसे संचालित करने पर यह ड्रोन के रेडियो संपर्क में व्यवधान उत्पन्न कर देता है और ड्रोन में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को बाधित या नष्ट भी कर सकता है।
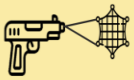 नेट गन्स	नेट कैनन को जमीन से हाथों द्वारा, कंधे पर रखकर या किसी वाहन पर 360 डिग्री घूमने वाले शीर्ष से दागा जा सकता है। इसका उपयोग 20 मीटर से 300 मीटर की सीमा के मध्य ड्रोन को प्रभावी ढंग से कैप्चर (प्रग्रहित) करने के लिए किया जाता है।
उच्च ऊर्जायुक्त लेज़र्स	ये एक उच्च–शक्ति युक्त मानव–रहित हवाई प्रणाली रोधी उपकरण हैं, जो प्रकाश की एक अत्यंत केंद्रित बीम या लेजर बीम उत्सर्जित करके ड्रोन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना को पिघला और बाधित कर सकते हैं।

5. पर्यावरण (Environment)

5.1. जलवायु वित्त (Climate Finance)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **सिटीज़ क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप एलायंस** और **विश्व बैंक** ने **'द स्टेट ऑफ सिटीज़ क्लाइमेट फाइनेंस'** {शहरों के जलवायु वित्त की स्थिति (The State of Cities Climate Finance)} नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है।

इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- वर्ष 2017-2018 में वार्षिक रूप से शहरी जलवायु वित्त (urban climate finance) में औसतन 384 अरब डॉलर का निवेश किया गया था।
- शहरी जलवायु वित्त प्रवाह OECD {आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (Organisation for Economic Co-operation and Development)} देशों और चीन में अत्यधिक केंद्रित है।
- दक्षिण एशिया और उप-सहारा अफ्रीका सहित कई विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में शहरी जलवायु वित्त की अत्यधिक अपर्याप्त मात्रा का निवेश किया गया था।
- वर्ष 2017-2018 में अनुकूलन संबंधी परियोजनाओं के लिए 7 अरब डॉलर का वित्त उपलब्ध कराया गया था, जो शमन और दोहरे उपयोगों के लिए 69 अरब डॉलर (लगभग 91 प्रतिशत) के सापेक्ष परियोजना स्तर पर चिन्हित किए गए 9 प्रतिशत निवेश के बराबर है।

सिटीज़ क्लाइमेट फाइनेंस लीडरशिप एलायंस (Cities Climate Finance Leadership Alliance)

- यह वर्ष 2030 तक शहर स्तर की जलवायु कार्रवाई के लिए आवश्यक वित्त उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध नेतृत्वकर्ताओं का एक गठबंधन है।
- यह एकमात्र बहु-स्तरीय और बहु-हितधारक गठबंधन है जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर शहरी उपराष्ट्रीय जलवायु परियोजनाओं और अवसंरचना हेतु निवेश संबंधी कमी की पूर्ति करना है।

जलवायु वित्त क्या है?

- जलवायु वित्त **स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण** (सार्वजनिक, निजी और वैकल्पिक स्रोतों से प्राप्त वित्तपोषण) को संदर्भित करता है। इसका निहितार्थ जलवायु परिवर्तन का शमन (GHG उत्सर्जन में कमी करके) और अनुकूलन (प्रतिकूल प्रभावों के प्रति अनुकूलन और बदलती जलवायु के प्रभावों को कम करना) कार्रवाइयों में सहायता करना है।
- जलवायु वित्तपोषण अनिवार्य रूप से ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व-औद्योगिक स्तर की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि तक सीमित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करेगा।
- **जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC), क्योटो प्रोटोकॉल** और **पेरिस समझौता** अधिक वित्तीय संसाधनों वाले पक्षकारों से कम संपन्न एवं अधिक सुभेद्य पक्षकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का आह्वान करते हैं।

UNFCCC और संबंधित समझौतों द्वारा स्थापित वित्तीय तंत्र

वैश्विक पर्यावरण सुविधा (Global Environment Facility: GEF)	• इसने वर्ष 1994 में अभिसमय के प्रभावी होने के बाद से वित्तीय तंत्र की प्रचालक इकाई के रूप में कार्य किया है। यह दो निधियों का प्रबंधन करता है- ○ **विशेष जलवायु परिवर्तन निधि (Special Climate Change Fund: SCCF):** इसे वर्ष 2001 में अनुकूलन; प्रौद्योगिकी अंतरण और क्षमता निर्माण; ऊर्जा, परिवहन, उद्योग, कृषि, वानिकी और अपशिष्ट प्रबंधन; तथा आर्थिक विविधीकरण से संबंधित परियोजनाओं का वित्तपोषण करने के लिए स्थापित किया गया था। ○ **अल्प विकसित देश निधि (Least Developed Countries Fund: LDCF):** इसे अल्प विकसित देशों (LDCs) की राष्ट्रीय कार्रवाई अनुकूलन कार्यक्रमों (National Adaptation Programmes of Action: NAPA) को तैयार करने और उनके क्रियान्वयन में सहायता करने के लिए स्थापित किया गया है।

अनुकूलन निधि (Adaptation Fund: AF)	• इसे वर्ष 2001 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति सुभेद्य **क्योटो प्रोटोकॉल** के पक्षकार विकासशील देशों में ठोस अनुकूलन परियोजनाओं और कार्यक्रमों का वित्तपोषण करना है।
हरित जलवायु निधि (Green Climate Fund: GCF)	इसे वर्ष 2010 में COP 16 में स्थापित किया गया था। साथ ही, विकसित देशों ने निम्न-उत्सर्जन, जलवायु-प्रत्यास्थ मार्गों के प्रति विकासशील देशों की राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contributions: NDC) संबंधी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने और साकार करने के लिए सहायता करने हेतु इस निधि के माध्यम से वर्ष 2020 तक **प्रति वर्ष 100 अरब अमेरिकी डॉलर जुटाने** का आश्वासन दिया था।
अन्य निधियां और वित्तपोषण के साधन	
संयुक्त राष्ट्र समर्थित अंतर्राष्ट्रीय जलवायु निधियां (UN-backed international climate funds)	• **स्वच्छ प्रौद्योगिकी निधि (Clean Technology Fund):** इसका उद्देश्य निम्न कार्बन प्रौद्योगिकियों को बढ़ाने के लिए संसाधन प्रदान करके विकासशील देशों में रूपांतरण को सशक्त बनाना है। • **जलवायु निवेश निधियां (Climate Investment Funds):** इसका उद्देश्य विकासशील और मध्यम आय वाले देशों में स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा तक पहुँच, जलवायु प्रत्यास्थता और संधारणीय वनों में रूपांतरण को सशक्त बनाकर जलवायु कार्रवाई में तेजी लाना है। • **संयुक्त राष्ट्र-निर्वनीकरण और वन निम्नीकरण से होने वाले उत्सर्जन में कमी करना (Reducing emissions from deforestation and forest degradation: REDD):** इसका उद्देश्य जलवायु आपातकाल के सर्वोत्तम प्रकृति आधारित समाधान अर्थात् वनों का संरक्षण करना है। • **नेट जीरो एसेट ऑनर एलायंस:** इसमें पेंशन निधि, बीमा कंपनियों और सॉवरेन वेल्थ फंड सहित 29 सदस्य शामिल हैं। साथ ही, यह निवल शून्य संबंधी पेरिस लक्ष्यों के साथ पोर्टफोलियो को संरेखित करने के लिए सारभूत कार्य पद्धतियों पर काम कर रहा है।
अन्य अंतर्राष्ट्रीय निधियां (Other international funds)	• **एशियाई विकास बैंक की जलवायु परिवर्तन निधि {Climate Change Fund of Asian Development Bank (ADB)}:** इसकी स्थापना वर्ष 2008 में विकासशील सदस्य देशों में अधिक निवेश की सुविधा प्रदान करने हेतु की गई थी। इसका उद्देश्य विकासशील सदस्य देशों में निम्न-कार्बन और जलवायु-प्रत्यास्थ विकास के प्रति समर्थन सुदृढ़ करके जलवायु परिवर्तन के कारणों और परिणामों का प्रभावी ढंग से समाधान करना है। • **वन कार्बन भागीदारी सुविधा (Forest Carbon Partnership Facility: FCPF):** यह सरकारों, व्यवसायों, नागरिक समाज, और देशज लोगों की वैश्विक भागीदारी है। यह आमतौर पर REDD+ के रूप में संदर्भित कार्यकलापों पर केंद्रित है, यथा- निर्वनीकरण और वन निम्नीकरण से होने वाले उत्सर्जन में कमी करना, वन कार्बन स्टॉक का संरक्षण करना, वनों का संधारणीय प्रबंधन करना और विकासशील देशों में वन कार्बन स्टॉक की वृद्धि करना।
वित्त जुटाने के अन्य राष्ट्रीय और स्थानीय स्रोत (Other National and local Sources of raising finances)	• **राष्ट्रीय सरकारों से आवंटन:** उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि (National Adaptation Fund for Climate Change: NAFCC) केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है, जिसे जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों का शमन करने वाली ठोस अनुकूलन गतिविधियों का समर्थन करने के लिए वर्ष 2015-16 में गठित किया गया था। • **कार्बन मूल्य निर्धारण उपकरण:** इसमें शामिल हैं- कार्बन बाजार दृष्टिकोण [इसके तहत उत्सर्जन व्यापार के लिए एक तंत्र सृजित किया जाता है और **प्रति टन CO_2 समतुल्य** {tonnes (t) of carbon dioxide (CO_2) equivalent (e): tCO_2e)} को बाजार मूल्य के आधार पर कार्बन क्रेडिट के रूप में खरीदा और बेचा जाता है]; कार्बन उत्सर्जन पर कर आरोपित करने से संबंधित दृष्टिकोण (यह जीवाश्म ईंधन पर कर आरोपित करने या जीवाश्म ईंधन पर प्रदान की जाने वाली सब्सिडी को समाप्त करने के रूप में हो सकता है) आदि।

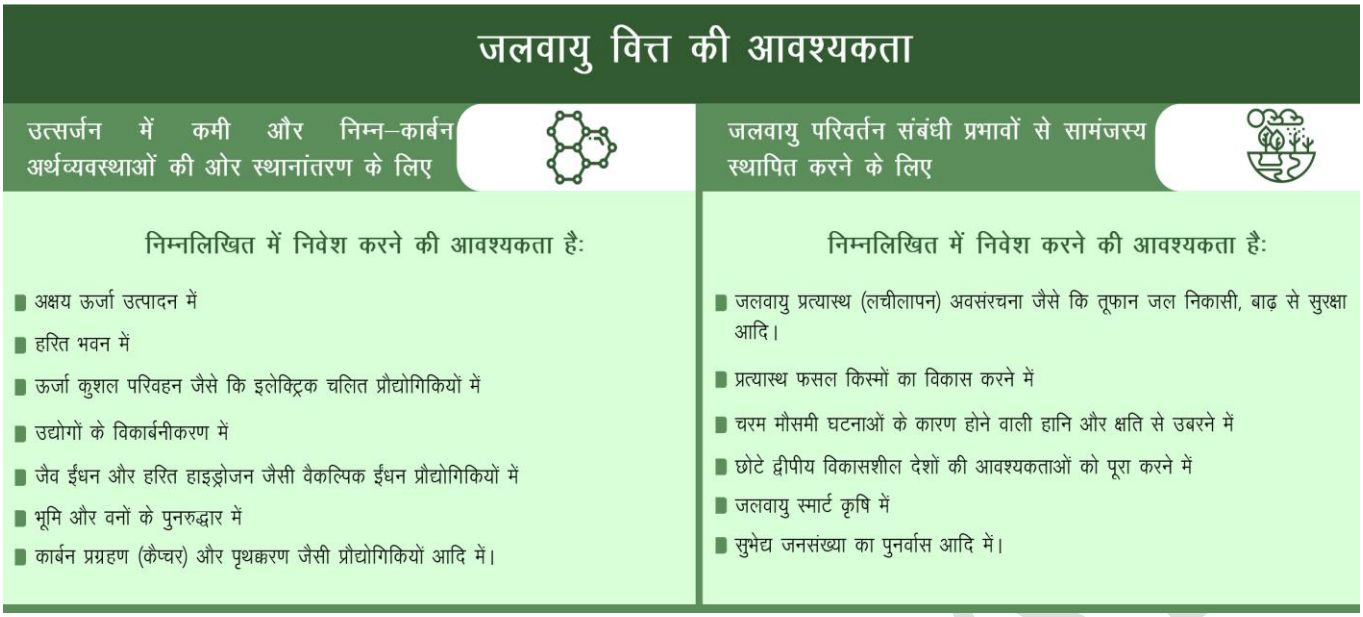

जलवायु वित्त की आवश्यकता

उत्सर्जन में कमी और निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्थाओं की ओर स्थानांतरण के लिए	जलवायु परिवर्तन संबंधी प्रभावों से सामंजस्य स्थापित करने के लिए
निम्नलिखित में निवेश करने की आवश्यकता है:	निम्नलिखित में निवेश करने की आवश्यकता है:
▪ अक्षय ऊर्जा उत्पादन में ▪ हरित भवन में ▪ ऊर्जा कुशल परिवहन जैसे कि इलेक्ट्रिक चलित प्रौद्योगिकियों में ▪ उद्योगों के विकार्बनीकरण में ▪ जैव ईंधन और हरित हाइड्रोजन जैसी वैकल्पिक ईंधन प्रौद्योगिकियों में ▪ भूमि और वनों के पुनरुद्धार में ▪ कार्बन प्रग्रहण (कैप्चर) और पृथक्करण जैसी प्रौद्योगिकियों आदि में।	▪ जलवायु प्रत्यास्थ (लचीलापन) अवसंरचना जैसे कि तूफान जल निकासी, बाढ़ से सुरक्षा आदि। ▪ प्रत्यास्थ फसल किस्मों का विकास करने में ▪ चरम मौसमी घटनाओं के कारण होने वाली हानि और क्षति से उबरने में ▪ छोटे द्वीपीय विकासशील देशों की आवश्यकताओं को पूरा करने में ▪ जलवायु स्मार्ट कृषि में ▪ सुभेद्य जनसंख्या का पुनर्वास आदि में।

जलवायु वित्त जुटाने के समक्ष चुनौतियाँ

- **अपर्याप्त राशि:** वर्ष 2017 और वर्ष 2018 में जलवायु संबंधी वित्त 0.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का आंकड़ा पार कर गया था। वहीं जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के संबंध में तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस के बीच बनाये रखने के लिए आवश्यक निवेश 1.6 से 3.8 ट्रिलियन डॉलर प्रति वर्ष के मध्य होना चाहिए।
- **कोविड-19 वैश्विक महामारी द्वारा अतिरिक्त दबाव:** वैश्विक महामारी के कारण उत्पन्न व्यवधानों जैसे कि कर राजस्व में कमी के साथ और अधिक आपातकालीन सेवाओं की आवश्यकता के कारण वित्तपोषण का प्रवाह जलवायु प्रत्यास्थ परियोजनाओं और नवीकरणीय ऊर्जा से इतर किया जा रहा है।
- **अनुकूलन का अल्प वित्तपोषण:** जलवायु नीति पहल (Climate Policy Initiative) की वर्ष 2019 की जलवायु वित्त परिदृश्य रिपोर्ट (Climate Finance Landscape report) में उल्लेख किया गया था कि अधिकांश वित्त का प्रवाह शमन संबंधी गतिविधियों में किया जा रहा है।
- **'निवेश के लिए तैयार' निम्न-कार्बन/जलवायु-प्रत्यास्थ परियोजनाओं की कमी:** 'निवेश के लिए तैयार' कम ही परियोजनाएं हैं जिनका क्रियान्वयन किया जा रहा है। साथ ही, अधिकांश परियोजनाओं में जलवायु शमन या अनुकूलन संबंधी योगदान के संदर्भ में प्रतिफल के स्तर के बारे में अतिरिक्त आकलन करना अनिवार्य होता है।
- **जलवायु वित्त के बारे में वर्तमान वैश्विक ज्ञान में कमी:** इसमें निम्नलिखित मुद्दे शामिल हैं:
  - जलवायु वित्त या वित्तीय लेखांकन नियमों से संबंधित आधारभूत अवधारणाओं के लिए आम परिभाषाओं की कमी।
  - राष्ट्रीय नीति निर्माताओं द्वारा विद्यमान वित्तपोषण तंत्र के संबंध में सीमित जागरूकता।
  - **जलवायु वित्त प्रदायगी के संबंध में सत्यापित व प्रमाणित मॉडलों की कमी।**
  - निवेश पर भविष्य में प्राप्त होने वाले प्रतिफल और जोखिमों के संबंध में पर्याप्त आंकडों की कमी के **कारण कुछ जलवायु कार्रवाई परियोजनाओं की बैंकों के लिए निम्न-व्यवहार्यता होती है।**
- **अल्प विकसित देशों (Least Developed Countries: LDCs) और छोटे द्वीपीय विकासशील देशों (Small Island Developing States: SIDS) के लिए पर्याप्त वित्त की कमी: वारसॉ इंटरनेशनल मैकेनिज्म (WIM)** को वर्ष 2013 में COP 19 के दौरान आरंभ किया गया था। इसमें निहित है कि चरम मौसमी घटनाओं या समुद्र जल-स्तर में वृद्धि जैसे मंद गति से आरंभ होने वाली जलवायु आपदाओं के बाद जलवायु परिवर्तन पीड़ितों को उबरने में सहायता करने के लिए विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों (SIDS और LDCs) को वित्त, प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण प्रदान किया जाए। हालांकि, विकसित राष्ट्रों की वित्तीय प्रतिबद्धताओं को दृढ़तापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है।
- **अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त तक विकासशील देशों की द्रुत पहुँच में बाधाएं:** उदाहरण के लिए, भारत में हरित वित्त की लगभग 85% की आपूर्ति घरेलू स्रोतों से हुई थी, जिसमें वाणिज्यिक बैंकों और निगमों जैसे निजी अभिकर्ताओं की दो-तिहाई हिस्सेदारी थी। इसके लिए कुशल वितरण माध्यमों की कमी, कम जागरूकता आदि जैसे मुद्दों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

आगे की राह

- सरकारों को जलवायु-स्मार्ट निवेश विकल्पों को प्राथमिकता देने में सहायता करने के लिए **कार्बन-मूल्य निर्धारण तंत्र, जलवायु डेटा प्रणाली और हरित परियोजनाओं में पूंजी निवेश का आकलन करने हेतु मानदंड जैसी सुविधाओं को प्रस्तुत करना चाहिए।**
- निर्णय-निर्माण में कार्बन मूल्य निर्धारण और अन्य जलवायु-स्मार्ट मैट्रिक्स को एकीकृत करके **स्थानीय सरकारों का पूंजी निवेश योजना में सुधार और संवर्धन करना।**
- **बहुपक्षीय विकास बैंकों (Multilateral Development Banks: MDBs) और विकास वित्त संस्थानों (Development Finance Institutions: DFIs)** को आगे बढ़कर पेरिस समझौते के साथ अपने ऋण पोर्टफोलियो को संरेखित करने के उपाय करने चाहिए।
- विकासशील देशों में शमन एवं अनुकूलन गतिविधियों में निजी क्षेत्रक के निवेश को बढ़ावा देने के लिए करों में रियायत प्रदान करने वाली **प्रोत्साहन संरचनाओं और तंत्रों** की आवश्यकता है।
- **जलवायु वित्त की परिभाषाओं का मानकीकरण करना:** विकास वित्त संस्थान सुसंगत परिभाषाओं, वर्गीकरण पद्धतियों और विधियों को विकसित करके परियोजना स्तर पर जलवायु वित्त पर निगरानी रखने और सूचना देने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा दे सकते हैं।
- समग्र रूप से जलवायु परिवर्तन के मुद्दे का समाधान करने के लिए **जलवायु अनुकूलन और शमन में निवेश का संतुलन बनाना चाहिए।**
- **हानि और क्षति की भरपाई करने के लिए अतिरिक्त वित्तपोषण तंत्र विकसित करना:** GCF द्वारा पहले से ही ऐसी गतिविधियों का समर्थन किया जाता है जिन्हे "हानि और क्षति" के संबंध में परिभाषित किया जा सकता है। विकसित राष्ट्रों और वैश्विक बीमा तंत्रों से निजी एवं सार्वजनिक निवेश जुटाकर तथा अन्य निधियों का गठन करके GCF के प्रयासों को हानि और क्षति की भरपाई करने के लिए सुगम बनाया जा सकता है।

निष्कर्ष

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) का अनुमान है कि प्रभावी जलवायु कार्रवाई के लिए देश को वर्ष 2015 से वर्ष 2030 तक 162.5 ट्रिलियन रुपये (2.5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर) या प्रति वर्ष लगभग 11 ट्रिलियन रुपये की आवश्यकता होगी। इसलिए, जलवायु परिवर्तन के वर्तमान और आगामी प्रभावों से निपटने के लिए जलवायु वित्त जुटाने और उसका प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर प्रयासों का संवर्धन करना आवश्यक है।

5.2. दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण (Air Pollution in Delhi and NCR)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संसद के दोनों सदनों द्वारा **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग विधेयक, 2021 (Commission for Air Quality Management in the National Capital Region and Adjoining Areas Bill, 2021)** पारित किया गया। यह अप्रैल 2021 में जारी किए गए अध्यादेश को प्रतिस्थापित करेगा।

भारत में वायु प्रदूषण की गंभीरता

- स्विस संगठन, **IQAir** द्वारा तैयार की गई विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट (World Air Quality Report), 2020 के अनुसार:
  - **वैश्विक स्तर पर शीर्ष 30 सबसे प्रदूषित शहरों में से 22 शहरों के साथ भारत** सबसे प्रदूषित शहरों की रैंकिंग में शीर्ष पर बना हुआ है।
  - दिल्ली के अतिरिक्त, विश्व के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में 21 अन्य भारतीय शहर गाजियाबाद, बुलंदशहर, बिसरख जलालपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ आदि हैं।
  - **भारत में वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत:** इसमें परिवहन, खाना पकाने के लिए बायोमास का दहन, विद्युत उत्पादन, उद्योग, निर्माण, अपशिष्ट का दहन और कृषिगत अवशिष्ट का दहन शामिल हैं।

नए आयोग के लिए तर्काधार

- वर्तमान में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) और निकटवर्ती/आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए स्थायी, समर्पित तथा सहभागी तंत्र का अभाव है जो सहयोगात्मक एवं सहभागी दृष्टिकोण को अपनाते हुए प्रासंगिक केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और अन्य हितधारकों को शामिल करे।
- साथ ही, यह कदम NCR में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए स्थायी समाधान सुनिश्चित करने और स्व-विनियमित व लोकतांत्रिक तरीके से एक निगरानी तंत्र स्थापित करने के लिए आवश्यक था।

इस विधेयक के प्रमुख प्रावधान

- **आयोग के कार्य:** राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) और आसपास के क्षेत्रों **(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और NCR से संलग्न हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश)** में वायु गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं का बेहतर समन्वय, अनुसंधान, पहचान और समाधान करना।
- **संरचना:** इस आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, एक सदस्य-सचिव (संयुक्त सचिव के पद का अधिकारी), पांच पदेन सदस्य, एक पूर्णकालिक सदस्य, तीन पूर्णकालिक स्वतंत्र तकनीकी सदस्य, गैर-सरकारी संगठनों से तीन सदस्य आदि शामिल होंगे।
- **आयोग की शक्तियाँ:** यह आयोग विधेयक में परिभाषित मामलों (जैसे कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन) पर अधिकारिता रखने वाला **एकमात्र प्राधिकरण** होगा। संबंधित राज्य सरकारों, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (Central Pollution Control Board: CPCB), राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य स्तरीय सांविधिक निकायों के आदेशों के संबंध में विरोधाभास की स्थिति में **आयोग के निर्देश या आदेश अभिभावी (मान्य)** होगा। आयोग की शक्तियों में शामिल हैं:
  - वायु गुणवत्ता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों को प्रतिबंधित करना,
  - वायु गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण से संबंधित अन्वेषण और अनुसंधान करना,
  - वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए संहिता एवं दिशा-निर्देश तैयार करना,
  - निरीक्षण या विनियमन सहित मामलों पर निदेश देना जो संबंधित व्यक्ति या प्राधिकारी के लिए बाध्यकारी होंगे।
- **दंड:** विधेयक के प्रावधानों या आयोग के आदेशों और निदेशों का उल्लंघन **पाँच वर्ष तक के कारावास या एक करोड़ रुपये तक जुर्माने या दोनों से दंडनीय होगा।**
  - यह विधेयक किसानों को इन दंडों के दायरे से बाहर रखता है। हालांकि आयोग, पराली (खेत में उपज के कट जाने के बाद बचे हुए ठूँठ) दहन द्वारा प्रदूषण उत्पन्न करने वाले किसानों से पर्यावरण संबंधी क्षतिपूर्ति/प्रतिकर संगृहीत कर सकेगा।
- आयोग के आदेशों के **विरुद्ध कोई अपील राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal: NGT)** में होगी।
- **पूर्णकालिक सदस्यों के लिए चयन समिति** की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रभारी मंत्री द्वारा की जाएगी।

दिल्ली और NCR में वायु प्रदूषण को बढ़ावा देने वाले कारक

- **औद्योगिक प्रदूषण:** CPCB के आंकड़ों से पता चलता है कि राष्ट्रीय राजधानी में अत्यधिक प्रदूषक औद्योगिक क्लस्टर तो हैं ही साथ ही राष्ट्रीय राजधानी के चारों ओर भी ऐसे औद्योगिक क्लस्टर विद्यमान हैं जो वायु, जल या मृदा उत्सर्जन संबंधी सीमाओं को पूरा नहीं करते हैं।
  - उदाहरण के लिए, उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2017 में NCR में पेट्रोलियम कोक और फर्नेस ऑयल जैसे सस्ते विकल्पों के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया था। हालांकि, पड़ोसी राज्यों में इन्हीं ईंधनों उपयोग किया जा रहा है।
- **वाहनों से उत्सर्जन:** CPCB और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (National Environmental Engineering Research Institute: NEERI) ने दिल्ली के बढ़ते वायु प्रदूषण में वाहन से होने वाले उत्सर्जन को प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में चिन्हित किया है।
- **अपर्याप्त सार्वजनिक अवसंरचना:** भारत में सार्वजनिक परिवहन और अवसंरचना में किया जाने वाला निवेश कम है जिससे सड़कों पर निजी वाहनों की अत्यधिक उपस्थिति से वायु प्रदूषण होता है।

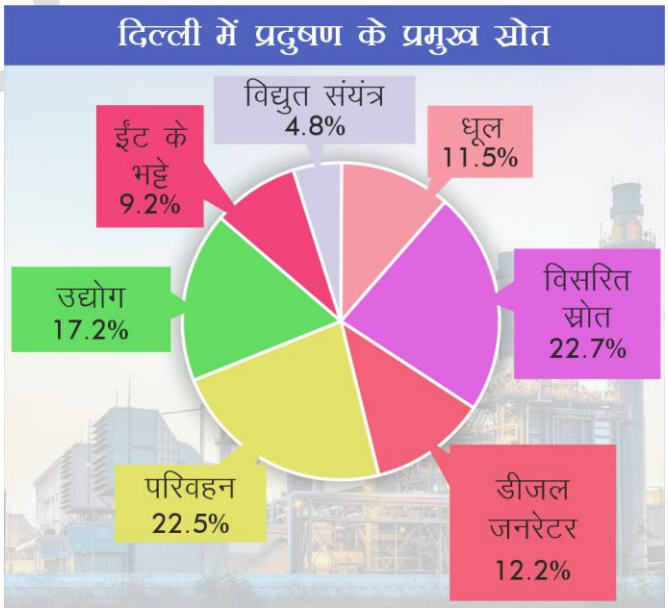

- **व्यापक पैमाने पर निर्माण:** दिल्ली-NCR में निर्माण संबंधी गतिविधियां एक और महत्वपूर्ण कारक हैं जो वायु में धूल एवं प्रदूषण संबंधी वृद्धि कर रही हैं। दिल्ली-NCR में गिरती वायु गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली सरकार के निदेश के तहत कई निर्माण स्थलों पर कार्य बंद कर दिया गया है।
- **अन्य कारण:** राजधानी में अत्यधिक आबादी, कूड़ा-कचरे की डंपिंग भी वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि और वायु में धूम-कोहरा उत्पन्न कर रही है।

- **शीतऋतु के दौरान प्रदूषण में वृद्धि के कारण:**
  - **तापमान में गिरावट:** तापमान में गिरावट के कारण तापीय प्रतिलोमन कम ऊँचाई (यह वायुमंडल का वह परत होती है जिससे परे प्रदूषक वायुमंडल की ऊपरी परत में फैलने में असमर्थ होते हैं) पर होने लगता है। ऐसी दशाओं के दौरान वायु में प्रदूषकों की सांद्रता बढ़ जाती है।
  - **पवन की गति में गिरावट:** उच्च गति वाली पवनें प्रदूषकों को तितर-बितर करने में अत्यधिक प्रभावी होती हैं, लेकिन शीतऋतु के दौरान ग्रीष्मऋतु की तुलना में पवन की गति कम होती है। परिणामस्वरूप वायु की गति धूल कण और प्रदूषक को अपने साथ बहा ले जाने में असमर्थ होती है। ये प्रदूषक मंद पवनों में आबद्ध होकर मौसमी दशाओं को प्रभावित करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप धूम-कोहरे का निर्माण होता है।
  - **पड़ोसी राज्यों में बायोमास दहन:** दिल्ली की स्थिति अपने निकटवर्ती क्षेत्रों के मध्य स्थलरुद्ध (landlocked) के रूप में है और इन राज्यों में विशेष रूप से पंजाब एवं हरियाणा में पराली दहन की घटनाओं को पर्यावरण प्रदूषण का एक प्रमुख कारण माना जाता है। IIT-कानपुर द्वारा दिल्ली के वायु प्रदूषण पर वर्ष 2015 में किए गए स्रोत-प्रभाजन अध्ययन (source apportionment study) में भी कहा गया था कि शीतऋतु के दौरान दिल्ली में सभी कणिकीय पदार्थों में से 17-26% का स्रोत बायोमास दहन है।

दिल्ली के लिए अब तक किए गए प्रमुख प्रदूषण–रोधी नीतिगत उपाय

वर्गीकृत प्रतिक्रिया कार्य योजना	राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम	अन्य पहल
▪ यह वायु की गुणवत्ता में गिरावट (सामान्यतः अक्टूबर–नवंबर की अवधि के लिए) के परिणामस्वरूप चरणबद्ध रूप से आरंभ होने वाले प्रतिबंधों का एक समुच्चय है। इसके अंतर्गत कुछ सख्त उपायों को अपनाया गया है, जैसे– भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध, निजी वाहनों हेतु ऑड–ईवन योजना, निर्माण कार्यों पर रोक आदि।	▪ इसे वर्ष 2019 में आरंभ किया गया था। यह वायु प्रदूषण पर रोक लगाने, एक अखिल भारतीय वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क को सृजित करने तथा नागरिक जागरूकता में सुधार करने वाली एक पांच वर्षीय कार्य योजना है। ध्यातव्य है कि यह कार्यक्रम शहर–विशिष्ट कार्य योजनाओं पर केंद्रित है। ▪ इसका लक्ष्य PM2.5 के स्तर को वर्ष 2024 तक (वर्ष 2017 के स्तर की तुलना में) 20–30 प्रतिशत तक कम करना है। यह योजना मौजूदा नीतियों और कार्यक्रमों, जैसे– जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, इलेक्ट्रिक वाहनों पर पहल और स्मार्ट सिटी मिशन आदि के अनुरूप है।	▪ BS-VI (अत्यधिक स्वच्छ) ईंधन की शुरुआत। ▪ 'हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (FAME-II)' के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना। ▪ ऑड–ईवन को एक आपातकालीन उपाय के रूप में लागू करना। ▪ पूर्वी और पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेस–वे का निर्माण। ▪ सफर (SAFAR) एप्लीकेशन इत्यादि।

  - **पटाखों का दहन:** हो सकता है कि यह धूम-कोहरा का प्रमुख कारण न हो, लेकिन यह निश्चित रूप से इसके निर्माण में योगदान देता है।

आगे की राह

- **नीतिगत अंतराल की पूर्ति:** स्वच्छ ऊर्जा और स्वच्छ परिवहन की दिशा में बढ़ने की गति में तेजी लाना चाहिए। सरकारों को **संधारणीय और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को प्राथमिकता देनी चाहिए।** साथ ही, शहरों को कम लागत वाली, सक्रिय और कार्बन-तटस्थ आवाजाही के विकल्पों जैसे पैदल चलना, साइकिल चलाना और सुलभ सार्वजनिक परिवहन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
- **क्षमता निर्माण:** परिवेशीय कणिकीय पदार्थ और घरेलू वायु प्रदूषण के मंद लेकिन उसके अत्यधिक प्रभाव के बारे में नीति निर्माताओं एवं आम जनता के मध्य अधिक जागरूकता सृजित करने की आवश्यकता है।
- **व्यवहार्य सार्वजनिक परिवहन प्रणाली रणनीति:** जहाँ मेट्रो ने दिल्ली के दैनिक यात्रियों को बड़ी राहत प्रदान की है, वहीं यह सभी आर्थिक वर्गों के लिए व्यवहार्य नहीं है। इसलिए दिल्ली को अत्यधिक बसों का परिचालन करने की आवश्यकता है। साथ ही, कार्यक्षमता से समझौता किए बिना सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करना स्वच्छ वायु की दिशा में सर्वोत्तम उपाय है।
- **निजी क्षेत्रक का वित्तपोषण और भूमिका:** हरित विकास से संबंधित समर्पित निवेश निधि, हरित उद्योगों के विकास को उत्प्रेरित करने और साथ ही वायु प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन की दोहरी समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
  - **ग्रीन सुपरफंड:** एक हरित सुपरफंड का सृजन किया जाना चाहिए जो लाभ के साथ-साथ लोगों और पृथ्वी पर ध्यान केंद्रित करे।
- **अकादमिक और शहरी नियोजन का संबंध:** अभिनव समाधान प्रदान करने के लिए अकादमिक समुदाय का उपयोग किया जा सकता है।
  - उदाहरण के लिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के शोधकर्ताओं ने यह निर्धारित किया है कि यहाँ के शहरी क्षेत्रों में कणिकीय पदार्थ व गैसीय प्रदूषकों (जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन आदि) का समाधान करने में कौन-से वृक्ष अत्यधिक सक्षम हैं। इस ज्ञान का उपयोग शहरी नियोजकों द्वारा शहरी वनों के प्रबंधन में किया जा सकता है।
- **हितधारक के रूप में समुदाय:** नीति-निर्माण में **सुभेद्य समुदायों विशेष रूप से महिलाओं और आदिवासी समुदायों का प्रतिनिधित्व** सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है ताकि उनकी विशिष्ट समस्याओं से अवगत हुआ जा सके और विकास एवं औद्योगिक योजनाएं बनाते समय उनकी समस्याओं को ध्यान में रखा जा सके।

5.3. राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र (National Dolphin Research Centre: NDRC)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत के पहले **राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र (NDRC)** की स्थापना पटना विश्वविद्यालय (बिहार) के परिसर में की जाएगी। यह एशिया का भी पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र होगा।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस केंद्र की स्थापना गंगा नदी के किनारे पर की जाएगी। ज्ञातव्य है कि इस केंद्र की स्थापना **डॉल्फिन परियोजना** के कार्यान्वयन के लिए गठित संचालन समिति की अनुशंसा पर की जा रही है।
- समिति के अनुसार, इसके लिए **बिहार में प्राकृतिक रूप से लाभप्रद स्थिति मौजूद** है, क्योंकि **नदियों में पाई जाने वाली डॉल्फिन की विश्व की 50%** आबादी बिहार में पाई जाती है।
- पहली बार इसका प्रस्ताव वर्ष 2011 में दिया गया था।

गंगा डॉल्फिन अर्थात् गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन के बारे में

- गंगा डॉल्फिन को वर्ष 2009 में **भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव** घोषित किया गया था।
- **संरक्षण की स्थिति:**

सूची/अधिनियम	वर्गीकरण
वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972	अनुसूची-I
वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora: CITES)	परिशिष्ट-I
अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature: IUCN) की लाल सूची	एंडेंजर्ड

- यह प्रजाति **संपूर्ण नदी तंत्र के स्वास्थ्य** का **विश्वसनीय सूचक** होती है।
- यह **विश्व में ताजे जल में पाई जाने वाली डॉल्फिन की चार प्रजातियों में से एक** है। अन्य तीन प्रजातियां हैं:
  - चीन की यांगत्जे नदी में पाई जाने वाली 'बैजी (Baiji)' (व्यावहारिक रूप से वर्ष 2006 के बाद से विलुप्त);
  - अमेजन नदी में पाई जाने वाली 'बोटो (Boto)'; और
  - पाकिस्तान में सिंधु नदी में पाई जाने वाली 'भुलन (Bhulan)'।
- **गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन भारतीय उपमहाद्वीप की स्थानीय प्रजाति** है और इसका व्यापक वितरण समान रूप से है। यह **भारत और बांग्लादेश** की **गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना और कर्णफुली-सांगू नदी प्रणाली** में पाई जाती है। हालांकि, इनकी कुछ संख्या नेपाल की **करनाली और सप्त कोसी नदियों** में पाई जाती है।

- गंगा डॉल्फिन को स्थानीय भाषा में **सूंस** भी कहा जाता है। यह **अंधी** होती है और **प्रतिध्वनिस्थान-निर्धारण (echolocation)** के माध्यम से अपने मार्ग **और शिकार** का पता लगाती है। यह मछली **अशांत जल में पाई जाती है,** जहां उन्हें आहार के लिए पर्याप्त मात्रा में मछलियां मिलती हैं।
  - प्रतिध्वनिस्थान-निर्धारण एक तकनीक है जिसका उपयोग चमगादड़, डॉल्फिन और अन्य प्राणियों द्वारा किया जाता है। इसके माध्यम से **वे परावर्तित ध्वनि का उपयोग करके वस्तुओं के अवस्थान का पता लगाते हैं।**
- ये मंद या निष्क्रिय धारा वाले क्षेत्रों में रहती हैं। **जिससे उनको अपनी ऊर्जा की बचत करने में सहायता मिलती है।** अगर उनको **खतरे का आभास होता है** तो वे **जल की गहराइयों तक गोता लगा सकती हैं। वे मछलियों का शिकार करने के लिए बिना धारा वाले क्षेत्र से लेकर नदी के किनारे** तक चली जाती हैं।

- **स्तनधारी** होने के कारण गंगा डॉल्फिन **जल में सांस नहीं ले पाती हैं** और उनको **प्रत्येक 30-120 सेकेंड में सांस लेने के लिए सतह पर आना पड़ता है। इनके द्वारा सांस लेते समय उत्पन्न आवाज** के कारण इसे **'सूंस/सुसु/सुशुक/सेहो'** के नाम से भी जाना जाता है।
- सामान्य रूप से **इनकी मादाएं, नर की तुलना में बड़ी होती हैं** और प्रत्येक दो से तीन वर्ष में एक बार बच्चे को जन्म देती हैं।

गंगा डॉल्फिन के लिए संरक्षण के प्रयास

- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण कार्य योजना 2010-2020 को कार्यान्वित किया गया।
- **प्रोजेक्ट डॉल्फिन:**
  - इस योजना की घोषणा वर्ष 2020 में की गई थी। इस योजना के तहत 'प्रोजेक्ट टाइगर' की तर्ज पर डॉल्फिन की आबादी में वृद्धि करने की परिकल्पना की गई है।
  - इसे **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित** किया जाएगा।
  - इसमें, विशेषकर **शिकार-रोधी गतिविधि में आधुनिक तकनीक का उपयोग करके** डॉल्फिन और जलीय पर्यावास दोनों का संरक्षण करना सम्मिलित है।
  - इसके अंतर्गत **मछुआरा और अन्य नदी/समुद्र पर आश्रित समुदाय को सम्मिलित किया जाएगा और स्थानीय समुदायों की आजीविका में सुधार** करने का प्रयास किया जाएगा।

QUIZ SMART QUIZ	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **पर्यावरण** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।

6. सामाजिक मुद्दे (Social Issues)

6.1. आंतरिक प्रवास (Internal Migrants)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत के उच्चतम न्यायालय ने **'प्रवासी श्रमिक' वाद** में अपना निर्णय दे दिया है।

अन्य संबंधित तथ्य

विगत वर्ष जब प्रवासी श्रमिक, शहरों को छोड़कर अपने-अपने राज्य या गांवों की ओर पलायन कर रहे थे, **उस समय उनकी दुर्दशा का शीर्ष न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया था।** न्यायालय ने कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान भी इस वाद की सुनवाई जारी रखी और **निम्नलिखित निर्देश जारी किए:**

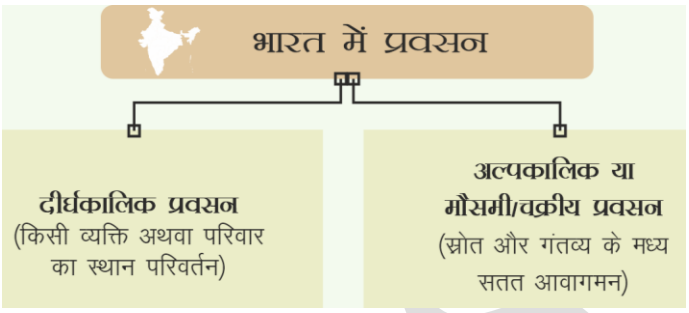

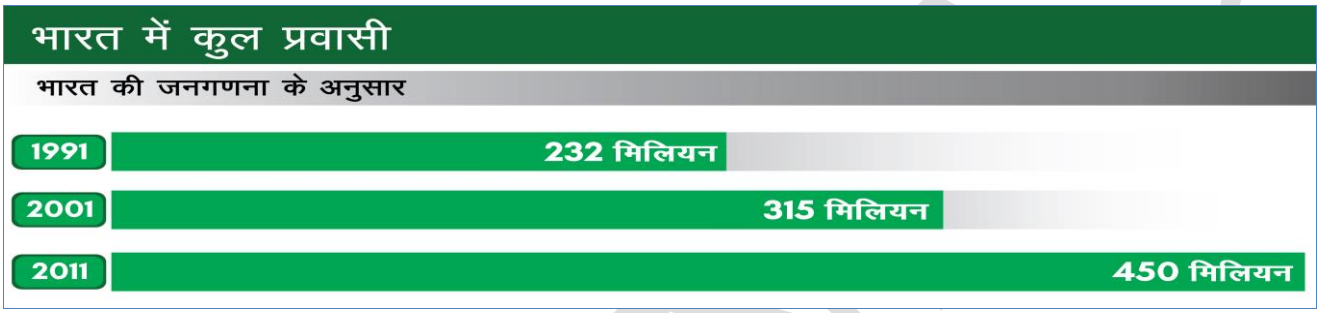

- सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को **31 जुलाई 2021 तक प्रवासी श्रमिकों को लाभ प्रदान करने के लिए** "एक राष्ट्र एक राशन कार्ड" योजना को कार्यान्वित करना होगा।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत **गैर-राशन कार्डधारकों को भी खाद्यान्न प्रदान किया जाए।** साथ ही, सब्सिडी युक्त खाद्यान्न का आवंटन बढ़ाया जाए और प्रवासियों को **कहीं से भी सूखा राशन प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की जाए।**
- **असंगठित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस** (National Database for Unorganised Workers: NDUW) परियोजना के पोर्टल पर संपूर्ण प्रक्रिया को 31 जुलाई, 2021 तक पूर्ण कर लिया जाना चाहिए। केंद्र सरकार और संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों को असंगठित श्रमिकों/प्रवासी श्रमिकों के **पंजीकरण की प्रक्रिया** 31 दिसंबर, 2021 तक पूर्ण करनी होगी।

भारत में आंतरिक प्रवास

- आंतरिक प्रवास को **देशों के भीतर सामान्य निवास में परिवर्तन** के रूप में परिभाषित किया जाता है। भारत में मुख्य रूप से दो प्रकार के प्रवास प्रचलित हैं (इन्फोग्राफिक देखें)।
- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, पिछले निवास के स्थान के आधार पर भारत में **450 मिलियन लोगों** या कुल जनसंख्या के 37 प्रतिशत **द्वारा आंतरिक प्रवास किया गया था।** इन कुल प्रवासियों में 68 प्रतिशत **महिलाएं थीं।**
  - जनगणना के दौरान यदि किसी व्यक्ति की गणना **उस स्थान पर की जाती है, जो उसके ठीक पिछले निवास-स्थान से भिन्न होता है,** तो उसे उसके अंतिम निवास स्थान के आधार पर प्रवासी माना जाता है।

प्रवास के प्रकार के अनुसार आंतरिक प्रवासियों का वितरण

मुख्य भौगोलिक प्रवास की श्रेणी में, **सर्वाधिक प्रवास ग्रामीण क्षेत्रों से अन्य ग्रामीण क्षेत्रों की ओर होता है।** कुल प्रवास में इसका हिस्सा लगभग **62 प्रतिशत** है। इसके उपरांत ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होने वाला प्रवास है। कुल प्रवास में इसका हिस्सा **20 प्रतिशत** है। तत्पश्चात् शहरी क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर प्रवास की दर **13 प्रतिशत** तथा शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्र की ओर प्रवास की दर **5 प्रतिशत** है।

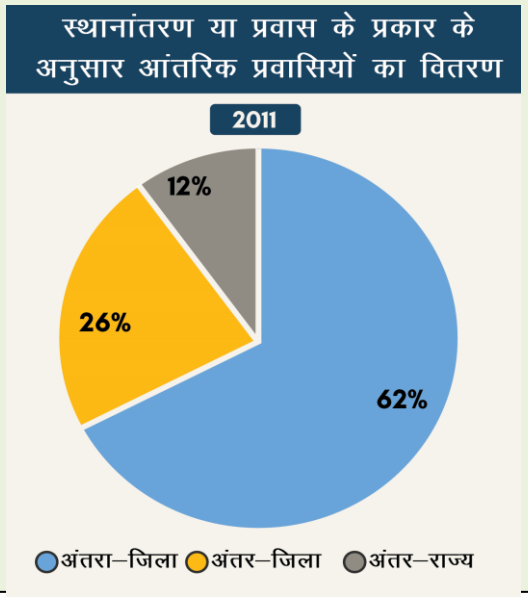

- आर्थिक सर्वेक्षण (2017) के अनुमान के अनुसार, वर्ष 2001 और वर्ष 2011 के मध्य प्रतिवर्ष **50 से 60 लाख भारतीयों ने प्रवास किया था।** इस प्रकार 'लगभग 6 करोड़' लोगों द्वारा **अंतर्राज्यीय प्रवास** और लगभग 8 करोड़ लोगों द्वारा **अंतर-जिला प्रवास** किया गया था।
- एक शोध पत्र के अनुसार, **80 देशों के एक प्रतिदर्श (sample) में** भारत में **आंतरिक प्रवास की दर न्यूनतम** है।
  - **भारत में पांच वर्ष के अंतराल पर अंतर्राज्यीय प्रवास की** दर लगभग 1% है, जबकि अमेरिका में यह 10% और चीन में लगभग 5% है।

अधिकांश प्रवासियों का मूल स्थान (घनी आबादी वाले और कम शहरीकृत राज्य)	**गंतव्य स्थान (अधिक औद्योगीकृत और शहरीकृत राज्य)**
उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़।	महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल।

आंतरिक प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक

- **श्रम बाजार:** निम्न दैनिक मजदूरी, उच्च जोखिम वाली नौकरियां और प्रतिस्थापित किए जाने का भय, अनौपचारिक श्रम बाजार में प्रवासियों के लिए सुभेद्यता के मुख्य घटक हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि कृषि के बाहर **पेशेवर रूप से सुभेद्य कामगारों में लगभग 60 प्रतिशत प्रवासी कामगार हैं।**
- **सामाजिक सुरक्षा का अभाव:** लगभग सभी राज्य **प्रवासियों की आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं देते हैं।** इससे वे **कल्याणकारी सुविधाओं** के लाभ से वंचित हो जाते हैं।
  - यदि राज्यों द्वारा प्रवासियों के लिए लाभों तक पहुँच और सहायता हेतु कुछ प्रावधान किए भी जाते हैं, तो **प्रवासियों को उपयुक्त योजनाओं और नीतियों से अवगत कराने के लिए** कोई उपाय नहीं किए जाते हैं।

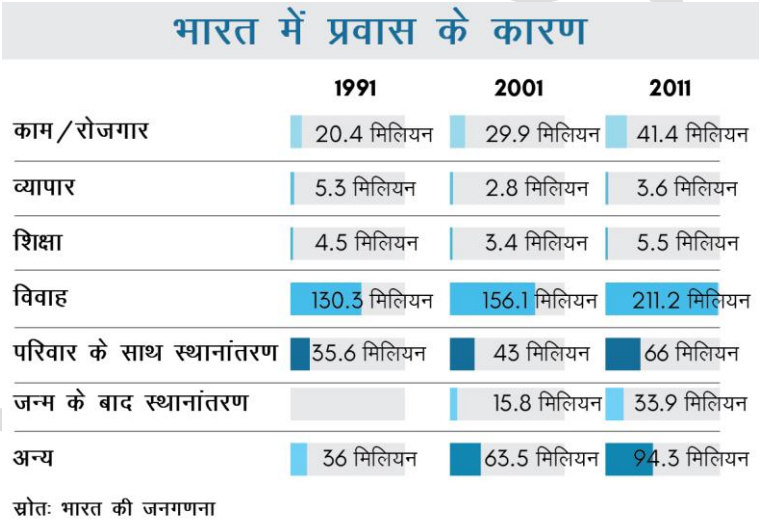

- **शिक्षा और कौशल प्रदान करना:** प्रवासियों के बच्चे आंतरिक प्रवासियों के मध्य सर्वाधिक उपेक्षित एवं सुभेद्य समूहों में से एक माने जाते हैं। **यह शिशु गृह (क्रेच), आरंभिक बाल देखभाल सेवाओं और कार्यस्थल पर अन्य सुविधाओं के अभाव** से स्पष्ट हो जाता है।
  - भारत की वर्ष 2011 की जनगणना से प्राप्त आंकड़ों से ज्ञात होता है कि **57.8% प्रवासी महिलाएँ और 25.8% प्रवासी पुरुष निरक्षर हैं।**
  - प्रमुख गंतव्यों पर लगभग 80 प्रतिशत मौसमी प्रवासी मजदूरों के बच्चों को **कार्यस्थल के समीप शिक्षा सुलभ नहीं होती है।** 40% शोषण और उत्पीड़न का सामना करते हुए कार्य करते हैं।
- **आवास और स्वच्छता:** अधिकांश निम्न आय वाले आंतरिक प्रवासी **मलिन-बस्तियों** में रहते हैं। वहाँ उन्हें स्वच्छता जैसी मूलभूत सुविधाएं प्राप्त नहीं होती हैं। इसके अतिरिक्त, **विस्थापन और रोजगार से निकाल दिए जाने का जोखिम भी सदैव विद्यमान रहता है।**
- **स्वास्थ्य:** उनके प्रवास की शैली (नियमित, चक्रीय, मौसमी प्रवास आदि) जैसे कारकों एवं कार्य करने व रहने की निम्न स्तरीय स्थितियों का उनके स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।
- **राजनीतिक भागीदारी:** अंतर्राज्यीय प्रवासी अपने **मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं,** क्योंकि मतदान करने के लिए स्थानीय निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता नामावली में उनका नाम होना चाहिए। मतदाता नामावली में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया भी अत्यधिक समयसाध्य होती है। **मौसमी श्रमिकों के लिए उसकी कोई सार्थकता नहीं** होती है, क्योंकि वे गंतव्य स्थान के स्थायी निवासी नहीं होते हैं।
- **पहचान और पंजीकरण:** प्रवासियों के पास गंतव्य राज्य में प्रायः **उचित निजी पहचान का अभाव होता है।** राष्ट्रीय पहचान प्रणाली (आधार) के अतिरिक्त, भारत में **राज्य की पहचान प्रणाली का भी प्रावधान है जिसे अधिवास/निवास (domicile/residency) कहते हैं।** यह अधिवास प्रमाण-पत्र उन लोगों को जारी किया जाता है, जो **संबंधित राज्य में जन्म लेते हैं या उन प्रवासियों को, जो एक निर्दिष्ट अवधि** (यह राज्यवार भिन्न-भिन्न होती है) **से उस राज्य में रह रहे हैं** और उन्होंने अधिवास प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन किया है।
- **जीवन स्तर में नगण्य उत्थान:** अनौपचारिक सामाजिक संबंध (उदाहरण के लिए, मित्र, पड़ोसी, एक ही जाति समूह के सदस्य या एक ही गांव के निवासी) आरंभिक चरण में शहरी रोजगार बाजार में प्रवासियों को रोजगार प्राप्त करने में सहायता करते हैं, किन्तु इसका उनके सामाजिक उत्थान पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है।

- **प्रवासियों की उपेक्षा:** स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रवासियों को **'बाहरी' के रूप में देखा जाता है** और **'मूलनिवासी विचारधारा'** के लिए राजनीतिक समर्थन होने के कारण उन्हें शहरों में अधिकार प्राप्त नहीं होता है।
    - **प्रवासियों के अपवर्जन और उनके साथ भेदभाव** तथा मीडिया में उनकी नकारात्मक छवि के कारण प्रवासियों एवं स्थानीय लोगों में असामंजस्य वृद्धि हुई है।

कोविड-19 के कारण उत्पन्न अन्य समस्याएं

- **आवागमन संबंधी संकट:** इस महामारी ने गंभीर 'आवागमन संकट' उत्पन्न किया था। ऐसा, प्रवासियों द्वारा **किसी भी उपलब्ध साधन के माध्यम से घर लौटने के** प्रयास के कारण हुआ। इससे, उनका प्राधिकारियों से **टकराव** हुआ और उन्हें पुलिस की आक्रामकता का सामना करना पड़ा। इसके अतिरिक्त, अंत समय में उनके लिए नीतिगत राहत और **अंततः परिवहन के साधनों का प्रबंध किया गया था।**
- **वृद्धिशील अनिश्चितता:** प्रवासी श्रमिकों को तत्काल जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा था, उनमें भोजन, आश्रय, मजदूरी का नुकसान, परिवार की चिंता, तनाव और भय सम्मिलित थे। **भाषाई और तकनीकी बाधाओं** ने मिथ्या सूचनाओं के प्रसार के कारण अनिश्चितता में वृद्धि की थी।
- **संक्रमण का अत्यधिक खतरा:** इस प्रकार का खतरा **निर्धनता, घर में अत्यधिक भीड़ भाड़ वाली स्थिति** और कार्य के दौरान कर्मियों के उच्च संकुलन के कारण उत्पन्न हुआ था, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में शारीरिक दूरी बनाए रखना कठिन होता है।
- **बेरोजगारी में वृद्धि:** अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के एक अनुमान के अनुसार कोविड-19 के प्रभाव के कारण **विश्व भर में 25 मिलियन लोग बेरोजगार हो सकते हैं।** ऐसा माना जाता है कि 'कम से कम' 5.3 मिलियन लोग और 'अधिक से अधिक' 24.7 मिलियन लोग अपने रोजगार से वंचित हो सकते हैं।
- **लिंग आधारित हिंसा के खतरे में वृद्धि:** लॉकडाउन और आवागमन पर प्रतिबंध से सुभेद्य समूहों जैसे- महिलाओं के लिए सहायक संपर्कों की **सुलभता सीमित** हो गई थी।

प्रवासियों के लिए किए गए उपाय

नीति के उपक्षेत्र	विवरण
खाद्य सुरक्षा	**एक राष्ट्र एक राशन कार्ड:** सब्सिडी युक्त खाद्यान्न का वितरण किया गया। इसके लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में बायोमेट्रिक तकनीक से प्रमाणीकृत ePoS लेन-देन की व्यवस्था करके, **राष्ट्रव्यापी स्तर पर एक राशन कार्ड से देश के किसी भी भाग में राशन की सुविधा उपलब्ध कराई गई।**
पेंशन	**प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना:** यह असंगठित क्षेत्रक के कामगारों के लिए वृद्धावस्था में सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा की एक योजना है।
बाल प्रवासियों की शिक्षा	**चंगती परियोजना:** यह योजना केरल राज्य साक्षरता मिशन द्वारा कार्यान्वित की गई एक साक्षरता योजना है। इसका लक्ष्य प्रवासी बच्चों को मलयालम सिखाना है।
स्वास्थ्य	**आयुष्मान भारत योजना:** वर्ष 2018 में आरंभ की गई यह योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा/ आश्वासन योजना है। इसके लिए संपूर्ण वित्तपोषण सरकार द्वारा किया जाता है। योजना का लाभ **देश में कहीं भी लिया जा सकता है**, जैसे कि इस योजना का लाभार्थी, देश के किसी भी निर्दिष्ट सरकारी या निजी अस्पताल में जाकर नकदी रहित उपचार की सुविधा प्राप्त कर सकता है।
श्रमिक और प्रवासी कामगारों की सुरक्षा के लिए विधायी उपाय	• **अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979,** • **भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम,1996 और** • **असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008।** • **सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में** उल्लिखित उपयुक्त प्रावधान।
रोजगार	**गरीब कल्याण रोजगार अभियान (GKRA):** इसे कोविड-19 प्रकोप के कारण, **अपने गांव लौटने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों को** बढ़ाने हेतु आरंभ किया गया था। इसके अंतर्गत, प्रवासी मजदूरों के **कौशल की मैपिंग की गई** और महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से संबद्ध किया गया।

प्रवास के सकारात्मक प्रभाव

- **मानव संसाधनों का इष्टतम उपयोग:** आंतरिक प्रवास का परिणाम यह हुआ है कि मानव संसाधनों का उन **क्षेत्रकों और क्षेत्रों** में अधिक **प्रभावी आवंटन** हुआ है, जहां उनका बेहतर उपयोग किया जा सकता है।
- **कठोर नियमों से वचन:** इससे **सामाजिक विभाजन और प्रतिबंधात्मक सामाजिक नियमों** से बचने तथा गंतव्य स्थान पर गरिमापूर्ण एवं स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करने का अवसर मिलता है।
- **महिला सशक्तीकरण:** पिछड़ी हुई महिलाएं सशक्तीकरण का लाभ प्राप्त करती हैं। उनकी सामाजिक अंतर्क्रिया में वृद्धि होती है और **परिवार में कामगार एवं निर्णय निर्माता** के रूप में उनकी भागीदारी बढ़ती है।
- **सामाजिक प्रेषण:** प्रवासी अपने साथ विभिन्न प्रकार के **कौशल, नवाचार, और ज्ञान** लेकर अपने क्षेत्र में लौटते हैं जिन्हें 'सामाजिक प्रेषण' कहा जाता है। इसमें रुचियों, अवधारणा और व्यवहार में परिवर्तन भी सम्मिलित हैं। उदाहरण के लिए, उन्हें श्रमिकों के अधिकारों के बारे में अधिक जानकारी और जागरूकता होती है।
- **मानव पूंजी में वृद्धि:** साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि आय में वृद्धि से, प्रवासियों द्वारा भेजे जाने वाले धन से **मानव पूंजी निर्माण पर निवेश** के लिए प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि इससे स्वास्थ्य और शिक्षा पर व्यय बढ़ता है।

प्रवासियों को सेवा प्रदान करने में आने वाली चुनौतियां

- **अपर्याप्त आंकड़े:** आंतरिक प्रवास के **विस्तार, प्रकृति, और परिमाण से संबद्ध आंकड़ों में व्यापक अंतराल मौजूद है।** इसके कारण प्रवासियों को सेवा उपलब्ध कराने में बाधाएं उत्पन्न होती है। जनगणना जैसे वृहद डेटाबेस प्रवासियों के लघु आवधिक प्रवाह को पर्याप्त रूप से दर्ज करने में विफल रहे हैं और प्रवास के द्वितीयक कारणों को दर्ज नहीं किया गया है।
  - आधिकारिक आंकड़े (जनगणना या राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण) **एक दशक से अधिक पुराने हैं।** जनगणना 2011 के प्रवास के आंकड़ों को वर्ष 2019 में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया था।
- **नीतिगत अंतराल:** उदाहरण के लिए, अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 {inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act (1979)} **केवल उन प्रवासियों पर लागू होता है, जो राज्य की सीमा को पार करते हैं** और इसलिए प्रवासियों का एक बड़ा वर्ग इसकी सीमा से बाहर हो जाता है। **इसमें गैर-पंजीकृत ठेकेदारों और प्रतिष्ठानों की निगरानी संबंधी उपबंध नहीं किए गए हैं** और यह क्रेच, शिक्षा केंद्र आदि के प्रावधानों पर मौन है।
  - **असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम** (Unorganised Workers' Social Security Act) में न तो एक राष्ट्रीय न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा पैकेज और न ही अनिवार्य पंजीकरण के प्रावधान को सम्मिलित किया गया है।
- **कम ध्यान दिया जाना:** प्रवासियों की **गतिमान और अदृश्य आबादी होती है,** जो अपने मूल एवं गंतव्य क्षेत्रों के बीच गमनागमन करती रहती है। **यह आबादी समाज की परिधि पर होती है** अर्थात् समाज के केंद्र में इन्हें कोई स्थान नहीं मिलता है। भारत में, आंतरिक प्रवास को सरकार द्वारा बहुत निम्न प्राथमिकता की श्रेणी में रखा जाता है।
  - प्रवासियों के उनके मूल स्थान पर रहने वाले परिवारों को वित्तीय प्रेषण के सुरक्षित अंतरण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए **संस्थागत और शासकीय सहायता** का अभाव है।
  - प्रवासियों को किसी एक सजातीय श्रेणी में नहीं रखा जाता है, बल्कि उन्हें **लिंग, वर्ग, नृजातीयता, भाषा, और धर्म के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है।**
- **सामाजिक सुरक्षा पर व्यय में कमी:** अनुमानों से पता चलता है कि सभी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों पर **केंद्र सरकार** के व्यय में गिरावट आई है। वर्ष 2013-14 में यह व्यय 1.6 प्रतिशत था, जो **वर्ष 2019-20 में केवल 1.28 प्रतिशत** ही रह गया था।

आगे की राह

प्रवास पर सुसंगत विधिक और नीतिगत ढांचा

- प्रवासन को नीति निर्माण करने में और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में व्यापक और केंद्रित आधार पर महत्व दिया जाना चाहिए।
- लोक सेवाओं और सरकारी कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रवासियों के लिए लक्षित घटकों और विशेष पहुँच वाली रणनीतियों का निर्माण करना चाहिए।

जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना

- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936; ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970; समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 आदि सहित मौजूदा श्रम विधियों के कार्यान्वयन को प्राथमिकता देना।
- प्रवासियों के लिए लोक सेवाओं तक पहुँच प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं के बारे में नीति निर्माताओं, स्थानीय सरकारी अधिकारियों, NGOs, नियोक्ताओं और वित्तीय संस्थानों को संवेदनशील बनाना और प्रशिक्षित करना चाहिए।

साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को सक्षम करने के लिए ज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में व्याप्त अक्षमता की पूर्ति करना

- जनगणना और सर्वेक्षणों के डिजाइन को संशोधित करना चाहिए, ताकि प्रवासन के संबंध में लैंगिक–आधारित और आयु–आधारित पृथक डेटा को पर्याप्त रूप से संग्रहित किया जा सके।
- आंतरिक प्रवासन का विस्तृत देशव्यापी मानचित्रण करना।
- राज्य स्तर के अनुसंधान संस्थानों को प्रवासन की राज्यवार प्रकृति, समय, अवधि और प्रवासन चक्र के परिमाण का मानचित्रण को शामिल करते हुए राज्य प्रवासन प्रालेख विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना।

संस्थागत तत्परता में सुधार और क्षमता निर्माण करना

- प्रवासी कामगारों के डेटाबेस को बनाए रखने के लिए पंचायतों की क्षमता का निर्माण करना और स्थानीय स्तर पर नए प्रवासियों के प्रवेश की पहचान करने के लिए सतर्कता समितियों का गठन करना।
- श्रम मंत्रालय के सहयोग से प्रत्येक राज्य के श्रम विभाग में प्रवासी श्रम प्रकोष्ठ की स्थापना करना।
- सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के बीच संयुक्त रूप से संस्थागत व्यवस्था की योजना बनाना तथा अंतर–जिला और अंतर–राज्य समन्वय समितियां गठित करना।

सार्वभौमिक राष्ट्रीय न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा पैकेज तैयार करना

- असंगठित क्षेत्र में उद्यमों के लिए राष्ट्रीय आयोग (National Commission for Enterprises in the Unorganised Sector: NCEUS) द्वारा अनौपचारिक श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा योजना संबंधी अनुशंसाओं को अपनाना। इसमें पंजीकरण के मामले में संपूर्ण पोर्टेबिलिटी, प्रीमियम का भुगतान (जहां लागू हो) और सभी श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा पैकेज जैसी सुविधाओं को शामिल किया गया है।

निष्कर्ष:

चूंकि, प्रवास का सभी क्षेत्रकों पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा **विविध एवं पूरक प्रयास किए जाने** की आवश्यकता है, जिससे कि प्रवास को सुगम बनाया जा सके। साथ ही, यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रवासियों को **देश के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन में एकीकृत किया जाए।**

6.2. जनसंख्या नियंत्रण नीति (Population Control Policy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विश्व जनसंख्या दिवस (11 जुलाई) पर उत्तर प्रदेश सरकार ने **वर्ष 2021 से वर्ष 2030 की अवधि के लिए एक नई जनसंख्या नीति की घोषणा** की है। इस वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस-2021 का विषय (थीम) है- **'कोविड-19 महामारी का प्रजनन क्षमता पर प्रभाव' (the impact of the Covid-19 pandemic on fertility)।**

अन्य संबंधित तथ्य

- प्रस्तावित **उत्तर प्रदेश जनसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण) विधेयक, 2021** के अधिनियम बन जाने के उपरांत इसके प्रावधान **राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष पश्चात् लागू होंगे।**
- यह **बढ़ती जनसंख्या के कारण संसाधनों पर पड़ रहे दबाव की ओर संकेत करते हुए** एक जनसंख्या नियंत्रण नीति की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
- **उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है।** इसकी जनसंख्या लगभग 220 मिलियन अर्थात् 22 करोड़ है।

कुछ राज्य जो दो बच्चों के मानदंड का पालन करते हैं

- **राजस्थान में**, जिनके दो से अधिक बच्चे हैं, वे सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं हैं।
- **मध्य प्रदेश वर्ष** 2001 से दो बच्चों के मानदंड का पालन कर रहा है।

- मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियमों के अंतर्गत, यदि तीसरे बच्चे का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद हुआ है, तो व्यक्ति सरकारी सेवाओं के लिए अपात्र हो जाता है।

- **महाराष्ट्र में भी**, स्थानीय निकाय चुनाव में प्रत्याशियों को दो से अधिक बच्चे होने के कारण चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है।
- **गुजरात** ने भी वर्ष 2005 में स्थानीय कानून में संशोधन किया था, ताकि दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी व्यक्ति को स्थानीय स्वशासन निकायों के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जा सके।

इस नीति की प्रमुख विशेषताएं

- परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत जारी किए गए **गर्भनिरोधक उपायों की सुलभता में वृद्धि** के प्रयास करना और सुरक्षित गर्भपात के लिए एक उचित प्रणाली प्रदान करना।
- **नवजात शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर** को कम करना।
- जनसंख्या नियंत्रण मानदंडों का अनुपालन करने वाले उन कर्मचारियों को पदोन्नति, आवास योजनाओं में रियायतें और अन्य सुविधाएं प्रदान करना, जो जनसंख्या नियंत्रण मानदंडों का पालन करते हैं और उनके दो या उससे कम बच्चे हैं।
  - एक बच्चे वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित प्रोत्साहनों में वेतन वृद्धि, पदोन्नति और आवास योजनाओं में रियायतें शामिल हैं।
  - गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित प्रोत्साहन में जल, आवास करों और गृह ऋण या होम लोन पर छूट सम्मिलित है।
- यदि एक बच्चे के माता-पिता पुरुष नसबंदी (Vasectomy) का विकल्प चुनते हैं, तो उनका **बालक 20 वर्ष की आयु तक नि:शुल्क चिकित्सा सुविधाओं का पात्र होगा।** ऐसे बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा, बीमा और सरकारी नौकरियों में वरीयता देने का भी प्रस्ताव किया गया है।
- इसके क्रियान्वयन के लिए एक राज्य जनसंख्या कोष का गठन भी किया जाएगा।

उच्च जनसंख्या वृद्धि के कारण

जनसांख्यिकीय संक्रमण का हिस्सा

- इस संक्रमण के दूसरे चरण में, मृत्यु दर में जन्म दर की तुलना में तेजी से गिरावट आती है, जो साफ–सफाई, स्वच्छता में सुधार, एंटीबायोटिक दवाओं और टीकाकरण के माध्यम से संक्रामक रोगों के नियंत्रण से प्रेरित होती है। अतः जनसंख्या की वृद्धि दर बढ़ जाती है।

निम्न सामाजिक–आर्थिक विकास और साक्षरता

- उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 67.68% है (जनगणना 2011); और 25% से कम महिलाओं को पूर्ण प्रसवपूर्व देखभाल प्राप्त होती है। उत्तर प्रदेश में प्रति दम्पत्ति औसतन चार बच्चे हैं।
- इसके विपरीत, केरल में लगभग प्रत्येक व्यक्ति साक्षर है और लगभग हर महिला को प्रसव पूर्व देखभाल प्राप्त होती है। केरल में प्रति दम्पत्ति औसतन दो बच्चे हैं।

शिशु मृत्यु दर (IMR) {प्रति 1,000 जीवित जन्मों में शिशुओं की मृत्यु (एक वर्ष से कम)}

- IMR का वर्तमान अखिल भारतीय औसत 32 है जो पहले (वर्ष 1961 में 115) की तुलना में बहुत कम है। हालांकि, अधिकांश विकसित देशों में यह आंकड़ा 5 से कम है। अनुभवजन्य सहसंबंध बताते हैं कि उच्च IMR, अधिक बच्चों को जन्म देने की इच्छा को प्रेरित करता है।

अल्प आयु में विवाह

- करीब 27 प्रतिशत महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले हो जाता है। अल्प आयु में विवाह न केवल अधिक बच्चों की संभावना को बढ़ाता है, बल्कि यह महिला के स्वास्थ्य के विरुद्ध भी खतरा उत्पन्न करता है।

गर्भ निरोधकों का कम प्रयोग

- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) के अनुसार, भारत में लगभग 75.4% विवाहित पुरुष वर्तमान में गर्भनिरोधक के किसी भी विकल्प का उपयोग नहीं करते हैं। परिवार नियोजन के निर्णय में केवल 18% महिलाओं को ही निर्णय लेने का अधिकार होता है।

अन्य सामाजिक–आर्थिक कारक

- बड़े परिवारों द्वारा विशेष रूप से एक लड़के के लिए वरीयता दिया जाना भी उच्च जन्म दर को प्रेरित करता है। यह अनुमान लगाया गया है कि एक लड़के के लिए वरीयता और उच्च IMR दोनों संयुक्त रूप से देश में कुल जन्म में 20% का योगदान देते हैं।
- ऐसे परिवार जो गरीबी, प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित रहे हैं, या जिन्हें काम करने के लिए और अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता है, वे जनसंख्या वृद्धि के लिए एक प्रमुख कारक हैं।

जनसंख्या नियंत्रण नीति के पक्ष में तर्क

वर्तमान में, **भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का लगभग 16 प्रतिशत है।** संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2027 तक चीन को पीछे छोड़कर **विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा।** ज्ञातव्य है कि भारत के पास वैश्विक सतही क्षेत्रफल का केवल 2.45 प्रतिशत और जल संसाधन का केवल 4 प्रतिशत है। इसके परिणामस्वरूप **निम्नलिखित संदर्भों में कुछ चुनौतियां उत्पन्न होती हैं,** यथा– भोजन, वस्त्र एवं आवास पर दबाव; बेरोजगारी; जीवन का स्तर; शिक्षा; पर्यावरण क्षरण; अवसंरचना पर दबाव; आय का असमान वितरण आदि।

भोजन, वस्त्र और आवास पर दबाव

- तेजी से बढ़ती जनसंख्या वाले देश को मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे कि आवश्यक भोजन, न्यूनतम वस्त्र और उचित आवास सुविधाओं की कमी के कारण गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यह मानव जीवन शैली को प्रभावित करता है और इसका परिणाम मलिन बस्तियों, भुखमरी आदि के रूप में परिणत होता है।

बेरोज़गारी

- अत्यधिक जनसंख्या बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी की समस्या को बढ़ा देती है। रोजगार की इच्छा रखने वाले लोगों की संख्या की तुलना में रिक्तियों की संख्या नगण्य है, जिसके परिणामस्वरूप निम्न आय वाले समूह और बड़े परिवार अंततः एकल आय–अर्जक पर निर्भर रहते हैं।

जीवन स्तर

- अत्यधिक जनसंख्या के परिणामस्वरूप निम्न आय वाले बड़े परिवारों का सृजन होता है, जिससे संबंधित व्यक्तियों का जीवन–स्तर निम्नतर बना रहता है।

शिक्षा

- निम्न आय वाले बड़े परिवार अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का व्यय वहन नहीं कर सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप निरक्षरता की समस्या उत्पन्न होती है और संबंधित वर्ग के मध्य सीमित जागरूकता की स्थिति बनी रहती है।

पर्यावरण-क्षरण

- अत्यधिक जनसंख्या के कारण वायु, जल, मृदा और ध्वनि प्रदूषण, अस्वच्छ दशाओं, वनों की कटाई के कारण बाढ़ और मृदा अपरदन में वृद्धि से पर्यावरण–क्षरण होने लगता है।

अवसंरचना पर दबाव

- दुर्भाग्य से अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास जनसंख्या वृद्धि के साथ संतुलन स्थापित नहीं कर पा रहा है। परिणामस्वरुप परिवहन, संचार, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल आदि का अभाव बना रहता है।

आय का असमान वितरण

- बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण देश के भीतर आय का असमान वितरण होता है और असमानता में वृद्धि होती जाती है।

जनसंख्या नियंत्रण नीति के विरुद्ध तर्क

- **कुल प्रजनन दर (Total Fertility Rate: TFR) में पहले से ही गिरावट जारी है:** 36 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में से 28 ने पहले ही **2.1** या उससे कम प्रजनन क्षमता की प्रतिस्थापन दर प्राप्त कर ली है।
  - TFR एक महिला द्वारा उसके जीवनकाल में पैदा किए गए बच्चों की संख्या है। 2.1 की प्रजनन दर, जनसंख्या स्थिरीकरण की ओर संकेत करती है।
  - इसके अतिरिक्त, दशकीय वृद्धि दर वर्ष 1990-2000 की 21.54 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2001-11 में 17.64 प्रतिशत रह गई है।
- **चीन का अनुभव:** जनसांख्यिकीविदों ने चीन की एक बालक नीति का अध्ययन करने के उपरांत यह चेतावनी दी है कि कठोर जनसंख्या नियंत्रण उपायों के नकारात्मक परिणाम होंगे। इनमें बुजुर्गों की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, विषम लिंगानुपात और कार्यशील आयु की आबादी में गिरावट आदि शामिल हैं। इससे आर्थिक विकास के समक्ष खतरा उत्पन्न होगा।
  - चीन ने वर्ष 2016 में एक बालक नीति को शिथिल कर दिया था।
- **महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव:** विश्व में भारत में महिला बंध्याकरण (sterilization) की दर उच्चतम है, जिसमें लगभग 37% महिलाओं महिलाओं का ऑपरेशन हुआ है। पुरुषों का केवल एक छोटा हिस्सा पुरुष बंध्याकरण का विकल्प चुनता है।
- **कन्या भ्रूण हत्या:** यह नीति लैंगिक भेदभाव की एक चिंताजनक प्रवृत्ति को भी उत्पन्न कर सकती है, क्योंकि लड़के की इच्छा से गर्भपात और कन्या शिशु हत्या की घटनाएं हो सकती हैं।

- **समाज के सुभेद्य वर्ग को दंडित करना:** सब्सिडी वापस लेने जैसे प्रोत्साहन-बाधक उपाय, केवल लोगों के एक बहुत छोटे हिस्से को लक्षित करेंगे। कभी कभी यह अत्यधिक निर्धनता, जागरूकता की कमी या गर्भ निरोधकों अथवा गर्भपात के व्यय को वहन करने में असमर्थता आदि के कारण होता है, जिसके कारण लोग अधिक बच्चों को जन्म देते हैं।
- **प्रतिकूल परिणाम की संभावना:** अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ है कि दो बच्चों की नीति अपनाने वाले राज्यों में पुरुषों ने अपनी पत्नियों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए तलाक दे दिया और अयोग्यता से बचने के लिए परिवारों ने दूसरों के द्वारा दत्तक ग्रहण के लिए बच्चों को त्याग दिया।

जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय

- भारत **विश्व का प्रथम देश** है, जिसने वर्ष **1952 में ही परिवार नियोजन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम** आरंभ किया था।
- **राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000** ने जनसंख्या स्थिरीकरण की समस्या के लिए एक केंद्रित दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है।
  - **राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन वर्ष 2000 में किया गया था।** इसका अध्यक्ष प्रधान मंत्री होता है। यह राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा, निगरानी और संबंधित निर्देश देने हेतु अधिदेशित है।
- **मिशन परिवार विकास** 7 उच्च प्राथमिकता वाले राज्यों के 146 उच्च जनन क्षमता वाले जिलों में गर्भ निरोधकों और परिवार नियोजन सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए आरंभ किया गया है।
- **विस्तारित गर्भनिरोधक विकल्प:** वर्तमान गर्भनिरोधक विकल्पों का विस्तार किया गया है। इनमें नए गर्भ निरोधकों अर्थात् इंजेक्शन योग्य गर्भनिरोधक (अंतरा कार्यक्रम) और सेंटक्रोमैन (छाया) को सम्मिलित किया गया है।
- **प्रसवोत्तर अंतर्गर्भाशयी गर्भनिरोधक उपकरण (PPIUCD) प्रोत्साहन योजना** आरंभ की गई है। इसके अंतर्गत PPIUCD सेवाएं प्रसव के उपरांत प्रदान की जाती हैं।
- **पुन: डिजाइन की गई गर्भनिरोधक पैकेजिंग:** कंडोम, मौखिक गर्भनिरोधक गोली (OCPs) और आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली (ECPs) की पैकेजिंग में अब सुधार किया गया है और इनकी मांग को बढ़ाने के लिए इन्हें पुनः डिजाइन किया गया है।
- **परिवार नियोजन मीडिया अभियान:** गर्भनिरोधकों की मांग सृजित करने के लिए एक समग्र मीडिया अभियान संचालित किया जा रहा है।
- पुरुष भागीदारी पर बल देने के लिए प्रत्येक वर्ष नवंबर में संपूर्ण देश में **पुरुष नसबंदी पखवाड़ा** मनाया जाता है।
- आशा (ASHA) कार्यकर्ताओं द्वारा लाभार्थियों के **घर-घर जाकर गर्भ निरोधकों की होम डिलीवरी की योजना** आरंभ की गई है।
- **फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इनफॉर्मेशन सिस्टम (FP-LMIS)** परिवार नियोजन से जुड़े घटकों की अंतिम छोर तक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

आगे की राह

- **बेहतर परिवार नियोजन कार्यक्रम:** ये सामान्यत: जन्म अंतराल और गर्भनिरोधक तक पहुंच में वृद्धि करते हैं। ये कुपोषण को कम करने, पारिवारिक लागत को न्यून करने और मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को निम्न करने में सहायक सिद्ध हो चुके हैं। इनसे प्रजनन दर में और गिरावट आई है।
- **महिला सशक्तीकरण:** यह प्रभावी जन्म नियंत्रण लागू करेगा, जिसका बच्चों की उत्तरजीविता पर सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होगा। इसके प्रतिफल में जन्म नियंत्रण की सुविधा प्राप्त होती है।
  - **काहिरा कन्सेंसस (वर्ष 1994)** महिलाओं के स्वास्थ्य, सशक्तीकरण और अधिकारों को केंद्र में रखते हुए, जनसंख्या एवं विकास के नए दृष्टिकोणों को रेखांकित करता है।
- **बेहतर स्वास्थ्य देखभाल:** यह समझना महत्वपूर्ण है कि जनसांख्यिकीय संक्रमण में बाल मृत्यु दर में गिरावट सदैव प्रजनन क्षमता में गिरावट से पहले होती है। इसलिए, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल आवश्यक है और उत्तम स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में कमी, लगातार बढ़ रही उच्च प्रजनन क्षमता के कारणों में से एक है।
- **शिक्षा में निवेश:** चूंकि, यह जन्म नियंत्रण की प्रेरणा में वृद्धि करता है, इसलिए एक अधिक दूरदर्शी जीवन शैली को बढ़ावा देता है और प्रभावी गर्भनिरोधकों हेतु क्षमता में बढ़ोत्तरी करता है।
  - यदि भारत एक देश के रूप में लड़कियों के लिए कम से कम पांच वर्ष की स्कूली शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित करता है, तो इसकी प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर से काफी नीचे हो सकती है।
- **जनसांख्यिकीय लाभांश (demographic dividend) पर फोकस:** भारत अपने जनसांख्यिकीय संक्रमण के चरण को पूर्ण करने की ओर अग्रसर है। इसे अब जनसंख्या की समस्या के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। इसकी बजाय, शिक्षा और स्वास्थ्य में बड़े पैमाने पर निवेश करने तथा स्थिर व अच्छे वेतन वाली नौकरियां प्रदान करने की आवश्यकता है।
- **पसंद आधारित रणनीति:** लोग शिक्षा तक पहुंच के कारण या संभवत: उन्हें मिलने वाले सकारात्मक प्रोत्साहन के कारण स्वेच्छा से कम बच्चों को जन्म देने का निर्णय करेंगे।

- **उच्च आर्थिक विकास:** आर्थिक विकास की उच्च दर का लक्ष्य निर्धारण करना चाहिए, जो स्वतः ही प्रजनन दर को कम कर देता है। यह जनसंख्या वृद्धि को सीमित करके आर्थिक विकास प्राप्त करने के विकल्प से बेहतर है।
    - यदि भारत निर्धनतम 20% लोगों को निर्धनता के दुष्चक्र से बाहर निकालने में सफल हो जाता है, तो प्रजनन दर के लगभग 1.9 तक होने की संभावना है।

6.3. विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति रिपोर्ट, 2021 (State of Food Security and Nutrition in the World 2021)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) ने **'विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति रिपोर्ट, 2021'** नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है।

विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति रिपोर्ट, 2021 रिपोर्ट के बारे में

- यह संयुक्त रूप से **खाद्य एवं कृषि संगठन** (FAO), **अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष** (IAFD), **संयुक्त राष्ट्र बाल कोष** (यूनिसेफ/UNICEF), **विश्व खाद्य कार्यक्रम** (WFP) और **विश्व स्वास्थ्य संगठन** (WHO) द्वारा तैयार की गई है।
- यह रिपोर्ट वर्ष 2020 के लिए **खाद्य असुरक्षा और कुपोषण का प्रथम वैश्विक मूल्यांकन** प्रस्तुत करती है। साथ ही, वैश्विक खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति पर सभी का ध्यानाकर्षण करने हेतु इस पर गहन चिंतन की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

मापदंड	निष्कर्ष
वर्ष 2020 में भुखमरी से पीड़ित लोग	• अनुमानित **720 मिलियन से 811 मिलियन तक लोग भुखमरी से पीड़ित थे।** • वर्ष 2019 की तुलना में लगभग **118 मिलियन अधिक लोग भुखमरी से पीड़ित थे।** • **अफ्रीका में 21 प्रतिशत** जनसंख्या भुखमरी से पीड़ित है (किसी भी अन्य क्षेत्र की तुलना में सर्वाधिक)।
कुपोषण की व्यापकता	• विश्व वर्ष 2030 तक किसी भी पोषण संकेतक के अंतर्गत निर्धारित **लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर अग्रसर नहीं है।** • **वर्ष 2014 से वर्ष 2019 तक वस्तुतः स्थिति अपरिवर्तित** रही है। • वर्ष 2019 और वर्ष 2020 के मध्य यह **8.4 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 9.9 प्रतिशत** हो गई है। • **कुपोषण से पीड़ित आधी से अधिक आबादी एशिया में** और एक तिहाई से अधिक आबादी अफ्रीका में निवास करती है। • **वर्ष 2016 में 13.1 प्रतिशत वयस्क मोटापे से पीड़ित थे।**
वैश्विक स्तर पर मध्यम या गंभीर खाद्य असुरक्षा (खाद्य असुरक्षा अनुभव के पैमाने पर आधारित)	• यह वर्ष 2014 में 22.6 प्रतिशत थी, जो वर्ष 2019 में बढ़कर 26.6 प्रतिशत हो गयी थी। • वर्ष 2020 में **पुरुषों की तुलना में यह महिलाओं में 10 प्रतिशत अधिक** थी। • वर्ष 2020 में विश्व में तीन में से एक व्यक्ति के पास पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था।
बाल कुपोषण	• **ठिगनापन (Stunting):** पांच वर्ष से कम आयु के **22.0 प्रतिशत** बच्चे ठिगनेपन से पीड़ित हैं। • **दुबलापन (Wasting):** पांच वर्ष से कम आयु के **6.7 प्रतिशत** बच्चे दुबलेपन से पीड़ित हैं। • **अधिक वजन (Overweight):** पांच वर्ष से कम आयु के **5.7 प्रतिशत** बच्चे अधिक वजन के हैं। • **वर्ष 2019 में** 6 माह से कम आयु के **44 प्रतिशत शिशुओं को विशेष रूप से स्तनपान (exclusively breastfed)** कराया गया **(वर्ष 2012 में 37%)** था।

भारत विशिष्ट निष्कर्ष

मापदंड	निष्कर्ष
कुपोषण की व्यापकता	• वर्ष 2018-20 के दौरान कुपोषण की दर **15.3%** (2004-06 के दौरान 21.6 %) थी। • **वयस्क मोटापा (Adult obesity):** वर्ष 2016 में **3.9%**
बाल कुपोषण	• **ठिगनापन:** भारत में पांच वर्ष से कम आयु के **30.9%** बच्चे ठिगनेपन से पीड़ित हैं। • **दुबलापन:** पांच वर्ष से कम आयु के **17.3%** बच्चे दुबलेपन से पीड़ित हैं। • **अधिक वजन:** पांच वर्ष से कम आयु के **1.9%** बच्चे अधिक वजन के हैं। • 0-5 माह की आयु के शिशुओं में **विशेष स्तनपान: वर्ष 2019 में 58%** था।

आगे की राह

इस रिपोर्ट में खाद्य असुरक्षा और कुपोषण के प्रमुख कारकों का समाधान करने के लिए **छह उपायों** की अनुशंसा की गई है:

- **संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों** में मानवीय सहायता, विकास और शांति निर्माण नीतियों को समेकित करना;
- खाद्य प्रणालियों में **जलवायु लचीलापन** बढ़ाना;
- आर्थिक प्रतिकूलता के प्रति **सर्वाधिक सुभेद्य लोगों के लचीलेपन** को सुदृढ़ करना;
- **पौष्टिक खाद्य पदार्थों की लागत कम करने के लिए** खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में हस्तक्षेप करना;
- **निर्धनता और संरचनात्मक असमानताओं से निपटना** तथा निर्धन हितैषी एवं समावेशी हस्तक्षेप सुनिश्चित करना; तथा
- मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव के साथ **स्वस्थ आहार प्रारूप** को बढ़ावा देने के लिए खाद्य परिवेश को सुदृढ़ करना तथा **उपभोक्ता व्यवहार** को परिवर्तित करना।

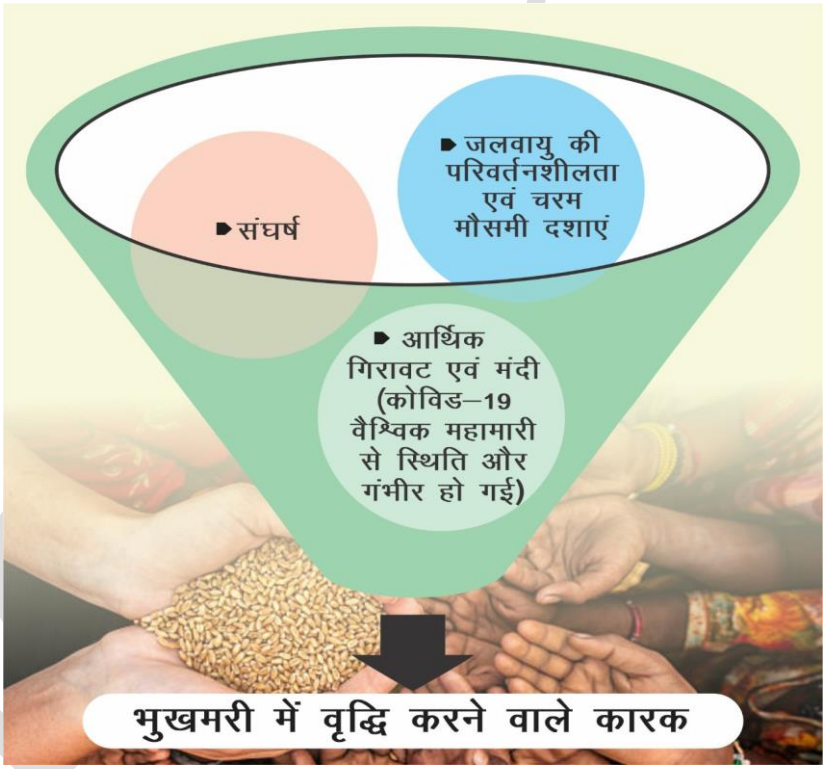

6.4. मानव तस्करी (निवारण, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2021 (The Trafficking in Persons (Prevention, Care and Rehabilitation) Bill, 2021)

सुर्ख़ियों में क्यों?

महिला और बाल विकास मंत्रालय ने सभी हितधारकों से "मानव तस्करी (निवारण, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2021" (TIP विधेयक) के प्रारूप पर टिप्पणी/सुझाव आमंत्रित किए हैं।

मानव तस्करी के बारे में

- मानव तस्करी **मनुष्यों का व्यापार** (अवैध रूप से) है। यह सामान्यतया तस्करों या अन्यों हेतु बलात श्रम, यौन दासता और वाणिज्यिक लैंगिक उत्पीड़न के उद्देश्य से किया जाता है।
- लोगों की कई प्रकार के साधनों के माध्यम से तस्करी की जाती है, **उदाहरणार्थ,** तस्करों द्वारा **उन पर शारीरिक बल** का उपयोग किया जाता है या फिर उनसे **मिथ्या वायदे** किए जाते हैं।
- वर्तमान में, तस्करी संबंधी अपराध **दंड विधि संशोधन अधिनियम, 2013** (Criminal Law Amendment Act, 2013) के अंतर्गत आते हैं। वाणिज्यिक लैंगिक उत्पीड़न के प्रयोजन से की जाने वाली तस्करी, **अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956** (Immoral Trafficking (Prevention Act of 1956) के अंतर्गत आती है।

- इन प्रावधानों के उपरांत भी, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों से **तस्करी के मामलों में वृद्धि की प्रवृत्ति** दृष्टिगत होती है। उदाहरण के लिए वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2019 में इसमें 14.3% की वृद्धि हुई थी।

इस विधेयक की प्रमुख विशेषताएं

- **लक्ष्य:** इस विधेयक का लक्ष्य **व्यक्तियों,** विशेषकर महिलाओं और बच्चों **की तस्करी को रोकना और उससे निपटना** है। इसके अतिरिक्त, पीड़ितों के अधिकारों का सम्मान करते हुए उनकी देखभाल, सुरक्षा और पुनर्वास करना है। साथ ही, उनके लिए सहायक कानूनी, आर्थिक एवं सामाजिक परिवेश सृजित करना है और यह भी सुनिश्चित करना है कि दोषियों को अवश्य दंड मिले।
- **राष्ट्रीय अन्वेषक और समन्वयक अभिकरण (National Investigating and Coordinating Agency):** राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (National Investigation Agency: NIA), राष्ट्रीय अन्वेषक और समन्वयक अभिकरण के रूप में कार्य करेगा। NIA मानव तस्करी की रोकथाम एवं इससे निपटने तथा मानव तस्करी से संबद्ध मामलों व इस अधिनियम के अंतर्गत अन्य अपराधों के अन्वेषण, अभियोजन एवं समन्वय हेतु उत्तरदायी होगा।
- **राष्ट्रीय मानव तस्करी रोधी समिति:** केंद्र सरकार द्वारा इस संस्था का गठन इस अधिनियम के प्रावधानों का समग्र रूप से प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु किया जाएगा। भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्रालय का सचिव इस समिति का अध्यक्ष होगा। इसी प्रकार की समितियों का गठन राज्य और जिला स्तरों पर भी किया जाएगा।
- **राज्य मानव तस्करी रोधी नोडल अधिकारी:** इसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। यह अधिकारी राज्य मानव तस्करी रोधी समिति के निर्देशानुसार, इस अधिनियम के अंतर्गत अनुवर्ती कार्रवाइयों के लिए उत्तरदायी होगा। वह सरकारी एजेंसियों और नागरिक समाज संगठनों के साथ समन्वय भी स्थापित करेगा।
- **पीड़ित की सहमति:** मानव तस्करी के अपराध का निर्धारण अप्रासंगिक और सारहीन हो जाएगा, यदि सहमति बलात या भयभीत करके प्राप्त की जाती है।
- विधेयक में मानव तस्करी को **अंतर्राष्ट्रीय निहितार्थों वाले संगठित अपराध के रूप में भी परिभाषित किया गया है।**
- प्रारूप विधेयक में **तस्करी के अति निकृष्ट रूपों के तौर पर वर्गीकृत अपराधों के लिए कठोर दंड का** प्रस्ताव किया गया है।

मानव तस्करी उन्मूलन में भारत की असमर्थता को रेखांकित करने वाले कारण

- **वैश्वीकरण:** उत्पादन क्षेत्रक में सस्ते श्रम की बढ़ती हुई मांग के अतिरिक्त, वैश्वीकरण ने विश्व भर में पर्यटन व्यवसाय और मनोरंजन उद्योग के विकास में व्यापक भूमिका निभाई है। परिणामस्वरूप, लैंगिक पर्यटन में भी तीव्रता से वृद्धि हुई है।
- **मानव तस्करी का पारगमन बिंदु:** सामान्यतः निर्धन देशों जैसे कि बांग्लादेश और नेपाल के लोगों के उत्पीड़न का अधिक खतरा विद्यमान है। इन देशों के लोगों को तस्करी करके भारत जैसे उनके पड़ोसी देशों में पहुंचाया जाता है। भारत से, इन लोगों विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों को मध्य पूर्व के देशों के साथ-साथ अन्य देशों को भेजा जाता है।
- **तस्करों को उच्च लाभ, कम जोखिम:** इस प्रकार की परिस्थिति दुर्बल विधिक ढांचे व निम्न स्तरीय अभियोजन के कारण उत्पन्न होती है। मानव तस्करी से निपटने के लिए, अपराधियों का अभियोजन होना चाहिए और उन्हें अवश्य दंड मिलना चाहिए। इसके साथ-साथ तस्करों की संपत्ति और लाभ को जब्त करने के लिए कानूनी कार्रवाई भी की जानी चाहिए।
- **बाल विवाह:** बाल विवाह तस्करों के लिए सबसे सरल माध्यम है। इसका उपयोग करके युवा लड़कियों की तस्करी करना सरल हो जाता है।

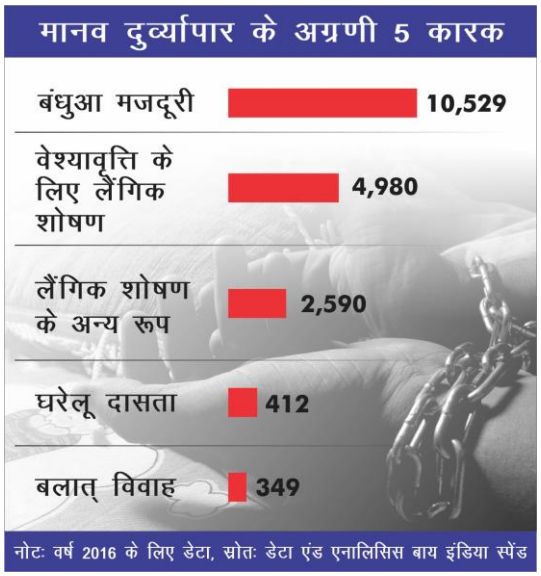

- **तस्करी किए जाने वाले व्यक्तियों पर अत्याचार:** प्राय: यह आरोप लगाया जाता है कि पुलिस पीड़ितों का उत्पीड़न करती है। इस प्रकार के दुराचार से समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्ग न केवल तस्करी के प्रति सुभेद्य हो जाते हैं, बल्कि उनकी पुन: तस्करी का खतरा भी रहता है।

उठाए गए कदम

- **उज्ज्वला योजना:** यह एक व्यापक योजना है, जिसे तस्करी से निपटने के लिए वर्ष 2007 में आरंभ किया गया था। इसमें, वाणिज्यिक लैंगिक उत्पीड़न के लिए तस्करी की गई पीड़िताओं की **रोकथाम, बचाव, पुनर्वास, समाज में पुन: समेकन और देश-प्रत्यावर्तन** का प्रावधान किया गया है। इसे मुख्य रूप से गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

- **मानव तस्करी रोधी इकाइयां:** गृह मंत्रालय (MHA) ने प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के माध्यम से मानव तस्करी के विरुद्ध भारत में कानून प्रवर्तन की अनुक्रिया को सुदृढ़ बनाने की व्यापक योजना के अंतर्गत देश के 270 जिलों में मानव तस्करी रोधी इकाइयों की स्थापना हेतु धनराशि जारी की है।
    - **तस्करी रोधी प्रकोष्ठ (Anti-Trafficking Cell: ATC):** वर्ष 2006 में गृह मंत्रालय के अधीन तस्करी रोधी नोडल प्रकोष्ठ का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य, मानव तस्करी के अपराध से निपटने के लिए राज्य सरकारों द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों और उनके द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाइयों के बारे में संचार के मुख्य केंद्र के रूप में कार्य करना था। गृह मंत्रालय समय-समय पर, सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में मनोनीत मानव तस्करी रोधी इकाइयों के नोडल अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक करता है।
- **कानूनी उपाय:**
    - **लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012** {The POCSO (Protection of Children from Sexual Offences) Act 2012} के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के बालकों के विरुद्ध होने वाले लैंगिक अपराधों की रोकथाम हेतु उपाय किए गए हैं।
    - **दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013** की धारा 370 और 370A के अंतर्गत मानव तस्करी की समस्या से निपटने के लिए व्यापक उपाय किए गए हैं।
    - महिलाओं और बच्चों की तस्करी की रोकथाम के लिए **अन्य कुछ विशिष्ट अधिनियम निर्मित किए** गए हैं, यथा: बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006, बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976, बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986, मानव अंग और ऊतक प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 आदि। इनके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता (IPC) की विशिष्ट धाराओं, जैसे कि देह व्यापार के उद्देश्य से लड़कियों की बिक्री और खरीदारी से संबंधित धारा 372 व 373 के माध्यम से भी तस्करी निवारण प्रयास किए जा रहे हैं।
- **न्यायिक सेमिनार:** ट्रायल कोर्ट के न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और संवेदनशील बनाने के लिए, मानव तस्करी पर न्यायिक सेमिनार उच्च न्यायालय स्तर पर आयोजित किया जाता है।
- **राज्य सरकारों के प्रयास:** राज्य सरकारों ने भी इस समस्या से निपटने के लिए विशिष्ट कानून बनाए हैं। (जैसे कि पंजाब मानव तस्करी रोकथाम अधिनियम, 2012)
- **अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग:** भारत ने पारराष्ट्रीय संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNTOC) के मानव तस्करी की रोकथाम, दमन और दंड से संबंधित प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं।
- **नागरिक समाज:** विभिन्न NGOs जैसे कि रेस्क्यू फाउंडेशन, बचपन बचाओ आंदोलन आदि ने तस्करी के पीड़ितों को बचाने, उनके पुनर्वास और उन्हें वापस उनके परिवार के पास पहुंचाने में सफल भूमिका निभाई है।

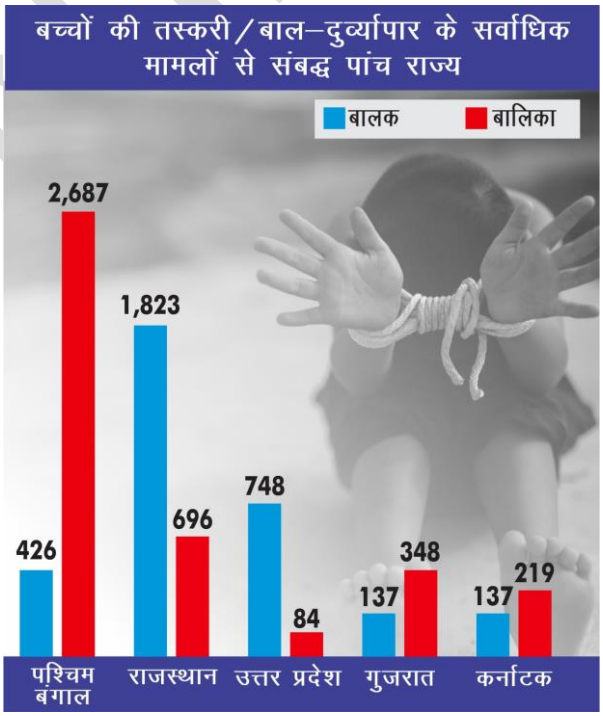

आगे की राह

- **विधायी उपाय:** TIP विधेयक, 2021 में समुदाय आधारित पुनर्वास के अभाव, पुनः समेकन के परिभाषित नहीं होने और पीड़ितों के पुनर्वास से संबंधित निधि से संबद्ध मुद्दों का समाधान किया जाना चाहिए। इस क्षेत्र में कार्य करने वाले कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि बचाव से संबंधित प्रोटोकॉल के अभाव में सदैव जबरन बचाव का भय रहता है। जैसे कि ऐसी वेश्याएं जो हो सकता है कि तस्करी के माध्यम से इस व्यवसाय में आई हों, परन्तु वे अब इस से नहीं निकलना चाहती हों। इसलिए, प्रभावी बचाव प्रोटोकॉल लागू किए जाने की आवश्यकता है।
- **सीमा संबंधी उपाय:** सीमा पार तस्करी-रोधी कठोर कानून, तस्करी के मार्गों पर सुरक्षित सतर्कता और उचित सामाजिक जवाबदेही की आवश्यकता है।
- **संस्थानों के सुधार संबंधी उपाय:** जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पुलिस सुधार, न्यायपालिका का बोझ कम करना, उचित रूप से कानून लागू किया जाना तथा द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग, ताकि इस प्रकार की मांगों को हतोत्साहित किया जा सके जिसके कारण व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के उत्पीड़न के हर स्वरूप को बढ़ावा मिलता है।

- **आर्थिक और सामाजिक नीतियां:** सामाजिक सुरक्षा का स्तर बढ़ाने; मूलभूत शिक्षा, साक्षरता, संचार एवं अन्य कौशलों का वर्धन करने; उद्यमिता की बाधाओं को कम करने; रोजगार के अवसर सृजित करने; रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव को समाप्त करने; लिंग के प्रति संवेदीकरण को बढ़ावा देने और इस प्रकार महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की रोकथाम के लिए नीति से संबंधित प्रभावी उपाय किए जाने की आवश्यकता है।
- **जागरूकता बढ़ाने के उपाय:** नागरिक समाज और पुलिस अधिकारियों की सहायता से, तस्करी संभावित क्षेत्रों में स्थानीय विद्यालयों में तथा निर्धन समाज के बच्चों एवं जनता के बीच जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए।
- **न्यायाधीश वर्मा समिति (2013) की अनुशंसाओं को कार्यान्वित करना:**
  - समिति ने यह प्रेक्षण किया कि **अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956** में तस्करी को व्यापक रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, क्योंकि इसमें केवल देह व्यापार के उद्देश्य से की जाने वाली तस्करी को अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है।
  - इस समिति ने सुझाव दिया है कि **IPC के दासता से संबंधित प्रावधानों में संशोधन करके धमकी, बलात या प्रलोभन देकर की जाने वाली तस्करी को अपराध की श्रेणी में समाविष्ट किया जाना चाहिए।**
  - इसने यह भी सुझाव दिया है कि **तस्करी किए गए व्यक्ति के नियोजन को भी अपराध की श्रेणी में सम्मिलित किया जाना चाहिए।**
  - किशोर और महिला सुरक्षा गृहों को उच्च न्यायालय के कानूनी संरक्षण के अधीन किया जाना चाहिए। साथ ही, **पीड़ितों के समाज में पुनः समेकन हेतु कदम उठाए जाने चाहिए।**

निष्कर्ष

मानव तस्करी जैसी सामाजिक बुराई व्यक्तियों की गरिमा और सुरक्षा के समक्ष खतरा उत्पन्न करती है तथा अत्यंत निकृष्ट रूप से उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन करती है। तस्करी से निपटने के लिए, तस्करी रोधी अधिदेशों को कार्यान्वित करने हेतु दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। अभी भी समस्याओं का हल किया जा सकता है, यदि विवेकपूर्ण रीति से सुदृढ़ कदम उठाए जाएं और व्यापक नीतियां निर्मित व कठोरतापूर्वक लागू की जाएं।

6.5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy: NEP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत में **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020** को लागू हुए एक वर्ष पूरा हो गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

प्रधान मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 की प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर शिक्षा क्षेत्रक में कई प्रमुख पहलों का आरंभ किया। हालांकि, इनमें से कुछ पहले ही आरंभ किए जा चुके हैं। **ये पहल निम्नलिखित हैं:**

पहल	विवरण
एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट	• यह **एक डिजिटल बैंक की भांति** होगा। इसमें पंजीकृत उच्चतर शिक्षा संस्थान उनके द्वारा संचालित कोर्सेज हेतु छात्रों के ऐकडेमिक बैंक खाते में क्रेडिट जमा करेंगे। • यह **बहुविषयक और समग्र शिक्षा को सुविधाजनक बनाने हेतु एक प्रमुख साधन** होगा। इससे स्नातक और परास्नातक डिग्री कोर्सेज के छात्रों को **प्रवेश एवं निकास के कई विकल्प** उपलब्ध होंगे।
विद्या प्रवेश	• यह प्रथम कक्षा के छात्रों के लिए **स्कूल पूर्व तैयारी कार्यक्रम** है। • इस कार्यक्रम में **तीन माह का प्ले स्कूल आधारित शैक्षणिक मॉड्यूल** होगा। इसके अंतर्गत इन छात्रों को स्कूल जाने के लिए तैयार किया जाएगा।
सीखने की प्रक्रिया का सुव्यवस्थित तरीके से विश्लेषण और आंकलन (सफल/SAFAL:Structured Assessment For Analyzing Learning Levels)	• यह **CBSE छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक कार्यक्रम** है। इसका उद्देश्य कक्षा 3, 5 और 8 के छात्रों के बीच मूलभूत कौशल की प्रगति और बुनियादी शिक्षा के परिणामों एवं क्षमताओं का आंकलन करना है।
राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षण संरचना (NDEAR)	• यह डिजिटल अवसंरचना विकसित करने के लिए **विविध शिक्षा पारितंत्र व्यवस्था प्रदान करेगा।** यह एक संघीय परन्तु अंतर्संचालनीय प्रणाली होगी। यह

	सभी हितधारकों विशेषकर राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की स्वायत्तता सुनिश्चित करेगी। • यह विद्यालय शिक्षा की योजना निर्माण, प्रशासन एवं अभिशासन में केंद्र और राज्यों दोनों के लिए उपयोगी होगी। साथ ही, एक निर्बाध डिजिटल शिक्षा का अनुभव प्राप्त करने में शिक्षकों, छात्रों और विद्यालयों के लिए भी लाभदायक सिद्ध होगी।
राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम (NETF):	• अधिगम, आंकलन, नियोजन व प्रशासन में वर्धन हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता,, ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग, स्मार्ट बोर्ड्स और गणना करने वाली **युक्तियों जैसी प्रौद्योगिकियों के प्रयोग पर विचारों के स्वतंत्र आदान-प्रदान हेतु एक प्लेटफॉर्म** उपलब्ध करवाया जाएगा। • यह तकनीक आधारित हस्तक्षेपों पर **केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों को प्रमाण आधारित स्वतंत्र परामर्श** प्रदान करेगा।
निष्ठा 2.0 (स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल) (National Initiative for School Heads' and Teachers' Holistic Advancement: NISHTHA 2.0)	• इसके अंतर्गत शिक्षकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार **प्रशिक्षण** प्रदान किया जाएगा और वे विभाग को अपने सुझाव प्रदान करने में सक्षम हो सकेंगे। इसमें 68 मॉड्यूल होंगे, जिनमें से 12 सामान्य और 56 विषय विशिष्ट मॉड्यूल होंगे। साथ ही, इसके अंतर्गत लगभग 10 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ○ **निष्ठा** विश्व में अपने प्रकार का प्रथम **सबसे बड़ा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है।** इसका उद्देश्य छात्रों में गहन चिंतन के समावेशन व प्रोत्साहन हेतु शिक्षकों को अभिप्रेरित एवं सुसज्जित करना है।
भाषा से संबंधित अन्य पहल	• **महाविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होगी:** आठ राज्यों के 14 इंजीनियरिंग महाविद्यालय पांच भारतीय भाषाओं यथा: **हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी और बांग्ला** में इंजीनियरिंग की शिक्षा आरंभ करेंगे। • **सांकेतिक भाषा माध्यमिक स्तर पर विषय के रूप में सम्मिलित होगी:** भारतीय सांकेतिक भाषा को प्रथम बार भाषाई विषय का दर्जा प्रदान किया गया है। इससे भारतीय सांकेतिक भाषा को बढ़ावा मिलेगा और दिव्यांग जनों को सहायता प्राप्त होगी।

पृष्ठभूमि: NEP के विषय में

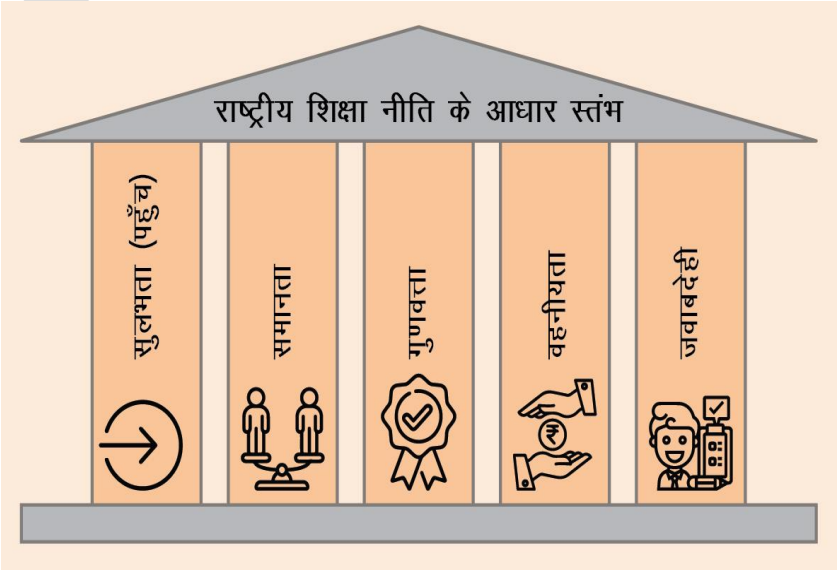

- NEP को **शिक्षा व्यवस्था को परिवर्तित करने,** शिक्षा को समग्र बनाने और आत्मनिर्भर भारत के लिए एक मजबूत नींव के निर्माण के लिए **मार्गदर्शक दर्शन** के रूप में जुलाई 2020 में आरंभ किया गया था।
- यह **21वीं सदी की प्रथम शिक्षा नीति है।** इसने शिक्षा पर 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय नीति, 1986 को प्रतिस्थापित किया है।
- यह नीति **सतत विकास एजेंडा, 2030 के अनुरूप है।** इसका उद्देश्य विद्यालयी और महाविद्यालयी शिक्षा को अधिक समग्र, लोचशील, बहुविषयक एवं 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाकर भारत को जीवंत ज्ञान समाज और वैश्विक ज्ञान महाशक्ति में परिवर्तित करना है।

नोट: राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के विस्तृत उपबंधों के लिए इस मैगज़ीन के अंत में दिए गए परिशिष्ट को देखें।

NEP, 2020 को कार्यान्वित करने से संबंधित चुनौतियां और समस्याएं

- **वित्तपोषण:** NEP में शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6% व्यय करने का उपबंध किया गया है। हालांकि, वित्तीयन में इतनी बढ़ोतरी पूर्व में भी प्रस्तावित की जा चुकी है, परंतु यह लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। यह नीति इस कोष के संग्रहण के विषय में विस्तारपूर्वक वर्णन नहीं करती है।
- **बहुभाषावाद: रोज़गार के लिए अंतर्राज्यीय प्रवास** तथा **भारत में भाषाओं की व्यापक विविधता** के साथ, क्षेत्रीय भाषा कुछ छात्रों के शिक्षण को प्रभावित करेगी।
- **व्यावसायिक शिक्षा:** प्रारंभिक चरण से ही व्यावसायिक प्रशिक्षण का दबाव, कई प्रकार की शंका के कारण वंचित पृष्ठभूमि वाले छात्र नौकरी के लिए शिक्षा बीच में ही छोड़ देंगे। यह भी एक अधिक समग्र शिक्षा को बाधित कर सकता है।
- **कानूनी जटिलताएं: दो परिचालित विधानों यथा- शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 तथा नई शिक्षा नीति, 2020** की प्रयोज्यता से संबद्ध कानूनी जटिलताओं के कारण भी नीति की आलोचना की जा रही है। कानून तथा हाल ही में निर्मित की गई नीति के मध्य भावी भ्रम की स्थिति के समाधान हेतु विद्यालयी शिक्षा आरंभ करने की आयु जैसे कुछ प्रावधानों पर विचार-विमर्श करना होगा।
- **संघीय व्यवस्था:** भारत जैसी संघीय व्यवस्था में, जहां **शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है**, किसी भी शैक्षणिक सुधार को राज्यों के समर्थन से ही कार्यान्वित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, केंद्र को ऐसी अनेक महत्वाकांक्षी योजनाओं पर राज्यों की सहमति प्राप्त करने का कठिन कार्य अभी पूर्ण करना है।
    - एक उदाहरण के रूप में, प्रस्तावित राष्ट्रीय आकलन निकाय अर्थात् परख (PARAKH) तथा इसके प्रवर्तन हेतु देश भर के 60 से अधिक शिक्षा बोर्डों के सक्रिय सहयोग की आवश्यकता होगी।

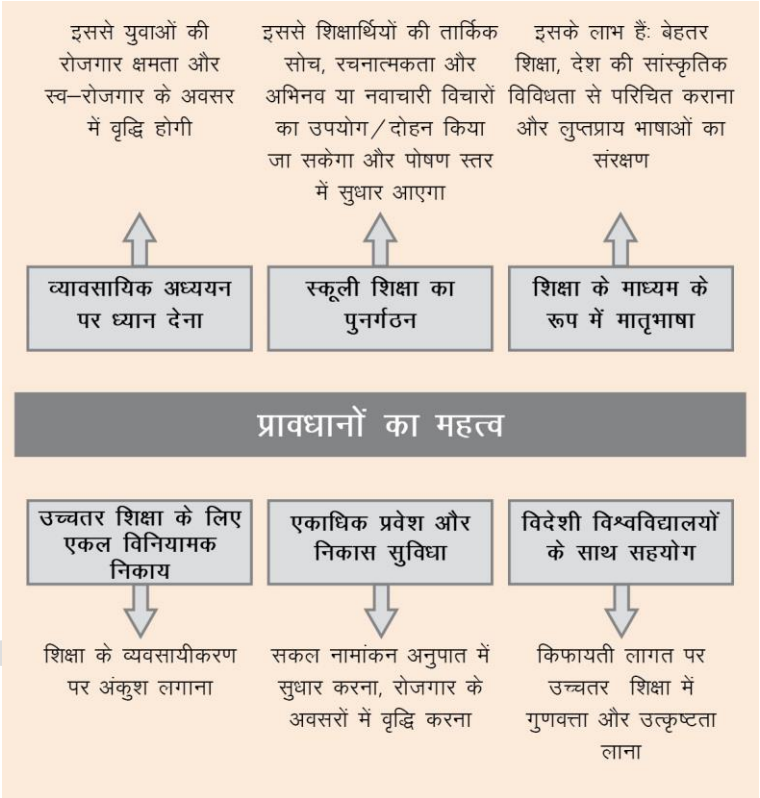

- **शिक्षा के वाणिज्यीकरण एवं निजीकरण का भय:**
    - NEP सुझाव देती है कि उच्च शिक्षा के सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित परीक्षाओं के माध्यम से मानकीकृत परीक्षण अंक के आधार पर होना चाहिए। यह कोचिंग संस्थाओं एवं रटंत विद्या को बढ़ावा प्रदान करेगा, जिससे विद्यालयों, महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं एवं मूल्यांकनों में गिरावट आएगी।
    - **निजीकरण की आशंका:** कई विशेषज्ञों ने तर्क दिया है कि NEP, लोकोपकारी विद्यालयों एवं सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के नाम पर, शिक्षा में निजी अभिकर्ताओं के प्रवेश हेतु एक रूपरेखा तैयार कर रही है, जिससे आगे शिक्षा का वाणिज्यीकरण होगा और विद्यमान असमानताओं में व्यापक वृद्धि होगी।
- **जमीनी वास्तविकता:** उदाहरणार्थ- परियोजना कार्य आधारित अनुभवात्मक शिक्षा के लिए परियोजना सामग्रियों की खरीद एवं टिंकरिंग (मरम्मत करने वाली) प्रयोगशालाओं को स्थापित करने हेतु विशेष वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। शिक्षा शास्त्र जो समालोचनात्मक बोध को परिष्कृत करता है, उसे दीर्घ प्रश्नों के उत्तर के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। ऐसी गतिविधियों में सामान्यत: और अधिक शिक्षकों की आवश्यकता होती है, जबकि जमीनी वास्तविकता यह है कि ऐसे विद्यालय तंत्र चिरकालिक व निरंतर शिक्षकों की कमी का सामना कर रहे हैं।

आगे की राह

- **उचित प्राथमिकताओं को तय करना:** NEP को कार्यान्वित करने वाले दो मुख्य कर्ता हैं यथा- केंद्र में **शिक्षा मंत्रालय** तथा **हितधारक जिनमें राज्य सरकारें, विद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थान सम्मिलित हैं।**
  - सभी हितधारकों को उचित रीति से प्राथमिकताएं निर्धारित करनी होंगी तथा ये प्राथमिकताएं **शिक्षण संस्थानों की अल्पकालिक व दीर्घकालिक आवश्यकताओं**, वित्त पोषण आवश्यकताओं तथा तय लक्ष्यों को प्राप्त करने की **वास्तविक सीमारेखा** पर आधारित होनी चाहिए।
- **शिक्षा मंत्रालय एवं भारतीय उच्चत्तर शिक्षा आयोग (Higher Education Commission of India: HECI)** को यथार्थवादी व साध्य लक्ष्य निर्धारित करके तथा महत्वपूर्ण नीतिगत प्राथमिकताओं की प्रगति की निगरानी करते हुए राज्यों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ एकजुट होकर कार्य करने की आवश्यकता है।
- **अभिवृत्तिक परिवर्तनः** NEP में जिन परिवर्तनों को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसके लिए प्रभावी शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं तथा अकादमिक व प्रशासनिक कार्यपद्धति को अपनाकर **अभिवृत्तिक बदलाव** करने की आवश्यकता है।
- **नीति को क्रियान्वित करने के लिए आदेशों के क्रम को स्पष्ट रूप से रेखांकित करना,** ताकि प्रयासों के दोहराव व अतिव्यापन से बचा जा सके।
- NEP क्रियान्वित करने के लिए अधिदेशित शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों तथा हितधारकों, दोनों के लिए **कार्य-निष्पादन के संकेतकों को निर्दिष्ट करना आवश्यक** है। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि किसी भी नीति को समयबद्ध रीति से परिणाम के रूप में परिवर्तित करने से बाधित करने वाली **अप्रभावी प्रगतियों पर नियंत्रण** रखने के लिए उनके **कार्य-निष्पादन संकेतकों की आवधिक समीक्षा** की जाती रहे।

निष्कर्ष

NEP, 2020 शिक्षा व्यवस्था को बदलने, शिक्षा को समग्र बनाने और आत्मनिर्भर भारत के लिए मजबूत आधार के निर्माण हेतु मार्गदर्शक दर्शन है।

6.6. समझ के साथ पढ़ने तथा संख्या गणना में निपुणता के लिए राष्ट्रीय पहल (निपुण भारत) (National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy: NIPUN Bharat)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, शिक्षा मंत्रालय (MoE) ने **निपुण भारत कार्यक्रम,** मूलभूत साक्षरता और संख्या गणना कौशल राष्ट्रीय मिशन {National Mission on Foundational Literacy and Numeracy (FLN)} आरंभ किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में यह निर्धारित किया गया है कि सभी बच्चों के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करना तात्कालिक राष्ट्रीय मिशन बनना चाहिए। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश का प्रत्येक बालक वर्ष 2026-27 तक कक्षा 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्या गणना कौशल आवश्यक रूप से प्राप्त कर सके।
- इस मिशन को केंद्र प्रायोजित योजना-समग्र शिक्षा के तहत आरंभ किया गया है। ज्ञातव्य है कि समग्र शिक्षा योजना प्री-स्कूल से सीनियर सेकेंडरी स्तर तक की विद्यालयी शिक्षा की एकीकृत योजना है।

निपुण (NIPUN) के विषय में

लक्ष्य	• मिशन का लक्ष्य **मूलभूत साक्षरता और संख्या गणना** (Foundational Literacy and Numeracy: FLN) **का सार्वभौमिक अधिग्रहण** सुनिश्चित करना है, ताकि शैक्षणिक सत्र 2026-27 तक प्रत्येक बालक **कक्षा III के अंत और कक्षा V से पूर्व** पढ़ने, लिखने व अंकगणित में वांछित सीखने की क्षमता प्राप्त कर सके। ○ इसका प्रयोजन **प्री-स्कूल से कक्षा 3 तक 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों की सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करना है।** ○ **जो बालक कक्षा 4 और 5 में हैं और जिन्होंने मूलभूत कौशल प्राप्त नहीं किया है,** उनकी आवश्यक क्षमताएं अर्जित करने में मदद करने हेतु व्यक्तिगत शिक्षक मार्गदर्शन व सहायता और साथियों का समर्थन उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही, आयु के अनुसार उपयुक्त और आवश्यक अनुपूरक श्रेणीबद्ध शिक्षण सामग्री प्रदान की जाएगी।

मिशन के उद्देश्य	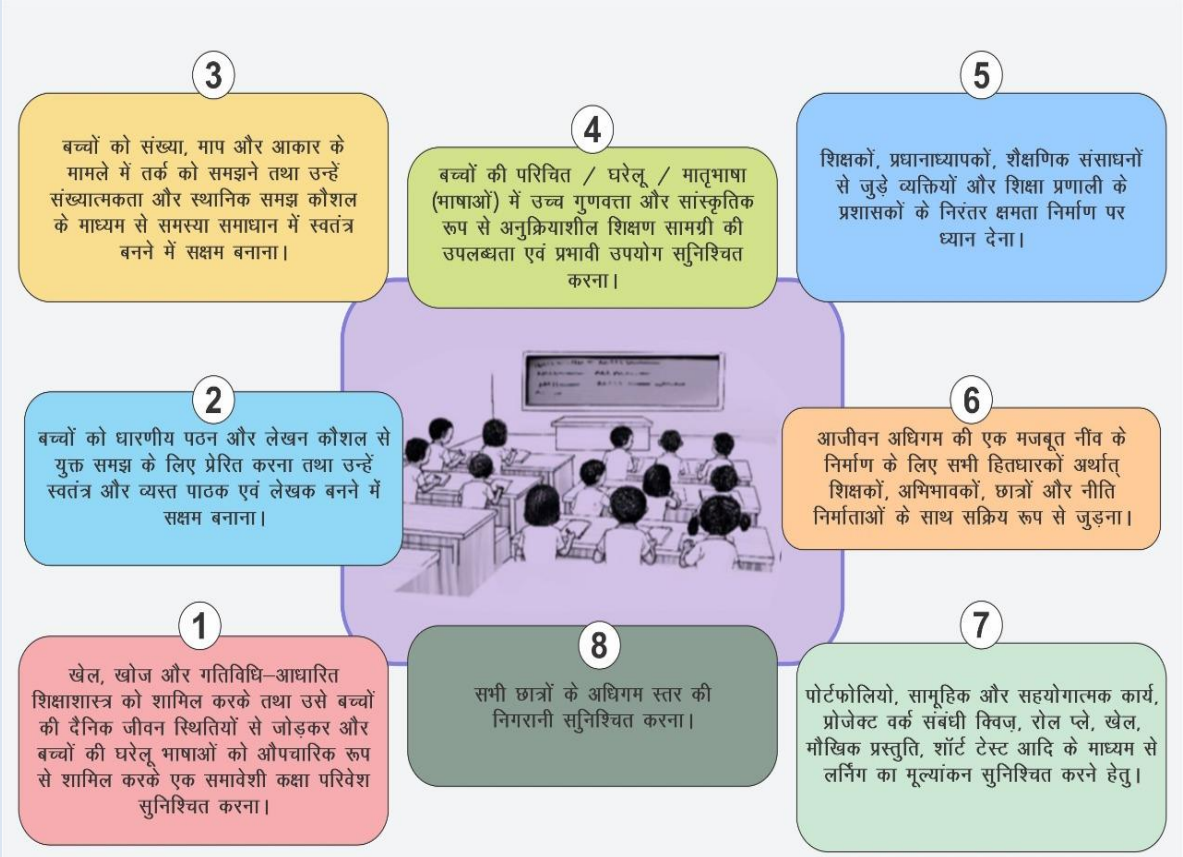
मिशन का फोकस	• बालकों को विद्यालयी शिक्षा के मूलभूत वर्षों तक पहुंच प्रदान करना और उनकी विद्यालयी शिक्षा की निरंतरता जारी रखना; • शिक्षकों की **क्षमता का निर्माण करना;** • उच्च गुणवत्तापूर्ण और विविध छात्र एवं शिक्षक संसाधनों/शिक्षण सामग्री का विकास करना; तथा • अधिगम परिणामों को प्राप्त करने में प्रत्येक बालक की प्रगति की निगरानी रखना।
कार्यान्वयन	• **राष्ट्रीय-राज्य-जिला-ब्लॉक-विद्यालय** स्तर पर एक **पांच स्तरीय कार्यान्वयन तंत्र** स्थापित किया जाएगा। • इसके लिए **स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग** (शिक्षा मंत्रालय) राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वयन अभिकरण होगा। इसके अतिरिक्त, इसका नेतृत्व एक मिशन निदेशक करेगा। • **राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भूमिका** ○ अपने संबंधित FLN लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए **बहुवर्षीय कार्य योजनाएँ** निर्मित करना। ○ **राज्य विशिष्ट चरणवार कार्य योजना** तैयार करके राष्ट्रीय मिशन को प्रासंगिक बनाना। ○ **प्रत्येक स्कूल में प्री-प्राइमरी से कक्षा 3 तक पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की** उपलब्धता सुनिश्चित करना। साथ ही, FLN को मिशन मोड में लागू करने के लिए व्यापक रूप से शिक्षकों की क्षमता का निर्माण करना। ○ फाउंडेशनल ग्रेड में **नामांकित प्रत्येक बालक के डेटाबेस की** मैपिंग करना। ○ शिक्षकों को अकादमिक सहायता प्रदान करने के लिए **अनेक अनुभवी मार्गदर्शकों** की पहचान करना। ○ **विद्यार्थियों को** शैक्षणिक सत्र आरंभ होने से पूर्व **पाठ्यपुस्तकों और यूनिफॉर्म का वितरण सुनिश्चित करना।** ○ स्कूल/सार्वजनिक **पुस्तकालयों को** शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का **अभिन्न अंग बनाया जाएगा।**
प्रगति निगरानी तंत्र	• अधिगम परिणामों को **तीन विकासात्मक लक्ष्यों में विभाजित** किया गया है **यथा: लक्ष्य 1-** स्वास्थ्य और कल्याण (Health and Wellbeing: HW), **लक्ष्य 2-** प्रभावी संचारक (Effective Communicators: EC), **लक्ष्य 3-** शामिल शिक्षार्थी (Involved Learners: IL)। • लक्ष्य, FLN के लिए लक्ष्य सूची या उद्देश्यों (इन्फोग्राफिक देखें) के रूप में निर्धारित किए गए हैं।

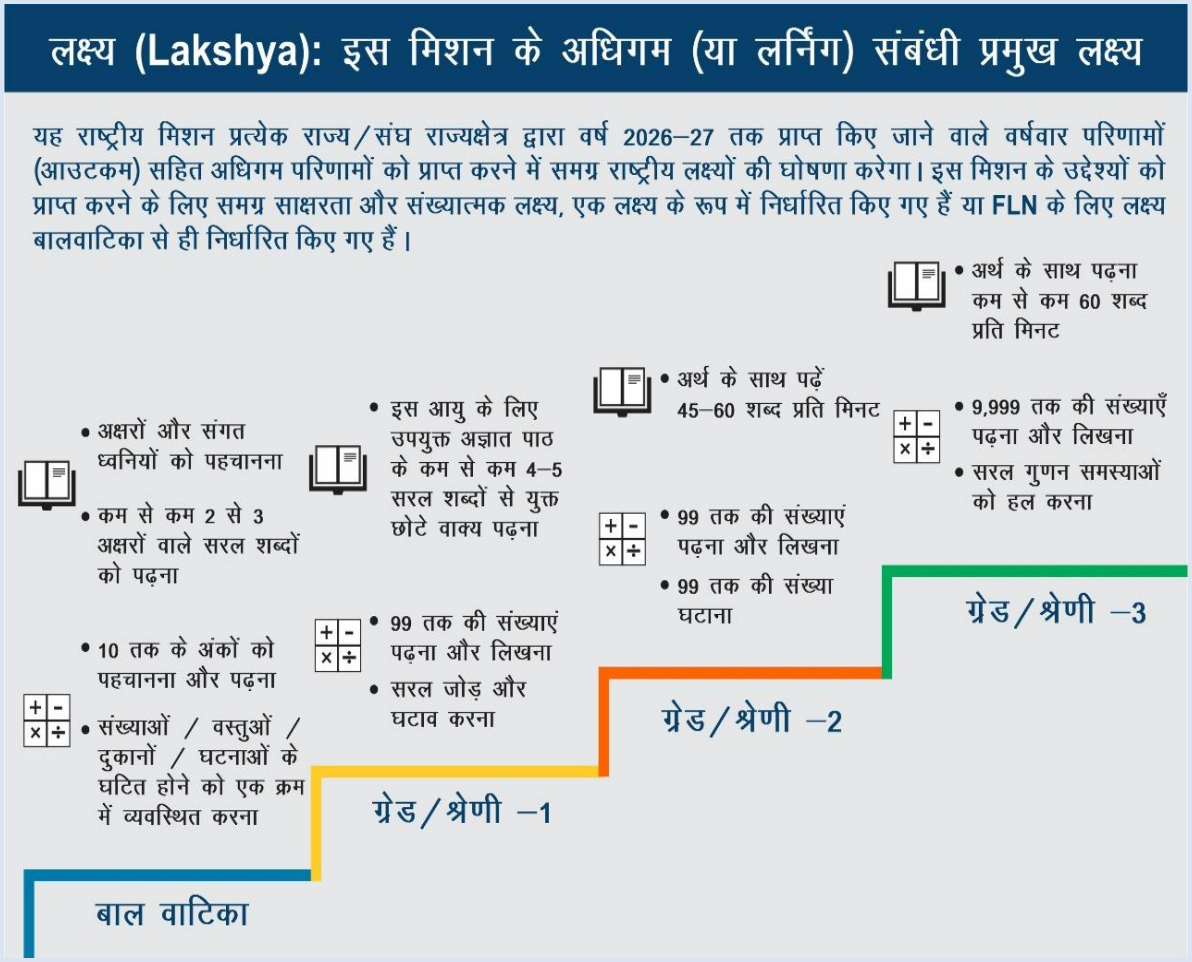

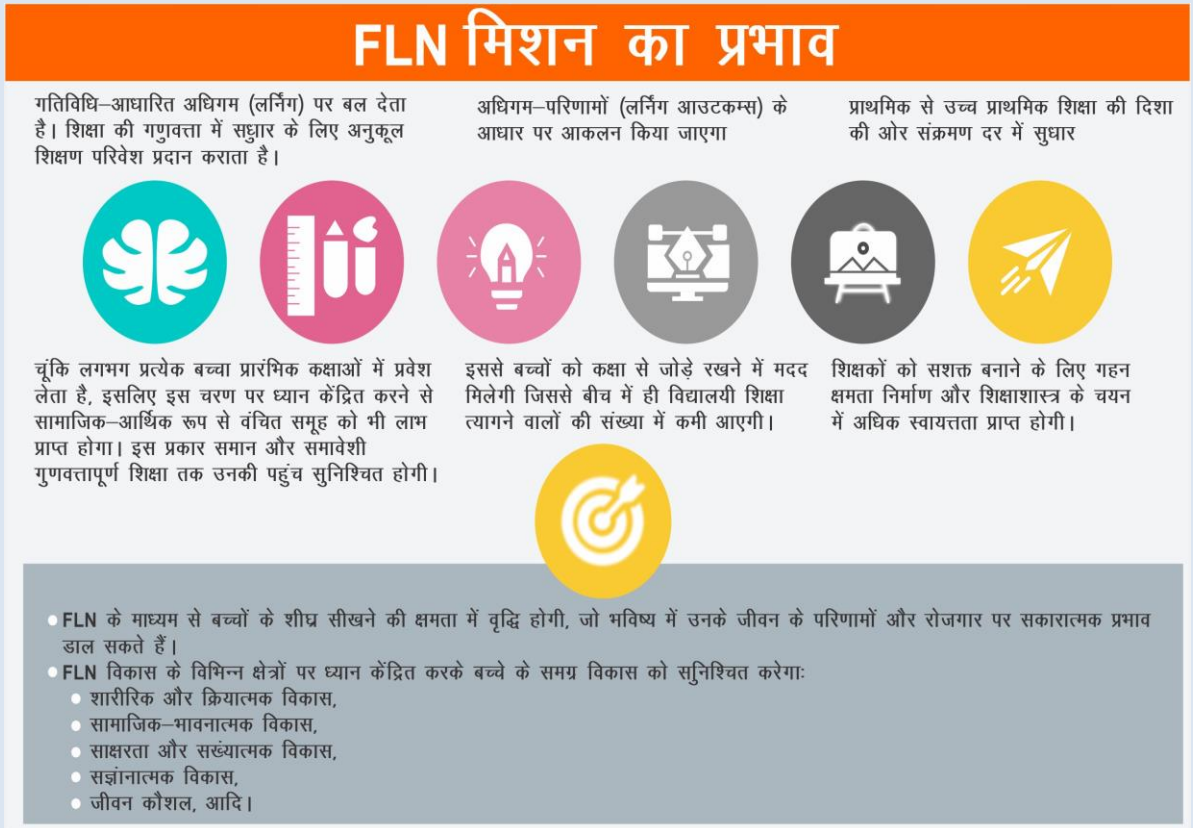

<table>
<tr>
<td></td>
<td>

</td>
</tr>
<tr>
<td>परिकल्पित परिणाम</td>
<td>

</td>
</tr>
<tr>
<td>मिशन की सफलता के लिए रेखांकित</td>
<td>

समावेशी क्लासरूम बनाने के लिए शिक्षा शास्त्र

प्रत्येक राज्य / संघ राज्यक्षेत्र की भाषाई और सामाजिक विविधता को ध्यान में रखते हुए अध्ययन सामग्री को प्रासंगिक बनाना।

</td>
</tr>
</table>

रणनीतियाँ	○ **बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र,** खिलौना आधारित शिक्षाशास्त्र, खेल आधारित, कला-एकीकृत/खेल-एकीकृत, कहानी-आधारित, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी-एकीकृत शिक्षा आदि पर बल देना। ○ प्रामाणिक, उपयुक्त और सुलभ खिलौनों और सामग्रियों सहित **अन्योन्यक्रियात्मक कक्षा पर बल देना।** • **शिक्षकों का सशक्तीकरण** ○ **राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) द्वारा निष्ठा** (स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल) के अंतर्गत FLN के लिए **एक विशेष पैकेज** विकसित किया जा रहा है। साथ ही, इस वर्ष FLN विषय में प्री-प्राइमरी से प्राथमिक कक्षा में पढ़ाने वाले लगभग 25 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। • **डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग (दीक्षा/DIKSHA)** (जो शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों को निर्धारित स्कूल पाठ्यक्रम के लिए प्रासंगिक शिक्षण सामग्री प्रदान करती है) **का उपयोग करके निम्नलिखित प्रयोजनों को सिद्ध किया जाएगा-** ○ **विद्यार्थी अधिगम:** स्पष्टीकरण वीडियो से लेकर अन्योन्यक्रियात्मक मूल्यांकन सामग्रियां, वर्कशीट, पठन सामग्री इत्यादि उपलब्ध करवाए जाएंगे। ○ **शिक्षकों का पेशेवर विकास किया जाएगा।**

मूलभूत साक्षरता और संख्या गणना (FLN) कौशल के बारे में

- मूलभूत अधिगम, किसी बालक के लिए **भविष्य के सभी अधिगम का आधार होता है।** कोई बालक कक्षा 3 से परे के पाठ्यक्रम की जटिलताओं के लिए तैयार नहीं हो सकेगा, जब तक कि उसे समझ के साथ पढ़ने, लिखने और गणित की मूलभूत संक्रियाओं को करने में सक्षम होने के आधारिक मूलभूत कौशल प्राप्त नहीं हो जाते।
- **मूलभूत भाषा और साक्षरता:**
  - भाषा का पहले से मौजूद ज्ञान, भाषाओं में साक्षरता कौशल के निर्माण में सहायता करता है।
  - **मूलभूत भाषा और साक्षरता में प्रमुख घटक हैं:** मौखिक भाषा का विकास, लिखित शब्दों को समझना, बिना बाधित हुए पढ़ने में सक्षम होना, अवधारणात्मक समझ और लेखन।
- **मूलभूत संख्या गणना और गणित कौशल**
  - मूलभूत संख्या गणना का आशय है दैनिक जीवन के समस्या समाधान में तर्क करने और सरल संख्यात्मक अवधारणाओं को लागू करने की क्षमता।
  - **प्रारंभिक गणित के प्रमुख पहलू और घटक हैं:** पूर्व-संख्या अवधारणाएं, संख्याएँ और संख्याओं पर संक्रिया, आकार एवं देशिक समझ, मापन व डेटा प्रबंधन।

अन्य तथ्य

विद्यालय नवाचार दूत प्रशिक्षण कार्यक्रम (School Innovation Ambassador Training Program: SIATP) का शुभारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम को **केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE)** और **अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE)** तथा **जनजातीय कार्य मंत्रालय (MTA)** की साझेदारी में शिक्षा मंत्रालय के **नवोन्मेष प्रकोष्ठ (Innovation Cell)** द्वारा अभिकल्पित किया गया है।

- यह स्कूली शिक्षकों के लिए अभिनव प्रकृति का अपनी तरह का एक विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य 50,000 स्कूली शिक्षकों को नवाचार, उद्यमिता, बौद्धिक संपदा अधिकार, डिजाइन थिंकिंग, उत्पाद विकास, विचार सृजन आदि विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान करना है।
  - यह प्रशिक्षण केवल **ऑनलाइन मोड** में दिया जाएगा।
- यह अभिनव व अपनी तरह का विशिष्ट कार्यक्रम **शिक्षा मंत्रालय के नवोन्मेष प्रकोष्ठ** और **AICTE** द्वारा अपने "उच्च शिक्षा संस्थान के संकाय सदस्यों के लिए नवाचार राजदूत प्रशिक्षण कार्यक्रम" के आधार पर तैयार गया है ।

SIATP का महत्व:

- **यह** छात्रों के विचारों को पोषित करने और उन्हें प्रारंभिक समर्थन प्रदान करने के लिए शिक्षकों **की मार्गदर्शक क्षमता को सुदृढ़ करेगा।**
- **इससे बच्चों, विशषकर** जनजातीय क्षेत्रों में बच्चों को **गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में मदद मिलेगी** और **बच्चों में रचनात्मकता का सृजन होगा।**
- यह देश भर में **स्कूली शिक्षा में नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने में मदद** करेगा।
- यह **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP)** के अनुरूप है, जो विद्यालय स्तर पर समस्या-समाधान और समालोचनात्मक विचारशीलता के लिए युवा छात्रों के पोषण पर बल देती है।

6.7. डिजिटल इंडिया (Digital India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के प्रधान मंत्री ने डिजिटल इंडिया के छह वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित किया था।

डिजिटल इंडिया के बारे में

- डिजिटल इंडिया भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने हेतु प्रतिबद्ध भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य पुराने ई-गवर्नेंस मॉडल जैसे कम अनोन्यक्रियात्मक और पृथक प्रणलियों में व्याप्त अंतरालों को समाप्त करना था। ये प्रणालियां अभिशासन के संपूर्ण स्पेक्ट्रम के साथ ई-गवर्नेंस को सफलतापूर्वक अपनाने में व्यवधान उत्पन्न कर रही थीं।

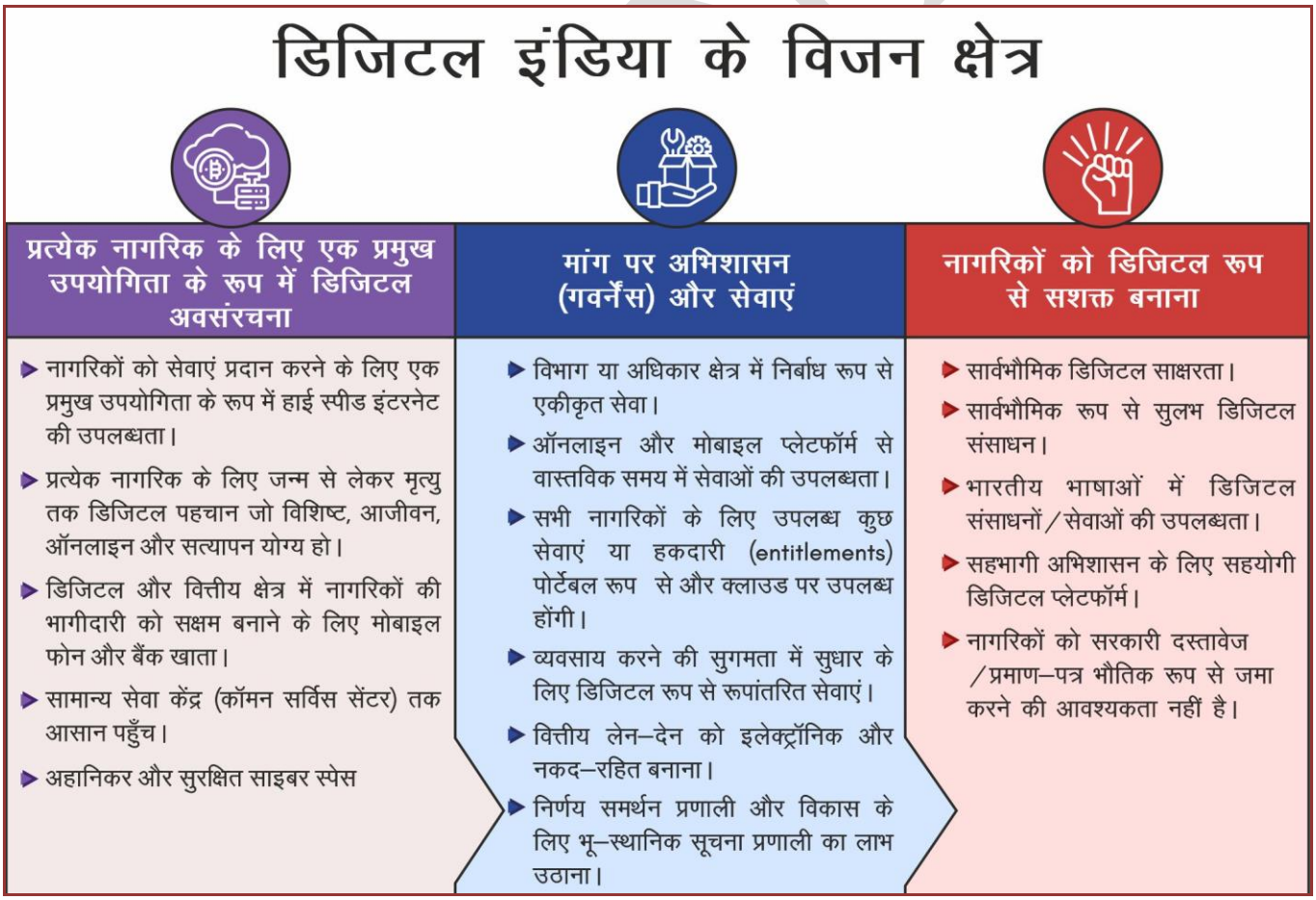

उपलब्धियां

- **विशिष्ट पहचान:** आधार, संभवतया डिजिटल इंडिया की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसमें 99% भारतीय आबादी शामिल है। इससे उन्हें महत्वपूर्ण सरकारी डिजिटल सेवाओं तक पहुंच की अनुमति मिलती है।

- **अन्य पहलों को सक्षम बनाया गया:** इस कार्यक्रम ने कई महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं जैसे भारतनेट, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया, औद्योगिक गलियारों आदि के लिए एक सक्षमकारी की भूमिका निभाई है।
- **नकद रहित (कैशलेस) भुगतान को बढ़ावा दिया गया:** डिजिटल इंडिया के अंतर्गत यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) की शुरुआत और ई-वॉलेट, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा (USSD) सेवाओं आदि को बढ़ावा देने से भारत में नकद रहित (कैशलेस) भुगतान को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है।
  - भारत में वित्तीय वर्ष 2018 और 2019 के मध्य डिजिटल भुगतान में 383% की विशाल वृद्धि दर्ज की गई है।
- **डिजिटल कनेक्टिंग ग्रामीण भारत:** महत्वाकांक्षी भारत नेट कार्यक्रम ने फाइबर-ऑप्टिक नेटवर्क द्वारा 2.5 लाख ग्राम पंचायतों (GPs) को जोड़ने का कार्य संपन्न किया है।
  - जून 2021 तक, बिछाई गई ऑप्टिकल फाइबर केबल (OFC) की लंबाई लगभग 5, 25,706 किलोमीटर है। इन ऑप्टिकल फाइबर केबल (OFC) से जुड़ी ग्राम पंचायतों (GPs) की संख्या 1,73.079 है तथा (फाइबर और सैटेलाइट पर) सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार की जा चुकी ग्राम पंचायतें (GPs) 1,60,076 हैं।
- **डिजिटल समावेशन का संवर्धन किया गया:** डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देना, सामान्य सेवा केंद्रों (CSCs) जैसे कार्यक्रमों के साथ पहल का एक मुख्य घटक है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट के माध्यम से डिजिटल सेवाओं के वितरण को सक्षम बनाया जा सका है।
  - सामान्य सेवा केंद्र (CSCs) दैनिक आधार पर 4,00,000-5,00,000 लोगों को डिजिटल सेवाओं तक पहुंच प्रदान करते हैं।

अवसंरचना	आधार भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क (BBN) डिजिलॉकर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) मेघराज सर्ट–इन (Cert-in)
सेवाएं	भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण वस्तु और सेवा कर नेटवर्क सुगम्य भारत अभियान और मोबाइल ऐप भीम अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम एम.–किसान राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल निक्षय स्वच्छ भारत ऐप उमंग
सशक्तीकरण	प्रधान मंत्री जन–धन योजना प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान पहल ICT के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन आधार सक्षम भुगतान प्रणाली

- **प्रौद्योगिकी स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का विकास:** ई-कॉमर्स बाजार में वृद्धि, जिसके वर्ष 2020 में 54 बिलियन डॉलर होने का अनुमान था, डिजिटल इंडिया की सफलता का प्रमाण है।
  - स्टार्टअप्स के लिए एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र निर्मित करने हेतु **इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय** ने डिजिटल इंडिया के तहत **'टेक्नोलॉजी इन्क्यूबेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ़ इंटरप्रेन्योर्स' (TIDE), इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग (ESDM)** आदि को बढ़ावा देने जैसे कार्यक्रम आरंभ किए हैं।
- **वर्धित वैश्विक रुचि:** प्रमुख तकनीकी कंपनियां भारत के अत्यधिक प्रतिस्पर्धी डिजिटल बाजार के कारण भारत में रुचि प्रकट प्रकट कर रही हैं। डिजिटल इंडिया ने भारत सरकार और इन कंपनियों को सहयोग के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया है। **उदाहरणार्थ-**
  - गूगल इंक ने भारत के 100 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर नि:शुल्क वाई-फाई सेवाओं की स्थापना के लिए भारतीय रेलवे के साथ सहयोग किया है। माइक्रोसॉफ्ट इंक ने "डिजिटल गवर्नेंस टेक टूर" के अपने हालिया योगदान के साथ भारत सरकार के साथ कार्य किया है।
- **डिजिटल माध्यमों से सहायता प्राप्त सामाजिक-आर्थिक विकास:** टेली-मेडिसिन, ऑनलाइन और ओपन-सोर्स शिक्षा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण आदि सहित डिजिटल साधनों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली व्यापक सेवाओं ने सतत विकास में मदद की है।

चुनौतियाँ जो अभी भी विद्यमान हैं

- **दूरस्थ क्षेत्रों से संपर्क:** राज्यों के बीच अवसंरचना के मामले में भी गंभीर असमानताएं मौजूद हैं। इनमें पूर्वोत्तर सबसे खराब स्थिति में है, आंशिक रूप से इसका कारण दुर्गम क्षेत्र, वर्षा और बाढ़ हैं।
- **डिजिटल निरक्षरता:** देश में अभी भी डिजिटल निरक्षरता अधिक है, जो वर्तमान में संचालित कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के दौरान बहुत स्पष्ट हो गई है। सरकार को ऑफ़लाइन व्यवस्था करने के लिए बाध्य होना पड़ा था, क्योंकि बहुत से लोग डिजिटल रूप से इतने साक्षर नहीं थे कि वे कोविड टीकाकरण शेड्यूल करने के लिए कोविन ऐप पर स्वयं को पंजीकृत करवा सकें।

- **साइबर अपराध और सुरक्षा उल्लंघन:** वर्ष 2020 में साइबर हमले के लगभग 1.16 मिलियन मामले दर्ज किए गए थे। ये वर्ष 2019 की तुलना में लगभग तीन गुना और वर्ष 2016 की तुलना में 20 गुना अधिक थे। डेटा रिसाव, फ़िशिंग हमले, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, कमजोर एन्क्रिप्शन (जिसे ब्रोकन क्रिप्टोग्राफी के रूप में जाना जाता है) वाले ऐप्स जैसे जोखिम कुछ ऐसे सामान्य साइबर खतरे हैं जो उपयोगकर्ताओं के समक्ष समस्या उत्पन्न कर रहे हैं।
    - आधार डेटा और कई सरकारी विभागों द्वारा उपयोग किए जाने वाले आधार तंत्र की सुरक्षा के लिए किए गए सुरक्षा उपाय सुभेद्य बने हुए हैं। इसका कारण यह है कि दुरुपयोग को ट्रैक करने और रिपोर्ट करने के लिए अत्यल्प प्रयास किए जाते हैं।
- **गोपनीयता:** सरकारी सेवाओं तक सुरक्षित ऑनलाइन पहुंच के प्रतिफल में, भारत के नागरिकों को बायोमेट्रिक डेटा सहित बड़ी मात्रा में व्यक्तिगत जानकारी देने के लिए निर्देशित किया जाता है। इसने गोपनीयता संबंधी व्यापक चुनौतियां उत्पन्न कर दी हैं।

आगे की राह

- विश्वसनीय डेटा बैक-अप, तृतीय पक्ष जोखिम मूल्यांकन और मजबूत बहुकारक सत्यापन तंत्र हेतु व्यक्तिगत युक्तियों एवं नेटवर्कों के लिए एक आद्योपांत सुरक्षा पारितंत्र प्रदान करने वाली **सुदृढ़ साइबर सुरक्षा में निवेश** करने की आवश्यकता है।
- **साइबर अपराध से निपटने और डेटा गोपनीयता की रक्षा के लिए मजबूत कानूनी ढांचे की आवश्यकता है।** साथ ही, साइबर सुरक्षा के महत्व के बारे में व्यापक जागरूकता अभियान भी संचालित किया जाना चाहिए।
- **ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में अंतिम छोर तक अवसंरचना के विकास के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।** निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए अनुकूल कराधान नीतियां, परियोजनाओं की त्वरित मंजूरी आदि उपाय किए जाने चाहिए।
    - डिजिटल अवसंरचना के संधारणीय विकास के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल अपनाए जाने की संभावनाओं का अन्वेषण किया जा सकता है।

QUIZ **SMART QUIZ**	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **सामाजिक मुद्दे** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

7. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology)

7.1. अंतरिक्ष पर्यटन (Space Tourism)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विभिन्न निजी कंपनियां भुगतान करने वाले ग्राहकों को नियमित आधार पर अंतरिक्ष में ले जाने की योजनाएं विकसित कर रही हैं, जिससे अंतरिक्ष पर्यटन उद्योग में तेजी से वृद्धि हो रही है।

अंतरिक्ष पर्यटन के बारे में

- अंतरिक्ष पर्यटन **मनोरंजन, अवकाश या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष की यात्रा** को संदर्भित करता है। कक्षीय, उप-कक्षीय और चंद्र अंतरिक्ष पर्यटन सहित अनेक विभिन्न प्रकार के अंतरिक्ष पर्यटन हैं।
    - वर्तमान में, केवल रोस्कोस्मोस स्टेट कॉरपोरेशन फॉर स्पेस एक्टिविटीज या रोस्कोस्मोस के नाम से प्रसिद्ध रूसी विमानन और अंतरिक्ष एजेंसी (Russian Aviation and Space Agency) द्वारा कक्षीय अंतरिक्ष पर्यटन का निष्पादन किया गया है।
    - विभिन्न निजी अंतरिक्ष उड़ान कंपनियां भुगतान करने वाले ग्राहकों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए अब उप-कक्षीय अंतरिक्ष पर्यटन यानों को विकसित करने की दिशा में कार्य कर रही हैं (इन्फोग्राफिक देखें)।

हमारे लिए अंतरिक्ष और अंतरिक्ष यात्रा का क्या अर्थ है?

- **फेडरेशन एयरोनॉटिक इंटरनेशनेल** (वैश्विक स्तर पर वैमानिकी और खगोल-वैमानिक रिकॉर्ड का शासी निकाय) के अनुसार, **अंतरिक्ष** पृथ्वी की सतह से 100 कि.मी. (62 मील) की ऊँचाई से प्रारंभ होता है।
    - **कारमन रेखा (Karman Line):** इस रेखा या इससे अधिक ऊंचाई पर किसी उड़ने वाली वस्तु को सहायता प्रदान करने के लिए आवश्यक पर्याप्त वायुमंडलीय उत्थापन नहीं होता है। इसलिए इस ऊंचाई पर किसी वस्तु को उड़ने के लिए कक्षीय वेग को प्राप्त करना आवश्यक होगा, अन्यथा उस वस्तु का पृथ्वी पर गिरने का जोखिम होता है।
- **अंतरिक्ष यात्रा:** एक या अधिक यात्रियों को पृथ्वी से 100 कि.मी. की या इससे अधिक ऊंचाई (अर्थात् अंतरिक्ष) पर ले जाने वाली किसी भी उड़ान परिचालन को अंतरिक्ष यात्रा के रूप में संदर्भित किया जाता है।
- **कक्षीय और उप-कक्षीय उड़ान** के बीच मुख्य अंतर उस गति का होता है, जिस पर यान गमन कर रहा होता है।
    - **कक्षीय अंतरिक्ष यान को कक्षीय वेग** (अर्थात् किसी वस्तु को ग्रह के चारों ओर कक्षा में बने रहने के लिए आवश्यक गति) **प्राप्त करनी होता है**। उदाहरण के लिए पृथ्वी से 125 मील (200 किलोमीटर) की ऊंचाई वाली कक्षा में परिक्रमा करने के लिए किसी अंतरिक्ष यान को 17,400 मील प्रति घंटे (28,000 कि.मी./घंटा) की गति से गमन करना होता है।

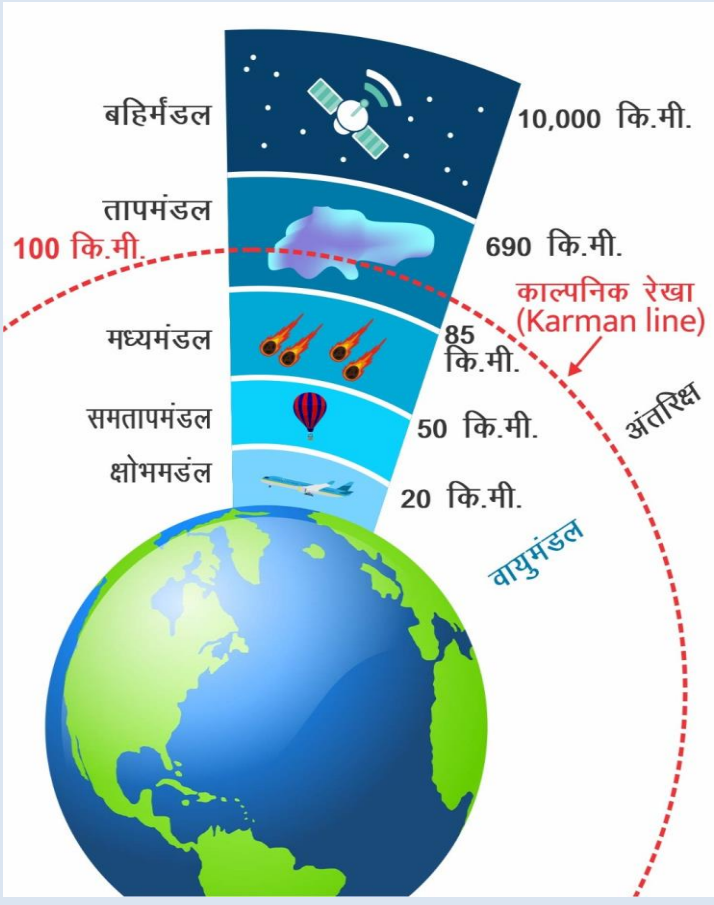

    - **इसके विपरीत, उप-कक्षीय उड़ान के लिए तुलनात्मक रूप से कम गति की आवश्यकता होती है** और इसमें पृथ्वी की कक्षा तक पहुंचने की शक्ति नहीं होती है। इसके बजाय, अंतरिक्ष यान एक निश्चित ऊंचाई तक उड़ता है जो उसकी गति पर निर्भर करता है, और फिर अपना इंजन बंद होने के बाद वापस नीचे आ जाता है।
    - जब कोई यान उपकक्षीय उड़ान में अपनी उड़ान चाप (flight arc) के शीर्ष पर पहुँच कर पृथ्वी की ओर अधोगामी गति कर रहा होता है तो उसमें सवार यात्री शून्य गुरुत्वाकर्षण के कारण कुछ मिनट तक भारहीनता का अनुभव करते हैं।

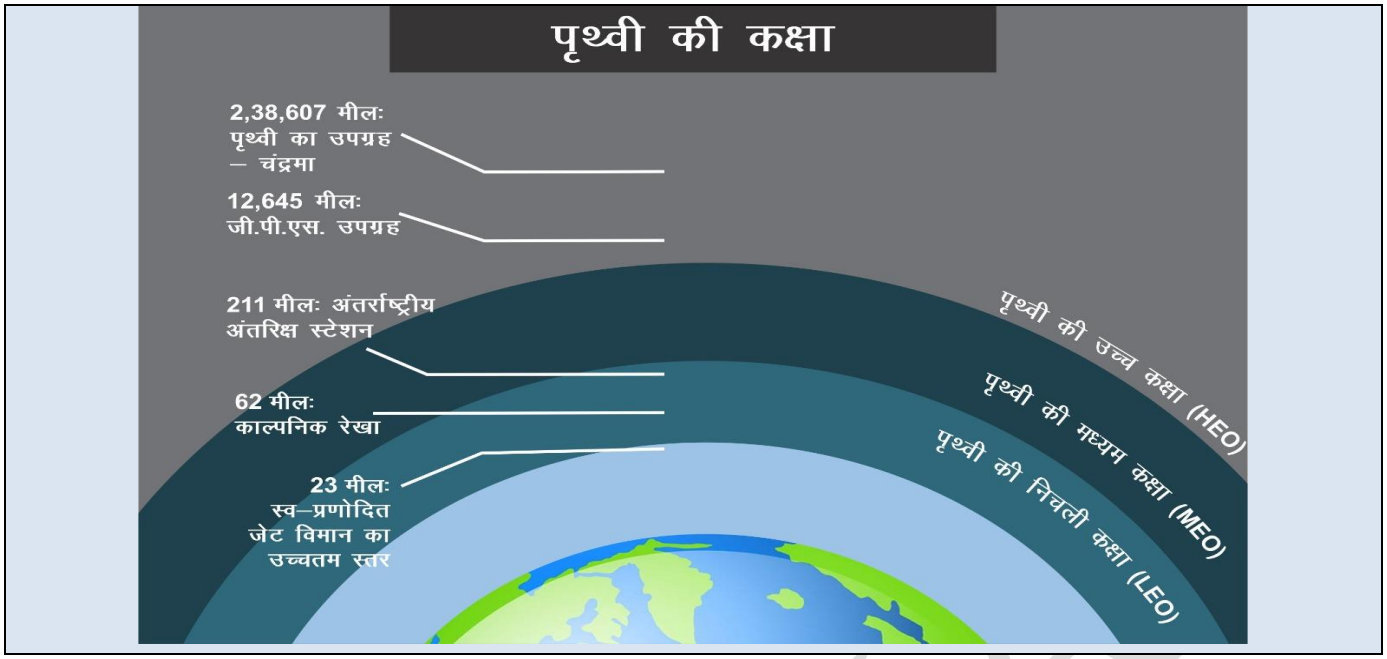

अंतरिक्ष पर्यटन के लिए प्रमुख बाजार चालक

- अंतरिक्ष पर्यटन बाजार के बारे में वर्ष 2020-2025 की अवधि के दौरान 12.4% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से वृद्धि करते हुए वर्ष 2025 तक 1.3 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का पूर्वानुमान किया गया है। इसके लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं:
  - **अंतरिक्ष पर्यटन की लागत में गिरावट:** अंतरिक्ष में एक दौरे की कुल लागत लगभग 6,00,000 डॉलर के प्रारंभिक मूल्य स्तर से काफी कम होकर 2,50,000 डॉलर हो गई है। इसमें आगामी वर्षों के दौरान 2,000 डॉलर प्रति किलोग्राम तक और गिरावट होने का अनुमान है।
  - **तकनीकी प्रगति:** उदाहरण के लिए अंतरिक्ष उड़ान लागत को कम करने में उपकक्षीय **पुन:प्रयोज्य प्रक्षेपण वाहनों** का विकास महत्वपूर्ण कारक है। वर्जिन गैलेक्टिक और ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनियां उपकक्षीय उड़ानों का परीक्षण कर रही हैं जो अंतरिक्ष पर्यटकों तथा शोधकर्ताओं को 50 और 68 मील के बीच ऊंचाई तक ले जा सकती हैं।
  - **अंतरिक्ष पर्यटन में अंतर्राष्ट्रीय रुचि:** जहाँ अंतरिक्ष पर्यटन उद्योग की अधिकांश गतिविधियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में केंद्रित हैं, वहीं विभिन्न देश इस बाजार का दोहन करने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं।
  - **अंतरिक्ष आवासों का विकास:** जून 2019 में, नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) द्वारा निजी नागरिकों को ठहरने के साथ संक्षिप्त दौरों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (International Space Station: ISS) तक उड़ान की अनुमति देने की योजना की घोषणा की गई थी। विभिन्न निजी संस्थाएँ भी पर्यटकों के ठहरने के लिए अंतरिक्ष में होटल विकसित कर रही हैं।
    - उदाहरण के लिए, ओरियन स्पैन ने वर्ष 2021 तक अंतरिक्ष में **औरोरा स्टेशन (Aurora Station)** नामक विश्व का प्रथम लक्जरी होटल निर्मित करने संबंधी योजना की घोषणा की है।

क्या आप जानते हैं?

ओरियन स्पैन द्वारा विकसित **ऑरोरा स्टेशन**, विश्व भर से आए अतिथियों/यात्रियों के साथ प्रतिदिन 16 बार पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। इसका अर्थ है कि इन भाग्यशाली यात्रियों को प्रत्येक 90 मिनट में सूर्योदय और सूर्यास्त देखने का अवसर प्राप्त होगा।

इसी प्रकार, पूर्व पायलट जॉन ब्लिंको द्वारा संचालित ऑर्बिटल असेंबली कॉर्पोरेशन, वर्ष 2027 तक एक लक्ज़री स्पेस होटल **वॉयजर स्टेशन** खोलने की योजना बना रहा है, जो पूरा होने पर प्रथम वाणिज्यिक अंतरिक्ष होटल बन जाएगा। इसमें 280 अतिथियों और चालक दल के 112 सदस्यों के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध होगा।

उभरते अंतरिक्ष पर्यटन उद्योग से संबंधित मुद्दे

अंतरिक्ष पर्यटन एक विशिष्ट उद्यम है, और इस प्रकार, मनोरंजन के लिए अंतरिक्ष में व्यक्तियों के प्रसार से जुड़ी गतिविधियों की वैधता अभी निर्धारित करना शेष है। अंतरिक्ष से संबंधित वर्तमान संधियाँ अप्रासंगिक हैं और अंतरिक्ष पर्यटन उद्योग द्वारा उत्पन्न विधिक चुनौतियों का प्रभावी रूप से समाधान करने में विफल हैं। इससे संबंधित उत्पन्न होने वाले विभिन्न मुद्दे इस प्रकार हैं:

- **अंतरिक्ष पर्यटक की अस्पष्ट स्थिति:** किसी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विधि द्वारा अंतरिक्ष पर्यटकों को परिभाषित नहीं किया गया है। बाह्य अंतरिक्ष संधि (Outer Space Treaty), बचाव समझौता (Rescue Agreement) आदि जैसी मौजूदा अंतरिक्ष संधियाँ, केवल अंतरिक्ष यात्रियों, मानवता के दूतों या अंतरिक्ष यान के कर्मियों पर लागू होती हैं। चूंकि मनोरंजक अंतरिक्ष पर्यटन इन संधियों के दायरे में नहीं आता है, इसलिए उन्हें इन संधियों या समझौतों के तहत अधिकार प्रदान नहीं किए जाते हैं और राज्यों पर उनकी सहायता करने का कोई बाध्यता नहीं होती है।

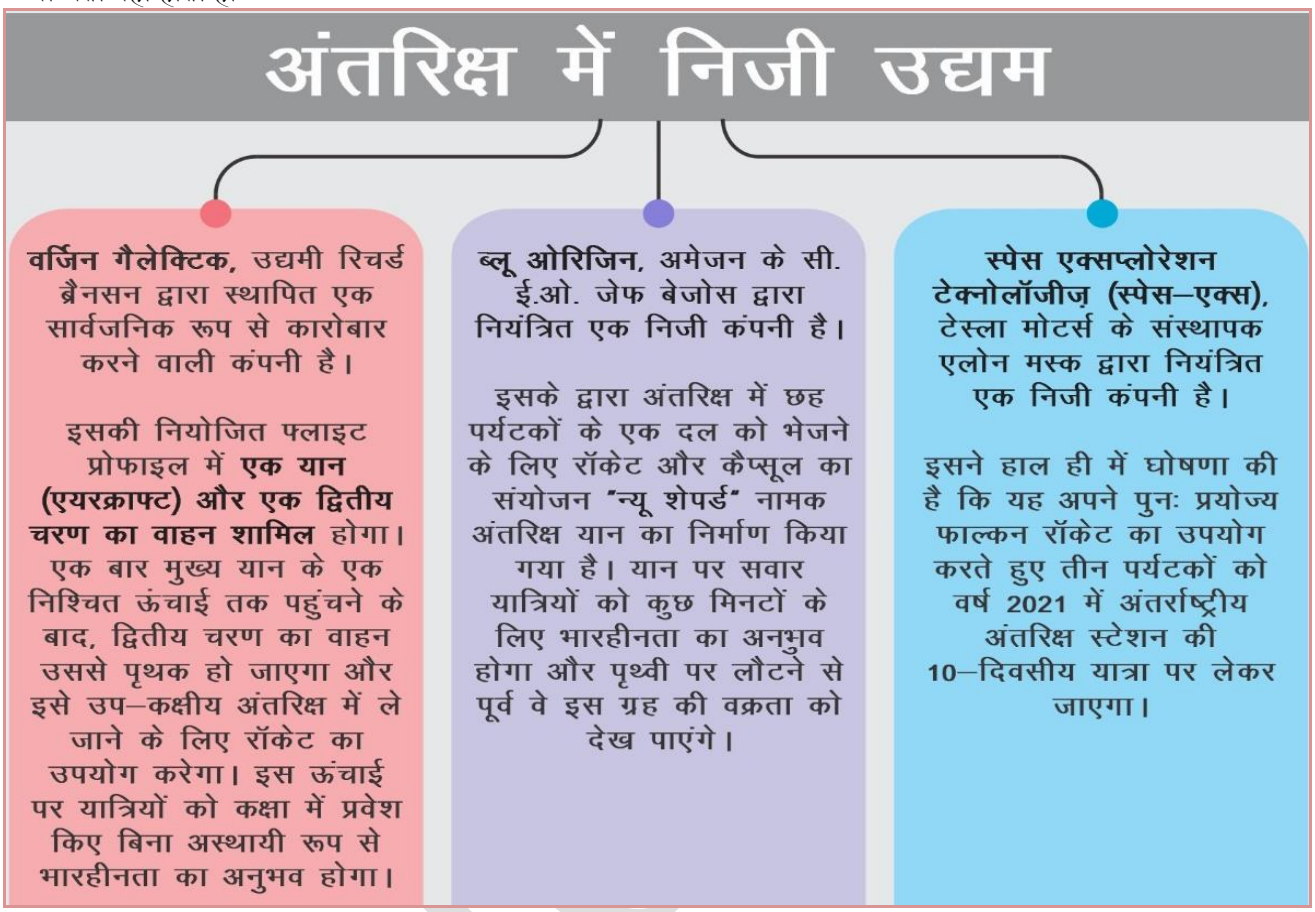

- **प्राधिकार/अनुज्ञप्ति संबंधी मुद्दे:** अंतरिक्ष में किसी वाहन को भेजने संबंधी गतिविधियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विधियों द्वारा बाह्य अंतरिक्ष संधि के अनुच्छेद VI के अनुसार अधिकृत करना अनिवार्य होता है। हालांकि, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विधान और विनियम सवार पर्यटकों के साथ अंतरिक्ष यात्रा के प्राधिकार के संबंध में प्रभावी प्रावधान नहीं करते हैं।
- **यात्री दायित्व:** अंतर्राष्ट्रीय संधियों और अभिसमयों का उद्देश्य अंतरिक्ष के संबंध में हस्ताक्षरकर्ता देशों का विनियमन करना है। लेकिन इन संधियों और अभिसमयों में अंतरिक्ष के संबंध में निजी संस्थाओं के दायित्व का प्रबंधन करने संबंधी को के प्रावधान शामिल नहीं हैं। उदाहरण के लिए, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के अनुच्छेद VII के अनुसार, अंतरिक्ष में भेजी गई किसी वस्तु (चाहे वह निजी व सार्वजनिक इकाई से संबंधित हो) द्वारा हुई क्षति का अंतर्राष्ट्रीय दायित्व उस राष्ट्र पर आरोपित किया जाता है जहाँ से प्रक्षेपण किया गया है।
- **अंतरिक्ष बीमा:** यह एक गहन रूप से तकनीकी मुद्दा है और इसके लिए प्रक्षेपण वाहनों, उपग्रहों, और अन्य संबंधित मुद्दों के बारे में विशेषज्ञ ज्ञान की आवश्यकता होती है। हालांकि, अंतरिक्ष बीमा की वर्तमान व्यवस्था केवल अंतरिक्ष यान के अंतरिक्ष यात्रियों और कर्मियों को बीमा सुरक्षा प्रदान करती है तथा इसमें अंतरिक्ष पर्यटकों के लिए यात्री दायित्व का कोई प्रावधान शामिल नहीं है।
- **पर्यावरण पर प्रभाव:** हालांकि अंतरिक्ष उड़ानों से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन अन्य मानव गतिविधियों या वाणिज्यिक विमानन की तुलना में नगण्य है, किन्तु अंतरिक्ष यानों से होने वाले कार्बन उत्सर्जन से विशेष रूप से ओजोन परत को दीर्घकालिक क्षति पहुँचने की संभावना है।
- **नैतिकता से संबंधित मुद्दे:** अंतरिक्ष उड़ान से संबद्ध विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों के बारे में अभी भी हमारी समझ अपर्याप्त हैं, और प्रतिभागियों के स्वास्थ्य पर ऐसी उड़ानों के चिकित्सीय परिणामों के संबंध में बहुत कम शोध किया गया है। NASA ने वर्ष 2012 में पर्यटक अंतरिक्ष उड़ान प्रतिभागियों के लिए चिकित्सीय जांच मानकों की अनुशंसा की थी, लेकिन ये दिशा-निर्देश अंतरिक्ष यात्रियों के लिए प्रक्षेपण या सुविधा प्रदान करने वाली कंपनियों के लिए बाध्यकारी नहीं हैं।

अंतरिक्ष पर्यटन में भारत का उद्यम

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के **गगनयान मिशन** (इसरो का अंतरिक्ष में प्रथम मानवयुक्त मिशन) में भारत को अंतरिक्ष पर्यटन

बाजार में प्रवेश दिलाने और व्यापक वाणिज्यिक अवसरों के लिए विकल्प प्रदान करने की क्षमता है।

- अंतरिक्ष पर्यटन के संबंध में भारत के प्रयासों से **विभिन्न सकारात्मक प्रभाव** उत्पन्न होंगे, जिनमें रोजगार सृजन और व्यापक राजस्व तथा निवेश शामिल हैं।
- हालांकि, भारत जहाँ प्रौद्योगिकी और कम लागत के मामले में उत्कृष्ट स्थिति में है, वहीं यह अंतरिक्ष पर्यटन सहित बाह्य अंतरिक्ष की गतिविधियों को अभिशासित करने वाली **स्पष्ट विधियों और विधानों के संबंध में काफी पीछे है।**

आगे की राह

- अंतरिक्ष पर्यटन धीरे-धीरे सावधानीपूर्वक प्रतिदिन प्रक्षेपण करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसलिए अब इस प्रकार के विधियों और विधानों के निर्माण की आवश्यकता प्रकट हो रही है जो निजी अभिकर्ताओं के विनियमन सहित अंतरिक्ष पर्यटन के मुद्दों का भी विनियमन करेंगे।
- सरकार की भूमिका के अंतर्गत अंतरिक्ष में निजी गतिविधियों को अधिकृत और पर्यवेक्षण करने संबंधी विधिक जिम्मेदारी शामिल है। साथ ही, सरकार द्वारा निजी क्षेत्रक को तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से विकसित करने एवं उनके विकास को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त अवसर सुनिश्चित करना चाहिए।

नोट: अंतरिक्ष अन्वेषण तथा अंतरिक्ष गतिविधियों और अन्य संबंधित मुद्दों के विनियमन के लिए अंतरिक्ष संधियों के बारे में और अधिक जानकारी हेतु, कृपया हमारे वीकली फोकस में प्रकाशित लेख "अंतरिक्ष अन्वेषण: बदलती परिस्थितियां और भविष्य की राह" देखें।

अंतरिक्ष अन्वेषण: बदलती परिस्थितियां और भविष्य की राह	अंतरिक्ष अन्वेषण ने विभिन्न देशों के लिए उनकी अर्थव्यवस्थाओं और सुरक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस क्षेत्रक में पर्याप्त वृद्धि का अनुभव करने के साथ, इसमें सहयोग की आवश्यकता भी बढ़ गई है। भारत इस क्षेत्र में एक उभरती हुई शक्ति होने के कारण अंतरिक्ष सहयोग स्थापित करने और इसे सक्षम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।	

7.2. जैव प्रौद्योगिकी- प्राइड दिशा-निर्देश (Biotech-PRIDE Guidelines)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बायोटेक्नोलॉजी विभाग (DBT) द्वारा विकसित "बायोटेक-प्राइड **(डेटा विनियम के माध्यम से अनुसंधान और नवाचार के प्रोत्साहन हेतु)** दिशा-निर्देश" जारी किए गए हैं।

इन दिशा-निर्देशों के बारे में

- जैविक ज्ञान से संबंधित डेटा के **सहभाजन, उपलब्धता और संग्रहण** को सक्षम करने के लिए बायोटेक-प्राइड दिशा-निर्देशों को **राष्ट्रीय डेटा शेयरिंग और सुलभता नीति या राष्ट्रीय आंकड़ा भागिता एवं अभिगम्यता नीति (National Data Sharing and Accessibility Policy: NDSAP) 2012** के सिद्धांतों के अनुरूप तैयार किया गया है।
  - वर्तमान में, भारत में जैविक डेटा को अंतर्राष्ट्रीय निक्षेपागारों/भंडारों में संग्रहित किया जाता है तथा इसके साझाकरण के लिए कोई दिशानिर्देश मौजूद नहीं है।
- इन दिशा-निर्देशों के तहत, **डेटा-सृजनकर्ता/उत्पादकों/जमाकर्ताओं** को अधिसूचित डेटा निक्षेपागार (Repository) में, उपयुक्त डेटाबेस में **डेटा को संगृहीत/जमा करने हेतु उत्तरदायी बनाया** गया है।
- किसी व्यक्ति या संगठन, जिसके डेटा को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटाबेस में **संग्रहित है, को डेटा आहरण/वापस लेने की अनुमति** दी जा सकती है यदि वह डेटा के लिए **वैध दावों के साथ या तो प्रत्यक्ष रूप से या जमाकर्ता के माध्यम से** न्यायसंगत अनुरोध करता है।
- इन दिशा-निर्देशों को DBT द्वारा समर्थित क्षेत्रीय जैवप्रौद्योगिकी केंद्र (Regional Center for Biotechnology) में स्थित **भारतीय जैविक डेटा केंद्र (Indian Biological Data Centre: IBDC)** के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा। इन दिशा-निर्देशों के तहत अन्य मौजूदा जैविक डेटा समुच्चयों/डेटा केंद्रों को IBDC के साथ जोड़ने की परिकल्पना की गई है, जिसे **बायो-ग्रिड** कहा जाएगा।

- यह बायो-ग्रिड देश में अनुसंधान द्वारा सृजित होने वाले **सभी जैविक ज्ञान, सूचना और डेटा के लिए एक राष्ट्रीय निक्षेपागार (भंडार)** होगा। साथ ही, यह निम्नलिखित के लिए भी उत्तरदायी होगा:
  - अनुसंधान और नवाचार को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से **इसके द्वारा अपने डेटा विनिमय/आदान-प्रदान को सक्षम करना;**
  - **डेटा समुच्चयों के लिए सुरक्षा, मानकों और गुणवत्ता** के उपायों का विकास करना; और
  - डेटा अभिगम्यता के लिए विस्तृत तौर-तरीके स्थापित करना।
- डेटा सहभाजन के तौर-तरीकों का प्रबंधन IBDC द्वारा निम्नलिखित **तीन श्रेणियों** के तहत किया जाएगा:
  - **मुक्त अभिगम्यता: डेटा प्रदाताओं द्वारा मुक्त रूप से पर सभी के लिए उपलब्ध डेटा को** सार्वजनिक उपलब्धता/मुक्त पहुंच वाले डेटा कहते हैं। सार्वजनिक वित्त पोषित अनुसंधान द्वारा सृजित 'मुक्त पहुँच' श्रेणी के अंतर्गत सूचीबद्ध सभी प्रकार के डेटा को **FAIR अर्थात् अन्वेषण योग्य (findable), अभिगम्य (accessible), अंतर-प्रचालनीय (interoperable) और पुन:प्रयोज्य (reusable) सिद्धांतों** के तहत सभी (वैज्ञानिक समुदाय और सामान्य जन) के लिए उपलब्ध होते हैं।
  - **प्रबंधित/नियंत्रित पहुँच:** प्रबंधित/नियंत्रित पहुँच वाले डेटा, वह डेटा होते हैं जिनको डेटा उत्पादक/सृजनकर्ता/जमाकर्ता द्वारा आरोपित **विशिष्ट प्रतिबंधों के अधीन साझा** किया जाता है। सार्वजनिक निधियों का उपयोग कर सृजित किए जाने वाले डेटा के मामले में, इस प्रकार के प्रतिबंध (डेटा तक पहुँच और उपयोग करने संबंधी) को **वित्तपोषण एजेंसी द्वारा अपने निक्षेपण से पहले लगाया जाता** है।
  - **पूर्णतः प्रतिबंध: 'संवेदनशील डेटा' तक पहुँच की अनुमति नहीं दी जाएगी,** भले ही इसे सार्वजनिक धन का उपयोग करके सृजित किया गया हो।

जैविक डेटा

जैविक डेटा पद के अंतर्गत डीऑक्सीराइबो-न्यूक्लिक अम्ल (DNA) अनुक्रम डेटा, राइबो-न्यूक्लिक अम्ल (RNA) अनुक्रम ट्रांस-क्रिप्टोमिक डेटा, जीनोटाइप डेटा, एपिजीनोमिक डेटा और प्रोटीन संरचना डेटा आदि को शामिल किया जाता है।

जैविक डेटा की विशेषताएं

- यह अन्य अधिकांश अनुप्रयोगों की तुलना में **अत्यधिक जटिल** होता है।
- इन प्रकार के डेटा में **परिवर्तनशीलता** का परिणाम और प्रसार उच्च होता है।

डेटा सहभाजन/भगिता के लाभ

- **संसाधनों का इष्टतम उपयोग:** डेटा के सृजन में अत्यधिक समय और अन्य संसाधनों के साथ-साथ **व्यापक मात्रा में सार्वजनिक निधियों** की आवश्यकता होती है। इस प्रकार, डेटा सहभाजन से डेटा का सृजन करने में किए गए **निवेश से अधिकतम लाभ** प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। इससे **प्रतिरूपण (duplicacy) के प्रयासों पर भी रोक लगेगी।**
- **अनुसंधान के नए अवसर उपलब्ध होंगे।**
- **अनभिप्रेत त्रुटियों में कमी:** सहभाजन हेतु डेटा को तैयार करने **के दौरान उनके विस्तृत प्रलेखन से केवल कल्पना के आधार पर किए जाने वाले कार्यों (guesswork), लुप्त विवरणों जैसी समस्याओं का समाधान होगा तथा अंतर्निहित ज्ञान को बनाए रखने में सहायता मिलेगी** जो अन्यथा अनभिलेखित रह सकते हैं।
- **डेटा तक सुलभ पहुँच:** संबंधित प्रकाशन के लिंक और जमा किए गए डेटा के लिंक के साथ **सार्वजनिक निक्षेपागारों में डेटा का संग्रहण करना, डेटा की सर्वसुलभता को सुगम बना देता है।**
- **सामाजिक लाभ:** यह **आणविक और जैविक प्रक्रियाओं** की समझ को सक्षम बनाएगा, जिससे कृषि, पशुपालन आदि जैसे क्षेत्रों में इनका उपयोग किया जा सकता है।
- **डेटा की पारदर्शिता और पुनरुत्पादक क्षमता सुनिश्चित करने के लिए** डेटा सहभाजन आवश्यक होता है।

7.3. न्यूक्लिक एसिड टीका (Nucleic Acid Vaccines)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, एक औषध कंपनी जाइडस कैडिला ने भारत के औषधि महानियंत्रक (Drug Controller General of India) के समक्ष **कोविड-19 के विरुद्ध अपने प्लाज्मिड DNA टीके जायकोव-डी (ZyCov-D) के लिए प्रतिबंधित आपातकालीन अनुमोदन हेतु** आवेदन किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- यदि इसे उपयोग के लिए अनुमोदित कर दिया जाता है तो यह **कोविड-19 के विरुद्ध उपयोग किया जाने वाला विश्व का प्रथम DNA आधारित टीका होगा।**

- **DNA (डीऑक्सीराइबो-न्यूक्लिक अम्ल) और RNA (राइबो-न्यूक्लिक अम्ल) दोनों ही न्यूक्लिक एसिड टीके** (इन्हे जीन आधारित टीके के रूप में भी जाना जाता है) के प्रकार हैं।

न्यूक्लिक एसिड टीका के बारे में

- **न्यूक्लिक एसिड टीके** के अंतर्गत शरीर में कमजोर विषाणु या जीवाणु प्रविष्ट करने के बजाय, **रोग उत्पन्न करने वाले विषाणु या जीवाणु (रोगजनक) की आनुवंशिक सामग्री का उपयोग कोविड-19 के विरुद्ध वांछित प्रतिरक्षा अनुक्रिया को उत्तेजित करने के लिए किया जाता है।**
    - **एंटीबॉडी का सृजन करने वाली यह प्रतिरक्षा अनुक्रिया** हमारे शरीर में वास्तविक विषाणु के प्रवेश कर जाने के बाद भी हमें संक्रमण से संरक्षण प्रदान करती है।
- टीके के आधार पर, **यह आनुवंशिक सामग्री DNA या RNA** हो सकती है।
    - DNA और RNA ऐसे निर्देश होते हैं जिनका उपयोग हमारी कोशिकाओं द्वारा प्रोटीन निर्माण के लिए किया जाता है। हमारी कोशिकाओं में DNA सर्वप्रथम संदेशवाहक RNA (mRNA) में परिवर्तित होता है, तदुपरांत इसका उपयोग विशिष्ट प्रोटीन निर्माण करने हेतु मूल रूपरेखा के रूप में किया जाता है।
    - **mRNA,** मानव शरीर में **कोशिकाओं को** वांछित प्रतिरक्षा अनुक्रिया उत्पन्न करने वाले **प्रोटीन का निर्माण करने हेतु निर्देशित करता है।**

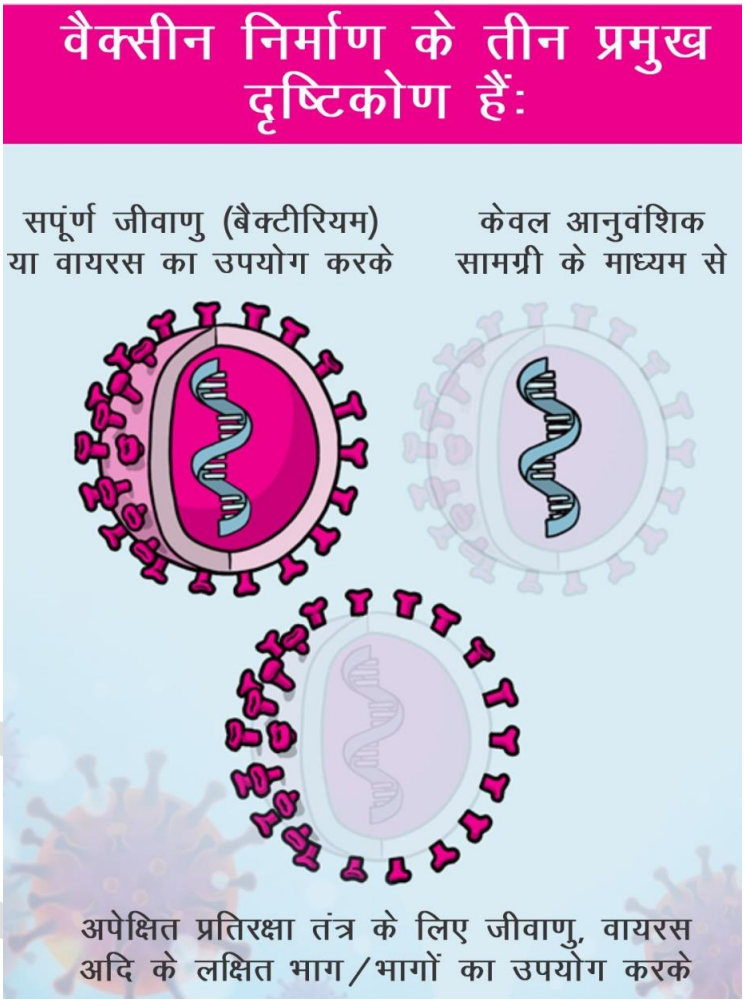

- DNA टीके के मामले में, **प्रतिजन (Antigen) कूटलेखन करने वाले DNA के अंश को सर्वप्रथम जीवाणु के प्लाज्मिड में अंतर्वेशित कराया जाता है।**
    - प्लाज्मिड एक लघु, **प्रायः गोल आकार के DNA अणु** होते हैं जो मुख्यतः जीवाणु और अन्य कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इनमें प्राय: केवल अल्प संख्या में जीन मौजूद होते है, जिनमें से कुछ विशेष रूप से प्रतिजैविक (antibiotic) प्रतिरोध उत्पन्न करने में सहायता करते हैं।
- **प्रतिजन वाले DNA प्लाज्मिड को आमतौर पर मांसपेशियों में इंजेक्ट किया जाता है और** तत्पश्चात इलेक्ट्रोपोरेशन (इसमें रोगियों की कोशिका झिल्ली में अस्थायी छिद्रों का निर्माण करने के लिए विद्युत धारा के लघु स्पंदनों का उपयोग किया जाता है) जैसी प्रौद्योगिकियों की सहायता से **कोशिकाओं में प्रेषित कर दिया जाता है।**
- **RNA आधारित वैक्सीन, संबंधित प्रतिजन का mRNA में कूटलेखन (encode) करती है।**
- नैनोकणों के भीतर संपुटित RNA को बिना किसा तकनीकी सहायता के प्रत्यक्ष रूप से इंजेक्ट किया जा सकता है (जैसा कि फाइजर के mRNA आधारित कोविड टिके को), या DNA टीके के लिए विकसित की जा रही कुछ समान तकनीकों का उपयोग करके कोशिकाओं में प्रेषित किया जा सकता है।
- mRNA टीके के विपरीत, DNA आधारित टीके के लिए अल्ट्रा-कोल्ड स्टोरेज प्रणाली की आवश्यकता नहीं होती है। अतः इन्हें अधिक लागत प्रभावी कहा जा सकता है।

न्यूक्लिक एसिड टीके की कार्यप्रणाली

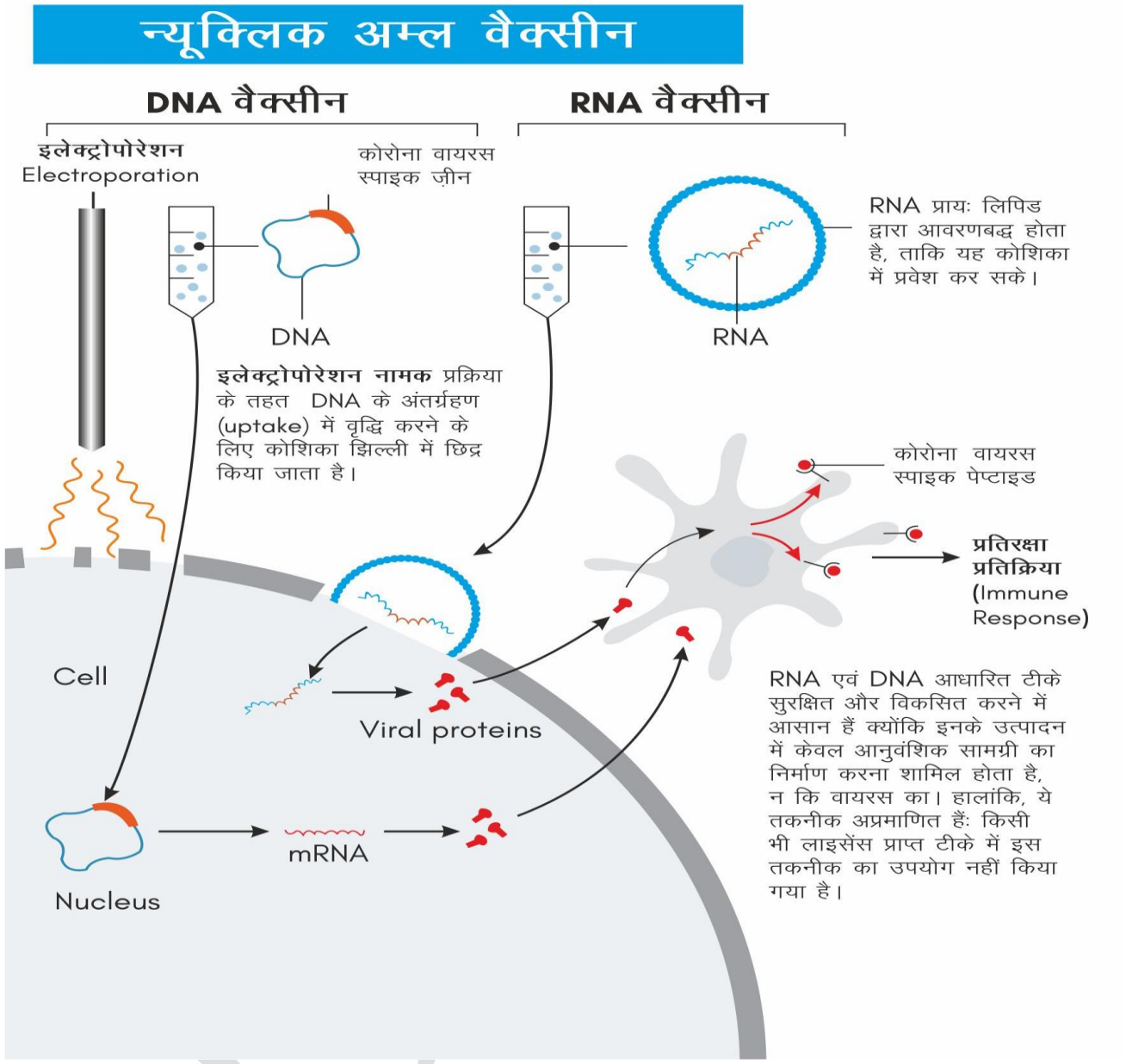

न्यूक्लिक एसिड टीके के लाभ

- **ये सुरक्षित और असंक्रामक होते हैं,** क्योंकि इनमें रोगजनक कणों या निष्क्रिय रोगजनक का उपयोग नहीं किया जाता है।
- **ये सुदृढ़ प्रतिरक्षा उत्पन्न करने में सक्षम हो सकते हैं** और पारंपरिक टीकों की तुलना में अधिक सहन करने योग्य होते हैं।
- **इनका अधिक तेजी से उत्पादन किया जा सकता है** क्योंकि इनकी वृद्धि के लिए पोषक (उदाहरण के लिए, अंडे या जीवाणु) की आवश्यकता नहीं होती है।

टीके के निर्माण से संबंधित अन्य दृष्टिकोण		
सूक्ष्मजीवों का पूर्ण इकाई के रूप में उपयोग करने पर आधारित दृष्टिकोण (Whole-microbe approach)	• रोग वाहक विषाणु या जीवाणु, या उनके समान रोग जनकों को रसायनों, ऊष्मा या विकिरण द्वारा निष्क्रिय कर या मारकर **निष्क्रिय टीके (Inactivated vaccine)** निर्मित किए जाते हैं।	• इन विधियों का प्रयोग करके **फ्लू और पोलियो के टीके बनाए जाते हैं-** और युक्तियुक्त पैमाने पर टीकों का विनिर्माण किया जा सकता है। • सुरक्षित रूप से विषाणु या जीवाणु के संवर्धन हेतु **विशिष्ट प्रयोगशाला सुविधाओं की आवश्यकता होती है,** जिनके उत्पादन में **अपेक्षाकृत लंबा समय** लग सकता है। साथ ही, संभावित रूप से इसकी दो या तीन खुराकों की आवश्यकता होती है।

	• **जीवित तनुकृत टीके (Live-attenuated vaccine) का निर्माण करने के लिए** विषाणु या उसके समान रोगजनकों के जीवित लेकिन दुर्बलीकृत संस्करण का उपयोग किया जाता है।	• खसरा, गलसुआ और रूबेला (Measles, Mumps Rubella: MMR) टीका तथा छोटी चेचक और शिंगल्स टीका इसके **उदाहरण हैं।** • इस प्रकार के **टीके कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र वाले लोगों के लिए अनुपयुक्त हो सकते हैं।**
	• **विषाणु वाहक टीके (Viral vector vaccine)** में संबंधित रोगाणु के विशिष्ट उप-भाग (जिसे प्रोटीन कहा जाता है) को उपलब्ध कराने के लिए सुरक्षित विषाणु का उपयोग किया जाता है तथा यह रोग उत्पन्न किए बिना वांछित प्रतिरक्षा अनुक्रिया को सक्रिय कर देता है।	• इबोला टीका एक विषाणु वाहक टीका है और इस प्रकार के टीके को तेजी से विकसित किया जा सकता है।
उप-इकाई दृष्टिकोण (Subunit approach)	• इसके अंतर्गत किसी विषाणु या जीवाणु के **केवल कुछ विशिष्ट भागों (उप-इकाइयों) का ही उपयोग किया जाता है** जो प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा विषाणुओं या जीवाणुओं को चिन्हित करने में मदद करते हैं। ○ ये उप-इकाइयाँ **प्रोटीन या शर्करा** हो सकती हैं।	• **बाल्यावस्था में लगने वाले अधिकतर टीके उप-इकाई टीके होते हैं,** जो लोगों को काली खांसी, टिटनेस, डिप्थीरिया और मेनिंगोकोकल मेनिनजाइटिस जैसे रोगों से संरक्षण प्रदान करते हैं।

SMART QUIZ

विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।

न्यूज़ टुडे

- 2 पृष्ठों में कवर किया जाने वाला दैनिक समसामयिकी समाचार बुलेटिन।
- सुर्खियों के प्राथमिक स्रोत: द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी (PIB)। अन्य स्रोतों में शामिल हैं. न्यूज ऑन एयर, द मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स आदि।
- इसका उद्देश्य प्रचलित विभिन्न घटनाओं के बारे में जानने के लिए प्राथमिक स्तर की जानकारी प्रदान करना है।
- इसमें दो प्रकार के दृष्टिकोणों को शामिल किया गया है यथा:
  - दिवसीय प्राथमिक सुर्खियों – 180 से कम शब्दों में दिन की मुख्य सुर्खियों को शामिल किया गया है।
  - अन्य सुर्खियाँ– ये मूल रूप से समाचारों में आने वाली एक पंक्ति की जानकारियाँ हैं। यहां शब्द सीमा 80 शब्द है।
- यह अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों में उपलब्ध है। हिंदी ऑडियो, विजन आईएएस हिंदी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है।

8. संस्कृति (Culture)

8.1. विश्व धरोहर का दर्जा (World Heritage Tag)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर** (जिसे रामप्पा मंदिर भी कहा जाता है) और **धोलावीरा** को यूनेस्को (UNESCO) की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इन दो स्थलों के शामिल होने के साथ ही, भारत में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या **40 (32 सांस्कृतिक, सात प्राकृतिक और एक मिश्रित)** हो गई है।
- धोलावीरा, भारत की प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा प्रथम स्थल है, जिसे यह दर्जा प्रदान किया गया है।

इन स्थलों के लिए यूनेस्को के इस दर्जे का क्या महत्व है?

- यह न केवल इन स्थलों पर बल्कि इन राज्यों के अन्य ऐतिहासिक स्थलों के आस-पास भी **राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को प्रोत्साहित** करेगा।
- विरासत स्थलों पर अधिक संख्या में पर्यटकों के आगमन से वहां बेहतर सुविधाओं तथा स्थानीय समुदायों हेतु वित्त का विस्तार होने लगता है।
- एक बार जब कोई स्थल विश्व धरोहर सूची में शामिल हो जाता है, तो परिणामस्वरूप यह सम्मान प्रायः विरासत संरक्षण के लिए नागरिकों और सरकारों के मध्य जागरूकता सृजन में सहायक होता है।
- किसी देश के सांस्कृतिक स्थल के विश्व धरोहर में शामिल होने से वह देश उक्त स्थल के संरक्षण प्रयासों के समर्थन हेतु विश्व धरोहर समिति से वित्तीय सहायता और विशेषज्ञ सलाह भी प्राप्त कर सकता है।
- सूचीबद्ध स्थल युद्ध के दौरान विनाश के विरुद्ध जेनेवा अभिसमय के अंतर्गत सुरक्षा भी प्राप्त करते हैं।

अन्य तथ्य

- हाल ही में, **ग्वालियर और ओरछा** शहरों (मध्य प्रदेश) **के लिए यूनेस्को की 'ऐतिहासिक शहरी भूदृश्य परियोजना (Historic Urban Landscape Project: HULP)'** का शुभारम्भ किया गया।
- 9वीं शताब्दी में स्थापित **ग्वालियर पर गुर्जर-प्रतिहार राजवंश, तोमर, बघेल कछवाहों और सिंधिया** शासकों का शासन रहा है।
  - ग्वालियर अपने महलों और मंदिरों के लिए विख्यात है, जिसमें जटिल नक्काशीदार **सास बहू का मंदिर** भी शामिल है।
- **ओरछा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में है** तथा यह 16वीं शताब्दी में पूर्ववर्ती **बुंदेला वंश** की राजधानी **थी।**
  - शहर में प्रसिद्ध स्थान **राज महल, जहांगीर महल, रामराजा मंदिर, राय प्रवीण महल और लक्ष्मीनारायण मंदिर हैं।**
- HULP को वर्ष 2011 में **गतिशील और निरंतर परिवर्तित हो रहे परिवेश में विरासत संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक दृष्टिकोण** के रूप में आरंभ किया गया था।
  - यह किसी भी शहर में स्थित **प्राकृतिक व सांस्कृतिक, मूर्त व अमूर्त तथा अंतर्राष्ट्रीय व स्थानीय मूल्यों के स्तरण और अंतर्संबद्धता** की पहचान एवं मान्यता पर आधारित है।
- **HULP का महत्व**
  - इसका उद्देश्य विशेषकर स्मार्ट सिटी पहल के संदर्भ में शहरों की **नगरीय विरासत की उन्नति और एकीकरण करना है।**
  - **ऐतिहासिक स्थलों का रासायनिक उपचार किया जाएगा।** इससे उन पर उत्कीर्ण कला स्पष्टतः दृष्टिगोचर हो सकेगी।
  - **यूनेस्को** इन स्थलों के विकास के लिए **सर्वोत्तम उपायों और संसाधनों का** सुझाव प्रदान करेगा।
    - ऐतिहासिक शहरों की **शहरी विशेषताओं का व्यापक सर्वेक्षण** कार्य और **मानचित्रण** किया जाएगा।

संबंधित तथ्य

- हाल ही में, **लिवरपूल (यूनाइटेड किंगडम) को विश्व धरोहर स्थलों की सूची से हटा दिया गया है।**
  - यह निर्णय एक नए फुटबॉल स्टेडियम की योजना सहित **अतिविकास योजनाओं के संबद्ध में चिंताओं का उद्धरण देते हुए लिया गया है।**
- लिवरपूल को **वर्ष 2004 में विश्व धरोहर सूची में शामिल** किया गया था। ज्ञातव्य है कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में विश्व के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों में से एक के रूप में इसकी भूमिका की मान्यता और इसकी अग्रणी डॉक तकनीक, परिवहन प्रणाली और बंदरगाह प्रबंधन के लिए इसे यह दर्जा प्रदान किया गया था।
- यह विश्व विरासत के दर्जे से वंचित होने वाला विश्व का **तीसरा** स्थान है। **ओमान में अरेबियन ओरिक्स सैंक्चुअरी** (2007) और **जर्मनी के ड्रेसडेन में एल्बे घाटी** (2009) अन्य दो स्थल हैं।

8.1.1. रुद्रेश्वर मंदिर (Rudreshwara Temple)

रुद्रेश्वर मंदिर, **तेलंगाना** में वारंगल के निकट मुलुगु जिले के **पालमपेट** में स्थित है। यह मंदिर वास्तुकला की **काकतीय शैली की उत्कृष्ट कृति** है। इसमें **झरझरा ईंटों (तथाकथित 'तैरने वाली ईंटों'), नींव में सैंडबॉक्स (बालूदानी) तकनीक का प्रयोग, सामग्री चयन का ज्ञान** और प्रस्तर मूर्तिकला में कुशल तकनीकी स्थापत्य कलाविशिष्टता जैसे अभियांत्रिकी नवाचारों का उपयोग हुआ है।

- रुद्रेश्वर मंदिर का निर्माण **1213 ई.** में काकतीय राजा गणपति देव के शासनकाल में उसके सेनापति **रेचारला रुद्र** द्वारा करवाया गया था।

- **रामप्पा** इसके शिल्पकार का नाम था तथा इसके निर्माण में 40 वर्षों का समय लगा था।

- यह **रामलिंगेश्वर स्वामी (शिव)** को समर्पित **बलुआ पत्थर** से निर्मित मंदिर है। रामप्पा एक बड़ी दीवार वाले मंदिर परिसर में मुख्य शिव मंदिर है। इसमें कई छोटे मंदिर और संरचनाएं मौजूद हैं।
  - यह **काकतीय शासकों द्वारा बनवाए गए जलाशय रामप्पा चेरुवु** के तट के निकट स्थित है।
- मंदिर का भवन **6 फीट ऊंची** तारे के आकार की एक वेदिका पर निर्मित है। इसमें **अलंकृत ग्रेनाइट और डॉलराइट के बीम एवं स्तंभों** पर जटिल नक्काशी की गई है।
  - इसमें हल्की छत संरचनाओं के लिए हल्की **झरझरा ईंटों (तथाकथित 'तैरने वाली ईंटों') से बना एक अद्भुत और पिरामिडनुमा विमान (क्षैतिज सीढ़ीदार बुर्ज) है।**
    - ये ईंटें **बबूल की लकड़ी, भूसी और हरड़ (एक पादप) के साथ मिश्रित मिट्टी से निर्मित** की जाती थीं। इससे ये स्पंज समान हो जाती थीं और जल में तैरने लगती थीं।
  - मंदिर का कक्ष **'शिखरम' द्वारा अभिषिक्त है और यह 'प्रदक्षिणापथ' से घिरा हुआ है।**
- भित्तियों, स्तंभों और छतों पर **क्षेत्रीय नृत्य परंपराओं एवं काकतीय संस्कृति** का उच्च कलात्मक गुणवत्तापूर्ण चित्रण किया गया है।
- प्रसिद्ध इतालवी व्यापारी और अन्वेषक **मार्कोपोलो** ने टिप्पणी की थी कि मंदिर **"दक्कन के मध्ययुगीन मंदिरों की आकाशगंगा में सबसे चमकीला तारा है"।**

सैंडबॉक्स तकनीक के बारे में

- इस तकनीक का उपयोग करके, एक निश्चित क्षेत्र को उत्खनित कर रेत से भर दिया जाता है। तत्पश्चात उसके ऊपर संरचना का निर्माण किया जाता है।
- इन 'सैंडबॉक्स' पर बनी संरचनाओं की नींव मजबूत होती है, क्योंकि **भूकंप के कारण उत्पन्न भूकंपीय तरंगें रेत द्वारा अवशोषित** कर ली जाती हैं।

मार्को पोलो के बारे में (1254-1324 ई.)

- वह एक **वेनिस का व्यापारी** था। उसके बारे में माना जाता है कि उसने मंगोल साम्राज्य के चरमोत्कर्ष के दौरान संपूर्ण एशिया की यात्रा की थी।
- उसने **मंगोल शासक कुबलई खान की सेवा** की थी, जिसने उसे बर्मा और भारत जैसे स्थानों पर विशेष अभियान पर भेजा था।
- भारत में, **मार्को पोलो ने तमिलनाडु और केरल (1289-1293 ई.) इन दोनों स्थानों पर अधिवास किया था।**
  - भारत में अपने निवासकाल के दौरान, उसने लोगों को कम कपड़े पहने हुए तथा राजा को बड़ी मात्रा में आभूषण पहने हुए देखा था। उसके अनुसार लोगों को पान खाने का शौक था। उसने जैन संतों की सरल जीवन शैली के बारे में भी उल्लेख किया है।
  - मार्को पोलो ने **रुद्रमा देवी के शासन की प्रशंसा** की थी।
- उसने अपनी यात्रा के दौरान दर्ज किए अवलोकनों की मदद से **द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो** की रचना की है।

काकतीयों के बारे में (1123–1323 ई.)

- काकतीय, चालुक्यों द्वारा शासित तेलुगु भाषी क्षेत्र में **कल्याणी के चालुक्यों** (कन्नड़ भाषी क्षेत्र) **के राजनीतिक उत्तराधिकारी** थे।
  - होयसल और यादवों के साथ **काकतीयों ने भी स्वयं को चालुक्यों से स्वतंत्र शासकों के रूप में घोषित** किया था।
- **काकतीय राजवंश ने अधिकांश पूर्वी दक्कन क्षेत्र पर शासन किया था।** इसमें वर्तमान तेलंगाना व आंध्र प्रदेश और पूर्वी कर्नाटक एवं दक्षिणी ओडिशा के कुछ हिस्से शामिल थे।
  - उनकी **राजधानी ओरुगल्लु थी, जिसे अब वारंगल के नाम से जाना** जाता है।
- **काकतीय वंश के महत्वपूर्ण शासक**
  - **प्रोलराज द्वितीय:** कई विद्वानों के अनुसार वह काकतीय वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था।
  - **रुद्रदेव (1163-1195 ई.):** अनुमाकोंडा (वर्तमान हनुमाकोंडा) स्थित रुद्रेश्वर मंदिर में उसके प्रसिद्ध अभिलेख में उसकी उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। इस अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि उसने अपने राज्य के चारों ओर बड़ी संख्या में चालुक्य सामंतों को पराजित किया था।
    - रुद्रदेव के उपरांत उसका भ्राता **महादेव (1195–1198 ई.)** और महादेव के पश्चात् उसका पुत्र **गणपति देव (1199–1261 ई.) शासक** बना था।
  - गणपति के कोई पुत्र नहीं था और **भारतीय इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण रानियों में से एक, रुद्रमा देवी उसकी उत्तराधिकारी** बनी थी। वह दक्षिणी तमिलनाडु के पांड्यों, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों और देवगिरि के सेउन (यादव) शासकों को रोकने में सक्षम थी।
- 1303 ई. में, **अलाउद्दीन खिलजी ने काकतीय क्षेत्र पर आक्रमण** किया, जो उसके लिए एक आपदा के रूप में सिद्ध हुआ।

काकतीयों का कला, वास्तुकला और साहित्य में योगदान

- काकतीयों ने **तारकीय मंदिर** शैली को आगे बढ़ाया था और उन्होंने **चालुक्यों से विमान की वेसर शैली को अपनाया है।** साथ ही, इस शैली को तेलंगाना के सांस्कृतिक भूगोल में बहुत अच्छी तरह से अनुकूलित किया था।
  - एक बुलंद मंदिर की **नींव के निर्माण में रेत जैसी साधारण सामग्री का उपयोग** किया जाता था। इस से इसे एक भूकंप प्रतिरोधी संरचना बनाने में सहायता प्राप्त होती थी। इस प्रकार ये मंदिर, निर्माण और भू-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काकतीयों के रचनात्मक प्रयास की उत्कृष्ट

रचनाएं सिद्ध हुए।
    - मंदिर परिसरों के प्रवेश द्वारों के लिए काकतीयों की विशिष्ट शैली (जो केवल इस क्षेत्र के संदर्भ में ही अद्वितीय है) **दक्षिण भारत में मंदिरों और शहर के प्रवेश द्वारों में सौंदर्यशास्त्र के अत्यधिक विकसित अनुरूपता की पुष्टि** करती है।
- **सुनियोजित सिंचाई प्रणाली-** किसी भी बारहमासी जल स्रोत से रहित काकतीय साम्राज्य की जल आपूर्ति के संदर्भ में विशिष्ट विशेषताएं हैं।
    - हाल ही में, **तेलंगाना सरकार ने काकतीय राजवंश से प्रेरणा लेकर जलाशय और सिंचाई नेटवर्क को बहाल करने के लिए 'मिशन काकतीय'** भी आरंभ किया है।
- 14वीं शताब्दी में काकतीय काल के दौरान **तेलुगु साहित्य परिपक्वता के स्तर पर पहुंच गया था।**
- **1253 ई.** में जयसेनपति द्वारा रचित **नृत्त रत्नावली** रामप्पा मंदिर में उत्कीर्णित **नृत्यरत स्त्री आकृतियों से प्रेरित** थी।
- रुद्रेश्वर मंदिर की नृत्य मुद्रा वाली मूर्तियों के अध्ययन से मंदिर में प्रदर्शित किए जाने वाली **देसी नृत्य परंपराओं की समझ विकसित होती है, जैसे कि पेरिनी, प्रेखण, गवुंडली, रसक व दंडरसक घटिसिश्री नर्त्तम** तथा देसी स्थानकों, चरी और कर्णनों पर बल दिया जाता था।

8.1.2. धोलावीरा (Dholavira)

- धोलावीरा (लगभग 3000-1500 ई. पू. के मध्य), **हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी केंद्र** था। यह **गुजरात में खादिर के शुष्क द्वीप** (कच्छ के रण में अवस्थित) पर स्थित है। इसकी खोज पुरातत्वविद् **जगतपति जोशी** ने वर्ष 1968 में की थी।
- धोलावीरा में हड़प्पा काल के **नगरों के इतिहास का एक पूरा क्रम** दृष्टिगोचर होता है। इसमें पूर्व-हड़प्पा काल के शहरी/पूर्व-शहरी चरण से लेकर हड़प्पाई विस्तार के चरमोत्कर्ष और परवर्ती-हड़प्पा काल शामिल है।

सिंधु घाटी सभ्यता (IVC) के बारे में

यह भारतीय उपमहाद्वीप की **प्राचीनतम ज्ञात नगरीय सभ्यता** है।

- इसका **"हड़प्पा"** नाम उस स्थल के नाम पर रखा गया है, **जहां इस अनूठी संस्कृति की सर्वप्रथम खोज की गई थी।** इसलिए इसे हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है।
- यह एक **कांस्य युगीन सभ्यता** थी, जिसमें तीन पृथक-पृथक चरण थे:
    - पूर्व-हड़प्पा चरण (3300 ई. पू. - 2600 ई. पू.),
    - परिपक्व हड़प्पा चरण (2600 ई. पू. - 1900 ई. पू.) और
    - परवर्ती-हड़प्पा चरण (1900 ई. पू. - 1300 ई. पू.)।
- यह चार समकालीन शहरी सभ्यताओं **(मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन के साथ)** में से एक थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को:
    - **ज्यामितीय गणना और माप के मानकों** की जानकारी थी।
    - उनके पास दक्षिण भारत से लेकर पश्चिम एशिया तक विस्तृत व्यापक व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों के साथ एक अधिशेष युक्त एवं जटिल अर्थव्यवस्था थी।
- सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थलों को मानचित्र में दर्शाया गया है।

धोलावीरा की मुख्य विशेषताएं

नगर नियोजन	• इसके **दो** भाग हैं: **एक चारदीवारी युक्त नगर** और **नगर के पश्चिमी भाग में एक कब्रिस्तान।** ○ चारदीवारी युक्त नगर के भीतर एक दुर्गीकृत आहाते से युक्त गढ़ी, बाहरी दीवार (कालीबंगा में अवस्थित हड़प्पाई बस्ती के समान), अंत्येष्टि स्थल और एक दुर्गीकृत मध्यवर्ती नगर तथा एक निचला नगर मौजूद थे। ○ गढ़ी के पूर्व और दक्षिण में **जलाशयों** की एक श्रृंखला मौजूद थी। ○ कब्रिस्तान में अधिकांश शवाधान स्मारकीय प्रकृति के हैं।

जल प्रबंधन / संरक्षण प्रणाली	• चारदीवारी युक्त नगर को दो मौसमी धाराएँ जल प्रदान करती थीं, जो कि इस क्षेत्र में एक दुर्लभ संसाधन था। • मौसमी जलधाराओं, अल्प वर्षा और उपलब्ध जलीय क्षेत्र से पृथक किए गए जल को बड़े पत्थरों से निर्मित जलाशयों में संग्रहित किया जाता था। ये जलाशय पूर्वी और दक्षिणी गढ़ियों में मौजूद हैं। • जल तक पहुंचने के लिए, कुछ **शैल-कर्तित कुएं भी शहर के विभिन्न भागों** में मौजूद थे।
कलात्मक और तकनीकी उन्नति	• यहाँ पर मनका प्रसंस्करण कार्यशालाओं सहित विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां जैसे तांबा, खोल, पत्थर, अर्ध-कीमती पत्थरों के आभूषण, टेराकोटा, स्वर्ण आदि पाए गए हैं। • स्थानीय सामग्रियों का डिजाइन, निष्पादन और दोहन प्रभावी रूप से किया जाता था।
सामरिक अवस्थिति	**खादिर द्वीप** एक रणनीतिक स्थान था: • विभिन्न खनिज और कच्चे माल के स्रोतों (तांबा, सीप, गोमेद-कार्नीलियन, स्टीटाइट, सीसा, धारियों वाले चूना पत्थर आदि) का दोहन किया जाता था; • इसने **मगन (आधुनिक ओमान प्रायद्वीप)** और **मेसोपोटामिया क्षेत्रों** में आंतरिक एवं बाहरी व्यापार को भी सुगम बनाया था।
अन्य विशेषताएँ	• गुजरात में सुरकोटदा, जूनी कुरान आदि जैसी बस्तियां धोलावीरा से काफी प्रेरित थीं। • अत्यधिक दुर्गीकृत गढ़ी और अंत्येष्टि स्थल के साथ-साथ सड़कों एवं विभिन्न अनुपात व गुणवत्ता के शहरी आवासीय क्षेत्र एक स्तरीकृत समाज को दर्शाते हैं। • कई अन्य हड़प्पा स्थलों में निर्माण सामग्री के रूप में उपयोग की जाने वाली **मिट्टी की ईंटों की बजाय** दीवारों में **बलुआ पत्थर व चूना पत्थर का उपयोग** हुआ है। • **धोलावीरा की कुछ अनूठी विशेषताओं में शामिल हैं:** जलाशयों की एक व्यापक श्रृंखला, बाह्य दुर्गीकरण, दो बहुउद्देश्यीय मैदान, अद्वितीय डिजाइन वाले नौ द्वार और टुमुलस की विशेषता वाली अंत्येष्टि वास्तुकला आदि। टुमुलस बौद्ध स्तूप जैसी अर्धगोलाकार संरचनाएं होती हैं।

QUIZ **SMART QUIZ**	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर **संस्कृति** से संबंधित स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

9. नीतिशास्त्र (Ethics)

9.1. नीतिशास्त्र या नैतिकता: भ्रष्टाचार उन्मूलन का एक साधन? (Ethics: A Solution to Corruption?)

प्रस्तावना

'ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल' का **"करप्शन परसेप्शन इंडेक्स (CPI)",** सरकारों को सुधार हेतु किए जाने वाले प्रयासों की दिशा में उत्प्रेरित करने में विफल रहा है। यह विफलता सरकार द्वारा अधिनियमित "भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act)" की असफलता (अपने उद्देश्यों को प्राप्त न कर पाने) और भारतीय खाद्य निगम में व्याप्त अनियंत्रित भ्रष्टाचार में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है।

अखबारों में अक्सर टॉप पर रहने वाली कुछ सुर्ख़ियाँ इस ओर संकेत करती हैं कि भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु किए गए मौजूदा प्रयास अपेक्षा के अनुरूप परिणाम उत्पन्न करने में असफल रहे हैं। यह स्थिति हमारे सामने एक ज्वलंत प्रश्न रखती है- "कि आखिर इस समस्या का समाधान क्या है?" अब इस समस्या के समाधान पर विचार करने से पहले, हमें इस समस्या को बेहतर ढंग से समझना होगा।

भ्रष्टाचार क्या है और लगभग हर जगह यह क्यों देखने को मिलता है?

सबसे सरल शब्दों में कहें तो "भ्रष्टाचार" को बेईमानी-पूर्ण उद्देश्य से किए गए/जाने वाले कृत्य या अपने निजी लाभ के लिए किए गए/जाने वाले अवैध या गैर-कानूनी व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इस तरह के व्यवहार में **रिश्वतखोरी -** किसी विश्वस्त पद पर नियुक्त व्यक्ति के निर्णय को विकृत करने के लिए प्रतिफल/पारितोषिक जैसे उपायों का प्रयोग करना; **भाई-भतीजावाद -** योग्यता के स्थान पर लोभ युक्त निजी संबंधों को संरक्षण प्रदान करना; **गबन या दुरुपयोग -** सार्वजनिक संसाधनों का निजी उपयोग के लिए अवैध प्रयोग करना; आदि शामिल हैं।

आखिर ऐसे कौन-से कारण हैं जो व्यक्तियों को इन कृत्यों के लिए प्रेरित करते हैं? हालांकि, भ्रष्टाचार व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह किसी उद्देश्य को पूर्ण करने का एक साधन हो सकता है। निम्नलिखित को भ्रष्टाचार हेतु उत्तरदायी प्रमुख कारणों या प्रेरणाओं के रूप में उद्धृत किया जा सकता है:

- **भौतिकवादी दृष्टिकोण:** अधिकांश मामलों में भ्रष्टाचार का प्राथमिक उद्देश्य धन का संग्रह करना रहा है जिसका उपयोग बाद में भौतिक संपत्ति और सामाजिक पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करने हेतु एक माध्यम के रूप में किया जाता है। इस प्रकार, भौतिकवादी दृष्टिकोण में ईमानदारी, समानता और भाईचारे जैसे **मूल्यों की तुलना में उपभोग** को प्राथमिकता प्रदान किया जाता है और ऐसे भ्रष्ट कृत्यों को उचित ठहराया जाता है। जबकि, इससे समाज को क्षति पहुंचती हैं।
- **व्यक्तिवादी दृष्टिकोण का बढ़ता स्तर:** विश्व स्तर पर, लोगों का दृष्टिकोण अधिक से अधिक व्यक्तिवादी होता जा रहा है। ऐसे परिदृश्य में, व्यक्ति का नैतिक दृष्टिकोण स्वार्थपरक हो जाता है और सह-अस्तित्व के लिए आवश्यक सहानुभूति का अभाव परिलक्षित होने लगता है। इस वैश्विक-सामाजिक संकीर्ण दृष्टिकोण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से भ्रष्टाचार को जायज ठहराया जाता है, क्योंकि यह दृष्टिकोण किसी व्यक्ति द्वारा अर्जित किए जाने वाले लाभ को बढ़ा देता है।
- **सामाजिक-आर्थिक स्थिति:** निर्धनता, भेदभाव और असमानता जैसी बुराइयों से पीड़ित/ग्रसित अर्थव्यवस्थाओं द्वारा सृजित सामाजिक-आर्थिक स्थितियां भी अप्रत्यक्ष रूप से भ्रष्टाचार को उत्पन्न करने में मदद करती हैं।

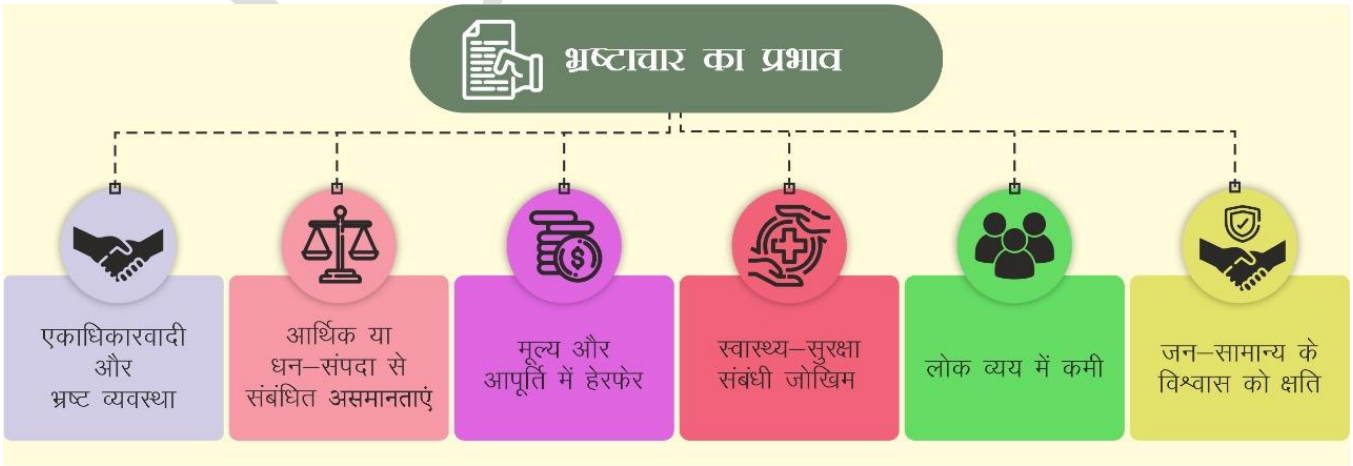

नैतिकता कैसे एक भ्रष्टाचार-रोधी बल के रूप में कार्य कर सकती है?

समाज में जटिल रूप से स्थापित हो चुके भ्रष्टाचार के उन्मूलन से व्यक्तियों और संस्थानों के संकीर्ण मूल्यों और उनके वैश्विक-सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन आ सकता है। यह व्यक्तियों के भीतर निम्नलिखित मूल्यों को विकसित करके या प्रेरित करके किया जा सकता है:

- **सच्चाई और ईमानदारी:** व्यक्ति में निहित ईमानदारी सामान्यतः अवैध या भ्रष्ट कृत्यों के प्रति एक स्वाभाविक अपराध बोध के भाव को उत्पन्न करती है। उदाहरण के लिए, अवैध कार्य को अंजाम देने हेतु किसी भी ईमानदार व्यक्ति के लिए रिश्वत लेना अत्यंत मुश्किल होगा।
- **न्याय के प्रति झुकाव:** ऐसा व्यक्ति जो न्याय का पक्ष लेता है, वह भ्रष्ट कार्य करने में कभी भी रुचि नहीं लेगा क्योंकि ऐसा कार्य किसी न किसी रूप में व्यक्ति/निकाय को अनैतिक रूप से प्रभावित करेगा। उदाहरण के लिए, न्यायप्रिय व्यक्ति अनुचित लाभ के लिए कार्य नहीं करेगा क्योंकि यह उस संगठन के साथ अन्याय होगा जिसके लिए वह काम कर रहा है।
- **जिम्मेदारी की भावना:** जिम्मेदारी की भावना का आशय समग्र तंत्र के प्रति किसी व्यक्ति (पुरुष/महिला) द्वारा धारण किए जाने वाले स्वामित्ववादी नजरिए से है, जहां वह भ्रष्टाचार के कृत्यों के माध्यम से अपने ही तंत्र को नुकसान पहुंचाने से बचेगा। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जो यह मानता/धारणा रखता है कि वह राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी है, तो वह ऐसे में कर अपवंचन करने से बचेगा।
- **परोपकार की भावना:** परोपकारिता दयालुता के कृत्यों को प्रोत्साहित और साथी व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति की भावना को उद्वेलित करती है। ऐसी मूल्य प्रणाली व्यक्तियों में निहित भ्रष्टाचार के प्रमुख चालकों में से एक व्यक्ति-परक दृष्टिकोण को रोकने में मदद करती है।

भ्रष्टाचार के उन्मूलन हेतु आवश्यक इन नैतिक मूल्यों को विकसित करने के लिए क्या किया जा सकता है?

इन मूल्यों को विकसित करने के लिए उन सभी संस्थाओं (परिवार, स्कूल, कॉलेज व अन्य संस्थान) पर कार्य करने की आवश्यकता है जो व्यक्ति में निहित नैतिकता हेतु एक निर्धारक के रूप में कार्य करते हैं।

- **मूल्यों के भंडार के रूप में परिवार को मजबूत बनाना:** यह ऐसे पारिवारिक मूल्यों की सराहना और प्रोत्साहन द्वारा किया जा सकता है जो उपर्युक्त मूल्यों के अनुकूल हो। उदाहरण के लिए, उन परिवारों को सामाजिक मान्यता प्रदान करना जिनके बच्चे ऐसे मूल्यों का प्रदर्शन करते हैं।
- **इसे शिक्षा के एक अभिन्न अंग के रूप में शामिल करना:** नैतिक आचरण को पाठ्यक्रम और स्कूल के आचरण का एक अभिन्न अंग बनाया जा सकता है। इससे छोटी आयु से ही नैतिक मूल्यों के प्रति अधिकाधिक झुकाव विकसित करने में सहायता मिलेगी। उदाहरण के लिए, जिम्मेदारी/उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न करने हेतु छात्रों को सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- **इन मूल्यों के एक सक्रिय स्रोत के रूप में संस्थानों को स्थापित करना:** विशेष रूप से सरकारी संस्थान जिनकी संस्कृति को कार्यकारी इच्छा के अनुरूप ढाला जा सकता है, अपनी आंतरिक संस्कृति के माध्यम से वे इन मूल्यों की स्थापना की दिशा में एक स्रोत के रूप में कार्य कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, नगर निकायों की प्रणालीगत पारदर्शिता उनके कार्य क्षेत्र से संबंधित पारदर्शिता की संस्कृति को प्रोत्साहित कर सकती है।
- **कानूनी ढांचे को उपर्युक्त मूल्यों के प्रति अधिक सहयोगी बनाना:** कानून, समाज की सामूहिक मूल्य प्रणाली का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन मूल्यों को प्रोत्साहित करने वाले कानून दीर्घ अवधि में इन मूल्यों को बढ़ावा दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, मददगार व्यक्ति कानून (Good Samaritan Law) आपातकालीन समय में व्यक्तियों को परोपकारी कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

मूल्य प्रणालियों की प्रभावशीलता के बावजूद, भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए अपनाए जाने वाले नैतिक दृष्टिकोण में कुछ खामियां/सीमाएं भी परिलक्षित हुई हैं।

नैतिक दृष्टिकोण की सीमाएं क्या हैं?

- **निवारक तंत्र की अनुपस्थिति:** नैतिक दृष्टिकोण की प्रकृति व्यक्तिपरक है और इसके माध्यम से भ्रष्ट कृत्यों के लिए दंड का प्रावधान या निवारक तंत्र तैयार कर पाना अत्यधिक कठिन हो सकता है।
- **अनैतिक व्यवहार से अधिक प्रतिफल प्राप्त होना:** नैतिक दृष्टिकोण प्रकृति में स्वैच्छिक होते हैं। जिसके कारण, अनैतिक व्यवहार करने वाली संस्थाएं भ्रष्ट कृत्यों के माध्यम से अधिक प्रतिफल प्राप्त करने की दिशा में अधिक प्रयासरत रहती हैं। इससे दीर्घ अवधि में नैतिक व्यवहार हतोत्साहित हो जाता है।
- **सामाजिक संस्कृति और व्यक्तिगत व्यवहार को परिवर्तित करने में अत्यधिक समय लगना:** समाज में स्थापित मूल्य प्रणाली धीरे-धीरे परिवर्तित होती है। इसलिए, जब तक समाज में ये मूल्य उल्लेखनीय रूप से स्थापित नहीं हो जाते तब तक हमें भ्रष्ट प्रथाओं के दुष्परिणामों को सहन करना होगा।

निष्कर्ष

भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए उपयोग किए जाने वाले नीतिशास्त्र-आधारित दृष्टिकोण की सफलता समाज हेतु आवश्यक वांछित मूल्यों की स्थापना के स्तर पर निर्भर करती है। इन मूल्यों को परिपोषित करने के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक-कानूनी संदर्भ में भी इन्हें इस प्रकार से परिवर्तित एवं समायोजित करने की आवश्यकता है ताकि इन मूल्यों को बढ़ावा मिल सके। इसके साथ ही उचित ढंग से कार्य करने वाले निवारक तंत्र को भी विकसित किए जाने की आवश्यकता है जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध हम सभी की रक्षा के एक अंतिम उपाय के रूप में कार्य सकने में सक्षम हो।

10. सुर्ख़ियों में रही सरकारी योजनाएँ (Government Schemes in News)

10.1. प्रधान मंत्री-किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पी.एम.-कुसुम) योजना {PM-Kisan Urja Suraksha Evam Utthaan Mahabhiyan (PM-KUSUM) Scheme}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, किसानों और जनता को पी.एम.-कुसुम योजना के बारे में जागरूक करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया था।

उद्देश्य

- **किसानों को वित्तीय एवं जल सुरक्षा प्रदान करना।**
  - इसका लक्ष्य डीजल पंपों को सौर ऊर्जा आधारित पंपों से परिवर्तित कर **कृषि क्षेत्रक को डीजल-मुक्त करना** है।
  - यह योजना **राज्य के स्वामित्व वाली उन विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स/DISCOMs) पर बोझ को भी कम करेगी,** जिन्हें कृषि क्षेत्रक को **सब्सिडी वाली विद्युत की आपूर्ति करनी होती है।**
- बजट 2020-21 में भी इसके कवरेज को विस्तारित किया गया है:
  - इस योजना का लक्ष्य किसानों को उनकी ऊसर/बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने और इसे ग्रिड को विक्रय करने में सक्षम बनाना है।
  - 20 लाख किसानों का स्टैंडअलोन सोलर पंप स्थापित करने में सहयोग किया जाएगा।
  - अन्य 15 लाख किसानों को अपने ग्रिड से जुड़े पंप सेटों को सौर ऊर्जा आधारित बनाने में सहायता प्रदान की जाएगी।

प्रमुख विशेषताएं

- इसे **वर्ष 2018 में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा आरंभ किया गया** था।
- इसका उद्देश्य **वर्ष 2022 तक 30.8 गीगावाट (GW) की सौर क्षमता को जोड़ना है** (मूल लक्ष्य 25.7 GW था)।

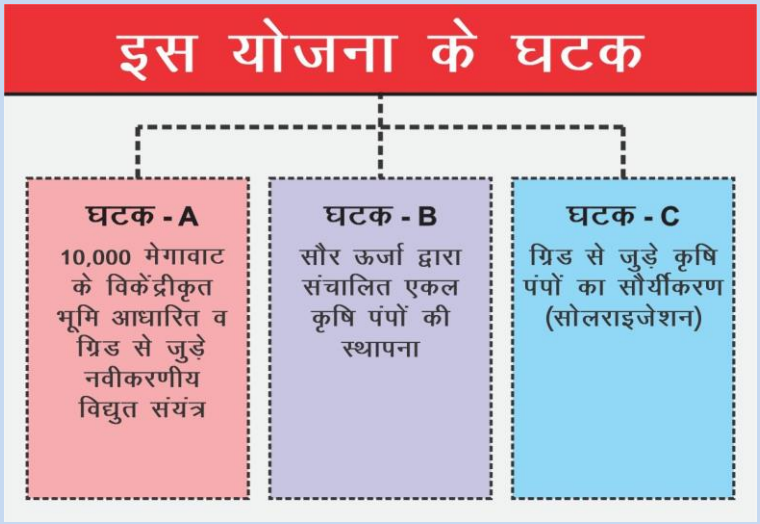

विभिन्न घटकों को प्रोत्साहन/समर्थन:

- **घटक-A:** 500 किलोवाट से 2 मेगावाट क्षमता के नवीकरणीय विद्युत संयंत्र व्यक्तिगत किसानों/सहकारी समितियों/पंचायतों/किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) द्वारा अपने बंजर या कृषि योग्य भूमि या चारागाह भूमि एवं दलदली भूमि पर स्थापित किए जाएंगे, जिन्हें **नवीकरणीय विद्युत उत्पादन** (Renewable Power Generator: RPG) के रूप संदर्भित किया जाएगा।
  - इसके तहत न्यूनतम निर्धारित क्षमता उपयोगिता कारक (Capacity Utilization Factor: CUF) से कम सौर ऊर्जा उत्पादन की स्थिति में RPG पर कोई अर्थदंड आरोपित नहीं किया जाएगा।
  - राज्यों द्वारा तकनीकी-व्यावसायिक व्यवहार्यता के आधार पर लघु किसानों की सहायता के लिए **500 kW से कम क्षमता की सौर परियोजनाओं को स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जा सकती है** (पहले अनुमति नहीं थी)।
  - उत्पादित विद्युत को DISCOMs संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोग (SERC) द्वारा **निर्धारित फीड इन टैरिफ (Feed in tariffs)** पर क्रय करेंगे।
  - DISCOMs को पांच वर्ष के लिए 0.40 रुपये प्रति यूनिट की दर से **प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन** राशि प्रदान की जाएगी।
- **घटक-B:** 7.5 हॉर्सपावर (HP) तक की क्षमता के स्टैंडअलोन सोलर पंप स्थापित करने के लिए किसान/किसानों को सहायता प्रदान की जाएगी।
  - इसके तहत स्वदेशी सौर सेल और मॉड्यूल के साथ स्वदेशी रूप से विनिर्मित सौर पैनलों

	का उपयोग करना अनिवार्य होगा। ○ केंद्र और राज्य प्रत्येक द्वारा सोलर पंप की लागत का 30-30 प्रतिशत योगदान किया जाएगा; शेष 40 प्रतिशत का वहन किसान (लागत का 30 प्रतिशत तक बैंक से ऋण के रूप में प्राप्त कर सकते हैं) द्वारा किया जाएगा। ○ उत्तर-पूर्व के राज्यों, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, लक्षद्वीप तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए **केंद्रीय वित्तीय सहायता 50% होगी तथा राज्य सरकार द्वारा 30% सब्सिडी प्रदान की जाएगी और शेष 20% किसान** द्वारा वहन किया जाएगा। ▪ **संस्थापन सेवाओं में विलंब के निवारण हेतु,** मंत्रालय ने **सोलर पंप/सौर पैनल/सौर पंप नियंत्रक के विनिर्माता को इंटीग्रेटर्स के साथ संयुक्त उद्यम की** अनुमति प्रदान की है। • **घटक-C:** एकल किसान/किसानों को 7.5 हॉर्सपावर (HP) तक की क्षमता वाले पंपों को सौर ऊर्जा संचालित पंपों में रूपांतरित करने हेतु सहायता प्रदान की जाएगी। • नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा **देशव्यापी सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) गतिविधियों के लिए उचित सेवा शुल्क का 33 प्रतिशत** अपने पास रखा जाएगा। **हालिया परिवर्तन** • योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य को बढ़ा दिया गया है तथा पंपों की बजाय संपूर्ण कृषि संबंधी विद्युत आपूर्ति को सौर ऊर्जा द्वारा संचालित करने पर ध्यान केंद्रित करने हेतु घटक **C को पुनर्संरचित/संशोधित किया गया है।** ○ अब तक किसानों को उनके कृषि पंपों को सौर ऊर्जा द्वारा संचालित करने के लिए 60% वित्तीय सहायता (केंद्र और राज्य द्वारा समान अनुपात में) प्रदान की जाती थी, जिसका अर्थ है कि शेष 40% किसानों को स्वयं वहन करना पड़ता था। ○ **केंद्र द्वारा** अब कृषि फीडर (जो अनिवार्य रूप से गांव के सभी पंपों को विद्युत की आपूर्ति करता है) को विद्युत की आपूर्ति करने वाले **लघु सौर संयंत्र का निर्माण करने की लागत का 30 प्रतिशत वहन किया जाएगा** और शेष **70% लागत का वहन राज्य के स्वामित्व वाली डिस्कॉम द्वारा किया जाएगा।** ○ इससे किसानों को गांव के **विद्यमान प्रत्येक पंप को** सोलर पंप से प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता **से मुक्ति** प्राप्त होगी।

11. संक्षिप्त सुर्ख़ियाँ (News in Short)

11.1. पश्चिम बंगाल विधान सभा ने विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव पारित किया (West Bengal Assembly Passes Resolution to set up Legislative Council)

- **विधान परिषद,** राज्य सभा की भांति ही राज्य विधायिका में **उच्च सदन** होता है तथा यह एक **स्थायी सदन** है।
  - विधान परिषद के सदस्य या तो **राज्य के राज्यपाल द्वारा नाम निर्दिष्ट** होते हैं या **अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित** होते हैं।
  - विधान परिषद के सदस्यों का **कार्यकाल छह वर्ष** का होता है तथा सदन के एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष उपरांत सेवानिवृत्त हो जाते हैं।
  - **पात्रता मानदंड:** भारतीय नागरिक जो कम से कम 30 वर्ष का हो। एक व्यक्ति एक साथ संसद और राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता।
- **संविधान के अनुच्छेद 169** के अनुसार संसद विधि द्वारा किसी भी राज्य में विधान परिषद का सृजन एवं उत्सादन कर सकती है, यदि उस राज्य की विधान सभा द्वारा इस आशय का संकल्प पारित कर दिया है।
  - साथ ही, **अनुच्छेद 171** के तहत विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं होगी, परन्तु किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी।
  - संकल्प को **विधान सभा के दो-तिहाई सदस्यों द्वारा पारित** किया जाता है।
  - तत्पश्चात **इस आशय का एक विधेयक संसद द्वारा पारित** किया जाता है।
- वर्तमान में **छह राज्यों** अर्थात् बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में विधान परिषदें हैं।
- **विधान परिषद की संरचना:**
  - 1/3 सदस्यों का चुनाव **विधान सभा** द्वारा किया जाता है।
  - 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों जैसे **नगरपालिका या अन्य स्थानीय प्राधिकरणों** द्वारा चुने जाते हैं।
  - 1/12 सदस्यों को 3 वर्षीय **स्नातक** निर्वाचित करते हैं।
  - 1/12 सदस्यों का निर्वाचन 3 वर्षों से **अध्यापन कर रहे शिक्षक** करते हैं।
  - 1/6 **राज्यपाल** द्वारा नामनिर्दिष्ट होते हैं।

11.2. मंत्रिमंडल ने तीन योजनाओं को जारी रखने हेतु स्वीकृति प्रदान की (Cabinet Approves Continuation of Three Schemes)

योजना	उद्देश्य	लाभ
राष्ट्रीय न्याय प्रदायगी और विधिक सुधार मिशन (मार्च 2026 तक विस्तारित)	• यह एक **केंद्र प्रायोजित योजना** है। इसे वित्त वर्ष 1993-94 में आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य राज्य के संसाधनों को बढ़ाना और **अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए न्यायालय भवन, डिजिटल कंप्यूटर रूम आदि** जैसी अवसंरचनात्मक सुविधाओं को विकसित करना था। ○ योजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति की निगरानी के लिए उन्नत **"न्याय विकास-2.0" वेब पोर्टल** और **मोबाइल एप्लिकेशन** का उपयोग किया जाता है। • मंत्रिमंडल ने ग्राम न्यायालयों हेतु अवसंरचना के लिए 50 करोड़ रुपये के परिव्यय को भी स्वीकृति प्रदान की है। ये भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय प्रणाली तक त्वरित और सुगम पहुँच के लिए **ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008** के तहत स्थापित किए गए हैं।	• **डिजिटल क्षमताओं में सुधार होगा** और डिजिटलीकरण की शुरुआत को प्रोत्साहन प्राप्त होगा। • न्यायपालिका की **समग्र कार्यप्रणाली और प्रदर्शन में सुधार** होगा। • ग्राम न्यायालयों को प्राप्त होने वाली निरंतर सहायता सामान्य-जन को उनके घर पर ही **त्वरित, पर्याप्त और किफायती न्याय** प्रदायगी को प्रोत्साहित करेगी।
राज्य और केंद्रीय करों एवं शुल्कों की छूट (RoSCTL- मार्च 2024	**राज्य शुल्कों की छूट (ROSL)** वर्ष 2016 में आरंभ की गई थी। इसके तहत परिधान, वस्त्र और मेड-अप के निर्यातकों को अंतर्निहित कर एवं शुल्कों की वापसी कर दी गई थी।	• आगामी 3 वर्षों के लिए **स्थिर और पूर्वानुमेय नीति व्यवस्था** सुनिश्चित होगी।

तक विस्तारित)	वर्ष 2019 में, **RoSCTL नाम की एक नई योजना** आरंभ की गई थी। इसके तहत निर्यातकों को निर्यात किए गए उत्पाद में निहित करों और शुल्कों के मूल्य के लिए एक **ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप** जारी की जाती है। ○ निर्यातक इस स्क्रिप का उपयोग उपकरण, मशीनरी या किसी अन्य इनपुट के आयात के लिए **आधारभूत सीमा शुल्क का भुगतान करने** हेतु कर सकते हैं।	• अल्प विकसित देशों या राष्ट्रों के बीच मुक्त व्यापार समझौतों के विरुद्ध निर्यात प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी। • स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। • रोजगार सृजन में सहायता प्राप्त होगी।
राष्ट्रीय आयुष मिशन (मार्च 2026 तक विस्तारित)	• **यह वर्ष 2014 में आरंभ की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं-** ○ लागत प्रभावी आयुष सेवाओं के माध्यम से **आयुष चिकित्सा प्रणालियों** को बढ़ावा देना। ○ शैक्षिक प्रणालियों, फार्मेसियों, प्रयोगशालाओं आदि की **संस्थागत क्षमताओं** को सुदृढ़ करना। ○ आयुष कच्चे माल और दवाओं की **सतत उपलब्धता एवं गुणवत्ता नियंत्रण** के प्रवर्तन करने की सुविधा प्रदान करना।	• **आयुष स्वास्थ्य सेवाओं** तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित होगी। • **आयुष शिक्षा में सुधार होगा।** • स्वास्थ्य देखभाल की आयुष प्रणालियों का उपयोग करके **संचारी / गैर-संचारी रोगों को कम करने** पर ध्यान केंद्रित होगा।

11.3. भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका ने 5 वर्षों के लिए वैश्विक विकास साझेदारी समझौते का नवीनीकरण किया (India-US Renew Global Development Partnership Deal for 5 Years)

- भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक वैश्विक विकास साझेदारी समझौते का नवीनीकरण किया है। यह समझौता **अपने सहयोगी देशों को संयुक्त रूप से सहायता प्रदान करने का प्रावधान करता है।**
  - दोनों पक्षों ने वैश्विक विकास के लिए **त्रिकोणीय सहयोग पर मार्गदर्शक सिद्धांतों के वक्तव्य** (Statement of Guiding Principles: SGP) में संशोधन पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे समझौते की वैधता **वर्ष 2026** तक विस्तारित हो गई है।
  - **अफ्रीका** के लिए **फीड द फ्यूचर इंडिया ट्राएंगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम (FTF ITT)** इसके तहत संचालित एक परियोजना का उदाहरण है।
  - **आरंभ में वर्ष 2014 में** SGP समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और वर्ष 2019 में वर्ष 2021 तक के लिए इसका नवीनीकरण किया गया था।

- **त्रिकोणीय सहयोग (Triangular cooperation)**
  - त्रिकोणीय सहयोग में **तीन अभिकर्त्ता** (इन्फोग्राफिक देखें), अर्थात् **दक्षिण से दो (सुविधाकर्ता और लाभार्थी भागीदार) तथा उत्तर से एक (मुख्य भागीदार)** शामिल होते हैं। मुख्य भागीदार के रूप में एक अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय संगठन भी हो सकता है।
  - **"उत्तर" और "दक्षिण" के विभाजन** का उपयोग विकसित देशों (उत्तर) तथा विकासशील देशों (दक्षिण) के बीच मौजूद सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक भिन्नता को संदर्भित करने के लिए किया जाता है।
- **भारत के अन्य त्रिकोणीय सहयोग के उदाहरण**
  - **भारत-जापान सहयोग:** एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर (AAGC)।
  - **भारत-यूनाइटेड किंगडम** त्रिकोणीय परियोजना, जिसे **"अफ्रीका के लिए भारत की व्यापार प्राथमिकताओं का समर्थन"** (Supporting India's Trade Preferences for Africa: SITA) कहा जाता है। इसे यूनाइटेड किंगडम के डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (DFID) द्वारा वित्त पोषित किया गया है।

11.4. तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्रिस्तरीय बैठक (3rd Arctic Science Ministerial)

- हाल ही में, आर्कटिक क्षेत्र में अनुसंधान और सहयोग पर विचार-विमर्श करने के लिए तीसरी आर्कटिक विज्ञान मंत्रिस्तरीय (ASM3) बैठक का आयोजन **आइसलैंड और जापान द्वारा संयुक्त रूप** से किया गया है।
- इस बैठक का आयोजन शिक्षाविदों, देशज समुदायों, सरकारों और नीति निर्माताओं सहित विभिन्न **हितधारकों को आर्कटिक क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित अवसर प्रदान** करने के लिए किया गया है।

- आर्कटिक क्षेत्र के बारे में सामूहिक समझ को बढ़ाने,
- सतत निगरानी पर बल देने और हितधारकों को संलग्न करने, तथा
- अवलोकन प्रणाली को सुदृढ करने आदि।

- इस वर्ष आयोजित की गई बैठक का विषय **'नॉलेज फॉर ए सस्टेनेबल आर्कटिक'** था।
- ध्यातव्य है कि प्रथम दो बैठकों (ASM1 और ASM2) का आयोजन क्रमशः वर्ष 2016 में **अमेरिका** तथा वर्ष 2018 में **जर्मनी** में किया गया था।
- भारत द्वारा इन बैठकों में भाग लिया गया था। साथ ही, भारत ने आर्कटिक क्षेत्र में **स्व-स्थाने (in-situ) और सुदूर संवेदन (remote sensing)** दोनों प्रकार की अवलोकन प्रणालियों में योगदान करने की अपनी योजनाओं को भी साझा किया था।
  - भारत द्वारा **ऊपरी महासागरीय कारकों और समुद्री मौसम विज्ञान मापदंडों की दीर्घकालिक निगरानी के लिए** आर्कटिक के **खुले महासागर में नौबंध (Mooring)** का परिनियोजन किया जाएगा।
  - साथ ही, भारत वर्ष 2023 तक **नासा-इसरो संश्लेषी द्वारक रेडार अर्थात् निसार** (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar: **NISAR**) उपग्रह ,इसरो और नासा के संयुक्त मिशन को प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है। इसका उद्देश्य ध्रुवीय निम्नतापमंडल (cryosphere) और हिंद महासागर क्षेत्र सहित **संपूर्ण भू-भाग का वैश्विक अवलोकन** प्रदान करना है।

11.5. मेकांग-गंगा सहयोग (Mekong-Ganga Cooperation: MGC)

- भारत के विदेश मंत्री ने 11वीं MGC बैठक के दौरान कहा कि **भारत मेकांग क्षेत्र के साथ बहुआयामी संलग्नता हेतु प्रयासरत है।**
  - भारत ने कोरोना वायरस महामारी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए **"सामूहिक और सहयोगात्मक" प्रतिक्रिया** का भी आह्वान किया।
- MGC पहल का प्रारंभ वर्ष 2000 में किया गया था। इसमें छह देशों यथा **भारत, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम** को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य संयोजकता, शिक्षा, पर्यटन और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है।

11.6. भारत कोविड-19 आपात प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य प्रणाली तैयारी पैकेज: चरण 2 (India COVID-19 Emergency Response and Health Systems Preparedness Package: Phase II)

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने **वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 23,123 करोड़ रुपये की लागत** से इस नई योजना को स्वीकृति दी है।
  - योजना का प्रथम चरण मार्च 2020 में **15,000 करोड़ रुपये के परिव्यय** के साथ आरंभ किया गया था।

- **इसके दो घटक हैं:**

केंद्रीय क्षेत्र घटक (वित्त पोषण और निष्पादन दोनों केंद्र द्वारा वहन किया जाता है)	**केंद्र प्रायोजित योजनाएं (CSS) घटक** (संयुक्त रूप से केंद्र और राज्यों द्वारा वित्त पोषित परंतु राज्यों द्वारा निष्पादित)
• केंद्रीय अस्पतालों को कोविड प्रबंधन के लिए **बिस्तरों के पुनर्प्रयोजन** हेतु सहायता। • **राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र** को **जीनोम अनुक्रमण मशीनें** आदि उपलब्ध कराकर सुदृढ़ किया जाएगा। • देश के सभी जिला अस्पतालों में **अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली** के कार्यान्वयन के लिए सहायता। • प्रति दिन 5 लाख टेली-परामर्श (वर्तमान में 50,000 टेली-परामर्श प्रतिदिन) प्रदान करने के लिए **ई-संजीवनी टेली-परामर्श मंच** की राष्ट्रीय संरचना के विस्तार हेतु समर्थन। • सूचना प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप, जिसमें कोविड-19 पोर्टल को सुदृढ़ करना शामिल है आदि।	• सभी 736 जिलों में **बाल चिकित्सा इकाइयां** स्थापित करना और प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश में **बाल चिकित्सा उत्कृष्टता केंद्र** स्थापित करना। • मौजूदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHCs), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs) और उप-स्वास्थ्य केंद्रों (SHCs) में अतिरिक्त बिस्तर जोड़ने के लिए पूर्व-निर्मित संरचनाएं निर्मित करना। • **द्रवीकृत चिकित्सकीय ऑक्सीजन भंडार टैंक** स्थापित करना, **एम्बुलेंस** के मौजूदा बेड़े में वृद्धि करना, कोविड-19 प्रबंधन के लिए **आवश्यक दवाओं** हेतु जिलों को सहायता प्रदान करना आदि। • प्रभावी कोविड प्रबंधन के लिए **स्नातक और स्नातकोत्तर मेडिकल इंटर्न एवं अंतिम वर्ष के छात्रों** को शामिल करना।

11.7. 'कृषि अवसंरचना कोष' के अंतर्गत वित्तपोषण सुविधा की केंद्रीय क्षेत्र योजना में संशोधन {Modifications in Central Sector Scheme of Financing Facility Under Agriculture Infrastructure Fund (AIF)}

- **कृषि अवसंरचना कोष (Agriculture Infrastructure Fund: AIF) योजना** कोविड संकट से निपटने के लिए वर्ष 2020 में आरंभ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य **फसल कटाई उपरांत प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक कृषि संपत्ति** से संबंधित व्यवहार्य परियोजनाओं का **वित्तपोषण करना है।**
  - योजना की अवधि **10 वर्ष** है।
  - इस योजना के तहत, **बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा 3 प्रतिशत प्रति वर्ष के ब्याज अनुदान** और **2 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज** के साथ **ऋण के रूप में 1 लाख करोड़ रुपये** प्रदान किए जाएंगे।
- **अब सरकार ने निम्नलिखित संशोधन किए हैं:**
  - अब **पात्रता का विस्तार** राज्य एजेंसियों/कृषि उत्पाद बाजार समितियों (APMCs), राष्ट्रीय और राज्य सहकारी संघों, किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) तथा स्वयं सहायता समूहों (SHGs) तक किया गया है।
  - अधिकतम 25 परियोजनाओं के लिए प्रत्येक परियोजना हेतु **ब्याज अनुदान योजना और ऋण गारंटी का विस्तार होगा**, बशर्ते वे भिन्न-भिन्न स्थानों पर हों।
  - योजना की **कुल अवधि 13 वर्ष (2032-33 तक) तक बढ़ा दी** गई है।
- **महत्व:**
  - APMC अपने बुनियादी ढांचे जैसे **शीत भंडारण, प्रसंस्करण संयंत्र** आदि को सुदृढ़ कर सकते हैं।
    - साथ ही, इससे **किसानों की इस शंका का भी निवारण** होता है कि तीन कृषि कानूनों के लागू होने से APMC को समाप्त कर दिया जाएगा।
  - SHGs और FPOs **अधिक निवेश** लाएंगे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि **लाभ लघु और सीमांत कृषकों तक पहुंच सके।**

11.8. गैर-बैंकों के लिए रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (NEFT) भुगतान प्रणाली आरंभ {Real Time Gross Settlement (RTGS) & National Electronic Fund Transfer (NEFT) Payment Systems Opened for Non-Banks}

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने गैर-बैंकों (जैसे प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जारीकर्ता, कार्ड नेटवर्क, व्हाइट लेबल ATM ऑपरेटर आदि) को **अपनी केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली** (Centralised Payment Systems: CPS) **में भाग लेने की अनुमति प्रदान की है।**
  - भारत में CPS में **रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट** (RTGS) और **नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर** (NEFT) प्रणाली शामिल हैं। ये दोनों **RBI** के स्वामित्वाधीन और संचालन में हैं।
- अब तक, केवल बैंकों को ही दोनों भुगतान प्रणालियों का उपयोग करने की अनुमति थी।
  - बैंकों के अतिरिक्त, बहुत कम चयनित गैर-बैंकों को CPS में भाग लेने की मंजूरी दी गई है। इन गैर-बैंकों में स्टॉक एक्सचेंजों के समाशोधन निगम व चयनित वित्तीय संस्थान (NABARD, EXIM बैंक) शामिल हैं।
- इसके साथ ही **गैर-बैंकों** को एक पृथक **भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड** (IFSC) आवंटित किया जाएगा तथा इनके द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक** की कोर बैंकिंग प्रणाली (ई-कुबेर) में एक चालू खाता खोला जाएगा। इसके अतिरिक्त, इन्हें **RBI** के साथ एक **निपटान खाता** (settlement account) भी बनाए रखना होगा।
- **गैर-बैंकों के लिए लाभ**
  - भुगतान की लागत में कमी,
  - बैंकों पर निर्भरता कम करना,
  - भुगतान पूरा करने में लगने वाले समय को कम करना,
  - बेहतर निपटान जोखिम प्रबंधन को सुगम बनाना,
  - गैर-बैंकों की पहुंच और भागीदारी का विस्तार सुनिश्चित करना, जिससे भुगतान प्रणाली की विविधता एवं लोचशीलता में वृद्धि संभव होगी आदि।

विवरण	राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण	वास्तविक समय सकल भुगतान
भुगतान	भुगतान की प्रक्रिया अलग-अलग खेप में प्रत्येक 30 मिनट में संपन्न होती है।	वास्तविक समय आधारित और तात्कालिक
लेन-देन की सीमा	न्यूनतमः 1 रुपये अधिकतमः कोई सीमा नहीं। हालांकि,अलग-अलग बैंक प्रत्येक लेन-देन और प्रति दिन लेन-देन की राशि के संबंध में सीमा निर्धारित कर सकते हैं।	न्यूनतमः 2 लाख रुपये अधिकतमःकोई सीमा नहीं।
प्रभारित शुल्क	ऑनलाइन लेन-देन के लिए शून्य। हालांकि, बैंक की शाखा के माध्यम से किए जाने वाले NEFT के लिए शुल्क प्रभारित किया जा सकता है।	ऑनलाइन लेन-देन के लिए शून्य। हालांकि, बैंक की शाखा के माध्यम से किए जाने वाले लेन-देन पर शुल्क प्रभारित किया जा सकता है।
कब उपयोग में लाया जाता है	विशेष रूप से परिवार और मित्रों के मध्य लेन-देन संबंधी भुगतान करने के लिए छोटी राशि का अंतरण करने के लिए।	बड़ी राशियों के तत्काल अंतरण के लिए। उदाहरण के लिए, व्यवसाय के लिए सामग्री की आपूर्ति करने वाले विक्रेता को भुगतान करने में।

11.9. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लिबोर से संक्रमण संबंधी परामर्श जारी किया गया (RBI issues Advisory for Transition from LIBOR)

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने **बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को एक परामर्श जारी किया है कि वे दिसंबर 2021 तक लंदन अंतर-बैंक प्रस्तावित दर (LIBOR) के स्थान पर** किसी अन्य व्यापक रूप से स्वीकृत वैकल्पिक संदर्भ दर (AAR) का उपयोग आरंभ कर सकते हैं।
  - उदाहरणार्थ, ऑस्ट्रेलियाई इंटरबैंक ओवरनाइट कैश रेट (AONIA) या स्विस एवरेज रेट ओवरनाइट (SARON)।
- LIBOR **को 30 जून, 2023 तक चरणबद्ध तरीके से समाप्त** कर दिया जाएगा।
- **LIBOR के बारे में**
  - लंदन अंतर-बैंक प्रस्तावित दर (LIBOR) एक **मानक ब्याज दर है, जिस पर प्रमुख वैश्विक बैंक** अल्पकालिक ऋण के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतर-बैंक बाजार में **एक दूसरे को उधार देते हैं।**

11.10. भारत इंटरफेस फॉर मनी- यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (BHIM-UPI) {Bharat Interface for Money - Unified Payments Interface (BHIM-UPI)}

- **भूटान** अपने त्वरित प्रतिक्रिया (Quick Response: QR) कोड के लिए **भारत के UPI मानकों को अपनाने वाला प्रथम देश बन गया है।**
  - ज्ञातव्य है कि **यह व्यापारिक स्थलों पर BHIM-UPI स्वीकार करने वाला सिंगापुर के पश्चात् दूसरा देश** भी है।
- BHIM-UPI सुरक्षित, आसान और त्वरित डिजिटल भुगतान के लिए भारत की **वास्तविक समय डिजिटल भुगतान** प्रणाली है।
- **भीम (BHIM) एप्लिकेशन (ऐप)** वर्ष 2016 में निर्मित और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) द्वारा संचालित है। यह कई बैंक खातों को **एकल वर्चुअल पेमेंट एड्रेस** (UPI ID) से संचालित करता है। इसके अंतर्गत अग्रलिखित सेवाएं प्रदान की जाती हैं- केवल मोबाइल नंबर या UPI ID के माध्यम से तत्काल बैंक-टू-बैंक भुगतान, बिल भुगतान, स्कैन और भुगतान, रिक्वेस्ट मनी आदि।

11.11. डिजिटल पहलों का शुभारंभ (Digital Initiatives Launched)

- **मत्स्य सेतु ऐप:** इसे मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है इसका उद्देश्य देश के जलीय कृषि करने वाले किसानों तक मीठे जल की जलीय कृषि संबंधित नवीनतम प्रौद्योगिकियों का प्रसार करना है।
- **किसान सारथी: डिजिटल प्लेटफॉर्म:** इसे **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)** के स्थापना दिवस के अवसर पर **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय** द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया था।
  - यह किसानों को उनकी वांछित भाषा में **सही समय पर सही जानकारी** प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगा।
  - **तकनीकी हस्तक्षेप से किसानों को सशक्त** बनाएगा और दूरदराज के क्षेत्रों में किसानों तक पहुंच स्थापित करेगा।
  - किसान डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रत्यक्षत: कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से **कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर व्यक्तिगत सलाह प्राप्त कर सकते हैं।**
  - यह ICAR के **कृषि विस्तार, शिक्षा और अनुसंधान गतिविधियों** में अत्यधिक मूल्यवान सिद्ध होगा।

11.12. विद्युत मंत्रालय ने राज्य विद्युत वितरण संस्थाओं की नौवीं एकीकृत रेटिंग और रैंकिंग जारी की (Ministry of Power Releases 9th Integrated Ratings of State Power Distribution Utilities)

- यह **रेटिंग ICRA (इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी) एनालिटिक्स लिमिटेड (IAL)** और **केयर (CARE) एडवाइजरी रिसर्च एंड ट्रेनिंग लिमिटेड (CART)** द्वारा की गई है। ज्ञातव्य है कि एनालिटिक्स लिमिटेड ICRA रेटिंग्स और एडवाइजरी रिसर्च एंड ट्रेनिंग लिमिटेड CARE की परामर्शी शाखाएं हैं।
  - इसका **उद्देश्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों को वितरण संस्थानों** को ऋण प्रदान करते समय **जोखिम** का आकलन करने में सहायता करना है (इन्फोग्राफिक देखें)।
  - इस रैंकिंग का प्रभाव, **पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (PFC)** और **रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्प लिमिटेड (REC)** सहित राज्य के स्वामित्व वाले वित्तीय संस्थानों से लिए जाने वाले ऋणों पर पड़ेगा।
- **प्रमुख निष्कर्ष:**
  - **राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कंपनियों** (DISCOMs) का घाटा वित्तीय वर्ष 2020 में एक तिहाई से अधिक घटकर 38,000 करोड़ रुपये हो गया है।
  - **क्रय की गई विद्युत की लागत** अर्थात् आपूर्ति की औसत लागत (Average Cost of Supply: ACS-) **और वितरित की गयी विद्युत की लागत** अर्थात् औसत प्राप्ति योग्य राजस्व (Average Realizable Revenue: ARR) **के मध्य अंतर कम हो गया है।**
  - **गुजरात (4)** और **हरियाणा (1)** की कुल मिलाकर पांच राज्य वितरण इकाइयों ने परिचालन, वित्तीय तथा विनियामक मानकों के लिए **रेटिंग में शीर्ष स्थान** प्राप्त किया है।

11.13. लोक सभा द्वारा पारित नवीन विधेयक (New Bills Passed by Lok Sabha)

अन्तर्देशीय जलयान विधेयक, 2021 (Inland Vessels Bill, 2021)	• यह विधेयक अन्तर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 को प्रतिस्थापित करेगा। इसका उद्देश्य संपूर्ण **देश में अंतर्देशीय नौपरिवहन के लिए एक समान विनियामक ढांचा** प्रदान करना है।

	○ **नीदरलैंड (42%) व चीन (8.7%) की तुलना में** भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन माध्यम की हिस्सेदारी **मात्र 0.5%** है। यह विधेयक अंतर्देशीय जलयानों को अभिशासित करने वाली प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करेगा। • **प्रमुख प्रावधान** ○ इस विधेयक के अनुसार सरकार द्वारा यंत्रचालित अंतर्देशीय जलयानों का वर्गीकरण, डिजाइन, विनिर्माण और कर्मीदल की वास-सुविधा के मानकों, सर्वेक्षण के प्रकार तथा आवधिकता का निर्धारण किया जाएगा। ○ परिचालन से पूर्व **जलयानों के लिए सर्वेक्षण, पंजीकरण और बीमा पॉलिसी का प्रमाण-पत्र** अनिवार्य होगा। ○ यह निम्नलिखित के माध्यम से **माल और यात्रियों की सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित** करेगा: ▪ नौपरिवहन सुरक्षा मानक; ▪ उन्मोचन (discharge) के संबंध में प्रदूषण मानक, ▪ सभी दुर्घटनाओं की जांच के साथ-साथ निश्चित कार्मिक अनिवार्यता। ○ केंद्र सरकार **अंतर्देशीय जलयानों के इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस** का प्रबंधन करेगी। ○ आपातकालीन तैयारी, प्रदूषण पर नियंत्रण और अंतर्देशीय नौपरिवहन को बढ़ावा देने के लिए **विकास कोष निधि** की स्थापना की जाएगी।
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2021 {Airport Economic Regulatory Authority of India (Amendment) Bill} 2021,	• यह विधेयक **भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008** में संशोधन करता है, जिसके तहत **भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (AERA)** की स्थापना की गई थी। ○ AERA भारत के मुख्य विमानपत्तनों पर प्रदान की जाने वाली वैमानिक सेवाओं के लिए प्रशुल्क और अन्य शुल्कों को विनियमित करता है। • **मुख्य प्रावधान** ○ **"प्रमुख विमानपत्तनों/महा विमानपत्तनों"** की परिभाषा का विस्तार किया गया है। ▪ सरकार किसी भी विमानपत्तन को अधिसूचना द्वारा **मुख्य विमानपत्तन** के रूप में नामित कर सकती है। ➢ वर्ष 2008 का अधिनियम किसी विमानपत्तन को प्रमुख विमानपत्तन के रूप में नामित करता है, जिनकी क्षमता वार्षिक **15 लाख से अधिक यात्रियों की** है। ○ विमानपत्तनों का समूह निर्मित करना और किसी समूह को एक प्रमुख विमानपत्तन के रूप में घोषित करना। ▪ यह **विधेयक लाभकारी विमानपत्तनों को गैर-लाभकारी विमानपत्तनों के साथ समूहित** करने का भी प्रयास करता है, जिसे संभावित बोलीदाताओं के लिए एक पैकेज के रूप में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के रूप में प्रस्तुत किया जा सके।

फैक्टर विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020 **{Factoring Regulation**	• यह विधेयक **'फैक्टर विनियमन अधिनियमन, 2011'** में संशोधन हेतु प्रस्तुत किया गया है, ताकि फैक्टर (आढ़त) व्यवसाय में संलग्न होने वाली संस्थाओं के दायरे का विस्तार किया जा सके। ○ **फैक्टर व्यवसाय** एक प्रकार का संव्यवहार है। इसके तहत किसी व्यावसायिक इकाई द्वारा ग्राहक से प्राप्त होने वाले अपने प्राप्तव्यों का विक्रय तीसरे पक्ष को किया जाता है, जो कि

(Amendment) Bill, 2020}	आंशिक या पूर्ण रूप से धन की तत्काल प्राप्ति के लिए एक "फैक्टर" के रूप में कार्य करता है। ○ **फैक्टर विनियमन अधिनियमन, 2011** को फ़ैक्टरों के लिए प्राप्तव्यों (receivables) के समनुदेशन (assignment) को विनियमित करने, फैक्टर व्यवसाय करने वाले फ़ैक्टरों का पंजीकरण करने और प्राप्तव्यों के समनुदेशन संबंधी संविदा के लिए पक्षकारों के अधिकारों और दायित्वों को निर्धारित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। • **प्रमुख प्रावधान:** ○ **यह "प्राप्तव्यों", "समनुदेशन" और "फैक्टर व्यवसाय" की परिभाषा में संशोधन करता है, ताकि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय परिभाषाओं के अनुरूप बनाया जा सके।** ○ **यह उन संस्थाओं के दायरे का विस्तार करता है, जो फैक्टर व्यवसाय में संलग्न हो सकते हैं।** ○ यह **भारतीय रिज़र्व बैंक को फैक्टर व्यवसाय के संबंध में विनियम बनाने के लिए अधिकृत करता** है। • इन संशोधनों से **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs)** को सहायता प्रदान करने की अपेक्षा की जा रही है। यह सहायता विशेष रूप से **व्यापार प्राप्तव्य बट्टाकरण प्रणाली (Trade Receivables Discounting System: TReDS) के माध्यम से ऋण सुविधा प्राप्त** करने के लिए अतिरिक्त अवसरों के सृजन से की जाएगी। ○ इसके परिणामस्वरूप, निधियों की लागत कम हो सकती है और साथ ही **ऋण की कमी का सामना करने वाले लघु व्यवसायों तक उनकी पहुंच में वृद्धि** हो सकती है। इससे उनकी **प्राप्तव्यों के निमित्त समय पर भुगतान सुनिश्चित** हो सकेगा।
राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान विधेयक, 2021 (National Institutes of Food Technology, Entrepreneurship and Management Bill, 2021)	• इस विधेयक ने **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय** के तहत **राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान (NIFTEM)** कुंडली (हरियाणा) तथा **भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान (IIFPT)** तंजावुर (तमिलनाडु) को **राष्ट्रीय महत्व के संस्थान** (Institutions of National Importance: INI) के रूप में घोषित किया है। ○ **राष्ट्रीय महत्व के संस्थान (INI)** को एक ऐसे संस्थान के रूप में परिभाषित किया गया है, जो देश/राज्य के निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर **अत्यधिक कुशल कर्मियों को तैयार करने वाले एक अग्रणी संस्था** के रूप में कार्य करता है। ○ किसी संस्थान को **संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा ही INI के रूप में घोषित किया जा सकता** है। ▪ इसके अतिरिक्त संस्थानों द्वारा कुछ अन्य मानदंडों की पूर्ति करना भी आवश्यक है। • इन संस्थानों में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम के प्रावधान भी होंगे। उदाहरणार्थ शीत श्रृंखला तकनीक, खाद्य जैव नैनो प्रौद्योगिकी आदि जो तकनीकी क्षेत्र में व्याप्त अंतराल की पूर्ति करने में सहायता कर सकती हैं।

11.14. भारत रॉक फॉस्फेटिक के स्वदेशी भंडार का पता लगाएगा (India to Explore Indigenous Deposits of Phosphatic Rock)

- भारत **फॉस्फेटिक रॉक और पोटाश के स्वदेशी भंडार का पता लगाने** तथा डाय अमोनियम फॉस्फेट (**DAP**), सिंगल सुपर फॉस्फेट (**SSP**), नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम (**NPK**) तथा म्यूरेट ऑफ पोटाश (**MOP**) का **उत्पादन करने के लिए इन्हें स्वदेशी उद्योगों को उपलब्ध कराने की योजना बना रहा है।**
  - रॉक फॉस्फेट **DAP और NPK उर्वरकों के लिए प्रमुख कच्चा माल है।**
- उर्वरक खनिज संसाधन निक्षेप **राजस्थान, प्रायद्वीपीय भारत के मध्य भाग, हीरापुर (मध्य प्रदेश), ललितपुर (उत्तर प्रदेश), मसूरी सिंकलाइन तथा कडप्पा बेसिन (आंध्र प्रदेश)** में विद्यमान हैं।

11.15. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष इस्पात के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना को स्वीकृति प्रदान की {Union Cabinet Approved the Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Specialty Steel}

- **विशेष इस्पात** मूल्य वर्धित इस्पात है। इसमें सामान्य तौर पर निर्मित इस्पात पर कोटिंग, प्लेटिंग, उष्मीय उपचार आदि के माध्यम से गुण संवर्धन किया जाता है, ताकि इसे **उच्च मूल्य वर्धित इस्पात में परिवर्तित** किया जा सके। विशेष इस्पात का **रक्षा, अंतरिक्ष आदि जैसे विभिन्न रणनीतिक अनुप्रयोगों** में उपयोग किया जा सकता है।
    - वित्त वर्ष 2020-21 में भारत में 102 मिलियन टन इस्पात उत्पादन में से, देश में **केवल 18 मिलियन टन मूल्य वर्धित इस्पात/ विशेष इस्पात का उत्पादन** किया गया था।
- PLI योजना **आयात बिलों को कम करने** और **स्थानीय वस्तुओं की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार** पर ध्यान केंद्रित करती है। इसके अतिरिक्त यह **कंपनियों को अपने घरेलू विनिर्माण को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित** भी करती है।
- **विशेषताएं:**
    - **अवधि:** वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक पांच वर्ष।
    - **बजटीय परिव्यय:** 6,322 करोड़ रुपये।
    - **प्रोत्साहन के तीन स्लैब:** सबसे कम **4 प्रतिशत** और उच्चतम **12 प्रतिशत,** जो इलेक्ट्रिकल स्टील (कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील- CRGO) के लिए प्रदान किया गया है।
    - विशेष इस्पात की लेपित, उच्च शक्ति युक्त, मिश्र धातु आदि सहित **पांच श्रेणियों को** PLI के तहत कवर किया गया है।

11.16. अफ्रीका ओपन डील (पर्यावरण, कृषि और भूमि के लिए डेटा) पहल (Africa Open DEAL- Data for the Environment, Agriculture and Land Initiative)

- इस पहल ने **अफ्रीका को सटीक, व्यापक और सामंजस्यपूर्ण भूमि उपयोग और भूमि उपयोग परिवर्तन डिजिटल डेटा के संग्रहण को पूर्ण करने वाला प्रथम महाद्वीप** बना दिया है।
- डेटा संग्रहण और विश्लेषण पहल का नेतृत्व **खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO)** तथा **अफ्रीकी संघ आयोग (AUC)** द्वारा किया जाता है।
    - इसने **पहली बार वनों के बाहर 7 अरब वृक्षों** का प्रकटीकरण किया है तथा पहले की तुलना में अधिक वनों और कृषि योग्य भूमि का प्रकाशन किया है।

11.17. इंडिया साइकिल4चेंज चैलेंज (India Cycles4Change Challenge)

- हाल ही में, **11 शहरों** को भारत के **शीर्ष 11 साइकिलिंग पायनियर्स** के रूप में सम्मानित किया गया था। इसमें **साइकिलिंग पहलों** को बढ़ाने के लिए 1 करोड़ रुपये का पुरस्कार प्रदान किया गया था।
- **25 जून 2020** को आरंभ किया गया **इंडिया साइकिल4चेंज चैलेंज, स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय** की एक पहल है। यह भारतीय शहरों को कोविड-19 के विरुद्ध प्रतिक्रिया में त्वरित साइकिलिंग-अनुकूल पहलों को लागू करने के लिए प्रेरित और समर्थन प्रदान करता है।
    - साइकिलिंग को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के साधन के रूप में देखा जाता है।
- यह **पॉप-अप लेन, यातायात-शांत सड़कों, सामुदायिक किराये की साइकिल योजनाओं और साइकिल-प्रशिक्षण कार्यक्रमों** जैसी पहलों को बढ़ावा देता है।

11.18. केंद्र सरकार द्वारा 'राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक (NMSC)' को नियुक्त किया जाएगा {Centre to Appoint National Maritime Security Coordinator (NMSC)}

- कारगिल समीक्षा समिति की अनुशंसा के दो दशक उपरांत, केंद्र सरकार एक **राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक (National Maritime Security Coordinator: NMSC)** को नियुक्त करने की तैयारी कर रही है। इसका उद्देश्य भारत की सुरक्षा संरचना और ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि करना है।
- **NMSC के बारे में**
  - यह असैन्य और सैन्य समुद्री प्रक्षेत्रों के मध्य इंटरफेस के रूप में कार्य करेगा।
  - यह **राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA)** के अधीन कार्य करेगा।
  - यह **समुद्री सुरक्षा प्रक्षेत्र पर सरकार का प्रमुख परामर्शदाता** होगा।
- **समुद्री सुरक्षा** आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के समुद्री पोतों की सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक सामान्य शब्द है।
  - जिन खतरों से जलयानों और समुद्री अभियानों को सुरक्षा की आवश्यकता है, उनमें **आतंकवाद, समुद्री जलदस्युता, डकैती, वस्तुओं एवं लोगों की अवैध तस्करी, अवैध मत्स्यन तथा प्रदूषण** शामिल हैं।
- **NMSC का महत्व**
  - **दक्षता में सुधार:** चूंकि **नौसेना, तटरक्षक बल** और **राज्य समुद्री बोर्ड** सभी अतिव्यापी अधिकार क्षेत्र के साथ बिना किसी सहयोग के कार्य करते हैं तथा उनमें लगातार एक-दूसरे के साथ समन्वय का अभाव भी रहता है।
  - **समुद्री और ऊर्जा सुरक्षा:** ज्ञातव्य है कि चीन भारतीय समुद्री क्षेत्र के माध्यम से **अफ्रीका के पूर्वी समुद्री तट तक पहुंचने की योजना** निर्मित कर रहा है।
  - NMSC का निर्माण **एक्ट ईस्ट पॉलिसी** विजन का भाग है, जिसमें **क्षेत्र में सभी की सुरक्षा और विकास (Security and Growth of All in the Region: SAGAR/सागर)**, **डीप ओशन मिशन तथा सागरमाला परियोजना** भी शामिल हैं।

11.19. प्रोजेक्ट 75 (इंडिया) [पी-75(आई)] {Project 75 (India) [P-75(I)]}

- रक्षा मंत्रालय ने प्रथम **पी-75(आई) सबमरीन टेंडर** जारी किया।
- पी-75(आई) में फ्यूल-सेल आधारित **वायु स्वतंत्र प्रणोदन प्रणाली** (AIP: Air Independent Propulsion Plant) सहित समकालीन उपकरण, हथियार और सेंसर के साथ छह आधुनिक पारंपरिक पनडुब्बियों के स्वदेशी निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
  - AIP तकनीक **पारंपरिक डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों को अधिक समय तक जल के भीतर रहने में सक्षम बनाती है।** इससे इनकी मारक क्षमता बढ़ जाती है।
  - AIP प्रणाली धारक अन्य देशों में **चीन, जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस, स्पेन और रूस** शामिल हैं।
- अनुमानित 5.5 बिलियन डॉलर से अधिक की पी-75(आई) पनडुब्बी परियोजना भारत द्वारा अपने **रणनीतिक साझेदारी खरीद मॉडल** के माध्यम से किया गया प्रथम अधिग्रहण है।

11.20. नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल (आकाश-एन.जी.) और मैन पोर्टेबल एंटीटैंक गाइडेड मिसाइल (MPATGM) {New Generation Akash Missile (Akash-NG) and Man Portable Antitank Guided Missile (MPATGM)}

- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने दो मिसाइल प्रणालियों यथा- **MPATGM और आकाश-एन.जी.** का परीक्षण किया है। आकाश-एन.जी. **सतह से हवा में मार करने** वाली तथा आकाश मिसाइल का एक नवीन संस्करण है।
  - MPATGM एक स्वदेशी रूप से विकसित **अल्प वजनी तथा दागो और भूल जाओ तकनीक** से युक्त मिसाइल है। इसमें उन्नत एवियोनिक्स के साथ अत्याधुनिक लघु रूप में **इन्फ्रारेड सीकर** को समाविष्ट किया गया है।
  - **आकाश-एन.जी.** की मारक क्षमता 60 कि.मी. और गति 2.5 मैक है।
- वर्ष 1958 में गठित, DRDO **रक्षा मंत्रालय** का अनुसंधान एवं विकास (R&D) खंड है। इसकी परिकल्पना भारत को अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों में सशक्त बनाने हेतु की गई थी। इसका ध्येय महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है।

11.21. सुर्ख़ियों में रहे रक्षा अभ्यास (Defence Exercises in News)

- **इंद्र (INDRA):**
  - **भारत-रूस संयुक्त नौसैन्य अभ्यास इंद्र 2021** का 12वां संस्करण **बाल्टिक सागर में रूस के वोल्गोग्राड** में आयोजित किया गया।
  - इसे प्रथम बार वर्ष 2003 में दोनों देशों के परस्पर विश्वास और अंत:क्रियाशीलता को सुदृढ़ करने के लिए आरंभ किया गया था।
- **कॉरपैट (CORPAT):**
  - **भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना** के बीच **भारत-इंडोनेशिया समन्वित गश्ती (CORPAT)** का 36वां संस्करण आयोजित किया गया है। यह हिन्द-प्रशांत में दोनों नौसेनाओं के मध्य समुद्री सहयोग को बढ़ाने पर केंद्रित है।
- **कटलास एक्सप्रेस अभ्यास 2021:**
  - भारतीय **नौसेना का पोत तलवार अफ्रीका के पूर्वी तट पर आयोजित वार्षिक समुद्री युद्धाभ्यास** में भाग ले रहा है।
  - इस युद्धाभ्यास में **12 पूर्वी अफ्रीकी देश, अमेरिका, ब्रिटेन, भारत और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन** जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय, इंटरपोल आदि भाग ले रहे हैं।
  - यह युद्धाभ्यास **पूर्वी अफ्रीका के तटीय क्षेत्रों पर केंद्रित है।** साथ ही, संयुक्त समुद्री कानून प्रवर्तन क्षमता के आकलन तथा इसमें सुधार करने, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने एवं क्षेत्रीय नौसेनाओं के मध्य अंतरसंचालनीयता बढ़ाने के लिए अभिकल्पित किया गया है।
- **पैसेज एक्सरसाइज (Passage Exercise: PASSEX):** भारत और यूनाइटेड किंगडम की नौसेनाओं ने 21 से 22 जुलाई तक **बंगाल की खाड़ी में दो दिवसीय द्विपक्षीय पैसेज एक्सरसाइज** में भाग लिया।

11.22. कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (Carbon Border Adjustment Mechanism: CBAM)

- **यूरोपीय संघ (EU) वर्ष 2026 से** आयातित वस्तुओं पर **विश्व का प्रथम कार्बन सीमा कर,** कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) आरोपित करने पर बल दे रहा है। इसका प्रयोजन कार्बन उत्सर्जन को वर्ष 1990 के स्तर की तुलना में **वर्ष 2030 तक 55 प्रतिशत कम** करने (फिट फॉर 55 पहल) के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य की पूर्ति करना है।
  - यह तंत्र कार्बन रिसाव का समाधान करता है। इस रिसाव से यह तात्पर्य है कि कंपनियां वहनीय प्रदूषण लागत और शिथिल जलवायु विनियमों वाले स्थानों पर अपनी इकाई की स्थापना को प्राथमिकता देती हैं।
- कार्बन सीमा कर **अल्प सख्त जलवायु नीतियों वाले देशों से आयातित वस्तुओं से होने वाले कार्बन उत्सर्जन पर आरोपित कर** है। इसका उद्देश्य आयात और घरेलू उत्पादन के मध्य एक समान अवसर सृजित करना है।
- **भारत द्वारा विरोध**
  - भारत सहित विकासशील देशों ने **CBAM** को 'भेदभावपूर्ण' वर्णित करते हुए इसका विरोध किया है, क्योंकि **यह यूरोप में उन देशों की वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि करेगा, जिनसे उनकी मांग कम** हो जाएगी।
    - यूरोपीय संघ, **भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।**
  - साथ ही, यह **संयुक्त राष्ट्र के साझे किंतु विभेदित उत्तरदायित्वों और संबंधित क्षमताओं** (Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities: CBDR-RC) के सिद्धांत के विरुद्ध है।

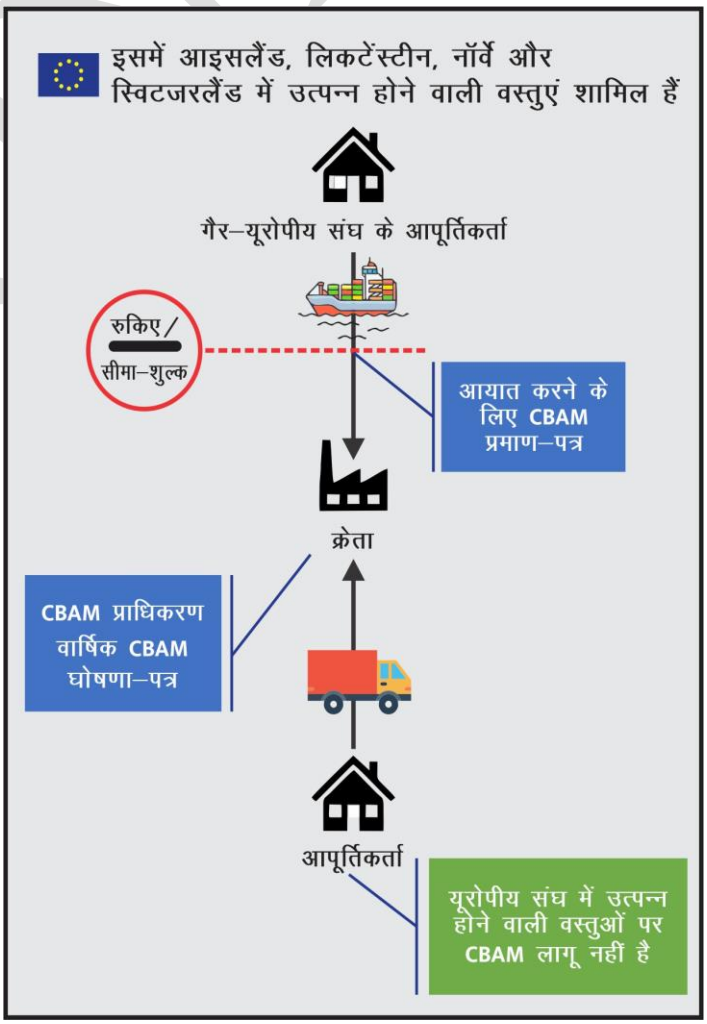

- यह सिद्धांत स्वीकार करता है कि जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विकासशील और सुभेद्य देशों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करना समृद्ध देशों का उत्तरदायित्व है।

11.23. भारत के 14 बाघ अभयारण्यों में बाघों के संरक्षण से संबंधित वैश्विक मानक स्थापित किए गए (India's 14 Tiger Reserves Set Global Standard in Tiger Conservation)

- **विश्व बाघ दिवस, 2021** के अवसर पर, **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC)** ने भारत के 51 टाइगर रिजर्व्स में से 14 को **कंज़र्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स** (CATS) मान्यता प्रदान करने की घोषणा की है (इन्फोग्राफिक देखें)।
  - इस वर्ष **अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस** की थीम है- **"उनका अस्तित्व हमारे हाथों में है** (Their Survival is in our hands)"।
- **CATS** एक विश्व स्तरीय स्वीकृत संरक्षण साधन है। यह बाघों के प्रबंधन के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करता है और प्रासंगिक संरक्षित क्षेत्रों में इन मानकों के मूल्यांकन को प्रोत्साहित करता है।
  - इसे वर्ष 2013 में आरंभ किया गया था। इसे **भारत के 94 स्थलों सहित संपूर्ण विश्व के 125 स्थानों पर लागू किया** गया है।
  - भारत में CATS मूल्यांकन के लिए ग्लोबल टाइगर फोरम और डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ. इंडिया **राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA)** के भागीदार हैं।
- **CATS मान्यता प्राप्त 14 रिजर्व्स हैं:** मानस, काजीरंगा और ओरांग (असम); सुंदरबन (पश्चिम बंगाल); वाल्मीकि (बिहार); दुधवा (उत्तर प्रदेश); पन्ना, कान्हा, सतपुड़ा एवं पेंच (मध्य प्रदेश); अन्नामलाई व मुदुमलाई (तमिलनाडु); परम्बिकुलम (केरल) तथा बांदीपुर (कर्नाटक)।

अन्य संबंधित तथ्य

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने **राजस्थान के बूंदी जिले में रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को राज्य के चौथे टाइगर रिज़र्व** के रूप में परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है।
- रामगढ़ विषधारी अभयारण्य पूर्वोत्तर में रणथंभौर टाइगर रिज़र्व और दक्षिण में स्थित **मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिज़र्व** को जोड़ेगा।
  - सरिस्का टाइगर रिज़र्व राज्य का तीसरा टाइगर रिज़र्व है।

11.24. अर्थ ओवरशूट डे (Earth Overshoot Day)

- अर्थ ओवरशूट डे उस तिथि को चिह्नित करता है, जब **किसी दिए गए वर्ष में पारिस्थितिकी संसाधनों और सेवाओं की मानवता द्वारा मांग उस वर्ष** में पृथ्वी द्वारा पुनरुत्पादित किए जा सकने योग्य **पारिस्थितिकी संसाधनों** एवं **सेवाओं से अधिक हो जाती है।**
  - वर्ष 1970 से **ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क** द्वारा इसकी मेजबानी और गणना की जा रही है।
  - **29 जुलाई** 2021 को अर्थ ओवरशूट डे था।
- **विगत वर्ष 22 अगस्त को अर्थ ओवरशूट दिवस था।** यह वर्ष 2019 (29 जुलाई) तक ओवरशूट की प्रवृत्ति (प्रत्येक वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में शीघ्र आना) का अपवाद था। इस वर्ष निम्नलिखित के कारण वर्ष 2020 से पहले की प्रवृत्ति वापस आ गयी है-
  - अमेजन के वर्षा वनों में **वनों की कटाई में वृद्धि।**
  - ऊर्जा क्षेत्र द्वारा **CO2 उत्सर्जन में वृद्धि।**

11.25. उत्तर भारत में अत्यधिक सिंचाई के कारण मानसून के उत्तर-पश्चिम भाग की ओर स्थानांतरित होने से कृषि में जोखिम बढ़ रहे हैं (Excess Irrigation Over Northern India Shifting Monsoons Towards Northwest Risking Agriculture)

- हाल ही के एक अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि **दक्षिण एशिया में मानसूनी वर्षा सिंचाई पद्धतियों के विकल्प के प्रति संवेदनशील है।** ज्ञातव्य है कि दक्षिण एशिया विश्व के सबसे अधिक सिंचित क्षेत्रों में से एक है।
- उत्तर भारत में **अत्यधिक सिंचाई और परिणामस्वरूप वाष्पीकरण में वृद्धि** (भूमि की सतह से वाष्पीकरण और पौधों से वाष्पोत्सर्जन का योग) सितंबर माह की **मानसूनी वर्षा को उपमहाद्वीप के उत्तर-पश्चिमी भाग की ओर स्थानांतरित** कर देती है और मध्य भारत में **व्यापक स्तर पर चरम मौसमी दशाओं को बढ़ा** देती है।
- वर्षण की चरमावस्था से संबंधित ये **जल-जलवायु संबंधी खतरे फसलों के समक्ष जोखिम को बढ़ा रहे** हैं।
  - फसलों में बढ़ता जोखिम मुख्य रूप से **किसानों की घटती संख्या** और **फसल उपजाने के मौसम के दौरान न्यूनतम तापमान में वृद्धि** के कारण होता है।
- यह अध्ययन **कृषि पद्धतियों की योजना निर्माण में मदद** कर सकता है और **नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर (NICRA)** को प्रत्यक्षत: लाभान्वित कर सकता है।
  - NICRA, **भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)** की एक परियोजना है। इसका उद्देश्य रणनीतिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी प्रदर्शन के माध्यम से **भारतीय कृषि की जलवायु परिवर्तन और जलवायु सुभेद्यता के प्रति प्रत्यास्थता में वृद्धि** करना है।

- यह **जलवायु तनाव और चरम घटनाओं, विशेष रूप से वर्षा की अंतर मौसमी परिवर्तनशीलता** के प्रति सुभेद्यताओं के संदर्भ में देश में विभिन्न फसलों/क्षेत्रों का मूल्यांकन करता है।

11.26. ड्रिंक फ्रॉम टैप- सुजल मिशन (Drink From Tap- Sujal Mission)

- **पुरी (ओडिशा)**, सुजल मिशन के तहत 24 घंटे के आधार पर **'ड्रिंक फ्रॉम टैप' की सुविधा वाला देश का पहला शहर बन गया है।**
- सुजल मिशन को वर्ष 2020 में 15 से अधिक **शहरी क्षेत्रों में पेयजल की गुणवत्ता** सुनिश्चित करने के लिए आरंभ किया गया था।
  - इसमें **शिकायत निवारण के लिए इंटरेक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम** के साथ एक 24x7 हेल्पलाइन केंद्र और **एक सचल जल परीक्षण प्रयोगशाला** शामिल है।
  - भारत के किसी भी महानगर में अभी तक ऐसी सुविधा नहीं है।

11.27. नीति आयोग और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने 'भारत में नवीकरणीय का एकीकरण 2021' रिपोर्ट का विमोचन किया {NITI Aayog and International Energy Agency (IEA) Launched 'Renewables Integration in India 2021' Report}

- **प्रमुख निष्कर्ष:**
  - भारत विश्व का **तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोग वाला देश** है।
  - **प्रति व्यक्ति विद्युत् खपत** अभी भी विश्व औसत का लगभग एक तिहाई है। इसके अतिरिक्त, इसमें LED प्रकाश व्यवस्था, कुशल शीतलन और भवन मानकों सहित सुदृढ़ ऊर्जा दक्षता मानकों को अपनाने की सरकार की प्रतिबद्धता के बावजूद वृद्धि होने की संभावना है।
  - भारत की अधिकांश **नवीकरणीय क्षमता वृद्धि सौर और पवन ऊर्जा के** रूप में है।
  - भारत के राज्यों में **नवीकरणीय ऊर्जा के संबंध में अत्यधिक परिवर्तनीयता** विद्यमान है।
  - भारत की विद्युत प्रणाली **नवीकरणीय ऊर्जा** (वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट और वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट) **को कुशलतापूर्वक एकीकृत** कर सकती है। परन्तु इसके लिए संसाधनों की पहचान व उचित योजना निर्माण, विनियामक, नीतिगत और संस्थागत समर्थन, ऊर्जा भंडारण एवं अग्रिम प्रौद्योगिकी संबंधी पहलों की आवश्यकता होगी।
- **अनुशंसाएं:**
  - **अंतर्राज्यीय व्यापार** के बीच तकनीकी और आर्थिक बाधाओं का निवारण करना चाहिए।
  - बैटरी स्टोरेज और पंप-स्टोरेज हाइड्रो के विशिष्ट संदर्भ में ऊर्जा भंडारण के लिए एक **विनियामक तथा पारिश्रमिक ढांचा विकसित करना** चाहिए, ताकि उनका पूर्ण मूल्य अर्जित किया जा सके।
  - **उपयोग का समय (Time of Use: TOU) प्रशुल्क,** मांग पक्ष प्रबंधन और **नम्य खपत को प्रोत्साहित करने** के लिए एक प्रभावी उपकरण होगा।
  - **रूफटॉप सोलर सिस्टम की निगरानी और प्रबंधन** की आवश्यकता है।

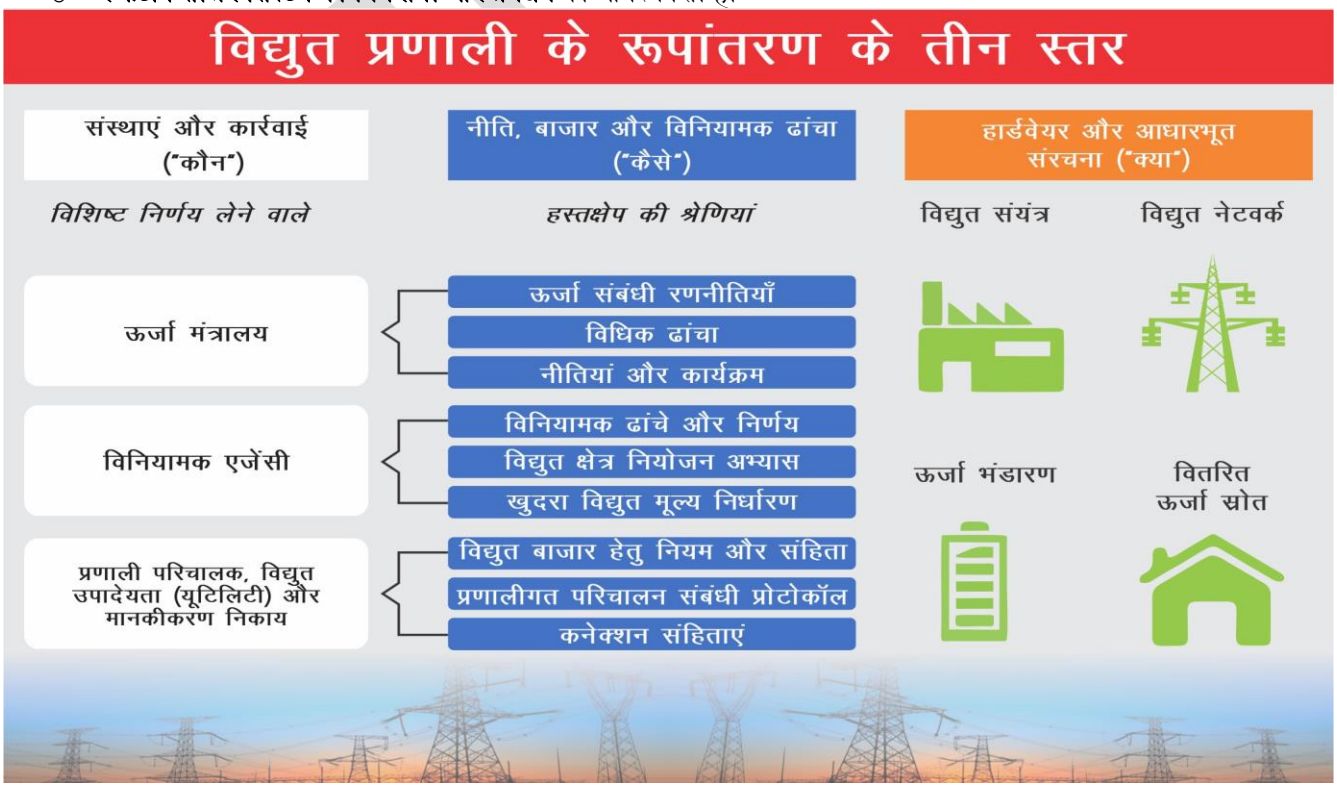

11.28. प्रथम हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना (First Green Hydrogen Mobility Project)

- राष्ट्रीय तापीय विद्युत् निगम (NTPC) की 100 प्रतिशत सहायक कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (REL) ने **संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।** इसके तहत **लेह** में हाइड्रोजन बसों को संचालित कर **देश की प्रथम हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना** की स्थापना तथा एक हरित हाइड्रोजन उत्पादन इकाई और सोलर संयंत्र की संस्थापना की जानी है।
    - **हरित हाइड्रोजन** अक्षय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत् उत्पन्न कर **विद्युत अपघटन** (जल को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित करने) **से उत्पन्न हाइड्रोजन है।** इसके परिणामस्वरूप कोई **कार्बन उत्सर्जन नहीं** होता है।
- इसके अतिरिक्त, NTPC-REL **गुजरात के कच्छ के रण में भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क (4,750 मेगावाट)** स्थापित करने जा रही है।

11.29. भारत असमानता रिपोर्ट, 2021 (India Inequality Report, 2021)

हाल ही में **ऑक्सफैम इंडिया** की एक रिपोर्ट **"भारत असमानता रिपोर्ट 2021: भारत की असमान स्वास्थ्य देखभाल की स्थिति"** (India Inequality Report 2021: India's Unequal Healthcare Story) के अनुसार, **विभिन्न स्वास्थ्य संकेतकों के तहत विभिन्न जाति, धर्म, वर्ग और लैंगिक श्रेणियों में उच्च असमानताएं विद्यमान हैं।**

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- **महिला साक्षरता:** हालांकि, विगत कुछ वर्षों में विभिन्न सामाजिक समूहों में महिलाओं की साक्षरता के स्तर में सुधार हुआ है, परन्तु इस सुधार के बावजूद भी अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) की महिलाएं, सामान्य वर्ग की महिलाओं से क्रमशः 18.6 प्रतिशत और 27.9 प्रतिशत पीछे हैं।
- **स्वच्छता:** स्वच्छता के मामले में, सामान्य श्रेणी के 65.7 फीसदी परिवारों में बेहतर, गैर-साझा स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध हैं, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार इस मामले में तुलनात्मक रूप से क्रमशः 28.5 प्रतिशत तथा 39.8 प्रतिशत पीछे हैं।
- **सरकारी स्वास्थ्य संबंधी हस्तक्षेपों (उपायों) में असमानताएँ:**
    - संस्थागत प्रसव की हिस्सेदारी वर्ष 2005-06 के 38.7 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2015-16 में **78.9 प्रतिशत** हो गई है। परन्तु इस मामले में STs परिवारों के साथ असमानता की स्थिति व्याप्त है, क्योंकि STs परिवारों में सामान्य श्रेणी की तुलना में 15 प्रतिशत कम संस्थागत प्रसव होता है। साथ ही, संस्थागत प्रसव के संबंध में सर्वाधिक निर्धन और सर्वाधिक धनी (20 प्रतिशत आबादी) के मध्य 35 प्रतिशत का अंतर मौजूद है।
    - इसी प्रकार, STs परिवारों में 55.8 प्रतिशत लोगों के टीकाकरण के बावजूद, अभी भी इन परिवारों में टीकाकरण की दर राष्ट्रीय औसत से 6.2 प्रतिशत कम है तथा मुस्लिम वर्ग में टीकाकरण की दर सभी सामाजिक-धार्मिक समूहों की तुलना में निम्नतम (55.4 प्रतिशत) रही है।
    - बाल टीकाकरण में सुधार होने के बावजूद, बालिका टीकाकरण की दर बालकों की तुलना में निम्नतर है तथा शहरी क्षेत्रों में बच्चों के टीकाकरण की दर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक है।

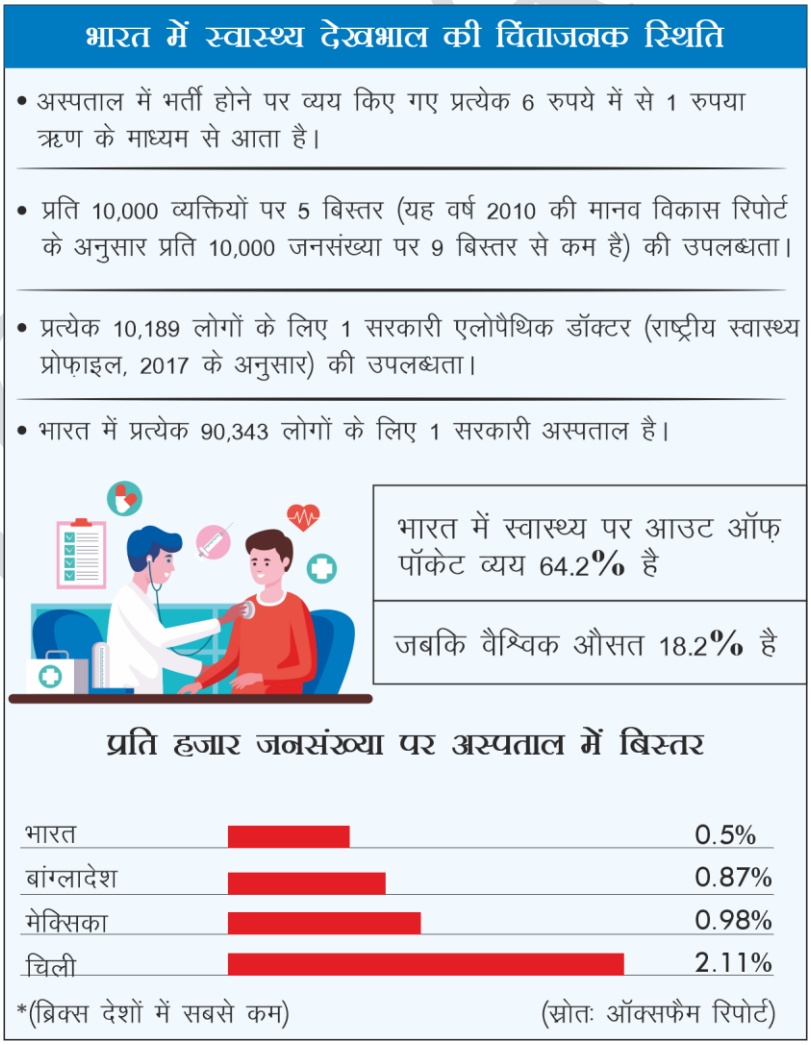

- **कोविड-19 प्रतिक्रिया में असमानताएं:**
  - **उच्चतर स्वास्थ्य व्यय और निम्नतर असमानता वाले राज्यों** में संक्रमण के पुष्टिगत मामलों की संख्या निम्नतर और कोविड-19 संक्रमण से ठीक होने की दर उच्चतर रही है।
  - कोविड-19 के विरुद्ध टीकाकरण अभियान के दौरान देश के डिजिटल विभाजन को महत्व नहीं दिया गया है। ज्ञातव्य है कि वैश्विक महामारी के आरंभिक प्रसार के समय, केवल 15 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास ही इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध था।
- **देश में 'सभी के लिए स्वास्थ्य' विजन वास्तविकता से परे है**
  - स्वास्थ्य के लिए उपलब्ध लोक निधि का उपयोग प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की बजाय अधिकांशतः तृतीयक और द्वितीयक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए किया गया है। इसके कारण निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है।
  - सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल (UHC) को प्राप्त करने और आउट ऑफ पॉकेट व्यय को कम करने के लिए प्रचारित **स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का दायरा और कवरेज सीमित** रहा है।

11.30. जेल में आत्महत्या रोकने के लिए 'गेटकीपर मॉडल' ('Gatekeeper Model' to Prevent Suicides in Prison)

- राष्ट्रीय महत्व के संस्थान **राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान** (National Institute of Mental Health and Neuro Sciences) ने कैदियों तथा जेल कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के प्रबंधन पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
  - इसने **"गेटकीपर मॉडल"** की अनुशंसा की है। इसमें चयनित कैदी, जो आत्महत्या के जोखिम वाले कैदियों की पहचान करने के लिए प्रशिक्षित होंगे, उन्हें उपचार या सहायक सेवाओं के लिए संदर्भित करेंगे।
- एक अध्ययन का उद्धरण देते हुए, इस परामर्श में **जेल की आबादी के लगभग 80% में मानसिक रोग और मादक द्रव्यों के सेवन के विकार की व्यापकता** की ओर संकेत किया गया है।

11.31. महिलाओं के लिए 24*7 हेल्पलाइन (7827170170) {24*7 Helpline for Women (7827170170)}

- **राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने हिंसा से प्रभावित महिलाओं के लिए 24*7 हेल्पलाइन** आरंभ की है।
  - इसे **डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन** के सहयोग से विकसित किया गया है।
  - इसका उपयोग **18 वर्ष और उससे अधिक आयु की कोई भी महिला** कर सकती है।
- **NCW के बारे में:**
  - यह **राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम (1990)** के तहत एक **वैधानिक निकाय** है।
  - NCW महिला अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में कार्य करता है और निम्नलिखित के द्वारा जरूरतमंद महिलाओं की मदद करता है:
    - महिलाओं के लिए **संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा** उपायों की समीक्षा द्वारा।
    - **शिकायतों के निवारण** को सुगम बनाकर।

11.32. भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय ने छह प्रौद्योगिकी नवाचार मंच लॉन्च किए (Ministry of Heavy Industries Launched Six Technology Innovation Platforms)

- भारत में विश्व स्तर पर प्रतियोगी विनिर्माण के लिए प्रौद्योगिकियों के विकास हेतु **छह प्रौद्योगिकी नवाचार मंच** लॉन्च किए गए हैं।
  - ये विगत वर्ष आरंभ की गई **उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं** की पृष्ठभूमि में लांच किए गए हैं, जो भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने पर केन्द्रित हैं।

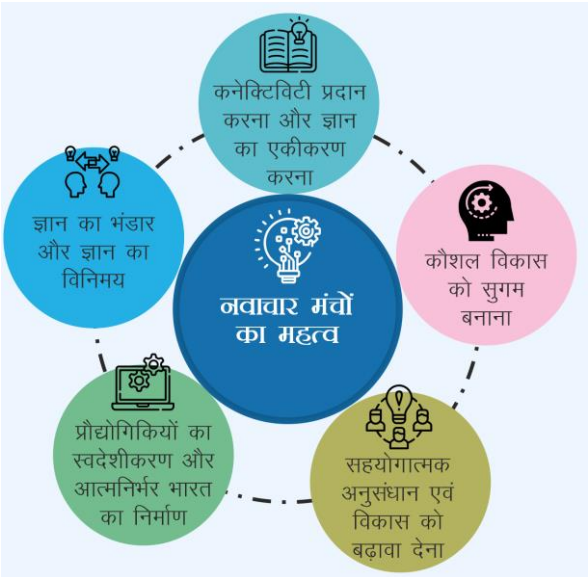

- **6 मंच इस प्रकार हैं:**
  - **सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट (CMTI), बेंगलुरु** द्वारा विकसित **दृष्टि**, मशीन उपकरण क्षेत्र पर केंद्रित है।
  - **भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु** के सहयोग से **हिंदुस्तान मशीन टूल्स (HMT)** द्वारा विकसित **प्रौद्योगिकी और नवाचार मंच**, मशीन उपकरण क्षेत्र में आयात को कम करने पर केंद्रित है।
  - भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) द्वारा विकसित एक डिजिटल रूप से सक्षम प्लेटफॉर्म **संरचना (SanRachna)** नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र पर केंद्रित है।
  - भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास द्वारा विकसित **काइट {kite**

(प्रौद्योगिकी संवर्धन के लिए ज्ञान एकीकरण)} मंच आभासी वास्तविकता, स्वचालन, उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकियों और रोबोटिक्स पर केंद्रित है।

- इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी (iCAT) द्वारा **एस्पायर {ASPIRE (ऑटोमोटिव सॉल्यूशंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन)}** मंच **ऑटोमोटिव तकनीक** पर ध्यान केंद्रित करता है।
- ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) द्वारा **टेकनोवुस (TechNovuus)** सतत गतिशीलता पर केंद्रित है।

- **ये मंच चार स्तंभों पर आधारित है:**
  - प्रौद्योगिकी विकास के इच्छुक **उद्योग,**
  - **सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (PSU) और विश्वविद्यालय**, जो इन तकनीकों को विकसित करते हैं,
  - **शैक्षिक और छात्र,** जो विकास प्रक्रिया की मेजबानी करते हैं और
  - **अनुसंधान एवं विकास केंद्र।**

11.33. स्टैंड अप इंडिया योजना का विस्तार (Stand Up India Scheme Extended)

स्टैंड अप इंडिया (SUI) योजना को वर्ष 2016 में आरम्भ किया गया था, **जिसकी अवधि को हाल ही में सरकार ने वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया है।**

स्टैंड अप इंडिया योजना के बारे में

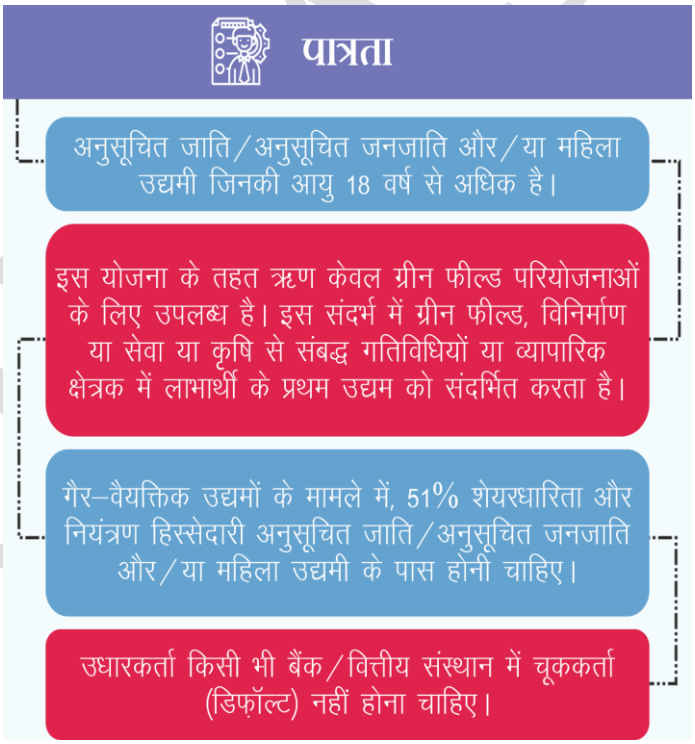

- SUI योजना **वंचित वर्ग के लोगों को संस्थागत ऋण व्यवस्था तक पहुंच प्रदान करने और इसका लाभ उठाने का अवसर प्रदान** करती है (इन्फोग्राफिक देखें)।
- **SUI योजना का उद्देश्य:** प्रति बैंक शाखा के माध्यम से कम-से-कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता और कम-से-कम एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये के मध्य **बैंक ऋण की सुविधा प्रदान** करना।
- इस योजना की शुरुआत से लेकर अब (जून 2021) तक लगभग 1.1 लाख से अधिक ऋणों (लगभग 26,000 करोड़ रुपये से अधिक) को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।
- **SUI पोर्टल** (भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा विकसित) प्रारंभिक समर्थन, वित्तीय सहायता तथा ऋण संबंधी गारंटी आदि के बारे में सूचनाएं प्रदान करके **SCs, STs के मध्य उद्यमों के संवर्द्धन को सहायता प्रदान करने** और **महिला उद्यमिता को बढ़ावा** देने हेतु एक **डिजिटल मंच प्रदान करता है।**
- ध्यातव्य है कि **सरकार इस योजना के तहत ऋण के लिए धन आवंटित नहीं करती है।** हालांकि, इस योजना के तहत ऋण **अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCB)** द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इन ऋणों को **तीन संभावित माध्यमों यथा** प्रत्यक्षत: बैंक शाखा से या SUI पोर्टल या अग्रणी जिला प्रबंधक (Lead District Manager: LDM) के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।
- **बजट (2021-22) में किए गए हालिया परिवर्तन:**
  - योजना के तहत **ऋण के लिए मार्जिन मनी की आवश्यकता** को '25 प्रतिशत' से **घटाकर** '15 प्रतिशत तक' कर दिया गया है।
    - मार्जिन मनी वह राशि है, जिसका भुगतान उधारकर्ता को स्वयं करना पड़ता है, जबकि ऋण की शेष राशि का भुगतान बैंक द्वारा किया जाता है।
  - **कृषि से संबंधित गतिविधियों को भी इस योजना में शामिल** किया गया है।

11.34. भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सुविधाएं मानचित्र (I-STEM) चरण-2 में पहुंचा {Indian Science Technology and Engineering Facilities Map (I-STEM) Enters Phase-II}

- I-STEM **अनुसंधान एवं विकास (R&D) सुविधाओं को साझा** करने के लिए एक राष्ट्रीय वेब पोर्टल है।
  - इसे भारत के **प्रधानमंत्री विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद मिशन** के तत्वावधान में **वर्ष 2020 में सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय की एक पहल के रूप में** लॉन्च किया गया था।

- **इसका लक्ष्य** शोधकर्ताओं को संसाधनों से जोड़कर और मौजूदा सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं तक पहुंच को सक्षम करके **अनुसंधान व विकास का पारितंत्र विकसित करना है।**
- दूसरे चरण के तहत, पोर्टल **स्वदेशी प्रौद्योगिकी उत्पादों की** मेजबानी करेगा **और सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर्स के लिए मंच भी प्रदान करेगा।**

11.35. वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने पेटेंट छूट व टीकों के लिए अनिवार्य लाइसेंस का सुझाव दिया (Parliamentary Standing Committee on Commerce Suggested for Patent Waiver, Compulsory License for Vaccines)

वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने **'भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था की समीक्षा'** शीर्षक से अपनी रिपोर्ट में वर्णित किया है कि:

- कोविड-19 महामारी के कारण **राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल ने पेटेंट अधिकारों को अस्थायी रूप से समाप्त** करने की आवश्यकता को प्रकट किया है।
    - एक पेटेंट एक **आविष्कार (उत्पाद/प्रक्रम) के लिए प्रदत्त एक अनन्य अधिकार** है। पेटेंट धारक के पास 20 वर्षों के लिए विशेष अधिकार होता है, जिसमें अन्यों को पेटेंट का कोई भी उपयोग करने से बाहर रखा जाता है।
    - इसके अतिरिक्त, विश्व व्यापार संगठन में **भारत और दक्षिण अफ्रीका** ने सभी देशों हेतु कोविड इंजेक्शन एवं दवाओं के लिए **उचित, वहनीय एवं सार्वभौमिक पहुंच की सुविधा हेतु अस्थायी पेटेंट छूट की मांग** की है।
- इसने दवाओं और टीकों के उत्पादन के लिए **अनिवार्य लाइसेंसिंग** की भी अनुशंसा की है।
    - **एकस्व अधिनियम (Patent Act), 1970 की धारा 92**, पेटेंट धारक को सरकार द्वारा निर्धारित रॉयल्टी का भुगतान करने के उपरांत केंद्र सरकार द्वारा **अनिवार्य लाइसेंसिंग** जारी करने का प्रावधान करती है।
    - सरकार **"राष्ट्रीय आपातकाल या अत्यधिक अत्यावश्यक परिस्थितियों में या सार्वजनिक गैर-व्यावसायिक उपयोग के मामले में"** अनिवार्य लाइसेंसिंग को लागू कर सकती है।
- **पेटेंट के दायित्व के बिना वृहद जेनेरिक उत्पादन** से सस्ती दवाओं, औषधि और टीकों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए **आपूर्ति बाधाओं का निवारण करने में मदद** मिलेगी।

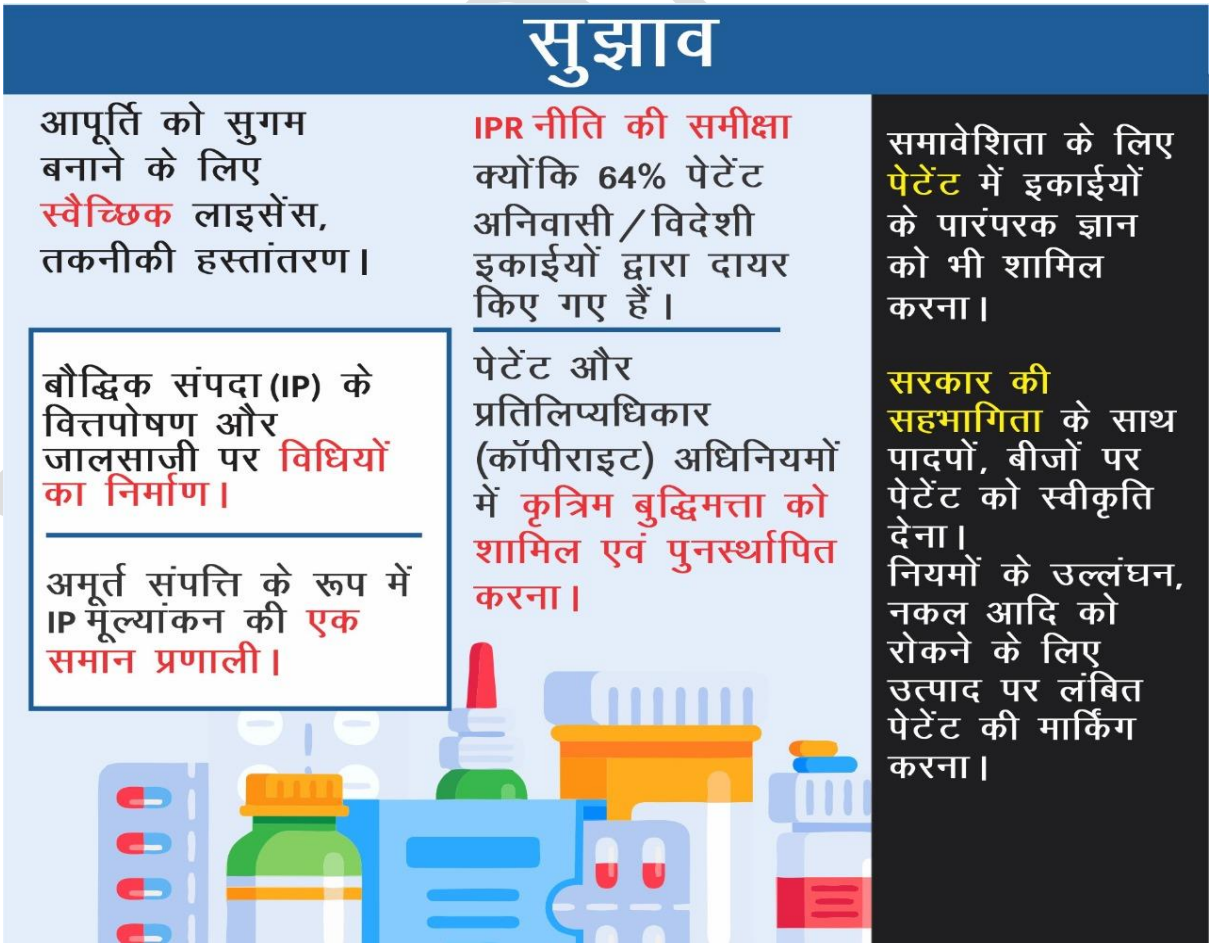

11.36. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लोक स्वास्थ्य के संवर्धन के लिए मानव जीनोम संपादन पर नई अनुशंसाएं जारी की (WHO Issues New Recommendations on Human Genome Editing for the Advancement of Public Health)

- WHO ने **'मानव जीनोम संपादन: अभिशासन हेतु एक फ्रेमवर्क'** (Human genome Editing: A Framework for Governance) और **'मानव जीनोम संपादन: अनुशंसाएं'** (Human Genome Editing: Recommendations)' शीर्षक से दो रिपोर्ट्स जारी की हैं।
  - ये दोनों रिपोर्ट्स लोक स्वास्थ्य के लिए एक साधन के रूप में मानव जीनोम संपादन स्थापित करने में मदद करने हेतु **प्रथम वैश्विक अनुशंसाएं** प्रदान करती हैं। साथ ही, **सुरक्षा, प्रभावशीलता और नैतिकता** पर भी बल देती हैं।
- **सुदृढ़ निरीक्षण तंत्र की आवश्यकता:** मानव जीनोम को संपादित करने के लिए क्रिस्पर कास-9 (CRISPR-Cas9) जैसे उपकरणों के हालिया अनुप्रयोग **सुरक्षा (लक्ष्य से इतर प्रभाव), सूचित सहमति, जीन-संपादित बच्चे, न्याय और समता आदि जैसे नैतिक मुद्दों** को उत्पन्न करते हैं।
- **'मानव जीनोम संपादन: अनुशंसाएं' रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं**
  - अवसरों और चुनौतियों के संदर्भ में **WHO और उसके महानिदेशक द्वारा नेतृत्व।**
  - **मानव जीनोम संपादन रजिस्ट्रियां:** यह सुनिश्चित करना है कि रजिस्ट्री में शामिल करने से पूर्व उपयुक्त अनुसंधान नैतिकता समिति ने नैदानिक परीक्षणों की **समीक्षा** और **अनुमोदन** किया है।
  - **बौद्धिक संपदा:** मानव जीनोम संपादन प्रयासों तक **समान पहुंच सुनिश्चित करना।**
  - नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों का निर्माण किया गया है, जिनका WHO द्वारा उपयोग किया जाएगा।
- **'मानव जीनोम संपादन: अभिशासन हेतु एक फ्रेमवर्क'**
  - एक अभिशासन ढांचा विकसित करना, जिसे **उभरती प्रौद्योगिकियों के अभिशासन में निहित उत्तम प्रथाओं से ग्रहण किया जाएगा।** यह ढांचा इन उत्तम प्रथाओं को विशेष रूप से मानव जीनोम संपादन पर लागू करेगा।
  - **यह सभी स्तरों अर्थात् संस्थागत, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर** निगरानी उपायों को सुदृढ़ करने के लिए कार्य करने वालों की सहायता करने का लक्ष्य रखता है।
- **मानव जीनोम संपादन तकनीक के बारे में**
  - मानव जीनोम संपादन (जिसे जीन संपादन भी कहा जाता है) प्रौद्योगिकियों का एक समूह है। यह वैज्ञानिकों को किसी जीव के **DNA को बदलने** अर्थात् किसी विशेष स्थान पर आनुवंशिक सामग्री को जोड़ने, हटाने या परिवर्तित करने **की क्षमता** प्रदान करती है।

11.37. जीका वायरस (Zika Virus)

- **केरल** में पहली बार **जीका वायरस** के मामले सामने आए हैं।
- जीका वायरस अधिकतर **संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से** फैलता है, जो दिन में काटता है। यह वही मच्छर है जिससे **डेंगू, चिकनगुनिया और पीत-ज्वर** फैलता है।
  - यह वायरस **गर्भवती महिला से उसके भ्रूण में जा सकता है** और इससे **शिशुओं में माइक्रोसेफली** (जन्म दोष जहां शिशु का सिर अपेक्षा से अधिक छोटा होता है), **जन्मजात विकृतियां** आदि उत्पन्न हो सकती हैं।
  - वर्तमान में, जीका वायरस के लिए **कोई विशिष्ट उपचार या टीका उपलब्ध नहीं है।**

11.38. यूटेलसैट क्वांटम उपग्रह (Eutelsat Quantum Satellite)

- यूटेलसैट क्वांटम, **फ्रेंच गुयाना** से प्रक्षेपित किया गया है। यह **विश्व का प्रथम वाणिज्यिक व पूर्णतया पुन: प्रोग्राम करने योग्य** उपग्रह है।
  - यूटेलसैट क्वांटम उपयोगकर्ताओं को इसे लगभग वास्तविक समय में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने की अनुमति देता है। यह उपग्रह पारंपरिक मॉडल्स के विपरीत है, **जिन्हें पृथ्वी पर डिज़ाइन किया गया है और ये यहीं "यंत्रस्थ"** (hardwired) हैं। साथ ही, इन पारंपरिक उपग्रहों को एक बार कक्षा में स्थापित होने के उपरांत पुनरुद्देशित नहीं किया जा सकता है।
  - इसका अर्थ है कि इस उपग्रह का **गतिशील ऑब्जेक्ट्स** जैसे कि विमान और समुद्र में यात्रा कर रहे पोतों **हेतु सचल कवरेज प्रदान करने** के लिए उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, यह प्राकृतिक आपदा के उपरांत कवरेज अथवा एकबारगी घटनाओं के कवरेज हेतु भी सहायक सिद्ध हो सकता है।
- इसे एयरबस के साथ **यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) की एक साझेदारी परियोजना** के अंतर्गत विकसित किया गया है।

11.39. नौका-रूस मॉड्यूल (Nauka-Russia Module)

- **नौका (Nauka)**, जिसका रूसी अर्थ **विज्ञान** है, रूस द्वारा प्रक्षेपित किया गया एक **अंतरिक्ष मॉड्यूल** है। यह एक शोध सुविधा के रूप में कार्य करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) में मौजूदा पिर्स (Pirs) मॉड्यूल को प्रतिस्थापित करेगा।

- **ISS के बारे में:**
  - ISS एक **निम्न भू कक्षा** (low-earth orbit) में स्थापित एक अंतरिक्ष स्टेशन है। इसे वर्ष 1998 में लॉन्च किया गया था। **इसमें भाग लेने वाली पांच अंतरिक्ष एजेंसियां-** NASA, रोस्कोस्मोस (रूस), जाक्सा (JAXA) (जापान), यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनाडियन स्पेस एजेंसी हैं।
  - यह भौतिक, वस्तुगत और अंतरिक्ष विज्ञान के साथ-साथ सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण के तहत मानव स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक शोध करने में मदद करता है।

11.40. क्षुद्रग्रह रयुगु (Asteroid Ryugu)

- हाल ही में, **नासा (NASA) ने क्षुद्रग्रह रयुगु से अपना प्रथम नमूना प्राप्त किया है।** इसे विगत दिसंबर माह में जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी (JAXA) के **हायाबुसा 2 अंतरिक्ष यान** द्वारा पृथ्वी पर लाया गया था।
- **रयुगु** हीरे के आकार की एक अंतरिक्ष चट्टान है। यह **पृथ्वी और मंगल के बीच सूर्य की परिक्रमा कर रहा है** और कभी-कभी पृथ्वी की कक्षा को पार कर जाता है (इसलिए संभावित रूप से खतरनाक के रूप में वर्गीकृत है)।
- रयुगु को **कार्बनयुक्त या C-प्रकार के क्षुद्रग्रह के रूप में वर्गीकृत किया गया है।** इसका अर्थ है कि इसमें बहुत अधिक कार्बन और जल विद्यमान है।
- रयुगु जैसे **क्षुद्रग्रहों का अध्ययन करने से टोलर प्रणाली की उत्पत्ति तथा जल जैसे अणु कहां से आए,** से संबंधित प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने में मदद मिल सकती है।

11.41. गैनिमेड (Ganymede)

- वैज्ञानिकों ने पहली बार **बृहस्पति के चंद्रमा गैनिमेड** के वातावरण में **जल वाष्प के प्रमाण** की खोज की है। इस खोज हेतु नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) के **हबल स्पेस टेलीस्कोप** (NASA और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग) से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग किया गया है।
- **सौरमंडल के सबसे बड़े चंद्रमा गैनीमेड** में पृथ्वी के सभी महासागरों की तुलना में अधिक जल है। हालांकि, वहां का तापमान इतना ठंडा होता है कि सतह पर जल जम जाता है।
- अभी NASA का **जूनो मिशन** गैनिमेड और बृहस्पति की घनिष्ठ निगरानी कर रहा है।

11.42. अंतरिक्ष चावल (Space Rice)

- चीन ने पिछले वर्ष **चंद्र यात्रा (चांग ई-5 लुनार प्रोब)** से वापस लाए गए बीजों से **"अंतरिक्ष चावल" की अपनी प्रथम फसल की कटाई की।**
  - चीन वर्ष 1987 से चावल और अन्य फसलों के बीजों को अंतरिक्ष में ले जा रहा है।
- **अंतरिक्ष में कृषि का महत्व**
  - ब्रह्मांडीय विकिरण और शून्य गुरुत्वाकर्षण के संपर्क में आने के पश्चात्, कुछ बीज उत्परिवर्तित हो सकते हैं और पृथ्वी पर वापस उगाए जाने पर अधिक उपज दे सकते हैं।
  - बीज बैंक का विस्तार करने के लिए अधिक और बेहतर आनुवंशिक स्रोत प्रदान करके **चीन के संकर चावल प्रजनन में योगदान** करती है।

11.43. नैनो यूरिया लिक्विड उर्वरक {Nano Urea Liquid (NUL) Fertiliser}

- नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (NFL) और राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (RCF) ने नैनो यूरिया लिक्विड (NUL) उर्वरक के **'प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण' के लिए इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेशन लिमिटेड** (IFFCO) के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।
  - NUL में **नैनो आकर के नाइट्रोजन कण होते हैं।** इन कणों का **पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक** होता है और **कणों की संख्या** इसे अधिक प्रभावशाली बनाती है।
- **महत्व:**
  - पारंपरिक यूरिया की आवश्यकता को **50 प्रतिशत** तक या उससे अधिक कम कर देता है।
  - मृदा, वायु और जल की गुणवत्ता में सुधार करता है।
  - **पारंपरिक यूरिया से सस्ता है।**
  - भारत NUL का व्यवसायिक उत्पादन आरंभ करने वाला **विश्व का प्रथम देश बन गया है।**

11.44. सुर्ख़ियों में रहे भौगोलिक संकेतक टैग {Geographical Indication (GI) Tag Products in News}

उत्पाद	के बारे में
पारंपरिक पुष्प (Traditional flowers)	• हाल ही में, GI (भौगोलिक संकेतक) प्रमाणित **मदुरै मल्ली** (चमेली पुष्प की एक प्रजाति) और अन्य पारंपरिक पुष्पों **(जैसे-बटन गुलाब, लिली, चमंथी और मैरीगोल्ड)** को तमिलनाडु से अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों को निर्यात किया गया है। • इन पुष्पों के निर्यात का उद्देश्य विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए ताजे पुष्पों की आपूर्ति को सुनिश्चित करना है, ताकि वहां रह रहे भारतीय लोगों के अपने घरों और मंदिरों में स्थापित **हिंदू देवताओं के लिए ताजे पुष्पों की मांग** को पूर्ण किया जा सकेगा। • मदुरै, **मल्ली** के लिए **एक प्रमुख बाजार के रूप** में उभरा है। साथ ही, यह **भारत** की **'चमेली राजधानी' (jasmine capital)** के रूप में भी विकसित हुआ है।
फाजिल आम (Fazil mango)	• **GI (भौगोलिक संकेतक) प्रमाणित फाजिल आम** की एक खेप को **पश्चिम बंगाल स्थित मालदा जिले से बहरीन** देश को निर्यात किया गया है। • बहरीन में भारतीय आम के प्रोत्साहन हेतु एक साप्ताहिक आम संवर्धन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में आम की 16 किस्में प्रदर्शित की गई थीं। इनमें तीन GI प्रमाणित आम की प्रजातियां यथा **खिरसापतिन एवं लक्ष्मणभोग (पश्चिम बंगाल) और जरदालू (बिहार)** भी शामिल हैं।
भालिया गेहूं (Bhalia Wheat)	• गेहूं की GI प्रमाणित भालिया किस्म की **प्रथम खेप** गुजरात से केन्या और श्रीलंका को **निर्यात** की गई थी। • इस फसल की खेती **गुजरात के भाल क्षेत्र** में की जाती है, जिसमें **अहमदाबाद, आणंद, खेड़ा, भावनगर, सुरेंद्रनगर तथा भरूच जिले शामिल हैं।** • इसमें **प्रोटीन की मात्रा अधिक** होती है और यह **स्वाद में मीठा** होता है। • इस किस्म की **अनूठी विशेषता** यह है कि इसकी खेती **वर्षा आश्रित दशाओं** में की जा सकती है।

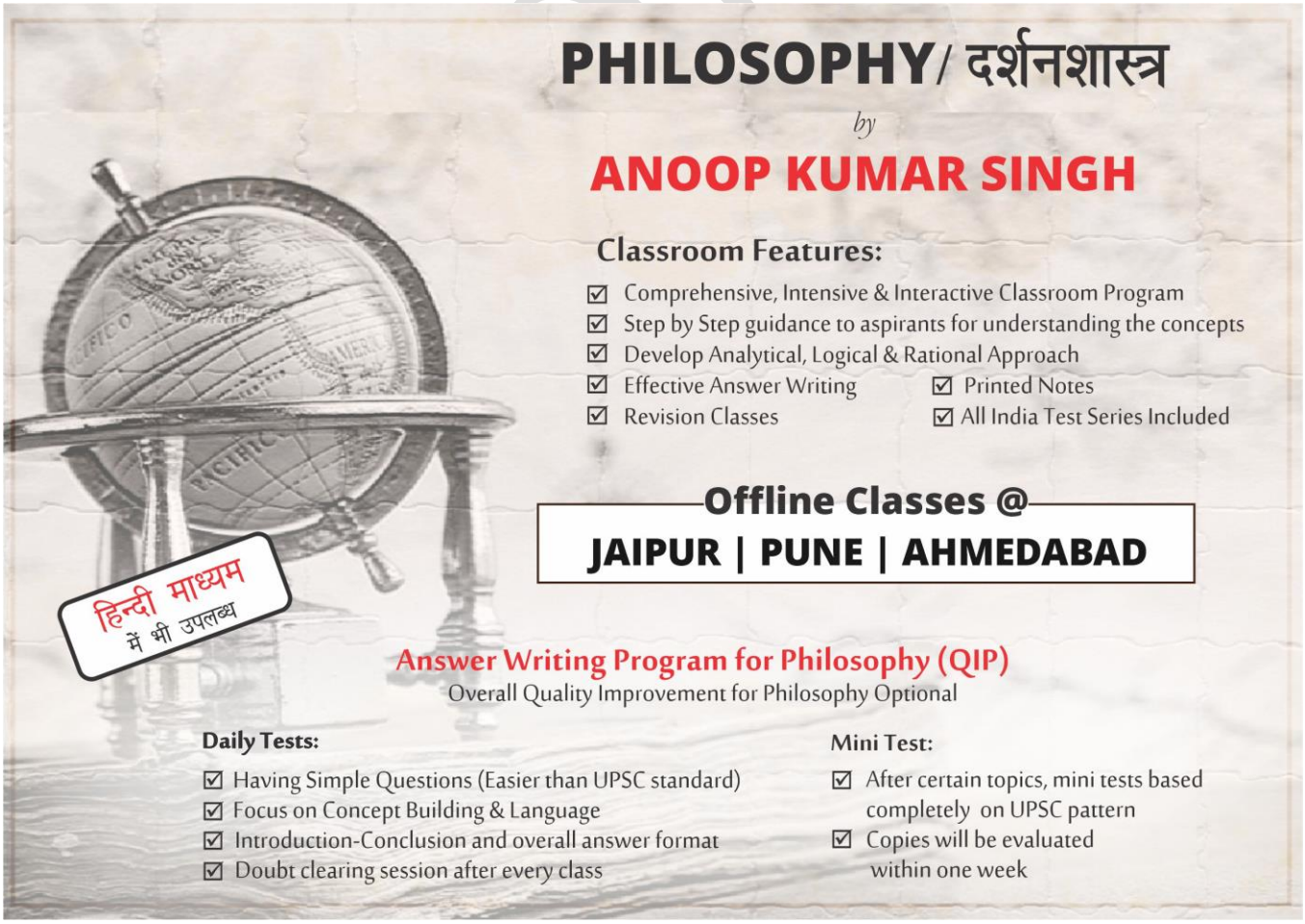

सुर्ख़ियों में रहे स्थलः भारत

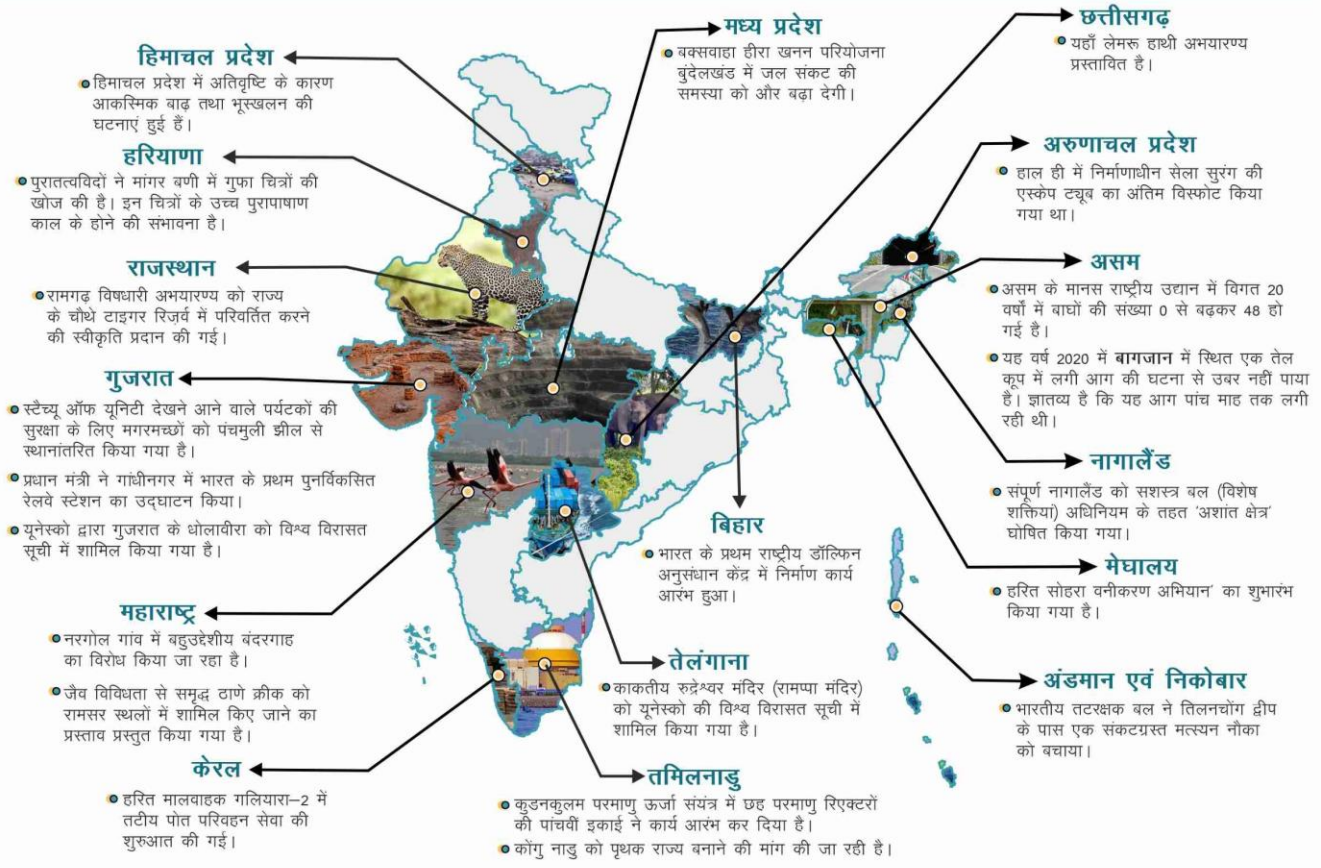

हिमाचल प्रदेश
- हिमाचल प्रदेश में अतिवृष्टि के कारण आकस्मिक बाढ़ तथा भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं।

हरियाणा
- पुरातत्वविदों ने मांगर बणी में गुफा चित्रों की खोज की है। इन चित्रों के उच्च पुरापाषाण काल के होने की संभावना है।

राजस्थान
- रामगढ़ विषधारी अभयारण्य को राज्य के चौथे टाइगर रिज़र्व में परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

गुजरात
- स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा के लिए मगरमच्छों को पंचमुली झील से स्थानांतरित किया गया है।
- प्रधान मंत्री ने गांधीनगर में भारत के प्रथम पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया।
- यूनेस्को द्वारा गुजरात के धोलावीरा को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है।

महाराष्ट्र
- नरगोल गांव में बहुउद्देशीय बंदरगाह का विरोध किया जा रहा है।
- जैव विविधता से समृद्ध ठाणे क्रीक को रामसर स्थलों में शामिल किए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

केरल
- हरित मालवाहक गलियारा–2 में तटीय पोत परिवहन सेवा की शुरुआत की गई।

मध्य प्रदेश
- बक्सवाहा हीरा खनन परियोजना बुंदेलखंड में जल संकट की समस्या को और बढ़ा देगी।

बिहार
- भारत के प्रथम राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र में निर्माण कार्य आरंभ हुआ।

तेलंगाना
- काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर (रामप्पा मंदिर) को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है।

तमिलनाडु
- कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में छह परमाणु रिएक्टरों की पांचवीं इकाई ने कार्य आरंभ कर दिया है।
- कोंगु नाडु को पृथक राज्य बनाने की मांग की जा रही है।

छत्तीसगढ़
- यहाँ लेमरू हाथी अभयारण्य प्रस्तावित है।

अरुणाचल प्रदेश
- हाल ही में निर्माणाधीन सेला सुरंग की एस्केप टनल का अंतिम विस्फोट किया गया था।

असम
- असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में विगत 20 वर्षों में बाघों की संख्या 0 से बढ़कर 48 हो गई है।
- यह वर्ष 2020 में **बागजान** में स्थित एक तेल कूप में लगी आग की घटना से उबर नहीं पाया है। ज्ञातव्य है कि यह आग पांच माह तक लगी रही थी।

नागालैंड
- संपूर्ण नागालैंड को सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम के तहत 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया गया।

मेघालय
- हरित सोहरा वनीकरण अभियान' का शुभारंभ किया गया है।

अंडमान एवं निकोबार
- भारतीय तटरक्षक बल ने तिलनचोंग द्वीप के पास एक संकटग्रस्त मत्स्यन नौका को बचाया।

सुर्ख़ियों में रहे स्थलः विश्व

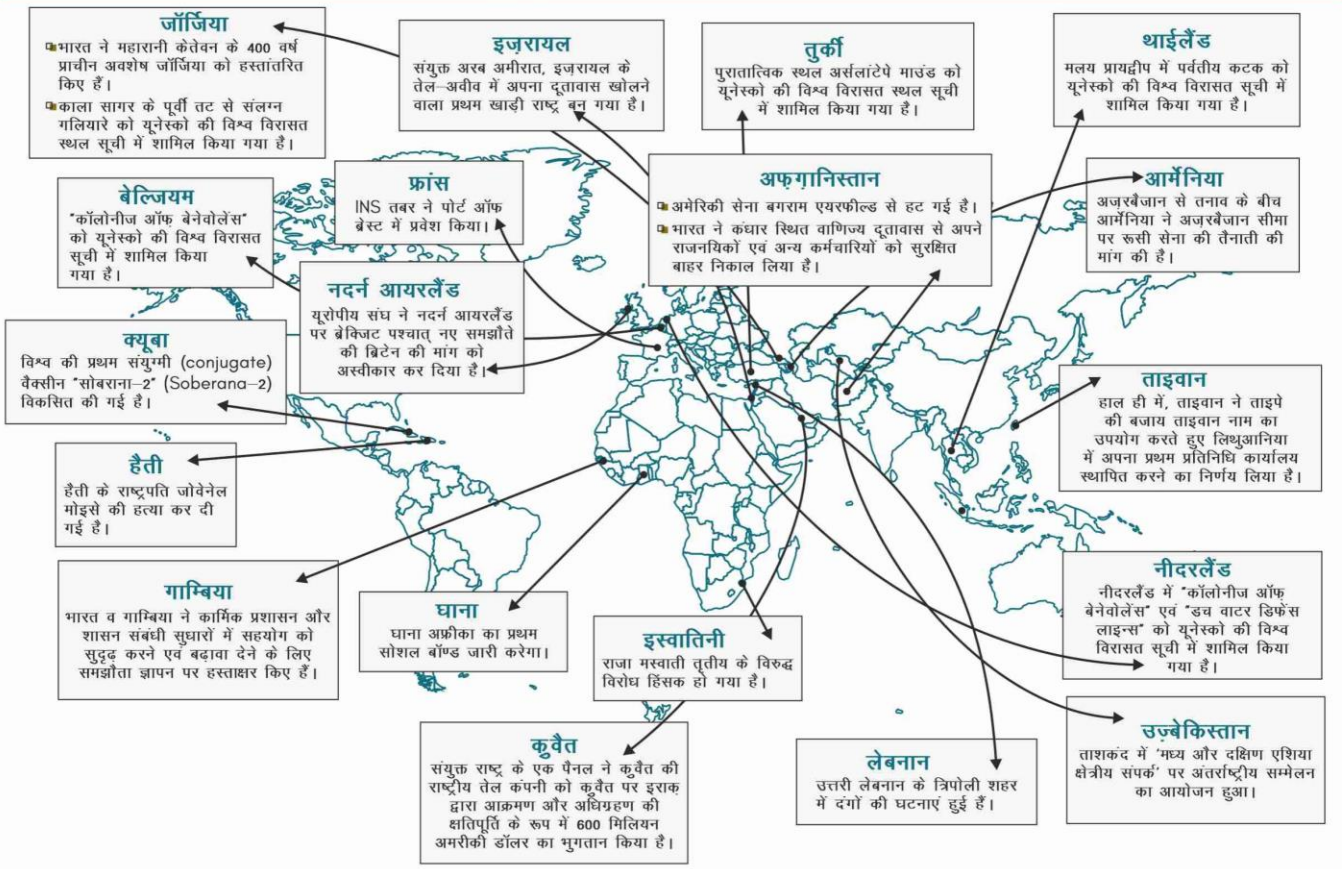

जॉर्जिया
- भारत ने महारानी केतेवन के 400 वर्ष प्राचीन अवशेष जॉर्जिया को हस्तांतरित किए हैं।
- काला सागर के पूर्वी तट से संलग्न गलियारे को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया है।

इज़रायल
संयुक्त अरब अमीरात, इज़रायल के तेल–अवीव में अपना दूतावास खोलने वाला प्रथम खाड़ी राष्ट्र बन गया है।

तुर्की
पुरातात्विक स्थल अर्सलांटेपे माउंड को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया है।

थाईलैंड
मलय प्रायद्वीप में पर्वतीय कटक को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है।

बेल्जियम
"कॉलोनीज ऑफ बेनेवोलेंस" को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है।

फ्रांस
INS तबर ने पोर्ट ऑफ ब्रेस्ट में प्रवेश किया।

अफ़ग़ानिस्तान
- अमेरिकी सेना बगराम एयरफील्ड से हट गई है।
- भारत ने कंधार स्थित वाणिज्य दूतावास से अपने राजनयिकों एवं अन्य कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है।

आर्मेनिया
अज़रबैजान से तनाव के बीच आर्मेनिया ने अज़रबैजान सीमा पर रूसी सेना की तैनाती की मांग की है।

नदर्न आयरलैंड
यूरोपीय संघ ने नदर्न आयरलैंड पर ब्रेक्जिट पश्चात् नए समझौते की ब्रिटेन की मांग को अस्वीकार कर दिया है।

क्यूबा
विश्व की प्रथम संयुग्मी (conjugate) वैक्सीन "सोबराना–2" (Soberana–2) विकसित की गई है।

ताइवान
हाल ही में, ताइवान ने ताइपे की बजाय ताइवान नाम का उपयोग करते हुए लिथुआनिया में अपना प्रथम प्रतिनिधि कार्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है।

हैती
हैती के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइसे की हत्या कर दी गई है।

गाम्बिया
भारत व गाम्बिया ने कार्मिक प्रशासन और शासन संबंधी सुधारों में सहयोग को सुदृढ़ करने एवं बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

घाना
घाना अफ्रीका का प्रथम सोशल बॉण्ड जारी करेगा।

इस्वातिनी
राजा मस्वाती तृतीय के विरुद्ध विरोध हिंसक हो गया है।

नीदरलैंड
नीदरलैंड में "कॉलोनीज ऑफ बेनेवोलेंस" एवं "डच वाटर डिफेंस लाइन्स" को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है।

कुवैत
संयुक्त राष्ट्र के एक पैनल ने कुवैत की राष्ट्रीय तेल कंपनी को कुवैत पर इराक द्वारा आक्रमण और अधिग्रहण की क्षतिपूर्ति के रूप में 600 मिलियन अमरीकी डॉलर का भुगतान किया है।

लेबनान
उत्तरी लेबनान के त्रिपोली शहर में दंगों की घटनाएं हुई हैं।

उज़्बेकिस्तान
ताशकंद में 'मध्य और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय संपर्क' पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ।

सुर्ख़ियों में रहे प्रमुख व्यक्ति

व्यक्ति / व्यक्तित्व	विवरण	प्रदर्शित नैतिक मूल्य
लालेश्वरी या लाल देद	• **वह कश्मीर की 14वीं सदी की एक रहस्यवादी कवयित्री थीं।** • लल वाख के नाम से विख्यात उनके छंद **कश्मीरी भाषा में रचित** सबसे प्रारंभिक रचनाएँ हैं। • उन्होंने पारंपरिक रहस्यवाद, लोकप्रिय **भक्ति आंदोलन और सूफ़ीवाद** के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य किया था।	• **भक्ति और अध्यात्मवाद** ▸ उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देवत्व की आराधना के प्रति समर्पित कर दिया था। लाल देद की भक्ति–भावना के लिए उनका सम्मान करने वाले लोगों द्वारा उन्हें पूर्णतः स्वीकार किया गया था। ▸ उन्होंने लोगों को आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश करने में सहायता प्रदान की थी और उन्हें आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया था।
श्रीमंत शंकरदेव	• **उनका जन्म सितंबर 1449 में असम में नगांव जिले के बटाद्रवा** में हुआ था, जिसे बरदवा भी कहा जाता है। • शंकर देव ने हिंदू धर्म के भीतर एक नव वैष्णव परंपरा की स्थापना की थी। • उन्होंने **सत्रिया नृत्य** की शुरुआत की थी, जो भारत की शास्त्रीय नृत्य शैलियों में शामिल है। • उन्होंने एकल अभिनय नाटक की एक शैली **अंकिया नाट** की नींव रखी थी। • **काव्य रचनाएँ:** कीर्तन घोष, हरिश्चंद्र–उपाख्यान, बाली–चालना आदि।	• **सामाजिक अन्तश्चेतना और मानवतावाद** ▸ उन्होंने भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिसने पूर्वोत्तर के लोगों के आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन को प्रभावित किया था। ▸ उनके अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं को समानता, सहनशीलता, सत्यवादिता और मानवता के लिए प्रेम जैसे गुणों के साथ आत्मसात किया था।
बाल गंगाधर तिलक	• पूर्ण 'स्वराज्य' की मांग करने वाले प्रथम व्यक्ति तिलक थे। वैलेंटाइन चिरोल ने उन्हें **भारतीय अशांति का जनक** कहा था। • उन पर वर्ष 1897 में राजद्रोह का आरोप लगाया गया था। इस मुकदमे से उन्हें काफी प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी, जिस कारण उन्हें **'लोकमान्य'** (लोगों के प्रिय नेता) की उपाधि मिली थी। • उन्होंने वर्ष 1914 में **इंडियन होमरूल लीग** की स्थापना की थी और इसके अध्यक्ष रहे थे। • उन्होंने दो समाचार पत्रों **केसरी** (मराठी भाषा) और **मराठा** (अंग्रेजी) की स्थापना और संपादन किया था। उन्होंने **'गीता रहस्य'** नामक पुस्तक भी लिखी थी। • उन्होंने **'स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और मैं इसे लेकर रहूंगा'** का प्रसिद्ध नारा दिया था।	• **देशभक्ति और लचीलापन** ▸ उनका संपूर्ण जीवन एक राष्ट्र के रूप में भारत को आत्मनिर्णय लेने में सक्षम बनाने और उसकी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए गए प्रयासों पर केंद्रित रहा। ▸ अपने राजनीतिक लेखन के लिए कई बार उन्हें कारावास का दंड मिला था, किन्तु इससे उनके राजनीतिक विचारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उन्होंने लेखन कार्य जारी रखा।
कादम्बिनी गांगुली	• वह वर्ष 1886 में **कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से प्रशिक्षित चिकित्सक** बनने वाली आधुनिक भारत की **प्रथम महिला** थीं। ज्ञातव्य है कि आनंदी गोपाल जोशी भी उस दौरान (वर्ष 1886 में) एक प्रशिक्षित चिकित्सक बनने वाली महिला थीं, किन्तु उन्होंने अपनी चिकित्सा–विज्ञान की पढ़ाई **वुमन मेडिकल कॉलेज ऑफ पेनसिल्वेनिया से की थी।** • वह वर्ष 1889 के पांचवें अधिवेशन में छह महिला प्रतिनिधियों के भाग के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली महिला स्पीकर भी थीं। उन्होंने वर्ष 1906 में बंगाल के विभाजन के उपरांत **कलकत्ता में महिला सम्मेलन** का आयोजन भी किया था।	• **पेशेवर प्रतिबद्धता और सहानुभूति** ▸ महिला चिकित्सक बनने के लिए उन्हें सामाजिक बाधाओं और प्रति - क्रियाओं के विरुद्ध बहुत संघर्ष करना पड़ा और मृत्यु तक उन्होंने किसी भी चिकित्सा कार्य को अस्वीकार नहीं किया था। ▸ उन्होंने विशेष रूप से कोयला खनन में लगे महिला श्रमिकों हेतु उनके अधिकारों के लिए संघर्ष किया था।
स्वामी विवेकानंद	• उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। **वे एक संत और रामकृष्ण परमहंस के प्रमुख शिष्य थे।** • उनकी **शिक्षाएं और लेखन वेदांत दर्शन पर केंद्रित हैं।** • उन्होंने **वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ** की स्थापना की थी। • उन्होंने **वर्ष 1893 में शिकागो की विश्व धर्म संसद** में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। • **उनके चार प्रमुख ग्रंथों में शामिल हैं:** ज्ञान–योग, भक्ति–योग, कर्म–योग और राज–योग। ये सभी हिंदू दर्शन पर उत्कृष्ट ग्रंथ हैं।	• **तर्कवाद और अध्यात्मवाद** ▸ विवेकानंद ने तर्कसंगत चिंतन और प्रबुद्ध विचारों के प्रसार के लिए जन शिक्षा पर बल दिया था। ▸ उनके लिए धर्म अनिवार्य रूप से एक आध्यात्मिक शक्ति थी, जिसके मूल में मानवतावाद था।
रुखमाबाई राउत	• वर्ष 1864 में जन्मी, रुखमाबाई राउत भारत की शुरुआती योग्य महिला चिकित्सकों में से एक थीं और एक नारीवादी थीं। इन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाई थी। • **दादाजी भीकाजी बनाम रुखमाबाई वाद (वर्ष 1885)** पर आधारित वर्ष 1891 के एज ऑफ कंसेंट एक्ट के अधिनियमन के पीछे वह एक प्रमुख कारण थीं।	• **स्वतंत्र मनोवृत्ति और साहस** ▸ अपने संपूर्ण जीवनकाल में वे ज्ञान प्राप्ति के प्रयास करती रहीं। उन्होंने सामाजिक समनुरूपता के विरुद्ध भी संघर्ष किया था। ▸ उन्होंने अपने बाल विवाह का विरोध किया था और सम्मति आयु आधारित वैवाहिक संबंधों के लिए कार्य किया था।

डॉ. बिधान चंद्र राय	• पटना में जन्मे **डॉ. रॉय, गांधीजी के मित्र और चिकित्सक** थे। उन्होंने क्षयरोग और कैंसर अस्पतालों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
	  ▫ उन्होंने कांग्रेस **कार्यसमिति के सदस्य, कलकत्ता के मेयर और कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति** के रूप में भी कार्य किया था।
	  ▫ उन्होंने 1920 के दशक में एक चुनाव में **सुरेंद्रनाथ बनर्जी को पराजित किया था।**
	• उन्होंने **'लिबर्टी'** तथा चितरंजन दास द्वारा आरंभ की गई पत्रिकाओं, यथा– **"फॉरवर्ड", "बंगबासी"** और **"आत्मशक्ति"** का संपादन किया था।
	• वह **यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया** के संस्थापक अध्यक्ष थे।
	• उनके सम्मान में, वर्ष 1991 में **प्रथम राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस** मनाया गया था। उन्हें वर्ष 1961 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।
		• **व्यावसायिकता और लोकवादी दृष्टिकोण**
		▸ ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ने विश्व में सर्वाधिक संख्या में मरीजों को परामर्श देने वाले चिकित्सक के रूप में उनका उल्लेख किया था। उनके किसी शहर के दौरे या यहां तक कि रेलवे स्टेशन पर आने की खबर मात्र से वहाँ मरीजों की भीड़ लग जाती थी।
		▸ उन्होंने न केवल एक चिकित्सक के रूप में बल्कि प्रशासक के रूप में भी राज्य के राज्यपाल, मेयर और कुलपति के रूप में कार्य किया था।

चम्पक रमन पिल्लई	• वह **'जय हिंद'** के नारे के प्रवर्तक थे। • प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, उन्होंने **स्विट्जरलैंड** में एक **अंतर्राष्ट्रीय भारतीय समर्थक समिति** का गठन किया था। • इसके अतिरिक्त, 31 जुलाई 1914 को उन्होंने **इंडियन नेशनल वॉलंटरी कॉर्प्स** का गठन किया था और सभी भारतीयों से अंग्रेजों के विरुद्ध भारत के लिए संघर्ष करने का आग्रह किया था। • उन्होंने **काबुल में एक अस्थायी सरकार** का भी गठन किया था। उनके एक जर्मन पोत **एस. एम.एस. एम्डेन (SMS Emden)** पर होने का अनुमान भी था, जिसने मद्रास पर हमला किया था। • कालांतर में, वह इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स के **बर्लिन प्रतिनिधि** बन गए थे और सुभाष चंद्र बोस को एक सेना निर्मित करने के लिए प्रेरित किया था।	• **साहस और नेतृत्व क्षमता** ▸ पिल्लई काबुल में एक अस्थायी सरकार बनाकर विदेशों में भारतीय स्वतंत्रता के लिए बाह्य समर्थन जुटाने का प्रयास करते रहे। ▸ उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मन युद्धपोत का उपयोग करके मद्रास में अंग्रेजों पर हमले का भी नेतृत्व किया था।
के. कामराज	• उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। वे वर्ष 1940 में तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चुने गए थे और वर्ष 1954 में मद्रास के मुख्यमंत्री बने थे। • वह भारत के प्रथम मुख्यमंत्री थे, जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी। • वर्ष 1963 में उन्होंने **कामराज योजना** प्रस्तुत की थी। इसके तहत– **कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से सत्ता के लालच को दूर करने के लिए संगठनात्मक कार्य करने हेतु मंत्री पद त्यागने का आग्रह किया गया था।** • उन्हें **वर्ष 1976 में** मरणोपरांत **भारत रत्न** प्रदान किया गया था।	• **सत्यनिष्ठा और सादगी** ▸ मद्रास (बाद में तमिलनाडु) के मुख्यमंत्री के रूप में, उन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे से संबद्ध सार्वजनिक नीतियों के लक्ष्यों को पूरा करने की उत्कृष्ट उपलब्धि प्राप्त की थी। ▸ अत्यंत विनम्र पृष्ठभूमि से आने के कारण उन्होंने कभी भी अपने निजी जीवन पर ध्यान नहीं दिया और बहुत ही साधारण जीवन व्यतीत किया।

 चंद्रशेखर आजाद	• सर्वाधिक प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारियों में से एक, चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन (HRA) में शामिल हुए थे। • वे लाला लाजपत राय की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए **जे. पी. सॉन्डर्स (लाहौर, वर्ष 1928)** पर गोली चलाने और प्रसिद्ध काकोरी ट्रेन डकैती (वर्ष 1925) में संलिप्त थे। • सितंबर 1928 में, उत्तर भारत के क्रांतिकारियों के साथ **हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) के निर्माण हेतु HRA को पुनर्गठित** किया था। ▫ उन्हें पार्टी के कमांडर–इन–चीफ के रूप में चुना गया था। • HRA के उद्देश्य को बरकरार रखते हुए HSRA ने दो नए बिंदु जोड़े– ▫ **समाजवाद को पार्टी की विचारधारा और लक्ष्य** के रूप में अपनाना। ▫ **धार्मिक और जाति से संबंधित चिन्हों को त्यागना।**	• **नेतृत्व और निर्भीकता:** ▸ उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्षरत भारतीय क्रांतिकारियों के समूह का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था। ▸ उन्होंने स्वयं के अंग्रेजों द्वारा पकड़े नहीं जाने की प्रतिज्ञा की थी, इसलिए उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के पालन के लिए शत्रुओं से घिरे होने पर स्वयं को गोली मार ली थी।
 अमृता शेरगिल	• उनका जन्म 30 जनवरी 1913 को बुडापेस्ट, हंगरी में हुआ था। उनकी मृत्यु वर्ष 1941 में 28 वर्ष की आयु में हुई थी। • वे भारत की **एक प्रसिद्ध महिला कलाकार थीं।** भारत सरकार ने उन्हें **"राष्ट्रीय कला खजाने"** की मान्यता प्रदान की है। यह एक ऐसा सम्मान है, जो उनकी कला को देश से बाहर ले जाना अवैध घोषित करता है।	▸ पारंपरिक और पश्चिमी कला रूपों के सौंदर्यपरक सम्मिश्रण के लिए उन्हें प्रायः भारत की फ्रीडा काहलो के रूप में जाना जाता है। ▸ वह अति उत्साही थीं और अपनी चित्रकला पर ध्यान केंद्रित करते हुए बहुत चिंतामुक्त जीवन व्यतीत करती थीं।
 भागीरथी अम्मा	• **केरल** की सबसे बुजुर्ग शिक्षार्थी, जिन्होंने **105** वर्ष की आयु में राज्य साक्षरता मिशन परीक्षा उत्तीर्ण की थी, का निधन हो गया है। • ज्ञातव्य है कि महिला सशक्तीकरण की दिशा में उनके योगदान के लिए उन्हें **वर्ष 2020 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।**	• **धैर्य और जिम्मेदारी:** ▸ वह सदैव पढ़ने और ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहती थीं। अपनी माता की मृत्यु के उपरांत उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा था, क्योंकि उन्हें अपने छोटे भाई–बहनों की देखभाल करनी थी। किंतु उन्होंने अपने स्वप्न को जीवित रखा और आयु के उस चरण में भी पुनः अध्ययन करने का निर्णय किया, जब लोग अपने अंतिम समय की प्रतीक्षा करने लगते हैं।
 गिरी साराभाई	• वह **अहमदाबाद में प्रसिद्ध राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान** की सह–संस्थापक और भारत में डिजाइन शिक्षा की अग्रणी थीं। • उन्होंने भारत के **सबसे प्रसिद्ध निजी संग्रहालयों में से एक, कैलिको म्यूजियम ऑफ़ टेक्सटाइल्स** की भी स्थापना की थी। • उन्होंने कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, किन्तु उन्हें प्रसिद्ध **डिजाइनर फ्रैंक लॉयड राइट के अधीन प्रशिक्षण** प्राप्त हुआ था।	• **परिश्रम और प्रतिबद्धता:** ▸ वह वस्तुओं और कलाकृतियों, इमारतों, इतिहास, विरासतों एवं मानवीय मूल्यों की एक श्रेष्ठ संरक्षक व देखभालकर्ता थीं। ▸ उन्होंने भविष्य की पीढ़ियों के प्रति जिम्मेदारी की सुदृढ़ भावना के साथ अपने संपूर्ण कतृत्व को प्रलेखित और संग्रहीत किया था।
 इला मित्रा	• उनका जन्म वर्ष 1925 में हुआ था। उन्होंने वर्ष 1944 में बेथुन कॉलेज से **बंगाली साहित्य में बी.ए. (ऑनर्स)** परीक्षा उत्तीर्ण की थी। • वर्ष **1937** से, ट्रैक पर अपनी विजय के उपरांत से कलकत्ता में बंगाली और अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के खेल पृष्ठों पर वे लगभग नियमित रूप से सुर्खियों में रहीं थीं। • उनके ओलंपिक दल में शामिल किए जाने की संभावना थी, जो वर्ष 1940 के ओलंपिक खेलों में ब्रिटिश भारत का प्रतिनिधित्व करने जाने वाला था। किंतु द्वितीय विश्व युद्ध के कारण यह खेल आयोजन रद्द कर दिया गया था। • वह 1940 के दशक के साम्यवादी आंदोलन में सक्रिय रही थीं। वह बंगाल के तेभागा आंदोलन की नेतृत्वकर्ता बन गई थीं। वे **'रानी माँ'** के उपनाम से विख्यात थीं।	• **नेतृत्व और करुणा** ▸ उन्होंने बड़े पैमाने पर गांवों का दौरा करके तेभागा आंदोलन को नेतृत्व और गति प्रदान की, दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक रूप से किसान सभाओं को संबोधित किया। ▸ इसके अतिरिक्त, उन्होंने 1940 के दशक में महात्मा गांधी के साथ अकाल और चक्रवात के कारण बंगाल में प्रभावित क्षेत्रों का व्यापक दौरा किया था। ▸ वह बांग्लादेश के लोगों के संघर्षों को साझा करने में अपनी भूमिका के लिए अमर रहेंगी।
 दलाई लामा	• प्रधान मंत्री ने **तिब्बती बौद्ध धर्म के 14वें दलाई लामा** तेनजिन ग्यात्सो को उनके 86वें जन्मदिन पर बधाई दी। • तिब्बती बौद्धों द्वारा दलाई लामाओं को **अवलोकितेश्वर या चेनरेज़िग (करुणा से संबंधित बोधिसत्व और तिब्बत के संरक्षक बौद्ध देवता)** का स्वरूप माना जाता है। • दलाई लामा तिब्बती **बौद्ध धर्म की गेलुग्पा परंपरा से संबंधित हैं,** जो तिब्बत में सबसे बड़ी और सर्वाधिक प्रभावशाली परंपरा है। • दलाई लामा तिब्बती **बौद्ध धर्म के प्रमुख बौद्ध संत हैं** और वर्ष 1959 में चीन की सरकार द्वारा तिब्बत पर नियंत्रण किए जाने तक **पारंपरिक रूप से तिब्बत के शासन के लिए उत्तरदायी रहे हैं।**	• **करुणा और निस्वार्थता** ▸ उनके अनुसार, वास्तविक करुणा भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि तर्क पर आधारित एक दृढ़ प्रतिबद्धता है। इसलिए, दूसरों द्वारा नकारात्मक व्यवहार किए जाने पर भी उनके प्रति वास्तविक दयालुतापूर्ण व्यवहार नहीं बदलता है। ▸ तिब्बती समस्या के शांतिपूर्ण समाधान के लिए उनकी निस्वार्थ प्रतिबद्धता हेतु वर्ष 1989 में उन्हें **नोबेल शांति पुरस्कार** से सम्मानित किया गया था।

परिशिष्ट

नई शिक्षा नीति, 2020 के प्रावधान (Provisions of National Education Policy, 2020)

विद्यालयी शिक्षा (School Education)

आयाम	प्रावधान
प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (Early Childhood Care and Education: ECCE)	■ **3–6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा की सार्वभौमिक उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ECCE, आंगनवाड़ियों और प्री–स्कूलों के माध्यम से प्रदान की जाएगी।** ■ राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT), 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए **प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम एवं शैक्षणिक ढांचा** (National Curricular and Pedagogical Framework for Early Childhood Care and Education: NCPFECCE) विकसित करेगी।
बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान की प्राप्ति {Attainment of Foundational Literacy and Numeracy (FLN)}	■ **बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन (शिक्षा मंत्रालय द्वारा):** इसके तहत, राज्य / संघ राज्यक्षेत्र द्वारा वर्ष 2025 तक सभी प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा तीन तक के सभी विद्यार्थियों (learners) को **सार्वभौमिक आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्रदान** करने के लिए एक कार्यान्वयन योजना तैयार की जाएगी। ■ सभी भौगोलिक क्षेत्रों, भाषाओं, शैक्षणिक स्तरों पर और शैलियों में पुस्तकों की उपलब्धता, पहुँच, गुणवत्ता और पाठकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक **राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति** को भी तैयार किया जाना है। ■ बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान के विषय पर उच्च गुणवत्तापूर्ण संसाधनों के राष्ट्रीय निक्षेपागार को **"दीक्षा"** {**ज्ञान साझा करने हेतु डिजिटल अवसंरचना** (Digital Infrastructure for Knowledge Sharing: DIKSHA)} पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।
सभी स्तरों पर विद्यालयी शिक्षा के दौरान विद्यालय छोड़ने (ड्रॉपआउट) की दरों को कम करना तथा विद्यालयी शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना (Curtailing Dropout Rates and Ensuring Universal Access to Education at All Level)	इस नीति का उद्देश्य वर्ष 2030 तक **प्री–स्कूल से लेकर माध्यमिक स्तर तक 100% सकल नामांकन अनुपात** (Gross Enrolment Ratio: GER) प्राप्त करना है। यह उपलब्धि अर्जित करने के लिए निम्नलिखित पहलें कार्यान्वित की गई हैं: ■ **प्रभावी तथा पर्याप्त अवसंरचना प्रदान करना,** ताकि सभी विद्यार्थियों को सुरक्षित और मनोनुकूल विद्यालयी शिक्षा तक पहुंच प्राप्त हो सके। ■ राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) और राज्य मुक्त विद्यालयों द्वारा प्रस्तुत **मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा** (Open and Distance Learning: ODL) कार्यक्रम को, सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित समूहों पर विशेष बल देते हुए विस्तारित किया जाएगा और उसे गुणवत्तापूर्ण बनाया जाएगा। ■ **परामर्शदाताओं या भलीभांति प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से छात्रों** तथा साथ ही साथ उनकी शिक्षा के स्तर की निगरानी की जाएगी।
पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र (Curriculum and Pedagogy)	■ **विभिन्न प्रकार के विषय संयोजन के चयन की स्वतंत्रता:** कला, मानविकी एवं विज्ञान के मध्य; पाठ्यक्रम, पाठ्येतर व सह–पाठ्यक्रम के बीच; तथा व्यावसायिक और शैक्षणिक विषयों के मध्य कठोर रूप में कोई भिन्नता नहीं होगी। 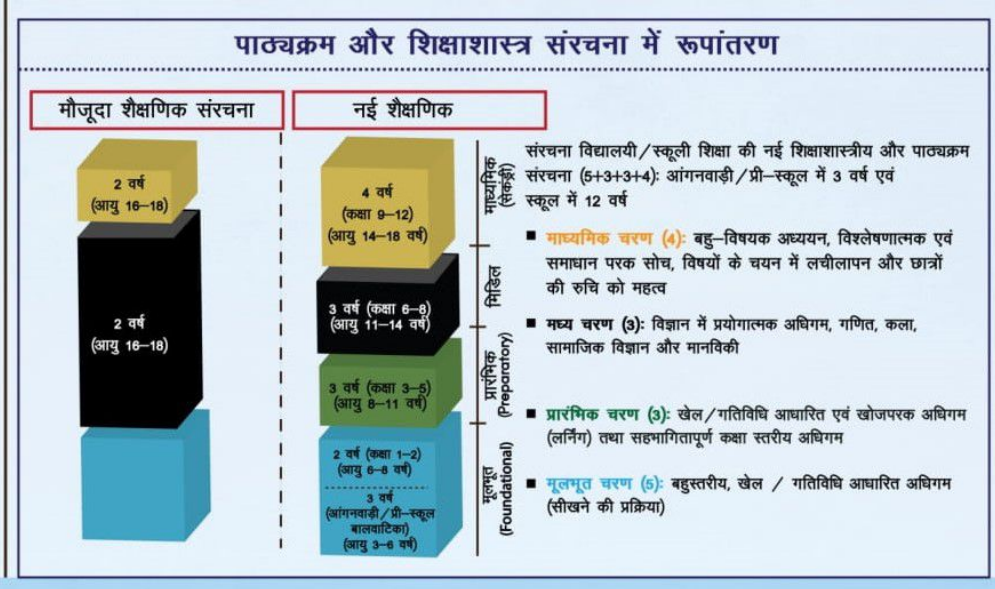

	■ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस), डिज़ाइन थिंकिंग, समग्र स्वास्थ्य, ऑर्गेनिक लिविंग (स्वस्थ जीवन शैली अर्थात कीटनाशकों व उर्वरकों के प्रयोग से विहीन खाद्य सामग्री का उपयोग करना), पर्यावरण शिक्षा, वैश्विक नागरिकता शिक्षा (Global Citizenship Education: GCED) आदि **जैसे समकालीन विषयों का आरंभ किया जाएगा।** ■ कक्षा 6–8 के दौरान कुछ समय के लिए 10 दिन की बैग–विहीन अवधि के माध्यम से **व्यावसायिक शिक्षा,** जहां विद्यार्थी बढ़ई, माली, कुम्हार, कलाकार आदि जैसे **स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञों** से कुछ कौशल अर्जित करेंगे। ■ NCERT **द्वारा विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा** विकसित की जाएगी।
छात्र आकलन (Student Assessment) 	■ **कक्षा 3, 5 और 8 की विद्यालयी परीक्षाओं** को उचित प्राधिकरणों द्वारा आयोजित किया जाएगा। ■ **कक्षा 10 और 12 के लिए बोर्ड परीक्षा जारी रखी जाएंगी,** परंतु समग्र विकास करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इसे नया स्वरूप प्रदान किया जाएगा। ■ **राष्ट्रीय आकलन केंद्र, परख {समग्र विकास के लिए प्रदर्शन आकलन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण** (Performance Assessment, Review, and Analysis of Knowledge for Holistic Development: PARAKH)}, को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत मानकों का निर्धारण करने वाले एक निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। ■ सभी पहलुओं को समाविष्ट करने वाली (360 डिग्री) एक बहुआयामी रिपोर्ट के साथ समग्र **विकास कार्ड,** जो प्रगति के साथ–साथ संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनःप्रेरक (साइकोमोटर) प्रक्षेत्र में प्रत्येक शिक्षार्थी की विशिष्टता को दर्शाता हो। इसमें स्व–आकलन, साथियों के द्वारा आकलन और शिक्षक आकलन भी सम्मिलित होंगे। ■ **राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी** (National Testing Agency: NTA) पूर्वस्नातक और स्नातक प्रवेशों के लिए प्रवेश परीक्षाओं का संचालन करने और उच्चतर शिक्षण संस्थानों में फेलोशिप के लिए स्वायत्त परीक्षण संगठन के रूप में कार्य करेगी।
बहुभाषावाद (Multilingualism) 	■ कक्षा 5 तक और अधिमानतः कक्षा 8 व उससे आगे तक **शिक्षा का माध्यम, क्षेत्रीय भाषा/मातृभाषा/स्थानीय भाषा होगी।** ■ विद्यार्थियों को **'एक भारत श्रेष्ठ भारत'** पहल के तहत **'भारत की भाषाओं'** पर एक आनंददायक परियोजना गतिविधि में भाग लेना होगा। ■ **त्रि–भाषा सूत्र का अधिक नम्यता के साथ कार्यान्वयन।** ■ **सभी शास्त्रीय भाषाएँ** (संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया) स्कूलों में विकल्प के रूप में व्यापक रूप से उपलब्ध होंगी। इसके अतिरिक्त, पाली, फारसी और प्राकृत भी व्यापक रूप से विकल्प के रूप में उपलब्ध होंगी। ■ **भारतीय सांकेतिक भाषा** (Indian Sign League: ISL) को संपूर्ण देश में **मानकीकृत किया जाएगा।**
समान और समावेशी शिक्षा – सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित समूहों के लिए प्रावधान (Equitable and Inclusive Education&Provisions for Socio&Economically Disadvantaged groups: SEDGs) 	■ **निम्नलिखित की स्थापना करना:** • महिला और ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए **जेंडर समावेशन कोष।** • **विशेष शिक्षा क्षेत्र** (Special Education Zones: SEZs)– सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित समूहों की (SEDGs) बड़ी आबादियों वाले अंचलों को विशेष शिक्षा क्षेत्र (SEZs) घोषित किया जाएगा। ■ **दिव्यांग बच्चों** को बुनियादी चरण से उच्चतर शिक्षा तक नियमित विद्यालयी शिक्षा प्रक्रिया में पूर्णतया भाग लेने के लिए सक्षम किया जाएगा। ■ प्रत्येक राज्य / जिले को कला, करियर और खेल से संबंधित गतिविधियों में भाग लेने के लिए **विशेष दिवस–कालीन बोर्डिंग स्कूल** के रूप में, **"बाल भवन"** स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। ■ सामाजिक, बौद्धिक और स्वैच्छिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विद्यालय की निःशुल्क अवसंरचना का **सामाजिक चेतना केंद्रों** के रूप में उपयोग किया जा सकेगा। ■ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए **जनजातीय समूहों से संबंधित बच्चों के लिए विशेष तंत्र।** ■ **सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित समूहों** (SEDGs) के मेधावी छात्रों के लिए शुल्क **छूट और छात्रवृत्ति** प्रदान की जाएगी। ■ **अतिरिक्त विद्यालय– आकांक्षी जिलों / विशेष शिक्षा क्षेत्रों** (SEZs) में अतिरिक्त जवाहर नवोदय विद्यालयों (JNVs) तथा केंद्रीय विद्यालयों (KVs) की स्थापना की जाएगी।
प्रभावकारी शिक्षक शिक्षा और भर्ती (Robust Teacher Education and Recruitment) 	■ वर्ष 2021 तक **शिक्षक शिक्षा के लिए नवीन एवं व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार की जाएगी।** ■ वर्ष 2030 तक, अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री पात्रता **4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री** होगी। ■ बीएड में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। उत्कृष्ट वरिष्ठ/सेवानिवृत्त संकाय के एक वृहद समूह से **'राष्ट्रीय परामर्श (मेंटरिंग)** मिशन' की स्थापना की जाएगी।

- सार्वजनिक एवं निजी दोनों प्रकार के विद्यालयों में मौलिक, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक चरण में **सभी शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TETs) अनिवार्य होगी।**
- कक्षा शिक्षण में शिक्षाशास्त्र के पहलुओं के चयन **हेतु शिक्षकों को** अधिक **स्वायत्तता प्रदान की जाएगी।**
- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा वर्ष 2022 तक **शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक** (National Profession Standards for Teachers: NPST) विकसित किए जाएंगे।
- **राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) का पुनर्गठन:** NCTE को सामान्य शिक्षा परिषद के अंतर्गत एक व्यावसायिक मानक निर्धारण निकाय के रूप में पुनर्गठित किया जाना है।

विद्यालयी प्रशासन (School Governance)

- देश भर में एक **पब्लिक स्कूल का एक निजी स्कूल के साथ युग्मन/जोड़ा बनाने की प्रक्रिया** अपनाई जाएगी, ताकि युग्मित स्कूल एक दूसरे से सीख सकें और यदि संभव हो तो संसाधनों को भी साझा कर सकें।

स्कूली शिक्षा के लिए मानक-निर्धारण और प्रत्यायन (Standard-setting and Accreditation for School Education)

- राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा **स्वतंत्र राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी।**
- राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) द्वारा **स्कूल गुणवत्ता आकलन और प्रत्यायन संरचना** (School Quality Assessment and Accreditation Form: SQAAF) **विकसित की जाएगी।**
- **सरकारी और निजी स्कूलों** (केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित/सहायता प्राप्त/नियंत्रित विद्यालयों को छोड़कर) **का आकलन करने और मान्यता प्रदान करने के लिए एक ही मापदंड का उपयोग किया जाएगा।**
- **समग्र प्रणाली की आवधिक 'स्वास्थ्य जांच'** के लिए प्रस्तावित, नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र, परख (PARAKH) द्वारा, छात्रों के अधिगम स्तरों का एक प्रतिदर्श आधारित **राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण** संपन्न किया जाएगा।

उच्चतर शिक्षा (Higher Education)

संस्थागत पुनर्गठन एवं समेकन (Institutional Restructuring & Consolidation)

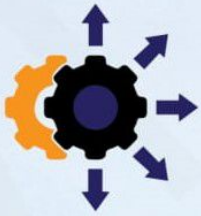

- सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों को तीन प्रकार के संस्थानों में समेकित किया जाएगा, यथा–
  - **अनुसंधान विश्वविद्यालय:** अनुसंधान एवं शिक्षण पर समान ध्यान दिया जाएगा;
  - **शिक्षण विश्वविद्यालय:** अनुसंधान पर महत्वपूर्ण ध्यान केंद्रित करते हुए शिक्षण पर प्राथमिक ध्यान दिया जाएगा तथा
  - **स्वायत्त डिग्री प्रदान करने वाले महाविद्यालय:** लगभग संपूर्ण ध्यान शिक्षण पर केंद्रित होगा।
- महाविद्यालयों की संबद्धता को 15 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा तथा महाविद्यालयों को **क्रमिक स्वायत्तता** प्रदान करने के लिए एक चरणवार तंत्र स्थापित किया जाएगा।
- यह परिकल्पना की गई है कि एक निर्धारित अवधि में, प्रत्येक महाविद्यालय, एक स्वायत्त डिग्री देने वाले महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के एक घटक महाविद्यालय के रूप में विकसित होगा।
- वर्ष 2040 तक, सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों (Higher Education Institutions: HEIs) का उद्देश्य बहु-विषयक संस्थान बनना होगा।
- वर्ष 2030 तक, प्रत्येक जिले में या उसके आसपास कम से कम **एक वृहद बहु-विषयक HEI स्थापित होगा।**
- इसका उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (GER) को **26.3% (2018) से बढ़ाकर वर्ष 2035 तक 50% करना है।**

समग्र बहुविषयक शिक्षा (Holistic Multidisciplinary Education)

- नीति में **लचीले पाठ्यक्रम, विषयों के रचनात्मक संयोजन, व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण तथा उपयुक्त प्रमाणन के साथ कई प्रवेश व निकास बिंदुओं** के साथ व्यापक, बहुविषयक, समग्र अवर स्नातक शिक्षा की परिकल्पना की गई है।
- विभिन्न HEIs से अर्जित **शैक्षिक क्रेडिट्स को डिजिटल रूप से संग्रहीत करने के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ़ क्रेडिट** की स्थापना की जाएगी, ताकि इन्हें प्राप्त अंतिम डिग्री में अंतरित किया जा सके एवं उनकी गणना की जा सके।

- देश में वैश्विक मानकों के सर्वश्रेष्ठ बहुविषयक शिक्षा के प्रतिमानों के रूप में आईआईटी, आईआईएम के समकक्ष **बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय (मेरु/MERU) स्थापित किए जाएंगे।**
- संपूर्ण उच्च शिक्षा में एक सुदृढ़ अनुसंधान संस्कृति तथा अनुसंधान क्षमता को बढ़ावा देने के लिए एक **शीर्ष निकाय** के रूप में **राष्ट्रीय अनुसंधान फ़ाउंडेशन** का सृजन किया जाएगा।

विनियमन (Regulation)

- **सार्वजनिक एवं निजी उच्चतर शिक्षा संस्थान,** विनियमन, प्रत्यायन व अकादमिक मानकों के लिए **समान मानदंडों द्वारा ही शासित होंगे।**
- चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा के अतिरिक्त, शेष **उच्चतर शिक्षा के लिए एकल अति महत्वपूर्ण सर्वसमावेशी निकाय के रूप में भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग** (Higher Education Council of India: HECI) **की स्थापना की जाएगी।** HECI **के चार स्वतंत्र स्तर होंगे, यथा–**

भारतीय उच्चत शिक्षा आयोग (HECI)

विनियमन के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा विनियामकीय परिषद (National Higher Education Regulatory Council: NHERC)	मानक निर्धारण के लिए सामान्य शिक्षा परिषद (General Education Council: GEC)	वित्त पोषण के लिए उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद (Higher Education Grant Council: HEGC)	प्रत्यायन के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (National Accreditation Council: NAC)

उच्चतर शिक्षण संस्थानों (HEIs) का अंतर्राष्ट्रीयकरण (International-ization of HEIs)

- **अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रासंगिक पाठ्यक्रम,** सामाजिक संलग्नता हेतु सार्थक अवसर, गुणवत्तापूर्ण आवासीय सुविधाएं एवं संस्थान में कहीं भी सहायता प्रदान करना आदि।
- **प्रत्येक HEI में,** विदेश से आने वाले छात्रों का स्वागत व उनकी सहायता से संबंधित सभी मामलों का समन्वय करने के लिए विदेशी छात्रों की मेजबानी करने वाला **एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र कार्यालय स्थापित किया जाएगा।**
- **उच्च प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों को अन्य देशों में परिसर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा** तथा इसी प्रकार, विश्व के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में से चयनित विश्वविद्यालयों को भारत में परिचालन की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- **इस प्रकार की प्रविष्टि को सुविधाजनक बनाने वाला एक विधायी ढांचा** तैयार किया जाएगा तथा ऐसे विश्वविद्यालयों के लिए भारत के अन्य स्वायत्त संस्थानों के समतुल्य विनियामकीय, अभिशासनात्मक व सामग्री मानदंडों के संदर्भ में **विशेष व्यवस्था** की जाएगी।
- भारतीय संस्थानों एवं वैश्विक संस्थानों के मध्य अनुसंधान **सहयोग व छात्र विनिमय** को बढ़ावा दिया जाएगा।
- प्रत्येक HEI की आवश्यकताओं के अनुसार, जहां उपयुक्त होगा, **विदेशी विश्वविद्यालयों से प्राप्त क्रेडिट** को भी डिग्री प्रदान करते समय सम्मिलित किया (गिना) जाएगा।

समानता और समावेशन (Equity and Inclusion)

सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम

- सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से वंचित समूहों (Socio Economically Disadvantaged Groups: SEDGs) की शिक्षा के लिए **उपयुक्त सरकारी निधि** निर्धारित की जाएगी।
- SEDGs के लिए उच्च सकल नामांकन अनुपात (GER) हेतु स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे।
- HEIs में प्रवेश में छात्र–छात्रा संतुलन में वृद्धि की जाएगी।
- आकांक्षी जिलों तथा SEDGs की बड़ी आबादी वाले विशेष शिक्षा क्षेत्रों (SEZs) में उच्च गुणवत्ता वाले अतिरिक्त HEIs की स्थापना करके पहुंच बढ़ाई जाएगी।

सभी HEIs द्वारा किए जाने वाले उपाए

- उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए अवसर लागत एवं शुल्क को कम करना।
- SEDGs को अधिक वित्तीय सहायता व छात्रवृत्ति प्रदान करना।
- पाठ्यक्रम को अधिक समावेशी बनाना।
- लैंगिक–पहचान के मुद्दे पर संकाय, परामर्शदाता एवं छात्रों की संवेदनशीलता (जागरूकता) सुनिश्चित करना।
- सभी गैर–भेदभाव व उत्पीड़न–विरोधी नियमों को सख्ती से लागू करना।

अन्य प्रमुख प्रावधान (Other Major Provisions)

शिक्षा का वित्तपोषण (Financing Education)

- शिक्षा क्षेत्रक में **सार्वजनिक निवेश को बढ़ाकर उसे सकल घरेलू उत्पाद के 6%** तक करने के लिए केंद्र व राज्य मिलकर कार्य करेंगे।

	■ नवीन शिक्षा नीति **शिक्षा क्षेत्रक में निजी परोपकारी गतिविधियों को प्रोत्साहन व सहयोग** प्रदान करने का आह्वान करती है।
शिक्षा में प्रौद्योगिकी (Technology in education)	■ कक्षा प्रक्रियाओं में सुधार करने, पेशेवर शिक्षकों के विकास को समर्थन प्रदान करने तथा वंचित समूहों की शैक्षिक पहुंच बढ़ाने के लिए **शिक्षा के सभी स्तरों में प्रौद्योगिकी का उपयुक्त एकीकरण** किया जाएगा।
प्रौढ़ शिक्षा (Adult Education)	■ नीति का लक्ष्य **वर्ष 2030 तक 100% युवा एवं प्रौढ़ साक्षरता** प्राप्त करना है। ■ **कक्षाओं के समाप्त हो जाने के पश्चात विद्यालयों / विद्यालय परिसरों** तथा सार्वजनिक पुस्तकालयों का प्रौढ़ शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए उपयोग किया जाएगा। ■ प्रौढ़ शिक्षा के लिए **गुणवत्तायुक्त प्रौद्योगिकी–आधारित विकल्प** जैसे ऑनलाइन पाठ्यक्रम, उपग्रह–आधारित टीवी चैनल तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) से सुसज्जित पुस्तकालय और प्रौढ़ शिक्षा केंद्र आदि विकसित किए जाएंगे।
ऑनलाइन शिक्षा एवं डिजिटल शिक्षा (Online Education and Digital Education)	■ जब कभी और जहां भी पारंपरिक एवं व्यक्तिगत शिक्षा प्राप्त करने के साधन उपलब्ध होना संभव नहीं हो, वहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के वैकल्पिक साधनों के साथ–साथ, ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने की **विस्तारपूर्वक अनुशंसाएं** की गई हैं। ■ डिजिटल अवसंरचना, डिजिटल सामग्री एवं क्षमता निर्माण के समन्वय के प्रयोजनार्थ विद्यालय व उच्च शिक्षा, दोनों के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) में एक समर्पित इकाई का गठन किया जाएगा।
व्यावसायिक शिक्षा (Professional Education)	■ सभी व्यावसायिक शिक्षाएं उच्च शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग होगी। ■ स्वचालित तकनीकी विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कानूनी व कृषि विश्वविद्यालय आदि बहु–विषयक संस्थान बनने का लक्ष्य निर्धारित करेंगे।
भारतीय भाषाओं, कलाओं व संस्कृति को प्रोत्साहन (Promotion of Indian Languages, Arts and Culture)	■ भारतीय भाषाओं, तुलनात्मक साहित्य, रचनात्मक लेखन, कला, संगीत, दर्शन आदि में सशक्त विभाग गठित किए जाएंगे एवं कार्यक्रम आरंभ किए जाएंगे तथा इन्हें देश भर में विकसित किया जाएगा। साथ ही, इन विषयों में 4–वर्षीय बीएड की दोहरी डिग्री सहित अन्य डिग्रियां भी विकसित की जाएंगी। ■ स्थानीय संगीत, कला, भाषाओं एवं हस्तकला को प्रोत्साहित करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि छात्र जहां अध्ययन करते हैं, वे वहां की संस्कृति व स्थानीय ज्ञान से अवगत हों, **उत्कृष्ट स्तर के स्थानीय कलाकारों व शिल्पकारों को अतिथि संकाय** के रूप में नियुक्त किया जाएगा। ■ प्रत्येक उच्चतर शिक्षण संस्थान एवं यहां तक कि प्रत्येक विद्यालय या विद्यालय परिसर में छात्रों को कला, रचनात्मकता व क्षेत्र / देश के समृद्ध कोष से परिचित कराने के लिए **कलाकारों के नियोजन {Artist(s)-in-Residence} की पृथक व्यवस्था करनी होगी।** ■ अनुवाद एवं व्याख्या, कला व संग्रहालय प्रशासन, पुरातत्व आदि में उच्च **गुणवत्तायुक्त पाठ्यक्रम तथा डिग्री कोर्स विकसित किए जाएंगे।** ■ **भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित प्रत्येक भाषा** के संदर्भ में नवीनतम अवधारणाओं के लिए सरल परंतु सटीक शब्दावली का निर्धारण करने तथा नियमित आधार पर शब्दकोशों को जारी करने के लिए विद्वानों व देशी वक्ताओं को नियोजित करते हुए अकादमियों की स्थापना की जाएगी।

वीकली फोकस

प्रत्येक सप्ताह एक मुद्दे का समग्र कवरेज

मुद्दे	विवरण	अन्य जानकारी
भारत में सिविल सोसाइटी: विकास हेतु आवश्यक संघटक या एक विवादित विचार?	आर्थिक विकास के वर्तमान मॉडल में, स्वैच्छिक / नागरिक समाज (सिविल सोसाइटी) क्षेत्र को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया एवं न्यायसंगत, टिकाऊ और समावेशी विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक प्रमुख अभिकर्ता के रूप में मान्यता दी गई है। निरपवाद रूप से, इसने आधिकारिक नीतिगत क्षेत्र में नागरिक समाज की वैधता और भूमिका के बारे में सार्वजनिक विमर्श को प्रेरित किया है। इस लेख के माध्यम से हम लोकतंत्र में नागरिक समाज के महत्व को समझेंगे और साथ ही यह भी जानेंगे कि कैसे सिविल सोसाइटी अपने समक्ष आने वाली बाधाओं को दूर कर सकती है और उभरते युग में अपने वांछित उद्देश्य की पूर्ति कर सकती है।	
महिलाओं के विरुद्ध हिंसा: पहचान, प्रतिक्रिया, रोकथाम और परिवर्तन	वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक हमारे समाज की महिलाओं की स्थिति और उनके वीरतापूर्ण कृत्यों के बारे में बहुत कुछ लिखा जा सकता है। किन्तु कालांतर में, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों के कारण, महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई और उन्हें पुनः हाशिये पर धकेल दिया गया। यह दस्तावेज़ वर्तमान समय में विश्व भर में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मामलों की बढ़ती संख्या के लिए उत्तरदायी कारकों की गहराई से पड़ताल करता है। आगे यह विश्लेषण करता है कि भारत में इस गंभीर मुद्दे से निपटने और महिलाओं की सम्मानजनक स्थिति को पुनर्स्थापित करने के लिए क्या किया जा सकता है।	
सहकारिता: सहयोग के माध्यम से समृद्धि	भारत में सहकारी समिति का एक समृद्ध और सफल इतिहास रहा है और आज सहकारी समितियां सामूहिकता एवं लोकतंत्र की भावना को जीवित रखने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम हैं। सहकारी समितियों जैसे सामाजिक संगठनों के एक बड़े नेटवर्क की उपस्थिति से सामाजिक पूंजी के उत्पादन व उपयोग में सहायता मिलेगी और जितनी अधिक सामाजिक पूंजी होगी विकास की संभावना उतनी ही अधिक होगी। भारत के विकास में सहकारी क्षेत्र द्वारा निभाई गई भूमिका और इसकी प्रासंगिकता पर प्रकाश डालते हुए, यह दस्तावेज़ इस क्षेत्र के लिए मौजूदा बाधाओं और इस क्षेत्र की संभावनाओं की पड़ताल करता है।	
पोर्ट कनेक्टिविटी: भारत के लिए वैश्विक संपर्क का साधन	भारत की एक समृद्ध समुद्री विरासत है। हमारे समुद्री कौशल को राष्ट्र के विकास के एक मजबूत इंजन के रूप में आकार देने और वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ अच्छी तरह से एकीकृत करने के लिए, पत्तन-आधारित या बंदरगाहों के नेतृत्व वाले विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। इस लेख में हमारे पत्तनों की क्षमता का उपयोग करने और इसकी क्षमता में वृद्धि करने के समक्ष मौजूद बाधाओं को समाप्त करने की दिशा में भारत के प्रयासों का मूल्यांकन किया गया है। इसके अतिरिक्त, यह पत्तनों के एक सुदृढ़ बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए आगे का मार्ग प्रशस्त करता है, जो एक समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश के प्रयासों को मजबूती प्रदान करेगा।	

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

Stay in touch with Your Preparation

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

www.visionias.in

7 IN TOP 10 SELECTIONS IN CSE 2019

FROM VARIOUS PROGRAMS OF VISION IAS

2 AIR

JATIN KISHORE

3 AIR

PRATIBHA VERMA

6 AIR

VISHAKHA YADAV

7 AIR

GANESH KUMAR BASKAR

8 AIR

ABHISHEK SARAF

9 AIR

RAVI JAIN

10 AIR

SANJITA MOHAPATRA

YOU CAN BE NEXT

DELHI

HEAD OFFICE Apsara Arcade, 1/8-B, 1st Floor, Near Gate 6, Karol Bagh Metro Station

+91 8468022022, +91 9019066066

Mukherjee Nagar Centre

635, Opp. Signature View Apartments, Banda Bahadur Marg, Mukherjee Nagar

JAIPUR 9001949244 | **HYDERABAD** 9000104133 | **PUNE** 8007500096 | **AHMEDABAD** 9909447040 | **LUCKNOW** 8468022022 | **CHANDIGARH** 8468022022 | **GUWAHATI** 8468022022

/c/VisionIASdelhi /vision_ias /visionias_upsc /VisionIAS_UPSC